लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

7th Lok Sabha

(चौदहवां संस्करण)

सत्यमेव जयते

(खंड 47 में अंक 31 से 40 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

गुरुवार, 12 अप्रैल, 1984/23 चैत्र, 1906 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

मुखपृष्ठ, पंक्ति 4, "(चौदहवां संस्करण)" के स्थान पर "(चौदहवां सत्र)" पढ़िये।

पृष्ठ सं0 7, पंक्ति 11, "क्वर्टरों" के स्थान पर "क्वार्टरों" पढ़िये।

पृष्ठ सं0 15, पंक्ति 21, "माननो सदस्य" के स्थान पर "माननीय सदस्य" पढ़िये।

पृष्ठ सं0 16, पंक्ति 8, "श्री रघनन्दन लाल भाटिया" के स्थान पर "श्री रघुनन्दन लाल भाटिया" पढ़िये।

पृष्ठ सं0 19, पंक्ति 20, "नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री के0विजय भास्कर रेड्डी)" के स्थान पर "(नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री" "श्री जियाउर्रहमान अन्सारी" पढ़िये।

पृष्ठ सं0 21, पंक्ति 14, "श्री के0विजय भास्कर रेड्डी" से पूर्व "नौवहन और परिवहन मंत्री" पढ़िये।

पृष्ठ सं0 28, पंक्ति 4, "अयुर्वेदिक" के स्थान पर "आयुर्वेदिक" पढ़िये।

पृष्ठ 29, नीचे से पंक्ति 4, "आरोप में" के स्थान पर "आरोप" पढ़िये।

पृष्ठ 29, नीचे से पंक्ति 2, "स्पष्" के स्थान पर "स्पष्ट" पढ़िये।

पृष्ठ सं0 39, प्रथम पंक्ति, "उपमंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम0जोशी)" के स्थान पर "राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई" पढ़िये।

पृष्ठ 74, पंक्ति 10, अ0प्र0संख्या "740" के स्थान पर "7420" पढ़िये।

पृष्ठ 92, पंक्ति 7, "(घ)" के स्थान पर "(छ)" पढ़िये।

पृष्ठ 100, पंक्ति 11, "श्री नवोन रवाणो" के स्थान पर "श्री नवोन रावणो" पढ़िये।

पृष्ठ 113, अंतिम पंक्ति, "श्री रणुवददास" के स्थान पर "श्री रेणुपद दास" पढिये।

पृष्ठ 143, नीचे से पंक्ति 2, अं0प्र0संख्या "756" के स्थान पर "7506" पढ़िये।

पृष्ठ 148, पंक्ति 8, अं0प्र0संख्या "7598" के स्थान पर "7508" पढ़िये।

पृष्ठ 158, पंक्ति 9, "श्री आर0वी0गायकवाड" के स्थान पर "श्री आर0पी0 गायक्वाड़" पढ़िये।

पृष्ठ 186, पंक्ति 23, "121.5म0प0" के स्थान पर "12.15म0प0" पढ़िये।

पृष्ठ 188, पंक्ति 12, "बताते" के स्थान पर "बनाते" पढ़िये।

पृष्ठ 192, पंक्ति 19 और 21 तथा पृष्ठ 203, पंक्ति 3 और पृष्ठ 205, पंक्ति 1, "अध्यक्ष महोदय" के स्थान पर "उपाध्यक्ष महोदय" पढ़िये।

पृष्ठ 214, पंक्ति 2, "शमाजवादो" के स्थान पर "समाजवादो" पढ़िये।

पृष्ठ 229, पंक्ति 19, "ओई" के स्थान पर "का कोई" पढ़िये।

पृष्ठ 255, पंक्ति 21 "महोदय" के स्थान पर "महोदया" पढ़िये।

पृष्ठ 276, अंतिम पंक्ति "अंत:सथपित" के स्थान पर "अंत:स्थापित" पढ़िये।

पृष्ठ 280, पंक्ति 14, तथा पृष्ठ सं0 282, पंक्ति 1, "श्री राकेश कुमार सिंह" के स्थान पर "श्री राजेश कुमार सिंह" पढ़िये।

पृष्ठ 284, पंक्ति 1 और पृष्ठ 286, पंक्ति 1, "श्री राकेश कुमार सिंह" के स्थान पर "श्री मूलचन्द डागा" पढ़िये।

विषय सूची

सप्तम माला, खण्ड 47, चौदहवां सत्र, 1984/1906 (शक)

अंक 35, गुरुवार, 12 अप्रैल, 1984/ 23 चैत्र, 1906 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—22
*तारांकित प्रश्न संख्या : 661; 662, 664 और 665	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	23—176
तारांकित प्रश्न संख्या : 660, 663, 666 से 679	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 7371 से 7414, 7416 से 7424 और 7426 से 7542	
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	182—185
लोक लेखा समिति	186
सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 181 वां, 187 वां, और 188 वां प्रतिवेदन	
प्राक्कलन समिति	186
65 वां प्रतिवेदन	
मानसिक स्वास्थ्य विधेयक	186—187
संयुक्त समिति में सदस्य नियुक्त करने की राज्य सभा की सिफारिश से सहमति	
वर्ष 1984-85 की आयात और निर्यात नीति के बारे में वक्तव्य	188—191
श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह	188

---

*किसी नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

जीवन बीमा निगम विधेयक 191—193

संयुक्त समिति में एक सदस्य नियुक्त करने के लिए राज्य सभा से सिफारिश

नियम 377 के अधीन मामले 193—200

(एक) माही बजाज सागर बांध और कडाना बांध के संबंध में वर्ष 1966 में गुजरात तथा राजस्थान की सरकारों के बीच हुंए समझौते के उपबंधों को कार्यान्वित करने में गुजरात सरकार की असफलता और इस संबंध में केन्द्रीय हस्तक्षेप की आवश्यकता

श्री वृद्धिचन्द्र जैन 194

(दो) हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के पिछड़ेपन को दूर करने हेतु राज्य सरकार को वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी 195

(तीन) हिमाचल प्रदेश में और अधिक दूर-संचार सुविधाओं की व्यवस्था करने तथा वर्तमान सुविधाओं में सुधार करने की आवश्यकता

प्रो० नारायण चन्द पराशर 195

(चार) पिछड़े वर्गों को दी जा रही सुविधा हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश के मुसलमान गूजरों तथा उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के हिन्दू अहेडियों को भी देने की आवश्यकता

श्री रशीद मसूद 196

(पांच) गंगा नदी के जल के बंटवारे संबंधी समझौते का विस्तार करने से संबंधित बंगलादेश के प्रस्ताव को अस्वीकार करने की आवश्यकता

श्री चित्त बसु 196

(छः) लोगों को बीमारियों से बचाने के लिये मच्छर तथा मक्खी नाशक अभियान आरम्भ करने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देने की आवश्यकता

श्री राम लाल राही 197

(सात) जम्मू तथा कश्मीर राज्य सरकार से तथा कथित स्वतंत्रता सेनानियों की गृह मंत्रालय द्वारा पहले सूची प्राप्त किये जाने और फिर प्रत्येक मामले के गुणवगुणों के आधार पर पेंशन देने के बारे में निर्णय लिये जाने की आवश्यकता

प्रो० सैफुद्दीन सोज 198

(आठ) मोदी सिन्टेक्स लिमिटेड के प्रबंध मण्डल द्वारा मिल को बंद करने का प्रयास तथा इस मामले में सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता

श्री सुशील भट्टाचार्य 198

(नौ) हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को विनाश से बचाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कदम उठाने तथा एक समिति गठित करने की आवश्यकता

श्री प्रताप भानु शर्मा 199

(दस) मिजोरम में होने वाले चुनावों के दौरान श्री लाल डेंगा के संदेशों के उपयोग द्वारा चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध

प्रो० अजित कुमार मेहता 199

अनुदानों की मांगे (सामान्य), 1984-85 200—228, 233—250

(एक) शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय 200—202

(दो) वाणिज्य मंत्रालय 203—204, 233—250

श्रीमती सुशीला गोपालन 205

श्री उमाकान्त मिश्र 217

श्री गुलाम मोहम्मद खां 220

श्री गिरधारी लाल व्यास 222

श्री पी० शनमुगम 233

श्री ए० के० राय 236

श्री काली चरण शर्मा 141

श्री चतुर्भुज 242

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी 244

श्री मगनभाई बरोट 247

पशु चर्बी के अनुचित आयात के कारण कतिपय फर्मों को आस्थगित रखने के बारे में वक्तव्य 228—233

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह 228

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति 250

74 वां प्रतिवेदन

बेरोजगारी के बारे में संकल्प 251—263

श्री वीरेन्द्र पाटिल 251

श्री टी० एस० नेगी 260

14 वर्ष तक आयु के सभी बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को संविधान में मूल अधिकार के रूप में सम्मिलित किये जाने के बारे में संकल्प 264—288

श्री सैफुद्दीन चौधरी 264

श्री वृद्धि चन्द्र जैन 277

श्री राजेश कुमार सिंह 280

श्री मूलचन्द डागा 283

श्री चन्द्रपाल शैलानी 287

लोक सभा

गुरुवार, 12 अप्रैल, 1984/23 चैत्र 1906 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री सैफुद्दीन सोज़ : उपाध्यक्ष महोदय ने नियम 367 और 367क का उल्लंघन किया है।

प्रो० मधु दंडवते : यह तो प्रक्रिया संबंधी मामला है।

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर बाद में विचार करेंगे।

प्रो० मधु दंडवते : नहीं, महोदय। हमारा अपना दावा यह है कि प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई सरकार ही नहीं है। और इसीलिए हमें मामला उठाने दीजिए और आप अपना विनिर्णय दीजिए।

एक माननीय सदस्य : इस पर पहले निर्णय लिया जाना चाहिये (**व्यवधान**)

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : कृपया पहले हमारी बात सुनिये। कृपया हमारा निवेदन तो सुनिये।

अध्यक्ष महोदय : कृपया सुनिए। मैं कोई विनिर्णय नहीं दे रहा हूं। मैं तो केवल आपसे अपील कर रहा हूं—पहले हम प्रश्न ले लेते हैं और प्रश्न काल के बाद आप इसे ले सकते हैं।

(**व्यवधान**)

कुछ माननीय सदस्य : नहीं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : नियम 367 का उल्लंघन हुआ है।

प्रो० मधु दंडवते : मेरा निवेदन यह है कि कटौती प्रस्ताव के पास हो जाने से सरकार की भर्त्सना की गई है। अतः, कोई सरकार है ही नहीं। जिसके परिणाम स्वरूप.....(**व्यवधान**) अतः, कोई सरकार है ही नहीं। इसके परिणामस्वरूप कोई.....

संसदीय कार्य, खेल और निर्माण तथा आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : बात ऐसी नहीं है। महोदय, यह सही नहीं है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय, इसके कारण सरकार है ही नहीं, सरकार खत्म हो गई है।

प्रो० संफुद्दीन सोज : यह एक संवैधानिक मामला है।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न स्वयं सरकार के अस्तित्व के बारे में है। मेरा दावा यह है कि कल श्री ए० के० राय द्वारा प्रस्तुत किया गया कटौती प्रस्ताव स्वीकृत हो गया था और जब विभाजन के लिए कहा गया तथा दीर्घाएं खाली कर दी गईं तो उपाध्यक्ष महोदय को ... ... घोषणा करनी पड़ी कि सभा स्थगित की जाती है और फिर वह उठ कर चले गये।

श्री बूटा सिंह : महोदय, वह सभा पीठ पर आरोप नहीं लगा सकते।

अध्यक्ष महोदय : वह आरोप नहीं लगा सकते सभा पीठ की निन्दा को कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मेरा संसदीय कार्य मंत्री महोदय से निवेदन है कि मेरे व्यवस्था के प्रश्न को सुने।

श्री बूटा सिंह : सभा के समक्ष कोई कार्य ही नहीं है तो फिर वे व्यवस्था का प्रश्न कैसे उठा सकते हैं ?

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, कौल और शकधर का कहना है कि कटौती प्रस्ताव केवल विपक्ष के सदस्यों द्वारा ही रखे जाते हैं और सत्तारूढ़ दल के सदस्य प्रायः ऐसे कटौती प्रस्ताव नहीं देते हैं क्योंकि यह सरकार के विरुद्ध निंदा का प्रस्ताव होगा और अप्रत्यक्ष रूप से मन्त्री-परिषद् में अविश्वास प्रकट होगा।

महोदय, कल कटौती प्रस्ताव पास किया गया है। अविश्वास व्यक्त किया गया है और सरकार की निन्दा की गई है। सरकार की हार हो चुकी है और इसलिए उन्हें सरकार की ओर से प्रश्न का उत्तर देने का अधिकार नहीं है। (व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय, मैं कहना चाहता हूं। मैं उपस्थित था, मुझे निवेदन करने दें।

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

महोदय, श्री ए० के० राय के कटोती प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा गया था, मौखिक मतदान हुआ था और सरकार हार गई थी, तथा हमने मत-विभाजन की मांग की थी ।

अध्यक्ष महोदय : कोई प्रश्न नहीं उठाया जायेगा ।

श्री सत्यसाधन चक्रंवर्ती : उन्होंने मत विभाजन का आदेश दिया था । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को बताना है ।

श्री ए० के० राय : मैंने सरकार की वैधानिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए आपको लिखा है । मन्त्री महोदय द्वारा उत्तर दिए जाने से पूर्व कृपया यह विनिर्णय दीजिए कि क्या यह सरकार वैधानिक रूप से अस्तित्व में है या नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : महोदय, क्या मैं एक निवेदन कर सकता हूं । मैं एक मिनट से अधिक समय नहीं लूंगा । मेरा निवेदन यह है कि सभा में यदि मत विभाजन की घंटी बजती है और दीर्घाएं खाली कर दी जाती हैं तो उससे आगे हमारे लिए करने को क्या रह जाता है.....

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बताऊंगा ।

श्री ईरा अनबारासु : महोदय, यदि अध्यक्ष महोदय यह अनुभव करते हैं कि गणपूर्ति नहीं है तो वह स्वत: सभा को स्थगित कर सकते हैं । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मुझे समाचार मिला था । कृपया बैठ जाइये, मैं आपको बताऊंगा ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : महोदय, हमें जो कुछ नागालैंड विधान सभा में हुआ है उसे यहां दोहराना नहीं चाहिए । समान परिस्थितियों में हम एक बुरा उदाहरण स्थापित कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : श्री बहुगुणा जी, मेरे पास नियम और विनियम हैं और पूर्व दृष्टांत भी है । मैं उस पर विचार करूंगा । यदि आप अपनी विचार धारा अपनाना चाहते हैं . ...

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, आप तो हमारा बहुत बढ़िया मार्गदर्शन करते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : हमें यह करना पड़ता है ।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, विगत में अध्यक्ष महोदय के विनिर्णयों ने इतिहास बनाया है । आप एक अन्य इतिहास बना सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमान पंडित जी, आपने जो नियम मेरे लिए निर्धारित किए हैं, मुझे उनके अनुसार चलना पड़ता है। मुझे पूर्व दृष्टांतों के अनुरूप ही कार्य करना पड़ता है। मुझे पुस्तकें पढ़नी पड़ती हैं क्योंकि मुझे आपके प्रस्तावों के माध्यम से सूचना मिलती है। वे मेरे पास हैं।

श्री ए० के० राय : महोदय, मैं आपको पहले ही लिख चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे देख चुका हूं। मैंने उन्हें पढ़ा है। इसीलिए तो मैं इसके लिए तैयार होकर आया हूं।

प्रो० मधु दंडवते : जो पुस्तक आपके पास है, वही मैंने भी पढ़ी हैं।

अध्यक्ष महोदय : यही तो मैं भी कहता हूं। नियम-पुस्तिका---यह पुस्तक नहीं है, पूर्वोदाहरण हैं—खण्ड II, भाग II पृष्ठ 695 (नियम 332 से अन्त तक) 1979 में कहा गया है :

"यदि मत विभाजन कराने के लिए दीर्घाओं को खाली कराने के बाद, यह पाया जाए कि गणपूर्ति नहीं है तो सभा को स्थगित कर दिया जाए और मत विभाजन बरकरार रखा जाएगा।

(व्यवधान)

डा० वसन्त कुमार पंडित : महोदय, किसी ने भी गणपूर्ति पर आपत्ति नहीं की।

एक माननीय सदस्य : किसी ने भी यह प्रश्न नहीं उठाया था। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप में मेरी बात सुनने का धैर्य नहीं है ?

श्री ए० के० राय : यह पता चलने पर कि सरकार अल्पमत में है, तो सरकार ने यह सब उसे बचाने के लिए किया था। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात सुनिए। यह पुस्तिका में से है जिसे मैं पढ़ कर सुना रहा हूं। मैं पढ़कर सुनाता हूं :

"अध्यक्ष महोदय के प्रातः पीठासीन होने और सभा की बैठक आरंभ होने से पूर्व मार्शल पता करता है कि गणपूर्ति है और उसके अध्यक्ष महोदय को यह रिपोर्ट देने के बाद कि गणपूर्ति है.....।"

तभी वे मुझे बुलाते हैं, कभी-कभी गणपूर्ति की घंटी दो बार बजाई जाती है।

प्रो० मधु दंडवते : यह सवेरे की बात नहीं, सन्ध्या समय की बात है।

अध्यक्ष महोदय : इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पुस्तिका में आगे कहा गया है।

".....उसके द्वारा अध्यक्ष महोदय को यह बताने पर कि गणपूर्ति है, अध्यक्ष महोदय पीठासीन होते हैं। तत्पश्चात अध्यक्ष महोदय यह समझते हैं कि हर समय गणपूर्ति रहती है, परन्तु उनका ध्यान गणपूर्ति के अभाव की ओर खींचना चाहिये....."

प्रो० सैफुद्दीन सोज : उनका ध्यान किसने आकृष्ट किया ? बात तो यह है। किसी ने भी उनका ध्यान नहीं दिलाया.....(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप सही ढंग से मेरी बात क्यों नहीं सुनते हैं ? आप पूरे जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं ? आपको सुनना भी चाहिये क्योंकि कुछ बातें कहना सरल है। कुछ कहने के लिए बहुत सारे साहस की आवश्यकता है परन्तु सुनने के लिए उससे भी ज्यादा साहस की आवश्यकता है। आप सुन नहीं रहे हैं, परन्तु मेरी बात में व्यवधान डाल रहे हैं। आप जो बात उठा रहे हैं, मैं उसी पर आ रहा हूं।

प्रो० मधु दंडवते : हमारे पास आपकी बात सुनने का साहस है।

अध्यक्ष महोदय : आप सुनिए।

"तत्पश्चात अध्यक्ष महोदय समझते हैं हर समय गणपूर्ति रहती है परन्तु उनका ध्यान गणपूर्ति के अभाव की ओर खींचा जाना चाहिये या वह स्वयं उसके अभाव को देखें। दोनों मामलों में घंटी बजाई जाती है और यदि घंटी के प्रथम बार बजने पर गणपूर्ति हो जाती है अथवा, यदि आवश्यक हो घंटी के दूसरी बार बजने पर, जैसा भी अध्यक्ष महोदय निर्देश करे, सभा की कार्यवाही आगे चलती है। अन्यथा गणपूर्ति के अभाव में अध्यक्ष महोदय सभा की बैठक को स्थगित कर सकते हैं।"

प्रो० सत्यसाधन चक्रवर्ती : क्या उन्होंने यह किया था ? आपको रिकार्ड की जांच करनी पड़ेगी। हम कल उपस्थित थे। उपाध्यक्ष महोदय ने सभा तक स्थगित की थी। उन्होंने कहा कि गणपूर्ति नहीं है और पीठ से उठकर चले गये। हम सभी सदन में उपस्थित थे। उन्होंने सभा स्थगित नहीं की। (**व्यवधान**)

श्री सैफुद्दीन सोज : मैंने एक विशिष्ट मुद्दे पर विशेषाधिकार प्रस्ताव रखा है (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिये। चूंकि मत विभाजन की मांग की गई थी, उन्होंने मत विभाजन के लिए घंटी बजाई और चूंकि गणपूर्ति नहीं थी तो उन्हें सभा स्थगित करनी पड़ी।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है.....(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं समस्त सभा से निवेदन करता हूं, मैं किसी सदस्य या दल से नहीं कह रहा हूं। यह तो सभा का सामूहिक उत्तरदायित्व है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : नहीं, महोदय। एक संसदीय प्रजातंत्र में, सत्तारूढ़ दल को गणपूर्ति करने का विशेषाधिकार प्राप्त है.....(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : वह एक परम्परागत बात है। मैं इसे किसी एक दल पर नहीं थोप सकता हूं।

प्रो० मधु दंडवते : मैं यह बता देना चाहता हूं कि आपने जो कुछ अभी-अभी पढ़कर सुनाया है वह कल की घटनाओं से मेल नहीं खाता है। जो माननीय सदस्य सभा में उपस्थित थे, वे आपको बतायेंगे कि कल क्या हुआ था।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे देख लिया है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : वह प्रमाणिक वृतांत है। मैंने एक विशेषाधिकार प्रस्ताव रखा है .....(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं एक बार फिर नियम-पुस्तक में से पढ़कर सुनाता हूं :

"यदि विभाजन कराने के लिए दीर्घाओं कों खाली कराने के बाद, यह पाया जाये कि सभा में गणपूर्ति नहीं है तो गणपूर्ति के अभाव में सभा को स्थगित किया जा सकता है और मत विभाजन को रोक दिया जाता है।"

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं इसे स्वीकार करता हूं परन्तु वास्तव में हुआ क्या था? (**व्यवधान**) कृपया मेरी बात सुनिये। मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ..... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है। मेरे हाथ मजबूत हैं।

श्री राम कृष्ण मोरे।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है।

श्री ए० के० राय अपना प्रश्न सं० 661 रखेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने किसी को भी अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब मैंने किसी को भी अनुमति नहीं दी है। श्री ए० के० राय, कृपया अपना प्रश्न रखिये।

(व्यवधान)

श्री ए० के० राय : क्या मैं बोल सकता हूं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हां।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

सियालदह डिवीजन के उप-नगरीय सैक्शनों में क्वार्टरों का आबंटन

*661. **श्री ए० के० राय** : क्या रेल मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे सेवाओं की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिये छोटे रोड साइड स्टेशनों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों तथा उनके परिवारों के लिए उपयुक्त आवास सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इन स्टेशनों पर रेलवे क्वार्टरों का निर्माण किया जाना है ;

(ख) यदि हां, तो पूर्व रेलवे के सियालदह डिवीजन के उपनगरीय सैक्शन में छोटे (रोड साइड) स्टेशनों पर बनाये गये क्वार्टरों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) उस डिवीजन में कितने स्टेशन मास्टरों को सम्बद्ध स्टेशनों पर क्वार्टर नहीं दिये गये हैं तथा उसके क्या कारण हैं ;

(घ) प्रशासन द्वारा स्टेशन कर्मचारियों के इन क्वार्टरों पर अन्य स्थानों पर कार्य करने वाले विभिन्न विभागों के कर्मचारियों द्वारा अवैध कब्जा करने के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) क्वार्टरों के आबंटन में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित कोटे को बनाये न रखने के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है"।

विवरण

(क) जी हां।

(ख) सियालदह मंडल के उपनगरीय खंड के छोटे स्टेशनों पर मुहैया किये गये क्वार्टरों की कुल संख्या इस प्रकार है :—

टाइप I	—	1459 क्वार्टर
टाइप II	—	462 क्वार्टर
टाइप III	—	23 क्वार्टर
टाइप IV	—	5 क्वार्टर
कुल :		1949 क्वार्टर

इन क्वार्टरों में डिपो स्टेशनों, टर्मिनल स्टेशनों, जंक्शन स्टेशनों तथा महत्वपूर्ण सिटी स्टेशनों पर मुहैया किये गए क्वार्टर शामिल नहीं हैं।

(ग) ऐसे स्टेशन मास्टरों की संख्या 83 है जिनकी अपने सम्बद्ध स्टेशनों पर क्वार्टर नहीं मिले हैं। इसका कारण यह है कि या तो इनकी तैनाती स्टेशन के निकट इनके अपने घर हैं और वे रेलवे क्वार्टरों में रहना पसन्द नहीं करते हैं अथवा उन्होंने बच्चों की शिक्षा आदि जैसे अपने निजी कारणों से अपनी तैनाती के पुराने स्टेशन पर रेलवे क्वार्टर रखे हुए हैं तथा ऐसे क्वार्टर इनकी वर्तमान तैनाती स्टेशन से अधिक दूर नहीं हैं।

(घ) कर्मचारियों द्वारा रेलवे क्वार्टरों पर अनधिकृत कब्जे के मामलों में पेनल किराया वसूल किया जाता है और अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है। उपर्युक्त कार्रवाई के बावजूद अनधिकृत कब्जा बनाये रखने के मामलों में, बेदखली कार्यवाही की जाती है।

(ङ) जिन स्टेशनों पर 50 या इससे अधिक क्वार्टर हैं वहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जातियों के लिए रेलवे क्वार्टर आरक्षित करने के संबंध में अनुदेश सितम्बर, 1983 में जारी

कर दिये गये थे। इन अनुदेशों को कार्यान्वित करने के लिए रेल प्रशासन आवश्यक कार्रवाई कर रहा है।

श्री ए० के० राय : रेल कर्मचारियों को रेलवे सेवा के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहना पड़ता है, यह समस्या उन जगहों पर अधिक है जहां सड़क के साथ-साथ स्टेशन हैं, लेकिन वहां रिहाइसी आवास उपलब्ध नहीं है। जिन कर्मचारियों का तबादला होता है उन्हें भी रेलवे में आवाज समस्या का सामना करना पड़ता है।

रेलवे की 1982-83 की वार्षिक रिपोर्ट में रेल कर्मचारियों की आवास समस्या के बारे में काफी अपर्याप्त सूचना दी गई है। इसमें कहा गया है कि :

> "करीब 37% रेल कर्मचारियों को क्वार्टर उपलब्ध हैं। वर्ष के दौरान 5648 कर्मचारियों के लिए क्वार्टर बनाये गये थे। इनमें से 2526 क्वार्टर वर्ग IV और 3061 वर्ग III के कर्मचारियों के लिए थे।"

15 लाख से अधिक कर्मचारी हैं, और आप इनमें से केवल 37% को ही सन्तुष्ट कर सकते हैं और यदि आप 5,000 क्वार्टर प्रतिवर्ष की दर से क्वार्टरों का निर्माण कर रहे हैं, तो उससे केवल 1.03% कर्मचारियों को ही लाभ होगा। अगर हम 66% की सन्तुष्टि को आदर्श माने तो भी आपको रेल कर्मचारियों को क्वार्टर प्रदान करने के लिए 100 वर्ष का समय लगेगा।

जो आंकड़े सियालदह मंडल के बारे में दिये गये हैं उनमें कर्मचारियों की संतुष्टि का प्रतिशत नहीं दिया गया है। उत्तर के भाग (ख) में आपने केवल वर्ग I, II, III और IV के संबंध में आंकड़े दिये हैं। इससे रेल कर्मचारियों की कितने प्रतिशत संतुष्टि होती है ? वहां पर कितने क्वार्टरों की आवश्यकता है और कितने क्वार्टर उपलब्ध है ?

क्वार्टर आबंटन करने का क्या मापदंड है ? क्वार्टरों के आबंटन में और आवंटन में प्राथमिकता के मामले में काफी भ्रष्टाचार व्याप्त है। वरिष्ठ लोगों की अनदेखी की जा रही है। जरूरतमंद लोगों की अनदेखी की जा रही है।

जो कर्मचारी तबादले पर जाते हैं, उनके आवास की व्यवस्था के बारे में क्या आपने उनके लिए कोई नीति बनाई है।

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : रेलवे की नीति है कि जिन कर्मचारियों को 'अनिवार्य' समझा जाता है उन्हें पहले क्वार्टर दिये जायें क्योंकि उन्हें कभी भी सेवा के लिए बुलाया जा सकता है।

हमने कर्मचारियों को अनिवार्य, और गैर-अनिवार्य इन दो श्रेणियों में बांटा हुआ है। अनिवार्य कर्मचारियों में शामिल हैं—जैसा कि माननीय सदस्य को मालूम ही है कि—स्टेशन मास्टर, सहायक स्टेशन मास्टर, ड्राइवर, सिग्नल इंस्पेक्टर, ब्रिज (पुल) इंस्पेक्टर, आदि और गैर-अनिवार्य कर्मचारियों में सामान्य लिपिक और 'टिकट-कलेक्टर' आदि।

जहां तक रेलवे की नीति का संबंध है हम पहले अनिवार्य कर्मचारियों को प्राथमिकता देते हैं। उसके बाद हम 'गैर-अनिवार्य' कर्मचारियों को आवास प्रदान करते हैं, मैंने पहले ही आपको 'अनिवार्य' और 'गैर अनिवार्य' की परिभाषा दे दी है।

सियालदह मंडल में 60% 'अनिवार्य' कर्मचारियों और 36% 'गैर-अनिवार्य' कर्मचारियों को आवास प्रदान किये गये हैं।

जहां तक अखिल भारतीय आंकड़ों का संबंध है, स्रोतों की कमी के कारण 1980-81 में 4554 क्वार्टरों का निर्माण किया और 1983-84 में हमने इस कार्य पर 14 करोड़ रु० खर्च किये हैं और 6,500 क्वार्टरों का निर्माण पूरा किया है। हमारा लक्ष्य है कि 1984-85 में हम 6,600 क्वार्टरों का निर्माण पूरा करें। इतना ही धन हम इस कार्य के लिए रख सकते हैं।

मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि अगर हमारे पास, सभी बातें ठीक होने पर, अधिक धन हो तो हम सभी 'अनिवार्य' और 'गैर-अनिवार्य' कर्मचारियों को आवास उपलब्ध करा सकते हैं।

श्री ए० के० राय : मेरे प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में, माननीय मंत्री ने उत्तर दिया है कि सियालदह मंडल में 83 स्टेशन मास्टरों को आवास (क्वार्टर) उपलब्ध नहीं कराये जा सके, और कारण यह दिया गया है कि वे क्वार्टर नहीं लेना चाहते। क्या आपकी यह बात सत्य है? क्या आपको इस बात की जानकारी है कि वहां पर कुछ स्टेशन मास्टर ऐसे भी हैं जो क्वार्टर चाहते हैं, लेकिन उन्हें क्वार्टर उपलब्ध न होने की वजह से नहीं दिये गये?

प्रश्न के भाग (घ) के उत्तर में कहा गया है कि रेलवे क्वार्टरों का अनधिकृत कब्जा किया हुआ है। क्या आपने इस बात का सर्वेक्षण किया है कि ऐसे अनधिकृत कब्जे वाले क्वार्टरों की संख्या कितनी है और उनको खाली करने की दर क्या है?

मेरी जानकारी के अनुसार, अनिधकृत कब्जे की दर, उनके खाली कराये जाने की दर से अधिक है, इस तरह अधिक से अधिक संख्या में क्वार्टर अनिधकृत कब्जे में जा रहे हैं।

आपने कहा है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण रखा जायेगा और इसके लिए कुछ अनुदेश जारी किये गये हैं, मैं जानना चाहता हूं कि इस आरक्षण के लिए क्या आधार रखा गया है?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : अनिधकृत कब्जे के मामले में 'पेनल (दण्ड) किराया' वसूल किया जाता है और अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है। जब यह आरम्भ हो जाता है तो क्वार्टर खाली कराने की प्रक्रिया शुरू की जाती है।

जहां तक अनुशासन कार्यवाही करने और खाली करने की वारदातों की सही संख्या का संबंध है। मेरे पास इस समय आंकड़े नहीं हैं। मैं आंकड़े एकत्र कर रहा हूं और उसके प्राप्त होने पर माननीय सदस्य की जानकारी के लिए सभा-पटल पर रख दूंगा। मुझे इस बात का खेद है कि मैं इन्हें एकत्र नहीं कर सका, क्योंकि सभी आंकड़ो को इकट्ठा करने में थोड़ा समय लगेगा।

जहां तक स्टेशन मास्टरों का संबंध है, मैंने ये आंकड़े दिये हैं कि संबंधित स्टेशनों पर 83 स्टेशन मास्टरों के पास क्वार्टर नहीं हैं। या तो उनके अपने मकान नजदीक है, और इसलिए वे अपने क्वार्टरों में नहीं जाना चाहते या उन्हें अपने पहले के स्थान पर क्वार्टर रखा हुआ है। जिसके कि उनके निजी कारण हैं, जैसे बच्चों की शिक्षा आदि।

इसलिए इन कारणों की वजह से हालांकि क्वार्टर उपलब्ध हैं, पर कुछ स्टेशन मास्टरों ने क्वार्टर नहीं लिये हैं।

जहां तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का संबंध है, गैर-अनिवार्य श्रेणियों के अनु० जाति अनु० जनजाति के कर्मचारियों के लिए—क्योंकि अनिवार्य श्रेणियों को प्राथमिकता दी जाती है, और इसलिए इनके साथ कोई विशेष व्यवहार करने का प्रश्न ही नहीं उठता। ये तो केवल अन्य श्रेणियों, यानि गैर-अनिवार्य श्रेणियों पर लागू होता है, जहां 5% आरक्षण किया गया है और इसे वर्ग I और II के क्वार्टरों के लिए बढ़ाकर 10% कर दिया गया है। सितम्बर, 1983 में अनुदेश जारी किये गये थे कि जहां कहीं भी क्वार्टरों की संख्या कम से कम 50 है, उन सभी क्षेत्रों में आरक्षण किया जाये। उन मामलों में यह फार्मूला लागू होता है। गैर-अनिवार्य श्रेणियों में वर्ग III और IV क्वार्टरों के लिए योग्य अनु० जाति और अनु० जनजाति के कर्मचारियों के लिए सितम्बर 1981 में अनुदेश जारी किये गये थे कि जिन नगरों में रेलवे के जोनल मण्डलीय मुख्यालय और उत्पादन एकक स्थित है वहां पर 50% का आरक्षण इनके लिए रखा जाये।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद आज भी एक-तिहाई से ज्यादा रेल कर्मचारियों को क्वार्टर नहीं दिए जा सके है। मंत्री महोदय ने बताया है कि एसेंशल कैटगरी और नान-एसेंशल कैटेगरी में से एसेंशल कैटेगरी को क्वार्टर देने के बारे में प्रेफरेंस दिया जाता है। मैं जानना चाहता हू कि क्या एसेंशल कैटेगरी के सब कर्मचारियों को क्वार्टर दे दिए गए हैं। दूसरे, बड़े स्टेशनों के अलावा रोडसाइड स्टेशन भी हैं, जो या तो गांवों में होते हैं या छोटे शहरों में, जहां कर्मचारियों को किराये का मकान नहीं मिलता हैं। मैंने स्वयं देखा है कि ऐसे स्टेशनों पर काम करने वाले कर्मचारियों को, जो एसेंशल कैटेगरी में हैं, रहने के

लिए मकान नहीं मिलते हैं । क्या मंत्री महोदय इस बात पर विचार करेंगे कि रोडसाइड स्टेशनों के एम्प्लाईज को सेंट-पर-सेंट क्वार्टर दिए जाएं और उसके बाद बड़े शहरों में काम करने वाले कर्मचारियों को दिए जाएं ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : मैं समझता हूं कि मैंने सभी प्रश्नों का पहले ही उत्तर दे दिया है और मैं माननीय सदस्य की उत्सुकता की सराहना करता हूं । लेकिन आप जानते हैं कि अनिवार्य श्रेणी के लिए हम प्राथमिकता देते हैं और माननीय सदस्य ने सियालदह मंडल के बारे में पूछा है । लेकिन अगर आप सारे भारत को एक ही इकाई मानते हैं तो यह आंकड़े 37% बैठते हैं । मैं इन आंकड़ों के प्रति खुश नहीं हूं । यह एक खेदपूर्ण स्थिति है । लेकिन साथ ही, मैं धन की कमी के बारे में भी सभा में कहता रहा हूं । अगर आपके पास धन ही नहीं होगा, तो आवास और अन्य कल्याणकारी गतिविधियों के लिए प्रावधान करना कठिन हो जाता है । जबसे मैं इस मंत्रालय का मंत्री बना हूं मैंने कल्याणकारी उपायों जैसे, आस्पताल, आवास आदि के लिए राशि में वृद्धि की है लेकिन फिर भी लोगों की संख्या ज्यादा है और जिस दर से आप चाहते हैं उस दर पर आवास प्रदान कर पाना सम्भव नहीं है मैं अधिक धन लेने के बारे में कोशिश कर रहा हूं और जब अधिक धन उपलब्ध होगा, हम उन्हें आवास दे पायेंगे ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : सड़क के साथ वाले स्टेशन के स्टेशन मास्टरों को प्राथमिकता दिये जाने के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : हमारे यहां केवल अनिवार्य और गैर-अनिवार्य वर्ग ही हैं ।

श्री रतन सिंह राजदा : इस संदर्भ में सहायता के लिए आप विश्व बैंक से सम्पर्क क्यों नहीं करते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित करना और उनका स्थानान्तरण करना

*662. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने इस देश के सभी रेलवे सेवा आयोग के चेयरमैनों को भेजे गए दिनांक 8 जुलाई, 1983 के अपने कार्यालय के आदेश संख्या ई० (एन० जी०) II—83 आर० एस० सी०/64 नई दिल्ली द्वारा उन्हें फालतू नैमित्तिक श्रमिकों के बारे में दिनांक 3 मई, 1983 को कलकत्ता में हुई रेलवे आयोगों के चेयरमैन सदस्यों और सचिवों की बैठक में लिए गए निर्णय के बारे में सूचित किया था और उन्हें यह निदेश दिया था कि वर्तमान (फालतू) सभी नैमित्तिक

श्रमिकों को निकटवर्ती डिवीजन में स्थानान्तरण करके नियमित किया जाना चाहिए तथा क्या इस निर्णय की प्रतियां सभी रेलवे सेवा आयोगों को भी भेज दी गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन रेलवे सेवा आयोगों ने उक्त आदेशों का पालन किया है ;

(ग) क्या इलाहाबाद रेलवे आयोग के चेयरमेन ने उक्त आदेश पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी हां। रेलवे बोर्ड के दिनांक 8.7.83 के पत्र द्वारा इस आशय के आदेश जारी किये गये थे कि इस समय सेवा आयोगों के पास जितने भी नैमित्तिक श्रमिक हैं उन्हें निकटवर्ती मंडलों आदि में स्थानान्तरित करके नियमित कर दिया जाये।

(ख) ये आदेश मुख्यत: इलाहाबाद, बेंगलर, बम्बई, कलकत्ता, गुवाहाटी, मद्रास, मुजफ्फरपुर, पटना और सिकन्दराबाद के नो पुराने रेल सेवा आयोगों के लिए हैं जिनमें से कई आयोगों में 8.7.83 को फालतू नैमित्तिक श्रमिकों की समस्या थी। पटना को छोड़कर इन सभी आयोगों ने इन आदेशों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कार्यवाई की है। सात नये सेवा आयोगों में फिलहाल फालतू नैमित्तिक श्रमिकों की समस्या नहीं है।

(ग) जी नहीं। उन्होंने कार्रवाई की है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : उत्तर के भाग (क) के संदर्भ में जोकि सभा पटल पर रखा गया है और जिसमें माननीय मंत्री जी ने कहा है कि सभी नैमित्तिक श्रमिकों को जो इस समय सेवा आयोगों के पास कार्यरत हैं, नियमित कर दिया जायेगा। उन्होंने 8-7-83 को आदेश जारी किया था। भाग (ग)—क्या मैं माननीय मंत्री जी से पूछ सकता हूं कि क्या इलाहाबाद सेवा आयोग से संबंधित आदेश को 9-2-84 से लागू किया गया था या नहीं ? अगर नहीं, तो क्यों ? 8-7-83 का आदेश 9-2-84 तक या तो लागू ही नहीं किया गया या गलत तरीके से लागू किया गया, जिस पर मैं बाद में बोलूंगा। क्या यह सत्य नहीं है ?

अगर आदेश लागू किया गया है तो, क्या ये सभी 39 लोगों, जो कि रेल सेवा आयोग, इलाहाबाद में नैमित्तिक श्रमिक के रूप में कार्य कर रहे थे, पर लागू किया गया ?

अध्यक्ष महोदय : बहुगुणा जी, आप हमेशा ही एक या दो तीन करके क्वेश्चन पूछते हैं। इससे वह सारा मिक्स-अप हो जाता है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : उन्होंने भाग (क), (ख) और (ग) में उत्तर दिये हैं और इसलिए मैं भी अपने प्रश्न भाग (क), (ख) और (ग) में पूछ रहा हूं। मैं अपने माननीय मित्र श्री गनी खान चौधरी को उनके प्रशंसनीय विचारों के लिए धन्यवाद देता हूं। उनके द्वारा सभी प्रयत्न करने के बावजूद, रेल सेवा आयोग ने केवल यही किया है। 39 लोग जोकि कार्यरत थे, उनमें से कुछ लोगों को कुछ समय पहले निलंबित कर दिया गया है। नैमित्तिक श्रमिक लिपिक के रूप में कार्य कर रहे हैं उन्हें स्लीपर और डालने और पत्थर तोड़ने के कार्यों पर लगाया है। इस प्रकार से कार्य नहीं किये जाने चाहिये।

क्या मैं जान सकता हूं कि किस प्रकार का आदेश और किस प्रकार का काम इलाहाबाद में किया गया था क्योंकि इनके विचार से इलाहाबाद में सब कुछ ठीक है। यह मेरा पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न शेष है।

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : अध्यक्ष महोदय, 3-5-83 को कलकत्ता में, और रेलवे सेवा आयोगों के सभापतियों और सदस्य सचिवों की एक बैठक हुई थी। रेलवे बोर्ड ने परिस्थिति का जायजा लेने के पश्चात आदेश जारी किए कि 8-7-83 तक जो नैमित्तिक मजदूर हैं उन्हें पास के डिवीजनों में स्थानांतरित करके नियमित किया जाय। रेलवे बोर्ड के अनुमोदन के बिना भविष्य में कोई नैमित्तिक मजदूर भर्ती न किया जाए। प्राप्त जानकारी के अनुसार इन आदेशों का सभी सेवा आयोगों ने पालन किया है, केवल पटना सेवा आयोग ने नहीं किया है क्योंकि वहां के नैमित्तिक मजदूरों को कार्यमुक्त नहीं किया जा सका। लेकिन उन्हें भी ऐसा करने के आदेश जारी किए गए हैं।

मुझे बताया गया है कि 8-7-83 तक इलाहाबाद सेवा आयोग में 42 नैमित्तिक मजदूर थे। आगे पूछताछ से पता चला है कि 74 नैमित्तिक मजदूरों ने इस आयोग में समय-समय पर काम किया है। मैं इस सदन को और माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि यदि इन 42 व्यक्तियों के अतिरिक्त भी कोई व्यक्ति 8-7-83 को रेल सेवा आयोग में सेवारत था तो उसे भी वही लाभ दिए जाएंगे। हमने उत्तर रेलवे से कहा है कि भविष्य में रिक्त स्थानों में उन 74 नैमित्तिक मजदूरों को प्राथमिकता दी जाए।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मैं मंत्री जी का उनके सरल और स्पष्ट उत्तर के लिए आभारी हूं। मैंने उनसे यह प्रश्न किया था कि रेल सेवा आयोग ने इन आदेशों को जारी करने में

इतना समय क्यों लगा दिया। परन्तु उन्होंने इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। मैं इनकी दशा समझ सकता हूं क्योंकि इनके अफसर माननीय मंत्री जी से सहयोग करने को तैयार नहीं हैं। यह दुर्भाग्य की बात है। (व्यवधान)। उन्होंने कई बार कहा है कि अधिकारी उनके आदेश नहीं मानते और अभद्र व्यवहार करते हैं। इस तरह उनका पाला अड़ियल और जिद्दी अधिकारियों से पड़ा है।

महोदय, उन्होंने कहा है कि ये सभी नैमित्तिक मजदूर ले लिए जाएंगे। मुझे पता चला है कि इलाहाबाद रेल सेवा आयोग में स्नातकों से लिपिकों का काम लिया जाता है और उन्हें मजदूर बताया जाता है। महोदय, उनसे अंगूठा लगवाया जाता है ताकि यह भ्रम बना रहे कि वे अनपढ़ हैं। यदि मंत्री महोदय जांच करवायें तो मैं यह साबित कर सकता हूं। कई स्नातक जिन्होंने नैमित्तिक कर्मचारी के रूप में आयोग के साथ एक, दो, तीन, या चार वर्ष काम किया था उन्हें किसी दुराचरण के लिए नहीं अपितु आप से मिलने के कारण निकाल दिया गया। क्या मंत्री जी इस बात की जांच करवाएंगे ? क्या उन्हें पुनः वापस लिया जायगा ?

अध्यक्ष महोदय : क्या यहां ऐसा कोई कानून है जो मजदूर को शिक्षित होने से रोकता है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : नहीं महोदय। परन्तु आप किसी को आशुलिपिक का काम देकर उससे रजिस्टर पर अंगूठे का छाप नहीं ले सकते। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो वह भी कर सकते हैं। (व्यवधान) यह बुरे से बुरे तरह का शोषण है।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : महोदय, काम के प्रति हमारा रवैया यह होना चाहिए कि कोई भी काम अशोभनीय नहीं है। किन्तु यदि माननीय सदस्य मुझे किसी व्यक्ति विशेष का उदाहरण दें जिसे वह कार्य नहीं करना चाहिए था जो वह कर रहा है तो मैं अवश्य इस ओर ध्यान दूंगा। मैं माननी सदस्य को बताना चाहूंगा कि मजदूरों को नैमित्तिक रखने की यह प्रणाली ही गलत है। रेलवे के लोग कई कारणों से नैमित्तक मजदूर लेने पर मजबूर हो जाते हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : कौन हैं ये लोग ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : कई प्रभावशाली लोग हैं। कार्मिक संघों के नेता हैं (व्यवधान) कार्मिक संघ लोकतांत्रिक ढांचे का एक अभिन्न अंग है। मैं कार्मिक संघ वाद की भर्त्सना नहीं कर रहा हूं किन्तु यह बताना चाहता हूं कि प्रति वर्ष 20,000 नैमित्तिक मजदूरों की सेवाएं नियमित बनाने के बावजूद भी हमारे सामने कोई रास्ता नहीं है। यह रेल अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ है जो दिन प्रति दिन बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए यदि कोई माननीय सदस्य विशेष जानकारी दें तो.....

श्री रामावतार शास्त्री : मैंने इनके पास इंफार्मेशन भेजी है धनबाद की । कलकत्ते की भेजी गई है ।

श्री ए० बी० ए० खान चौधरी : जहां उनकी राय में कोई योग्य व्यक्ति ऐसा कर रहा है जहां उसे नहीं रखा जाना चाहिए तो मैं उस मामले की जांच पड़ताल करूंगा ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : महोदय, मैंने जो कुछ कहा उससे मंत्री जी ने सही निष्कर्ष नहीं निकाला है । मैंने यह कहा था कि एक व्यक्ति जो स्नातक है और जिससे लिपिक का कार्य करवाया जा रहा है उससे अंगूठे का निशान लगवाया जा रहा है ।

श्री रघनन्दन लाल भाटिया : जब आप जानकारी भेजेंगे तो आप हस्ताक्षर करेंगे या अंगूठा लगाएंगे ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : जब तक यह सरकार है यह पढ़े लिखों को अनपढ़ बना देगी और अनपढ़ों को मूर्ख ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न संख्या 663 श्री नाडार, अनुपस्थित ।

अगला प्रश्न संख्या 664

राजधानी में विद्युत चालित "ट्राली" बसें

*664. **श्री गुलाम मोहम्मद खां**
श्री नवीन रवाणी } : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वर्तमान परिवहन प्रणाली पर लगातार बढ़ते दबाव को कम करने के लिए राजधानी के कुछ भागों में विद्युत चालित "ट्राली" बस सेवा प्रारंभ करने की संभावनाओं का अध्ययन कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उन मार्गों का ब्यौरा क्या है जिन पर ये सेवा आरंभ करने का सुझाव दिया गया है और इसके कब तक आरंभ किये जाने की संभावना है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) दिल्ली में बिजली की ट्राली बसें चालू करने के प्रस्ताव के विभिन्न पहलुओं को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

श्री गुलाम मोहम्मद खा : अध्यक्ष जी, मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है, वह मेरी समझ में नहीं आया है। कृपया हिन्दी में पढ़वा दीजिए।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : (क) जी हां। (ख) और (ग)—दिल्ली में इलैक्ट्रिक बसों को चलाने के लिए मुख्तलिफ पहलुओं पर विचार किया जा रहा।

श्री गुलाम मोहम्मद खां : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने "क" के जवाब में जी हां कहा है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसको चलाने का आपका कब तक विचार है ?

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : अध्यक्ष महोदय, अभी जैसा मैंने अर्ज किया कि इन सारी चीजों पर विचार हो रहा है। इकोनामिक वायाबिलिटी और फिजीबिलिटी को देखकर ही कोई राय कायम की जाएगी। इस पर फाइनल राय कायम नहीं की गई है।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली की डी० टी० सी० की हालत को देखते हुए यह प्रश्न बहुत ही महत्व रखता है। आपके डी० टी० सी० के आंकड़े के मुताबिक अभी 360 करोड़ रु० का घाटा हो चुका है और प्रतिवर्ष 40-50 करोड़ रु० का घाटा होता है। स्थिति यह है कि प्राइवेट बसेस वाले बस खरीद कर दुगना कमा लेते हैं, सरकार के यहां घाटा चल रहा है। लोग घंटों बसों की इंतजार में खड़े रहते हैं। ऐसी हालत में आपको कोई आलटरनेटिव व्यवस्था करनी चाहिए। आप डी० टी० सी० में सुधार नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि डी० टी० सी० के कार्यकलाप में क्या आप सुधार कर रहे हैं और डी० टी० सी० के विकल्प की व्यवस्था आप कब तक करने जा रहे हैं ?

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल इलैक्ट्रिक ट्रौली बस से हैं।

श्री राम विलास पासवान : घाटे का क्या कारण है ?

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : यह बात सही नहीं है कि यह आल्टरनेवि अरेंजमेंट है। यह डी० ई० टीज जो हम इंट्रोड्यूस करेंगे, वह रोड ट्रांसपोर्ट आर्गेनाइजेशन के तहत आल्टरनेटिव सिस्टम हैं। जिसको दिल्ली के यात्रियों के लिए इंट्रोड्यूस करने का हमारा विचार है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : यह हानि का प्रश्न एक गम्भीर मामला है।

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री के० विजय भास्कर रेड्डी) : महोदय, चूंकि किराया बहुत कम है इसलिए दिल्ली परिवहन निगम को घाटा होना अनिवार्य है। बाकी शहरों की तुलना में दिल्ली परिवहन निगम के किराये दो या तीन गुणा कम है। जब तक किराया न बढ़ाया जाय .....(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : मैंने आपसे दिल्ली परिवहन निगम के कार्यकरण की अकुशलता के बारे में पूछा है।

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : वह कुशलता से चल रहा है। लेकिन यह शहर हमारी अपेक्षा से अधिक फैलता चला जा रहा है। जब तक वैकल्पिक परिवहन प्रणाली की व्यवस्था नहीं होती तब तक इस शहर की परिवहन की बढ़ती मांग को पूरा करना बहुत कठिन है। इस समस्या के विभिन्न पहलुओं की हमें जांच करनी है और यह हम कर रहे हैं।

श्री राम विलास पासवान : इस संस्था में जो व्यापक भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसके बारे में आपने क्या किया है ? इसके लिए आप एक समिति क्यों नहीं नियुक्त करते हैं ?

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : इसके लिए समिति बनाने की आवश्यकता नहीं है। हमने मामले के मूल में जाने के लिए कई कदम उठाए हैं। दिल्ली परिवहन निगम के पास बहुत पुरानी बसें है जिसके अनुरक्षण के लिए निगम को काफी पैसा खर्च करना पड़ता है। अनुरक्षण खर्चे को कम करने के लिए हमने कई आवश्यक कदम उठाए हैं। गत वर्ष हमने 30% पुरानी बसों को बदल दिया था। इस वर्ष हम इस व्यवस्था का आधुनिकीकरण करेंगे। एक दो वर्ष में जब आधुनिकीकरण भी हो जाएगा और अनुरक्षण खर्च भी कम हो जाएगा। तो बसें अच्छी तरह से चल सकेंगी। पुरानी बसें भी हम बदल डालेंगे। इस तथ्य से प्रत्येक माननीय सदस्य सहमत होगा कि दिल्ली परिवहन निगम के किराये बाकी शहरों की तुलना में बहुत कम है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : वे निजी लोगों से बसें किराये पर ले रहे हैं और वह लाभ दिखा रही हैं। यह मानना पड़ेगा कि उन्हें, दिल्ली परिवहन निगम की अपनी बसों से कम कीमत पर सेवाएं उपलब्ध हो रही है। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि निजी बसें तो लाभ दिखा रही हैं परन्तु दिल्ली परिवहन निगम घाटा दिखा रहा है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : श्री बहुगुणा को समाजवाद की बातें करना छोड देना चाहिए।

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष जी, दिल्ली भारत का कैपिटल है और इन की तरफ से यहां जो डी० टी० सी० चलाई जा रही है—उसमें सब से घटिया बसें हैं, सब से घटिया इंतजाम है और सब से ज्यादा घाटा है। क्या इन कमियों की पूर्ति के लिए कोई जांच कमेटी मुकर्रिर कर के इसमें सुधार करने का इरादा है ?

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : जब दिल्ली परिवहन निगम तत्काल किराया बढ़ाने में असमर्थ है तो क्या सरकार का यह फर्ज नहीं है कि वह अन्य विकल्प ढूंढ निकाले ? क्या सरकार को कोई और तरीका नहीं निकालना चाहिए ? यही कहने का प्रयास हो रहा है पिछले दस वर्षों से इस शहर का फैलाव बढ़ता ही चला जा रहा ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : प्रश्न यह है कि यदि निजी क्षेत्र लाभ दिखा रहा है तो आप क्यों नहीं दिखा सकते हैं ?

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : महोदय, मैं जानकारी दूंगा किन्तु मुझे सूचना मिलनी चाहिए ।

श्री राम विलास पासवान : महोदय, आप इस पर आधे-घंटे की चर्चा का समय दीजिए ।

देश में सड़कों की खराब हालत के कारण नुकसान

*665. **श्री मनोहर लाल सैनी†**
श्री भीम सिंह } : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में सड़कों की हालत बहुत खराब है और इसके कारण ईंधन की अधिक खपत होने से देश को भारी आर्थिक हानि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस हानि का अनुमान लगाया है ;

(ग) यदि हां, तो यह हानि कितनी है ; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार ऐसी कितनी हानि हुई तथा अगले दो वर्षों में इस प्रकार कितनी हानि होने की संभावना है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री के० विजय भास्कर रेड्डी) : (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार ने मुख्य रूप से जिन सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया है, उसी के लिए जिम्मेदार है । राज्य की अन्य सभी सड़कों की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है । सभी राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात योग्य स्थिति में है । केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान द्वारा किए गए अध्ययन से यह सिद्ध हो गया है कि पेवमेंट की चौड़ाई, सड़क की विषमता, वर्टिकल प्रोफाइल, गति और वाहनों द्वारा ढोए जाने वाले भार से ईंधन खपत पर काफी असर पड़ता है । अध्ययन में उपरोक्त मुद्दों और भारतीय परिस्थिति में टूट-फूट, ईंधन

आदि जैसे वाहन प्रचालन खर्च के अवयवों के बीच के सम्बन्ध का उल्लेख किया गया है। इन परिणामों के आधार पर ऊर्जा सलाहकार बोर्ड ने यह मूल्यांकन किया है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगभग 2300 करोड़ खर्च करने से प्रतिवर्ष लगभग 240 करोड़ रु० मूल्य (करों को छोड़कर) के ईंधन की बचत की जा सकती है।

श्री मनोहर लाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न किया है, उस का जवाब अधूरा है और मूल प्रश्न के (घ) भाग का उत्तर भी मंत्री जी ने नहीं दिया है। मैं चाहूंगा कि मेरी सप्लीमेंटरी का जवाब देते समय, प्रश्न के (घ) भाग का उत्तर भी मंत्री जी दें। उन्होंने माना है कि लगभग 240 करोड़ रुपये का अधिक ईंधन जलता है और इतना ज्यादा खर्च होता है सड़कों की खराबी की वजह से। नेशनल हाइवेज को ठीक रखने की जिम्मेवारी सेन्ट्रल गवर्नमेंट की है और वे खराब हैं, यह जवाब में माना है। इस खराबी को दूर न करने की वजह से हर साल 240 करोड़ रु० का घाटा सरकार को हो रहा है और यह ईंधन की ज्यादा खपत होने की वजह से हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि घाटे को कम करने के लिए क्या सरकार ने कोई योजना बनाई है और अगर कोई योजना बनाई गई है, तो वह योजना क्या है और उस को कब तक लागू आप करेंगे।

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : सड़कों का डेवलपमेंट और उनका मेंटीनेंस यह एक कंटीनुअल प्रोसेस है। जो स्टडी की गई है, उस स्टडी के मुताबिक जो डेफीशियेन्सीज रोड्स में हैं, उनको दूर करने के लिए 2300 करोड़ रु० की आवश्यकता है और यह पूरा का पूरा धन अगर उपलब्ध हो जाए, तो 240 करोड़ रु० का फ्यूल कंजम्पशन हर साल बचेगा हमने यही जवाब दिया है कि 9 मन तेल हो, तो राधा नाचे। जब 9 मन तेल नहीं होगा, तो राधा के नाचने का कोई सवाल नहीं है। (व्यवधान)... जब बहुगुणा जी के पास 9 मन तेल था तब भी राधा नहीं नाची।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : अब आप नचाइए।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : हमारे पास तो है ही नहीं... (व्यवधान)... मैं यह कह रहा था कि नेशनल हाईवेज को डेफीशियेन्सीज को दूर करने का एक फेज्ड प्रोग्राम गवर्नमेंट आफ इन्डिया ने बनाया है और उसमें छटी पंचवर्षीय योजना में प्लानिंग कमीशन ने हमको 660 करोड़ रु० एलोकेट किये है लेकिन जितना रुपया हमने मांगा था उतना हमें नहीं मिला। प्लानिंग कमीशन ने 660 करोड़ रु० एलोकेट किये हैं जबकि जरूरत कहीं ज्यादा है, 2000 करोड़ रु० से ज्यादा है। इसलिए हम धीरे-धीरे इस काम को कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास मेन कांसट्रेंट फाईनेन्शियल रिसोर्सेस की है। अगर फाइनेन्शियल रिसोर्सेज की कांसट्रेंट रहेगी, तो डेफिशियेन्सीज बरकरार रहेंगी और जो एकानामी हम कर सकते हैं, वह नहीं कर पाते हैं।

श्री मनोहर लाल सैनी : सरकार के पास सड़कें ठीक करने के लिए पैसा नहीं है और हर साल 240 करोड़ रु० का जो नुकसान हो रहा है, उसे वह बर्दाश्त करने को तैयार है लेकिन सरकार सड़कों को ठीक करने के लिए तैयार नहीं है और न उसके लिए उसके पास कोई योजना है। सड़कें खराब होने से हर साल सैकड़ों लोग मरते हैं। सड़कें खराब हैं और नेशनल हाईवेज भी खराब है, यह सरकार ने माना है। तो मैं यह जानना चाहूंगा कि जब तक सड़कें ठीक नहीं करेंगे, तो क्या रोड टैक्स लेना बन्द कर देंगे। सड़कें खराब होने की वजह से हर साल सैकड़ों लोग मरते हैं। क्या इस की जिम्मेदारी आप की नहीं है?

एक दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि नेशनल हाईवे नं० 1 को दोहरा करने के बारे में कई बार कहा का चुका है और उसको दोहरा अभी तक नहीं किया गया है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि नेशनल हाईवे को वह कब तक दोहरा करेगी और रोड टैक्स लेना कब बंद करेगी। पहला जो सप्लीमेंटरी क्वेश्चन मैंने पूछा था, उसका भी पूरा जवाब मंत्री जी ने नहीं दिया है। उसको मंत्री महोदय ने हंसी मजाक में टाल दिया। आज इतना नुकसान हो रहा है। इस नुकसान को रोकने के लिए आपके पास क्या योजना है?

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : हम सड़कों की हालत सुधारने के लिए उतने ही उत्सुक हैं जितने कि माननीय सदस्य हैं। हमने स्पष्ट रूप से आपके समक्ष अनुसंधान संस्थान द्वारा दिए गए आंकड़े रखे हैं। हमें वित्तीय मदद नहीं मिल रही है, इसलिए हम यह नहीं कर पा रहे हैं। यदि वित्तीय सहायता मिले तो यह हो सकता है। इसमें कुछ समय तो लगेगा राष्ट्रीय राजमार्ग अन्य राजमार्गों की तुलना में बहुत अच्छे हैं। वित्तीय क्षमता के अनुसार हम इन मार्गों को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री भीम सिंह : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने अपने जवाब में माना है कि नेशनल हाईवे के मेंटीनेंस की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है। आप प्रत्येक स्टेट को नेशनल हाईवे को मेंटेन करने के लिए पैसा देते हैं। कुछ राज्य तो इसका सही उपयोग करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। जो नहीं करते हैं, क्या आप उन राज्यों पर दबाव डालेंगे इस बात का कि वे ठीक तरह से पैसे का प्रापर यूटीलाइजेशन करें। क्या उनके खिलाफ सरकार कोई एक्शन लेगी?

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : मैं राज्य सरकारों की जिम्मेदारी तो नहीं ले सकता हूं। परन्तु भूल होने का तो प्रश्न ही नहीं है चाहे वो केन्द्र सरकार हो अथवा राज्य सरकार। वित्तीय स्थिति ही इन सब कार्यों के न किये जाने को मजबूर कर रही है। यही तो मुख्य बाधा है।

श्री भीम सिंह : पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का खर्च होता है स्टेटस उसका प्रापर यूटीलाइजेशन नहीं करती है। जब फाइनांस सेंटर का खर्च होता है तो सेंटर की जिम्मेदारी कैसे नहीं है, क्या मंत्री महोदय बताएंगे?

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : जहां तक केन्द्र द्वारा राज्यों को धन आवंटित करने का प्रश्न है, हमारे पास कोई आंकड़े नहीं है परन्तु मुख्य तौर पर यह पैसा राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगाया जाता है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या यह सत्य है कि करों द्वारा तथा अन्य सड़क संबंधी कार्यों से जो आय होती है वह सड़कों पर किए गए व्यय का 10 गुणा है। क्या आपने राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा बनाने की कोई योजना बनाई है ताकि यातायात में सुविधा हो ?

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : सड़कों को चौड़ा करने की हमारी योजना है, राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए भी योजना है पर यह सब साधनों की उपलब्धि पर निर्भर करेगा। कुछ निगम बनाने का विचार है जिससे हम पैसों की व्यवस्था कर सकें। कई पुलों पर अब चुंगी कर कर लगा दिया गया है। कई तरीकों पर विचार किया जा रहा रहा है जिससे कुछ पैसा प्राप्त हो सके।

अध्यक्ष महोदय : विदेशों में जो सरकारी कंपनियां सड़कें बनाने के काम में लगी हैं। वहां ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे जहां अन्य देशों ने गैर सरकारी क्षेत्र में सड़कें बनाई हैं, और सही कर भी लेते हैं।

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : यही मैंने भी कहा है और हम कुछ और तरीके भी सोच रहे हैं, यह तरीका भी विचारधीन है।

श्री अनन्त रामुलु मल्लु : आंध्र प्रदेश में हैदराबाद से कुरनूल के राष्ट्रीय मार्ग पर महबूब नगर और हैदराबाद के बीच दूसरे दिन कई दुर्घटनाएं होती रहती है। क्या ऐसे किसी मामले की सूचना सरकार को है, और यदि हां, तो सरकार इसके लिए क्या कदम उठाने की सोच रही है ?

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : इन्हें सूचना देने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री अनन्त रामुलु मल्लु : हाल ही में आए चक्रवात के बाद सड़कें ठीक नहीं की गयी हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

देश में सड़क व्यवस्था में सुधार

*660 **श्री रामकृष्ण मोरे** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न राज्यों/महानगरों में राजमार्गों/सड़कों की हालत अत्यन्त खराब है ;

(ख) क्या इस संबंध में कोई अध्ययन किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ; और

(घ) देश में सड़कों की व्यवस्था में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री के० भास्कर रेड्डी) : (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए जिम्मेदार है। राज्य में महानगरों की सड़कों सहित अन्य सभी सड़कों की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। सभी राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात योग्य स्थिति में हैं। हालांकि यातायात के परिणाम और अन्य मुद्दों को ध्यान मे रखते हुए सड़कों में त्रुटियों का पता लगाना और उन त्रुटियों को कार्यक्रम बनाकर दूर करना एक अनवरत प्रक्रिया है। छठी योजना तैयार करते समय 1 अप्रैल, 1980 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग सिस्टम में त्रुटियों का पता लगाने के लिए अध्ययन किया गया था। इस अध्ययन में यह बताया गया है कि 1980-81 के मूल्य स्तर पर इन त्रुटियों को दूर करने के लिए लगभग 2500 करोड़ रु० की जरूरत होगी। इन त्रुटियों को कार्यक्रम के अनुसार दूर किया जा रहा है जो धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

हिन्दुस्तान लेटेक्स द्वारा रंगीन निरोध का आयात

*663. **श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान लेटेक्स के प्रबंधकों ने विदेशों से 1 करोड़ रंगीन निरोध आयात करने के लिए मैट्रो एक्सपोर्टर्स लिमिटेड नामक एजेन्सी से कोई करार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो करार का ब्यौरा क्या है और इनका आयात करने के लिए इस प्रकार का करार करने के क्या कारण हैं जबकि इनका देश में उत्पादन किया जा सकता है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड ने विशेष पतले रंग-बिरंगे एक करोड़ खुले निरोधों का आयात करने के लिए मैट्रो एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई के साथ एक करार किया है। ऐसे निरोधों का देश में उत्पादन नहीं किया जा रहा है।

सातवीं योजना के दौरान पारादीप पत्तन का सुधार

*666. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सातवीं योजना अवधि के दौरान पारादीप पत्तन का बहुमुखी सुधार करने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो पारादीप पत्तन के सुधार के लिए सातवीं योजना में कुल कितने परिव्यय की व्यवस्था की गई है ;

(ग) इस प्रयोजन के लिए सातवीं योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रमुख विकास योजनाओं के नाम क्या हैं और उनकी संख्या कितनी है और कितना परिव्यय निर्धारित किया गया है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री के० विजय भास्कर रेड्डी) : (क) से (घ) सातवीं योजना में परादीप पोर्ट के विकास की स्कीमों के बारे में अभी निर्णय नहीं किया गया है।

रेलवे अस्पतालों में अंतरंग रोगियों के लिए मुफ्त आहार

*667. **श्री इंद्रजीत गुप्त** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको इस बात की जानकारी है कि बहुत से रेलवे अस्पतालों के अंतरंग रोगियों से, जो रेलवे कर्मचारी अथवा उनके आश्रित होते हैं के आहार के लिए धन लिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट मैनुअल के पैरा 1468 में मुफ्त आहार सहित मुफ्त चिकित्सा उपचार की व्यवस्था है ; और

(ग) क्या अंतरंग रोगियों से आहार प्रभार वसूल करने के अनुदेश जारी किए गए हैं हालांकि इस प्रकार का चिकित्सीय आहार इलाज के भाग के रूप में नियत किया जाता है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। बहरहाल, इस पैरा के अनुसार जब प्रतिमाह 640 रुपये तक केवल वेतन पाने वाले कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य किसी रेलवे अस्पताल अथवा मान्यता प्राप्त संस्थान में क्षय रोग, कुष्ट रोग अथवा मानसिक रोग का इलाज करा रहे हों तो उन्हें खाना मुफ्त दिया जाता है। जब इन रेल कर्मचारियों के आश्रित सम्बन्धी क्षय रोग का उपचार करा रहे हों तो उन्हें भी यह रियायत दी जाती है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए आबंटन

*668. **श्री बापूसाहिब परूलेकर**
डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी } : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे ने रेलवे के आधुनिकीकरण हेतु वर्ष 1984-85 के लिए 2,080 करोड़ रुपये के आबंटन की मांग की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे को यह राशि मंजूर कर दी गई है ;

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ; और

(घ) यदि मांग के अनुसार आबंटन नहीं किया जाता, तो क्या रेलवे ने अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करने हेतु अन्य साधनों से धन जुटाने पर विचार किया है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) जी हां। रेलों ने वर्ष 1984-85 के लिए 2,080 करोड़ रुपये की मांग की थी जिसकी तुलना में अन्तिम आवंटन 1650 करोड़ रु० हुआ है। धन के आबंटन में कटौती संसाधनों की समग्र तंगी के कारण की गयी है।

(घ) वर्तनान व्यवस्था के अन्तर्गत रेलें, भारत सरकार का एक विभाग होने के कारण, अपनी इच्छानुसार अन्य स्रोतों से संसाधन जुटाने के लिए स्वतंत्र नहीं है।

बम्बई अहमदाबाद-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 में चार पथ (लेन) बनाना

*669. **श्री अमर सिंह राठवा**
श्री मोहन लाल पटेल } : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई-अहमदाबाद-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-8 को चौड़ा करके इस समय विद्यमान दो पथों (लेन) के स्थान पर चार पथ (लेन) बनाने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस राष्ट्रीय राजमार्ग में चार पथ (लेन) बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया है और यदि हां, तो इसमें अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) इस राष्ट्रीय राजमार्ग के कम चौड़ा होने के कारण इस पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इसे चौड़ा करने का काम जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री के० विजय भास्कर रेड्डी) : (क) से (ग) जी हां। 1427.80 कि० मी० में से 26.2 कि० मी० सडक को चार लेनों तक चौड़ा कर दिया गया है।

छठी पंचवर्षीय योजना में कुल 107 कि० मी० लम्बे चुने हुए खंडों को चौड़ा करनें की परिकल्पना की गई है।

गुजरात में अहमदाबाद और बदोदरा के बीच 92 कि० मी० सड़क को विश्व बैंक की सहायता से चौड़ा करने का प्रस्ताव है। दिल्ली में 3.57 कि० मी० लम्बी सड़क को चौड़ा करने का काम चल रहा है।

सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों द्वारा तैयार माल को भेजा जाना

*670 **श्री रामेश्वर नीखरा** : क्या रेल मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र और गैर सरकारी क्षेत्र को जोन-वार कितनी रेलवे साइडिंग उपलब्ध की गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा अपने कच्चे माल की ढुलाई रेलों से की जा रही है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र अपने तैयार माल को सड़क मार्ग से भेज रही हैं ;

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि ये दोनों क्षेत्र अपने तैयार माल को सड़क मार्ग की बजाए, जिससे रेलवे को राजस्व की हानि होती है, रेल मार्ग से भेजें ; और

(ङ) इस संबंध में रेलवे द्वारा शर्तों में इस प्रकार का संशोधन न किये जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) सरकारी तथा निजी क्षेत्र को रेलवे-वार उपलब्ध करायी गयी रेलवे साईडिगों की संख्या नीचे दी गयी है :—

रेलवे	सरकारी उपक्रम	निजी उपक्रम	जोड़
मध्य	70	78	148
पूर्व	50	125	175
उत्तर	114	138	252
पूर्वोत्तर	24	52	76
पूर्वोत्तर सीमा	43	18	61
दक्षिण	78	69	147
दक्षिण मध्य	45	41	86
दक्षिण पूर्व	193	77	270
पश्चिम	71	68	139
जोड़ :	688	666	1354

(ख) और (ग) सरकारी तथा निजी उपक्रम/कंपनियां कच्चे सामान तथा तैयार उत्पादों की ढुलाई रेल तथा सड़क दोनों से करती हैं।

(घ) कच्चे सामान तथा तैयार उत्पाद दोनों को रेल द्वारा अधिकतम ढुलाई करने के सम्बन्ध में साइडिंग के मालिकों के साथ निकट संपर्क बनाये रखा जाता है। साईडिंग (स्थानन) प्रभारों के संबंध में विशेष छूट की योजना के रूप में साईडिंग के मालिकों को प्रोत्साहन दिये गये हैं। सभी मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया गया है कि वे सरकारी उपक्रम का यातायात रेलवे को ढुलाई के लिए प्रस्तुत करें।

(ङ) साईडिंग के मालिकों को अपना समूचा यातायात रेल द्वारा ढुलाई के लिए प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करना व्यवहारिक नहीं है जिसका कारण है :—

(क) कम दूरी का यातायात जिसे रेल द्वारा ढोना अलाभप्रद है ;

(ख) ऐसे गन्तव्यों के लिए यातायात जहां पर रेल-शीर्ष नहीं हैं ;

(ग) रेलपथ की टूट-फूट, दुर्घटनाओं आदि के कारण रेल सेवाओं में बाधा ;

(घ) अपरिहार्य कारणों से परिचालनिक प्रतिबंध ।

घटिया स्तर के आयुर्वेदिक कालेजों को बन्द करना

*671 **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में अधिकांश आयुर्वेद कालेजों ने अभी तक निर्धारित न्यूनतम स्तर प्राप्त नहीं किया है ;

(ख) ऐसे कालेजों के नाम क्या है और वे कौन-कौन से राज्यों में स्थित हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय परिषद् ने केन्द्र और राज्यों से ऐसी संस्थाओं को बन्द करने के लिए कहा है, जो निर्धारित स्तर की नहीं हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन 53 कालेजों का निरीक्षण किया गया, उनमें से 13 कालेजों ने निर्धारित विनियमों का पालन नहीं किया है । उन कालेजों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

गुजरात

1. अखण्डानंद राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, अहमदाबाद ।
2. श्री जे० एस० आयुर्वेद महाविद्यालय, नादियाद
3. राजकीय आयुर्वेद कालेज, बड़ौदा ।
4. आर्य कन्या शुद्ध आयुर्वेद महाविद्यालय बड़ौदा ।
5. जे० पी० राजकीय आयुर्वेद कालेज, भावनगर ।
6. राजकीय आयुर्वेद कालेज, जूनागढ़ ।
7. ओ० एच० नगर आयुर्वेद महाविद्यालय, सूरत ।

बिहार

1. श्री धनवन्तरि आयुर्वेद महाविद्यालय, बक्सर।

2. श्री धनवन्तरि आयुर्वेद महाविद्यालय, अहिरोली, बक्सर।

3 राजकीय आयुर्वेद कालेज, पटना

4. श्री यतीन्द्र नारायण अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय, भागलपुर।

5. अयोध्या शिव कुमारी, राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, बेगुसराय।

6. रवीन्द्रनाथ मुखर्जी आयुर्वेदिक कालेज, मोतिहारी।

(ग) और (घ) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् ने मार्च, 1983 में हुई अपनी बैठक में सिफारिश की थी कि भारत सरकार और राज्य सरकारों को चाहिए कि वे ऐसे कालेजों को अपेक्षित न्यूनतम स्तर तक लाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं और जो कालेज ऐसा कर सकने में असमर्थ रहे, उन्हें बन्द कर दें। भारत सरकार ने राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों को ये न्यूनतम मानक बनाये रखने की आवश्यकता पर बल देने के लिए लिखा है।

ईरान-इराक युद्ध में रासायनिक हथियारों का प्रयोग

*672. **श्री के० मालन्ना**
श्री हरीश रावत } : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को ईरान-इराक युद्ध में रासायनिक हथियारों के प्रयोग तथा वहां पर संघर्ष तेज हो जाने के बारे में कोई जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की अध्यक्षा होने के नाते प्रधान मंत्री ने यह मत भी व्यक्त किया था कि रासायनिक हथियारों का प्रयोग अन्तर्राष्ट्रीय परम्पराओं का स्पष्ट उल्लंघन होगा; और

(ग) यदि हां, तो इस मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) जी हां। इस युद्ध में रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल के आरोप में लगाए गए हैं। हाल की खबरों से ऐसे संकेत मिलते हैं कि यह लड़ाई और अधिक बढ़ गई है।

(ख) रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल, अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय का स्पष उल्लंघन होगा। यह बात प्रधान मंत्री कई अवसरों पर कह चुकी हैं।

(ग) संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने रासायनिक हथियारों के प्रयोग के बारे में लगाए गए आरोपों की जांच के लिए विशेषज्ञों का एक दल ईरान भेजा था। इस दल ने 13 से 19 मार्च, 1984 तक ईरान की यात्रा करके एक रिपोर्ट पेश की, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने सुरक्षा परिषद के पास भेज दिया हैं। ईरान के क्षेत्रों का निरीक्षण करने के बाद, संयुक्त राष्ट्र निरीक्षक दल ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उसमें वहां रासायनिक हथियारों के प्रयोग की पुष्टि की गई है। सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष ने परिषद के सदस्यों की ओर से एक मतैक्य वक्तव्य जारी किया है।

रेल संचालन के सम्बन्ध में रेल सुधार समिति की रिपोर्ट

*673. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते**
श्री मोती भाई आर० चौधरी } : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल सुधार समिति ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट में रेल संचालन में सुधार करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) रेल सुधार समिति अपनी रिपोर्ट अलग-अलग भागों में प्रस्तुत कर रही है और अब तक रिपोर्ट के 15 भाग प्रस्तुत किए जा चुके हैं।

(ख) अब तक प्राप्त रिपोर्टों की पांच प्रतियां, माननीय सदस्यों की सुविधा के लिए संसद के पुस्तकालय में रख दी गयी हैं।

रेलवे के पूछताछ और आरक्षण संवर्ग का विकेन्द्रीकरण

*674. **श्री डूंगर सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बुकिंग, पार्सल, गुड्स, चैकिंग आदि जैसे सभी संवर्गों का नीति विकेन्द्रीकरण कर दिया गया है और इन संवर्गों को अब डिवीजन में रखा गया है;

(ख) क्या पूछताछ और आरक्षण संवर्ग अभी भी क्षेत्रीय (जोनल) नियंत्रण में है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) बुकिंग, पार्सल, गुड्स और कोचिंग लिपिकों के पद कुछ ग्रेडों तक मंडलीय आधार पर नियंत्रित किये जाते हैं तथा उच्चतर

ग्रेडों में मुख्यालय द्वारा नियंत्रित किये जाते हैं। इस संबंध में विकेन्द्रीकरण की मात्रा अलग-अलग रेलवे पर भिन्न-भिन्न होती है।

(ख) रेल मंत्रालय द्वारा जारी किये गये आदेशों के अनुसार पूछताछ एवं आरक्षण लिपिकों का संवर्ग प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे के मुख्यालय द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

(ग) इसके मुख्य कारण इस प्रकार हैं :—

(1) पूछताए एवं आरक्षण लिपिकों के संवर्ग में अपेक्षाकृत कम पद होते हैं।

(2) इन पदों पर काम करने वाले व्यक्तियों में जनता के साथ व्यवहार करने की विशेष कला होनी चाहिए।

(3) प्रशासन के हित में इस संवर्ग के कर्मचारियों की तैनाती और स्थानान्तरणों के सम्बन्ध में अधिक लचीलापन अपेक्षित होता है।

दानापुर डिविजन के यातायात विभाग में स्थानापन्न कर्मचारियों को नियमित करना

*675. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे के दानापुर डिविजन के यातायात विभाग में स्थानापन्न (सब्स्टीट्यूट) कर्मचारियों को उस विभाग में पदों के रिक्त रहते हुए भी नियमित नहीं किया जाता है जबकि समयोपरि भत्ते के रूप में लाखों रुपये व्यय किये जाते हैं;

(ख) क्या इन स्थानापन्न कर्मचारियों को प्रत्येक तीन वर्ष के बाद डाक्टरी जांच कराने के लिए कहा जाता है;

(ग) स्थानापन्न कर्मचारियों को यदि नियमित कर भी दिया जाता है, तो क्या नियमित किए जाने से पहले का उनका सेवा काल ग्रैच्युटी, पेंशन और अन्य लाभों के लिए शामिल नहीं किया जाता है; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी नहीं। इस समय केवल लगभग 10 रिक्त स्थान हैं और इन रिक्त स्थानों पर लगाने के लिए स्क्रीन किये हुए एवजियों की सूची मौजूद है।

(ख) मेडिकल वर्गीकरण ए—एक से ए—तीन के अन्तर्गत आने वाले पदों पर लागू वर्तमान आदेशों के अनुसार, एवजियों को हर तीन वर्ष बाद आवधिक मेडिकल जांच के लिए भेजा जाता है।

(ग) और (घ) वर्तमान आदेशों के अनुसार, जिनका अनुसरण दानापुर मंडल में भी किया जा रहा है, पेंशन लाभों के लिए एवजियों की सेवा एवजी के रूप में 4 महीने की (अध्यापकों के मामले में 3 महीने की) सतत् सेवा पूरी करने की तारीख से गिनी जाती है। बशर्ते कि उन्हें बाद में, बिना सेवा भंग हुए श्रेणी III और श्रेणी IV की नियमित सेवा में समाहित किया गया हो। चयन के बाद नियमित पद पर उनका समावेश हो जाने पर उनकी सेवा को वरिष्ठता के सिवाय अन्य सभी प्रयोजनों के लिए सतत सेवा भी माना जाता है।

परीक्षाओं में नकल करने की घटनाएं

*676. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **शिक्षा और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों में छात्रों द्वारा परीक्षाओं में नकल करने की घटनाओं में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस कदाचार को रोकने के लिए अध्यापन और परीक्षा पद्धति में सुधार करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) विश्वविद्यालय और स्कूल बोर्ड की परीक्षाओं में विभिन्न केन्द्रों में कदाचारों और अनुचित साधनों के प्रयोग के बारे में समय-समय पर रिपोर्टें मिलती रही हैं।

(ख) और (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1974 से ही अध्यापन और परीक्षा पद्धति में सुधार के लिए अनेक विशिष्ट उपायों का सुझाव देता रहा है। इसमें सतत् सत्रीय मूल्यांकन शुरू करना, प्रश्न बैंकों का विकास, ग्रेड पद्धति शुरू करना और सेमिस्टर पद्धति अपनाना शामिल है। जनवरी, 1983 में आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को सलाह दी है कि 1983-84 के आरम्भ से परीक्षा सुधारों के लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय अनेक न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वित किए जाने चाहिए। इनमें पाठ्यचर्या का यूटिनों में विभाजन, पाठ्यचर्या के प्रत्येक यूनिट से प्रश्न पत्र बनाना, प्रश्नों के उत्तर देने में दी जाने वाली छूट को कम करना और परीक्षाएं आयोजित करने के लिये अधिक प्रभावी व्यवस्था करना शामिल हैं।

स्कूल स्तर पर, प्रश्न पत्र बनाने उनका मुद्रण और वितरण, परीक्षाएं आयोजित करने के लिए व्यवस्थाएं, उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन, परीक्षा परिणामों के संकलन इत्यादि के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में राज्य सरकारों को विस्तृत मार्गदर्शी रूपरेखाएं जारी कर दी गई हैं।

प्लेटफार्मों पर सार्वजनिक स्वच्छता और सफाई रखना

*677. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया गया है, जंक्शन स्टेशनों के रेलवे प्लेटफार्मों पर विशेषकर ग्रीष्मकाल में, अस्वच्छता और गन्दगी रहती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने प्लेटफार्मों पर उच्च स्तर की सार्वजनिक स्वच्छता और सफाई रखने के लिए कोई उपाय किए हैं या करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) रेलवे प्लेटफार्मों पर वांछनीय स्तर की सफाई न रखे जाने के कुछ मामले नोटिस में आये हैं।

(ख) और (ग) रेल प्रशासन का सदैव यह प्रयास रहा है कि रेलों द्वारा उपयोगकर्ताओं को प्रदान की गयी सुविधाओं और सेवाओं के अनुरक्षण और रख-रखाव का स्तर संतोषजनक रहे। इसमें रेलवे प्लेटफार्मों की सप्लाई भी शामिल है। एक ठोस उपाय के रूप में, 51 चुनींदा महत्वपूर्ण रेल स्टेशनों, प्लेटफार्मों की सफाई तथा अन्य यात्री सुविधाओं के अनुरक्षण पर निगरानी रखने के लिए अधिकारियों के बहुउद्देशीय कृतिक दल बनाये गये हैं। इस दिशा में रेलों द्वारा किये गये कुछ अन्य महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं :—

(1) सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों पर, अपेक्षित संख्या में सफाई कर्मचारियों सहित, सफाई निरीक्षक तैनात किये गये हैं।

(2) मंडल तथा रेलवे मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किये जाते हैं।

(3) कर्मचारियों को सफाई का उच्च स्तर कायम करने की प्रेरणा देने के लिए प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन किया जाता है तथा सर्वश्रेष्ठ अनुरक्षित स्टेशन और वहां पर कार्यरत कर्मचारियों को ट्राफियां तथा अन्य पुरस्कार दिये जाते हैं।

(4) स्टेशनों पर सफाई बनाये रखने के लिए यात्रियों का सहयोग प्राप्त किया जाता है और उनसे अनुरोध किया जाता है कि गंदगी न करें।

(5) समय-समय पर सफाई अभियान चलाये जाते हैं। रेलों से कहा गया है कि वे 1-5-1984 से 8-5-1984 तक रेलवे प्लेटफार्मों पर सफाई रखने के सम्बन्ध में, अखिल भारतीय अभियान चलायें।

कन्याकुमारी से बम्बई तथा कन्याकुमारी से कलकत्ता तक तटवर्ती सड़क

*678. **श्री एन० डेनिस** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम में कन्याकुमारी से बम्बई तक तथा पूर्व में कन्याकुमारी से कलकत्ता तक तटवर्ती सड़कें बनाने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इनकी लागत के अनुमान लगा लिये गए हैं;

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री के० विजय भास्कर रेड्डी) : (क) से (घ) जी नहीं। समुद्र के पश्चिमी तट के किनारे-किनारे मौजूदा राजमार्ग सं०-17 और 47 तथा पूर्वी तट होकर राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 7, 45 और 5 गुजरता है।

महिला इन्टर्न्स हाउस स्टाफ अथवा रेजीडेंट डाक्टरों की बार-बार गर्भ परीक्षा

*679. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन मेडिकल कालेजों और संस्थानों का ब्यौरा क्या है, जिनमें महिला इंटर्न्स, हाउस स्टाफ अथवा रेजीडेन्ट डाक्टरों को बार-बार गर्भ परीक्षा करानी पड़ती है;

(ख) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद ने इस प्रकार की परीक्षा करने का प्राधिकार दिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन संस्थाओं में इस प्रथा के प्रचलन के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार नई दिल्ली स्थित लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और उससे सम्बद्ध अस्पतालों में सभी कनिष्ठ रेजिडेंट्स (प्रथम वर्ष) की नियुक्ति उनके मेडिकली फिट पाये जाने पर की जाती है और यदि कोई कनिष्ठ रेजिडेंट नियुक्ति से पूर्व गर्भवती पायी जाए तो उसे नियुक्ति प्रस्ताव नहीं

दिया जाता तथा यदि वह नियुक्ति के बाद गर्भवती हो जाये तो रेजिडेंसी की अगली टर्म, यदि कोई हो तो, रद्द कर दी जाती है। लेडी हार्डिग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल में कनिष्ठ रेजिडेंट्स (प्रथम वर्ष) की स्वास्थ्य जांच की प्रथा उस संस्था की प्रधानाचार्य के प्रस्ताव पर इस विचार के आधार पर शुरू की गई थी कि किसी गर्भवती महिला को रेजिडेंसी योजना के अंतर्गत निर्धारित कठिन प्रशिक्षण देना उचित नहीं है और जो कनिष्ठ रेजिडेंट गर्भवती होती है वह अपने कड़े क्लीनिकल प्रशिक्षण के साथ न्याय नहीं कर पाती जिसके परिणामस्वरूप रोगी की परिचर्या और अस्पताल के कार्य को नुकसान पहुंचता है, विशेषकर उस संस्था में जहां सभी रेजिडेंट डाक्टर महिलायें ही हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने ऐसी कोई जांच निर्धारित नहीं की है। दिल्ली विश्वविद्यालय के अधीन अन्य मेडिकल कालेज भी कनिष्ठ रेजिडेंट्स (प्रथम वर्ष) की नियुक्ति रुटीन स्वास्थ्य परीक्षा के बाद करते हैं।

कलिंग रेल यात्री संघ, कटक से ज्ञापन

7371. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलिंग रेल यात्री संघ, कटक (उड़ीसा) ने माननीय रेल राज्य मंत्री को 30 दिसम्बर, 1983 को, उनकी उड़ीसा यात्रा के समय एक ज्ञापन दिया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त ज्ञापन में की गई मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) कलिंग रेल यात्री संघ, कटक की मांगों की जांच की गयी है और दिये गये सुझावों तथा उन पर की गयी कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

1. महानदी एक्सप्रेस गाड़ी चलाना

परिचालनिक कठिनाइयों के कारण झारसुगुडा से तालचेर तक महानदी एक्सप्रेस चलाना व्यावहारिक नहीं है। इसके अलावा, इसके लिए अतिरिक्त कोचिंग स्टाक और डीजल रेल इंजनों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। सवारी डिब्बों और डीजल इंजनों की अत्यधिक कमी के कारण निकट भविष्य में इस प्रकार की गाड़ी चलाना संभव नहीं है।

2. रायगडा में फ्लाई ओवर पुल

रायगडा में मौजूदा समपार के बदले एक ऊपरी सड़क पुल के निर्माण के लिए राज्य

सरकार से प्राप्त प्रस्ताव की रेलवे तथा राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से जांच की जा रही है। इस प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिये जाने तथा रेलवे और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से स्वीकार कर लिये जाने के बाद इसे रेलवे के भावी निर्माण कार्यक्रम में शामिल करने के बारे में विचार किया जाएगा, बशर्ते कि धन उपलब्ध हो।

3. 18 डाउन के समय में परिवर्तन

18 डाउन के समय में परिवर्तन करके इसे वाल्तेरू से 2-30 बजे चलाने का जो सुझाव दिया गया है इससे रायचूर में 18 डाउन के पहुंचने तथा 137 अप के छूटने के समय के बीच उपलब्ध अन्तराल कम हो जाएगा तथा 137 अप के चालन में भी विघ्न पड़ेगा। अतः फिलहाल 18 डाउन के समय में परिवर्तन करने का प्रस्ताव नहीं है।

4. 17 अप और 18 डाउन लिंक एक्सप्रेस में दिल्ली के लिए सीधे सामान यान की व्यवस्था

प्रस्ताव की जांच की गयी है, लेकिन इसे स्वीकार्य नहीं पाया गया है क्योंकि 137 अप छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस बिलासपुर और नागपुर के बीच अधिकतम भार के साथ चलती है और इसमें नियमित रूप से अतिरिक्त सवारी डिब्बा खींचने की गुंजाइश नहीं है। विशाखापटनम/वाल्तेरू से और दिल्ली तक के लिए पार्सल और सामान यातायात की मात्रा इतनी नहीं है जिससे कि सामान-यान का औचित्य बन सके।

5. कटक और पुरी के बीच अतिरिक्त शटल गाड़ी चलाना

कटक और पुरी के बीच कई गाड़ियां चल रही हैं जो इन दोनों स्टेशनों के बीच मौजूदा यातायात की आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा करती हैं। इसके अलावा, मार्ग सम्बन्धी कठिनाइयों तथा कोचिंग स्टाक की कमी के कारण कोई अतिरिक्त गाड़ी चलाना व्यावहारिक नहीं है।

6. कटक रायपुर सवारी डिब्बा

इस समय कटक-रायपुर थ्रू कोच को कटक से रायपुर तक ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस तथा 228 वाल्तेरू-रायपुर पैसेंजर में तथा विपरीत दिशा में 17 अप रायपुर-वाल्तेरू लिंक एक्सप्रेस तथा 46 ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस में लगाया जाता है। इस सवारी डिब्बे का इस्तेमाल करने वाला अधिकांश यातायात राज्य की राजधानी अर्थात भुवनेश्वर से प्राप्त होता है और समग्र यात्रा समय को कम करने के लिए इस सवारी डिब्बे को, विजयानगरम में स्थानान्तरित करके, भुवनेश्वर-सिकन्दराबाद-कोणार्क एक्सप्रेस और वाल्तेरू-रायपुर लिंक एक्सप्रेस में केवल भुवनेश्वर और रायपुर के बीच चलाने का प्रस्ताव है। कटक के यात्री सड़क अथवा अन्य उपलब्ध रेल गाड़ियों से भुवनेश्वर तक यात्रा करके इस सवारी डिब्बे का लाभ उठा सकते हैं।

7. जीर्ण-शीर्ण सवारी डिब्बे तथा मानचेश्वर कारखाना

रेक का बेहतर अनुरक्षण सुनिश्चित करने के लिए सवारी डिब्बों की हालत पर निगरानी रखी जा रही है। मानचेश्वर में सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाने के निर्माण कार्य को पूरा करने और मरम्मत कार्यों को निर्धारित स्तर तक बढ़ाने में तेजी लाने के लिए भी अथक प्रयास किये जा रहे हैं।

8. (I) 89/90 बोकारो-मद्रास गाड़ी को सिंगापुर रोड स्टेशन पर ठहराना

टिकटों की बिक्री बहुत ही कम है जिसकी वजह से किसी अतिरिक्त मेल/एक्सप्रेस गाड़ी को सिंगापुर रोड स्टेशन पर ठहरने का औचित्य नहीं बनता है और इस प्रकार वाणिज्यिक दृष्टि से 89 अप/90 डाउन गाड़ी को सिंगापुर रोड स्टेशन पर ठहराने का औचित्य नहीं है।

(II) 77/78 और 143/144 उत्कल और कलिंग एक्सप्रेस को जलेश्वर स्टेशन पर ठहराना

ये गाड़ियां लम्बी दूरी की एक्सप्रेस गाड़ियां हैं और बहुत ही लोकप्रिय हैं। इन गाड़ियों के अतिरिक्त ठहराव से लम्बी दूरी के वर्तमान यात्रियों को असुविधा होगी। टिकटों की अल्प बिक्री को देखते हुए उत्कल और कलिंग एक्सप्रेस गाड़ियों को जलेश्वर स्टेशन पर ठहराना वाणिज्यिक दृष्टि से अर्थक्षम नहीं पाया गया है।

(III) 143/144 कलिंग एक्सप्रेस को राजगंगपुर स्टेशन पर ठहराना

कलिंग एक्सप्रेस गाड़ियां अन्तर्नगरीय एक्सप्रेस गाड़ियां हैं और इनके ठहराव सीमित हैं। अन्य समतुल्य महत्वपूर्ण स्टेशनों पर भी इन गाड़ियों को ठहराने की मांग की जा रही है। यदि राजगंगपुर में ठहराव की व्यवस्था कर दी जाती है तो इससे इन गाड़ियों की रफ्तार कम हो जाएगी जिसका लम्बी दूरी के यात्री विरोध करेंगे।

9. जलेश्वर, रायगडा, राउरकेला, राजगंगपुर तथा कांसबहाल स्टेशनों पर विभिन्न गाड़ियों में शायिका आरक्षण की सुविधाएं, सिंगापुर रोड और कांसबहाल में ऊपरी पैदल पुल, भुवनेश्वर में छतदार तथा तारकोल बिछे प्लेटफार्म, डारमीटरी और बंशधारा में 132 के० वी० लाइन पर पुल

इस मामले की जांच की जा रही है।

10. नीलाचल एक्सप्रेस को प्रतिदिन चलाना

नीलाचल को सप्ताह में तीन दिन की बजाय प्रतिदिन चलाने की जांच पहले की जा चुकी है। पूर्व और उत्तर रेलों पर मार्ग सम्बन्धी तंगी के कारण ऐसा करना संभव नहीं पाया गया है।

इसके लिए अतिरिक्त रेकों और डीजल रेल इंजनों की जरूरत पड़ेगी जो इस समय रेलों पर उपलब्ध नहीं हैं। इस सुझाव को ध्यान में रखा गया है और संसाधनों की स्थिति में सुधार होने पर इसे प्राथमिकता दी जाएगी।

पोलियो उन्मूलन हेतु वैक्सीन

7372. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पोलियो उन्मूलन के लिए 'किल्ड' वैक्सीन से निर्मित वैक्सीन शुरू करने का है जो इस समय हमारे देश में प्रयोग की जा रही 'ओरल लाइन वैक्सीन' से प्राप्त निरापदता की तुलना में अधिक बेहतर निरापदता प्रदान करती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या बच्चों के लिए, उनमें पोलियों के विरुद्ध प्रतिरक्षा शक्ति पैदा करने हेतु खांसी, डिप्थीरिया, टिटनिस के विरुद्ध बी०सी०जी० और ट्रिपल वैक्सीन जैसी अन्य सामान्य वैक्सीन के साथ पोलियो की 'किल्ड वैक्सीन' का मिश्रण करने का कोई कार्यक्रम शुरू किया जा सकता है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम में किल्ड पोलियो वैक्सीन को शुरू करने के लिए सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्र और राज्यों द्वारा स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए आबंटित धनराशि

7373. **श्री अमल दत्त** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न विशिष्ट स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों हेतु कोई धनराशि खर्च की है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों और विशिष्ट कार्यक्रमों के नाम क्या हैं, कितनी धनराशि नियत की गई है और राज्यों अथवा राज्य संघ क्षेत्रों द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ग) आबंटन के आधार क्या हैं तथा यदि किसी राज्य द्वारा कम धनराशि खर्च की गई है, तो उसके क्या कारण बताए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी): (क) हां।

(ख) संबंधित सूचना के विवरण संलग्न हैं। [ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-8177/84]।

(ग) प्लान नियतनों का निर्धारण रोग के प्रकोप और उपलब्ध संसाधनों, पिछले कार्य, उपलब्ध आधारभूत ढांचे तथा कार्यक्रम के विस्तार सम्बन्धी राज्यों की क्षमता जैसी कार्यक्रम की अपेक्षाओं को देखते हुए किया जाता है। खर्च में कमी होने का मुख्य कारण कुछेक केन्द्र प्रायोजित योजनाओं को 50 : 50 के आधार पर चलाया जाना है। राज्य कभी-कभी साधनों की कमी के कारण बराबर का हिस्सा देने में असमर्थ होते हैं।

पश्चिम रेलवे और रतलाम रेलवे डिवीजन की प्रयोक्ता सलाहकार समिति में प्रतिनिधित्व

7374. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे और रतलाम रेलवे डिवीजन की प्रयोक्ता सलाहकार समिति में व्यक्तियों को शामिल करने और प्रतिनिधित्व देने के लिए क्या मानदण्ड अपनाया गया है और उसमें शामिल किए गए पंजीकृत रेल प्रयोक्ता एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के क्या नाम है;

(ख) उक्त समितियों का गठन करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनायी गयी है, उनके गठन की घोषणा किस तारीख को की गई तथा उसकी शर्तें क्या हैं; और

(ग) उज्जैन के किन-किन व्यक्तियों को उक्त समितियों में शामिल किया गया है और उनको उसमें शामिल करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाया गया और पंजीकृत रेलवे यूजर्स एसोसिएशन को प्रतिनिधित्व न देने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) प्रबन्धकों को रेल उपयोगकर्ताओं से परामर्श करने तथा उनकी सलाह प्राप्त करने के लिए अवसर प्रदान करने तथा पहले से प्रदत्त सेवाओं में यथासंभव सुधार करने के लिए मंडल, क्षेत्र तथा राष्ट्रीय स्तरों पर रेल उपयोगकर्ता परामर्श समितियां गठित की जाती हैं। इन समितियों में व्यक्तियों को इस सिद्धान्त पर मनोनीत किया जाता है कि चैम्बर आफ कामर्स, ट्रेड एसोसियेशनों, उद्योगों, कृषि सम्बन्धी एसोसिएशनों, यात्री एसोसिएशनों, राज्य सरकारों, राज्य विधायिकाओं और संसद सदस्यों जैसे रेल उपयोगकर्ताओं के विभिन्न अभिज्ञेय और महत्वपूर्ण वर्गों को यथासंभव व्यापक प्रतिनिधित्व मिल जाय। जो अन्य हित इन विशिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आ पाते हैं उन्हें 'विशेष हितों' के अंतर्गत नामित किया जाता है जो जनमत के विभिन्न रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

जहां तक क्षेत्र में सेवारत पंजीकृत यात्री एसोसिएशनों का संबंध है, इस प्रकार की दो एसोसिएशनों को किसी मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति में संबंधित रेलवे के महाप्रबन्धक की सिफारिश पर प्रतिनिधित्व दिया जाता है। जहां पर इस प्रकार की कई एसोसिएशनें कार्यरत हैं, वहां उन्हें बारी-बारी से प्रतिनिधित्व देने के लिए विचार किया जाता है।

पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल की मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति में निम्नलिखित पंजीकृत यात्री एसोसिएशनों को 1.9.83 से 31.12.85 तक की अवधि के लिए यथोचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है :—

1. राजस्थान रेल उपयोगकर्ता और यात्री एसोसिएशन, अजमेर।

2. मध्य प्रदेश परिवहन (रेल-सड़क-वायुयान) उपयोगकर्ता एसोसिएशन, 90 तेल गली, इन्दौर-2।

(ग) श्री बहादुरमल अग्रवाल, शिवसागर कालोनी, उज्जैन को मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति, रतलाम में सेन्ट्रल चैम्बर आफ कामर्स एंड इण्डस्ट्रीज, रामखाना, फुहारा चौक, उज्जैन का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किया गया है।

कार्यालय भवन में शौचालयों और मूत्रालयों की निश्चित संख्या

7375. **श्री अजित बाग** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्यालय भवनों में निश्चित संख्या में शौचालय और मूत्रालय उपलब्ध कराने के बारे में रेलवे बोर्ड ने कोई आदेश जारी किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो कार्यालय भवनों में महिला और पुरुष कर्मचारियों के लिए अलग-अलग कितने शौचालय और मूत्रालयों की व्यवस्था की जा सकती है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) कार्यालय भवनों में मुहैया किये जाने वाले शौचालयों तथा पेशाबघरों की संख्या का उल्लेख करते हुए रेलवेबोर्ड द्वारा कोई विशिष्ट आदेश जारी नहीं किये गए हैं। बहरहाल, भारतीय रेलपथ एवं निर्माण नियमावली में 25 कर्मचारियों के लिए एक शौचालय तथा 50 कर्मचारियों के लिए एक पेशाबघर के निर्माण की व्यवस्था है। राष्ट्रीय भवन संहिता 1970 में निम्नलिखित सिफारिश की गयी है :—

	पुरुषों के लिए	महिलाओं के लिए
शौचघर (शौचालय)	प्रत्येक 25 व्यक्तियों अथवा इसके भाग के लिए एक	प्रत्येक 15 महिलाओं के लिए अथवा इसके भाग के लिए एक
पेशाबघर	6 व्यक्तियों तक के लिए कोई नहीं 7—20 के लिए एक 21—45 के लिए 2 46—70 के लिए 3 71 - 100 के लिए 4 101 - 200 के लिए 3% की वृद्धि की जाये 200 से अधिक के लिए 2.5% की वृद्धि की जाये ।	

दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों का सेलेक्शन ग्रेड के लिए चयन

7376. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष में दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न कालेजों में सलेक्शन ग्रेड (रीडर ग्रेड) के लिए प्राध्यापकों के चयन हेतु अनेक साक्षात्कार हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन साक्षात्कारों में चयन किये गये प्राध्यापकों को पदोन्नत कर दिया गया है (अथवा सलेक्शन ग्रेड);

(ग) यदि हां, तो यह कार्य किस तारीख से किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और इसके कब तक किए जाने की संभावना है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां । ये चयन योग्यता पदोन्नति योजना के अन्तर्गत किए जा रहे हैं ।

(ख) जांच/मूल्यांकन समितियों की सिफारिशें अभिशासी निकायों के अनुमोदन के बाद जांच के लिए विश्वविद्यालय को भेजी जाती हैं । जिन मामलों में सभी औपचारिकताएं पूरी होती

हैं उनमें कालेजों को सलाह दी जाती है कि वे शिक्षकों को प्रवरण ग्रेड में रखने की कार्रवाई करें।

(ग) पदोन्नतियां 1 जनवरी, 1983 से लागू हो गई हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

गवर्नमेन्ट मेडिकल स्टोर डिपो वर्कर्स यूनियन, मद्रास द्वारा पारित किए गए संकल्प

7377. **श्री के० बी०-एस० मणि** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर डिपो वर्कर्स यूनियन, मद्रास ने 13 जनवरी, 1984 को अपनी 10वीं वर्षगांठ मनाई थी और 28 संकल्प पारित किये थे और उन्हें सम्बन्धित प्राधिकारियों को भेजा है;

(ख) यदि हां, तो उनका संकल्पवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक संकल्प पर क्या कार्रवाई की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) सरकारी चिकित्सा सामग्री भण्डार कर्मचारी संघ, मद्रास द्वारा 13 जनवरी, 1984 को पारित 27 संकल्प (20 नहीं) इस मंत्रालय को मिले हैं।

(ख) और (ग) इन संकल्पों का मूल पाठ और सरकार द्वारा इन पर की गई कार्रवाई/प्रस्तावित कार्रवाई का एक विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-8178/84]।

वाराणसी सिटी स्टेशन के समीप पेट्रोल पम्प के निर्माण हेतु रेलवे की भूमि

7378. **श्री जैनुल बशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन के समीप पेट्रोल पंप निर्माण हेतु एक प्राइवेट पार्टी को एक भू-भाग दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका किराया तथा अन्य शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या भूमि नीलामी निविदा अथवा वैयक्तिक बातचीत के आधार पर दी गयी थी; और

(घ) क्या रेलवे स्टेशन के इतने समीप उस भू-भाग को किसी भावी विस्तार के लिए खासतौर पर रेल लाइन बदले जाने के बाद जिस पर कि कार्य चल रहा है आवश्यकता नहीं थी ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) 13268 वर्ग फुट भूमि के प्लाट की वार्षिक लाइसेंस फीस 31,843.20 रुपये है। लाइसेंस अस्थायी आधार पर है और वर्षानुवर्ष के आधार पर नवीकरण किया जाता है तथा ऐसे अस्थायी लाइसेंस के लिए लागू अन्य मानक शर्तों के अनुसार हैं।

(ग) एक व्यक्ति अर्थात श्री विनोद कुमार सिंह जो भारतीय तेल निगम के एक एजेंट हैं, के अनुरोध पर तथा इस क्षेत्र में ऐसे प्लाटों के लिए निर्धारित मानक दरों के आधार पर यह भूमि लाइसेंस पर दी गयी थी।

(घ) उक्त भूमि लाइसेंस पर इसलिए दी गयी थी कि निकट भविष्य में बड़ी लाइन आमान परिवर्तन के लिए इसकी जरूरत नहीं थी।

आल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन, गंगपुर से ज्ञापन

7379. **श्री रेणुपद दास** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय को गंगपुर नगर (पश्चिम रेलवे) के अधिकारियों द्वारा कथित भ्रष्टाचार और सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के बारे में आल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन, गंगपुर नगर से दिनांक 15 जनवरी, 1984 का कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने शिकायतों की निष्पक्ष जांच कराने के लिए कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसकी किस प्रकार की जांच के आदेश दिए गये हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) शिकायत में निर्दिष्ट आरोपों की रेलवे सतर्कता द्वारा जांच करने के आदेश दिये गये हैं।

हुगली में पर्याप्त पानी सप्लाई छोड़ कर हुगली नदी की नौगम्यता में सुधार करना

7380. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कम जल वाली चालू अवधि के दौरान अधिक पानी छोड़कर हुगली नदी की नौगम्यता में सुधार के लिए क्या उपाय किए गए हैं क्योंकि इस समय अधिक डुबाव (ड्राफ्ट) वाले जहाज हुगली नदी से नहीं गुजर पाते हैं जिसके परिणामस्वरूप तेल तथा अन्य सामान से लदे जहाजों को दूसरे पत्तनों को भेजना पड़ता है;

(ख) क्या इस समस्या का कोई स्थाई हल ढूंढ़ा गया है; और

(ग) यदि हां, तो हुगली नदी में पर्याप्त जल-प्रवाह को बढ़ाकर कलकत्ता पत्तन को सुचारू रूप से काम करना सुनिश्चित करने में कितना समय लगेगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) भारत सरकार और बंगलादेश सरकार द्वारा किये गए करार के तहत फरक्का में उपलब्ध गंगा के पानी के बंटवारे को विनियमित किया जाना है। भारत सरकार और बंगलादेश सरकार द्वारा इस करार की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। भारत और बांगला देश दोनों ने ही ड्राईवेसीन फ्लोज में सुधार लाने की आवश्यकता पर जोर दिया है और मार्च 1978 में अपने-अपने स्कीम की अदला-बदली की है। भारत बांगला देश के बीच आपसी तालमेल सम्बन्धी ज्ञापन के अनुसरण में इन सरकारों ने इन्डो—बंगलादेश संयुक्त नदी आयोग को महत्वपूर्ण हल के निर्णय संबंधी दो स्कीमों के प्री-फिजिबिलिटी अध्ययन को पूरा करने का निदेश दिया है।

(ख) और (ग) भारत सरकार फरक्का में लम्बी अवधि के उपाय के रूप में गंगा के पानी की धारा में सुधार के लिए उचित स्कीम के माध्यम से प्रयत्न किया जा रहा है जिसकी अदला-बदली बांगला देश सरकार के साथ की गई थी।

सरकार ने 40.50 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से हुगली नदी में नौचाल चैनल में सुधार के लिए एक विस्तृत स्कीम की संस्वीकृति वर्ष 1982 में दी गई थी। इस स्कीम का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

संयुक्त राष्ट्र निकायों में चुने गए भारतीय व्यक्ति

7381. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न निकायों (संगठन) में चुने गये भारतीय व्यक्तियों की संख्या तथा नाम संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : पिछले तीन वर्षों में संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न निकायों में 9 भारतीय चुने गए थे। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र० सं०	नाम	संगठन	समय
1.	श्री टी० एन० लाल	'यूनेस्को', कार्यकारी बोर्ड	1981—1985
2.	श्री एस० ए० मसूद	भेदभाव निरोधक और अल्प-संख्यकों की सुरक्षा से संबंधित उप-आयोग	1981—1983
3.	डा० नगेन्द्र सिंह	अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय	1982 - 1991
4.	डा० एस० पी० जगोटा	अन्तर्राष्ट्रीय न्याय आयोग	1982—1986
5.	डा० एम० एस० स्वामीनाथन	खाद्य एवं कृषि संगठन परिषद् के स्वाधीन अध्यक्ष	दिसम्बर 1981-नवम्बर 1983 और नवम्बर 1983 से नवम्बर 1985 तक के लिए पुनर्निर्वाचित
6.	श्री ब्रिजेश मिश्र	नामीबिया के लिए संयुक्त राष्ट्र आयुक्त	1983-1984
7.	श्री एस० के० दास	विश्व मौसम विज्ञान संगठन की कार्यकारी परिषद	1983—1986
8.	श्रीमती शांति सादिक अली	जातीय भेदभाव निवारण सम्बन्धी समिति	1984—1987
9.	श्री एम० सी० भंडारे	भेदभाव निरोधक और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से संबंधित उप-आयोग	1984 1986

बिना मरम्मत पड़े बैगन

7382. **श्री एन० ई० होरो** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिना मरम्मत पड़े बैगनों की संख्या कितनी है;

(ख) जनवरी, 1984 से रूग्ण वैगनों की सूची में कितने वैगन जोड़े गये हैं;

(ग) रूग्ण वैगनों की संख्या में हो रही वृद्धि के क्या कारण हैं और मरम्मत के लिए कितने वैगन जमा हो गये हैं; और

(घ) उसके परिणामस्वरूप रेलवे को जनवरी, 1984 से भाड़े में कितनी धनराशि का घाटा हुआ है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) माल डिब्बों की जांच और मरम्मत एक सतत् प्रक्रिया है जिसके दौरान यदि कोई माल डिब्बे चलने योग्य नहीं होते और यार्डों में मरम्मत योग्य नहीं होते तो ऐसे माल डिब्बों को मरम्मत लाइनों अथवा कारखानों में रखने और मरम्मत के लिये भेज दिया जाता है। इस प्रकार, खराब मालडिब्बों का कोई बकाया कार्य तो नहीं पड़ा है लेकिन थोड़े-बहुत माल-डिब्बे मरम्मत में या मरम्मत की प्रतीक्षा में रहते ही हैं। जनवरी, 1982 में ऐसे 31,639 निष्क्रिय माल डिब्बे (चौपहिया यूनिटों में) थे जो ब०ला० और मी०ला० के बेड़े के 6.54 प्रतिशत के बराबर थे और दिसम्बर, 1983 में ऐसे 31,651 निष्क्रिय माल डिब्बे (चौपहिया यूनिटों में) थे जो ब०ला० और मी०ला० के बेड़े के 6.52 प्रतिशत के बराबर थे यह कमी-वेशी मामूली सी है।

(घ) उपर्युक्त को देखते हुए घाटा होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

इण्डियन रेलवे कन्स्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड द्वारा विदेशी रेल परियोजनाओं का निर्माण

7383. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन रेलवे कन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड द्वारा विदेशों में निर्मित की गई और की जा रही रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है, उनकी कुल लागत पृथक-पृथक कितनी है;

(ख) ऐसे काम के लिये विदेशों में नियुक्त किये गये रेल कर्मचारियों की श्रेणी-वार संख्या कितनी है; और

(ग) वर्ष 1980 से वर्ष-वार विदेशों में नियुक्त अनुसूचित जातियों की श्रेणी-वार जन-जातियों के कर्मचारियों की संख्या और प्रतिशतता क्या है; और

(घ) उन ठेकेदारों के नाम क्या हैं जिन्हें परियोजना-वार 34 ठेके दिये गये हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क)	परियोजना का नाम	लागत (लाख रु० में)
(1)	नाइजीरियन रेलवे कार्पोरेशन के लिए 55 अदद मशीन चालित लिफ्टिंग बैरियर तथा फालतू पुर्जों की सप्लाई, संस्थापना और चालू करना। (यह परियोजना पूरी हो गयी है)	50
(2)	ईराक सरकार के लिए 35,000 अदद पूर्व प्रबलित कंक्रीट के स्लीपरों का निर्माण और सप्लाई। (यह कार्य पूरा हो गया है)	300
(3)	ईराक में मुसायब-करबला-समावा रेल परियोजना के खण्ड 3 और 4 का निर्माण। (काम चालू है)	32000
(4)	ईराक में समावा रेल परियोजना के खण्ड 3 और 4 के लिए सिगनल एवं दूर संचार विद्युत जल सप्लाई तथा बाह्य विद्युत कार्य। (कार्य चल रहा है)	2250
(5)	अल्जीरिया के सैदा नगर (23 कि०मी०) में स्थित सीमेंट संयंत्र के लिए रेल सुविधाओं की व्यवस्था। (काम चालू है)	3500
(6)	अल्जीरिया के वेनीसाफ (22 कि० मी०) में स्थित सीमेंट संयंत्र के सेवार्थ मानक रेल लाइन का निर्माण। (कार्य चल रहा है)	8000
(7)	सऊदी अरब के दम्माम नगर में मुख्य अनुरक्षण कारखाने के विस्तृत ब्यौरेवार अभिकल्प एवं निर्माण कार्य। (कार्य चल रहा है)	2000

(ख) विदेशों में तैनात रेल कर्मचारियों की कोटिवार संख्या

कोटि		
ग्रुप 'क'	...	37
ग्रुप 'ख'	...	7
ग्रुप 'ग'	...	283
ग्रुप 'घ'	...	225
	जोड़	552

(ग) 1980 से अब तक विदेशों में तैनात किये गये अनु०जा०/अनु०ज०जा० के कर्मचारियों की वर्षवार संख्या और प्रतिशत ।

वर्ष	विदेशों में चल रही परियोजनाओं में तैनात किये गये अनु०जा०/अनु०ज०जा० के कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
1980	कोई नहीं	कोई नहीं
1981	2	1·28%
1982	31	6·11%
1983	42	7·02%
1984	45	7·35%

(घ) उन ठेकेदारों के परियोजनावार नाम जिन्हें उप-ठेके दिये गये हैं :—

क्र०सं०	परियोजना का नाम	उप ठेकेदार का नाम
1	2	3
1.	ईराक	सिविल कार्य (क) मैसर्स भागीरथ इंजीनियरिंग लि० (ख) मैसर्स हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कं० लि० (ग) मैसर्स अरविन्द कंस्ट्रक्शन कं० लि०

1	2	3
		(घ) मैसर्स चहल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कं० लि०
		(ङ) मैसर्स वोल्टास इन्टरनेशनल लि०
		(च) मैसर्स आंटिया इलेक्ट्रीकल्स लि०
		(छ) मैसर्स ह्यूम पाइप कं० लि०
		सिगनल एवं दूर संचार कार्य
		(ज) मैसर्स अरविंद कंस्ट्रक्शन कं० प्रा० लि०
		(झ) मैसर्स इलेक्ट्रिक टेक्नो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बर्लिन, जर्मनी
2.	सऊदी अरब	(क) मैसर्स स्टर्लिंग इंजीनियरिंग कन्सलटेंसी सर्विसेज प्रा० लि० ।
		(ख) सी०पी०डब्ल्यू०डी० कन्सलटेंसी सर्विसेज
		(ग) मैसर्स इण्डस्ट्रियल एजेंसीज कार्पोरेशन इण्डिया प्रा० लि०
		(घ) मैसर्स टेक्नीकल बिल्डिंग कं०
		(ङ) कनफोर्स सऊदी अरब
		(च) मैसर्स प्रेस मैटल कार्पोरेशन लि०
		(छ) मैसर्स ईस्टर्न ट्रेडिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन एस्टेब्लिशमेंट ।

इंडियन स्कूल आफ माइन्स में श्रमिक सम्बन्धों में गिरावट

7384. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :** क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन स्कूल आफ माइन्स में श्रमिक संबंधों में गिरावट आई है ;

(ख) क्या सरकार को इण्डियन स्कूल आफ माइन्स इम्पलाइज एसोसिएशन की ओर से ज्ञापन/संकल्प आदि मिला है ;

(ग) यदि हां, तो उसकी मांगे क्या हैं ;

(घ) बातचीत के माध्यम से उनकी मांगों को न निपटाए जाने के क्या कारण हैं ;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इण्डियन स्कूल आफ माइन्स के कितने कर्मचारियों को बर्खास्त, निलम्बित/सेवा से हटाया गया है ; और

(च) इनमें से कितने कर्मचारी एसोसिएशन पदाधिकारी/सक्रिय कार्यकर्ता थे ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (घ) भारतीय खनन स्कूल के प्राधिकारियों को, कर्मचारियों के निलम्बन/उन्हें बर्खास्त किये जाने को रद्द करने तथा कर्मचारियों की सेवा शर्तों और कल्याण के उपायों से संबंधित अन्य शिकायतों के संबंध में भारतीय खनन स्कूल कर्मचारी संघ से एक मांग पत्र प्राप्त हुआ था। उसकी एक प्रति सरकार को भी प्राप्त हुई है। जांच करने पर स्कूल ने मंत्रालय को यह सूचित किया है कि भारतीय खनन स्कूल कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों, भारतीय खनन स्कूल प्रबंध तथा स्थानीय जिला प्रशासन के बीच 12 तथा 13 जून, 1983 को हुई संयुक्त बैठक में इन मांगों पर विचार किया गया था और इन्हें पारित किया गया।

(ङ) भारतीय खनन स्कूल प्रबंध से यह पता चला है कि व्यापक दुर्व्यवहार की जांच होने तक जून, 1983 से छः व्यक्तियों को निलम्बित किया गया था। इनमें से दो निलम्बन दुर्व्यवहार में शामिल न होने के कारण रद्द कर दिए गए थे। एक अस्थायी कर्मचारी को, विधिवत जांच पूरी होने के बाद हाल ही में बर्खास्त किया गया था। इसके अतिरिक्त कर्त्तव्यों की व्यापक रूप से अवहेलना करने के लिए अस्थायी कर्मचारियों की सेवा समाप्त किए जाने के पहले दो मामले हैं।

(च) निलम्बित किए गए कर्मचारियों में से पांच संघ के पदाधिकारी/सक्रिय रूप से भाग लेने वाले थे।

इण्डियन रेलवे पैसेंजर्स कानफ्रेंस एसोसिएशन बम्बई से ज्ञापन

7385. **श्री आनन्द पाठक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको इंडियन रेलवे पैसेंजर्स एसोसिएशन बम्बई के अध्ययन से दिनांक 20 फरवरी, 1984 को कोई ज्ञापन मिला है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त ज्ञापन की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) ऐसा प्रतीत होता है कि इस मंत्रालय में 20.2.84 का ऐसा कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली में पिछले तीन वर्षों के दौरान छात्रों द्वारा जलायी गयी और क्षतिग्रस्त की गयी बसों की संख्या

7386. **श्री के० मालन्ना :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में पिछले तीन वर्षों के दौरान छात्रों द्वारा दिल्ली परिवहन निगम की कितनी बसों को नुकसान पहुंचाया गया अथवा जलाया गया और इसके परिणामस्वरूप दिल्ली परिवहन निगम को वर्ष-वार कितना घाटा उठाना पड़ा ; और

(ख) इस प्रकार की घटनाओं को रोकने अथवा इनको कम करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं अथवा करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :—

वर्ष	बसों की संख्या			क्षति की अनुमानित लागत
	जलाई गई	क्षतिग्रस्त	कुल	
1981	—	96	96	78,147.00 रुपए
1982	2	428	430	206,653.00 रुपए
1983	8	420	428	924,607.00 रुपए

(ख) कानून और व्यवस्था बनाने वाले प्राधिकारियों से निकट समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक उपचारी उपाय किए जा रहे हैं ।

कलकत्ता की फारवर्ड सीमैन एसोसिएशन की धमकी के कारण कलकत्ता और पोर्ट ब्लेयर के बीच नौवहन सेवा का अस्त व्यस्त होना

7387. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता की फारवर्ड सीमैन एसोसिएशन द्वारा धमकी के कारण कलकत्ता से अण्डमान जाने वाले जहाज रुके पड़े हैं और कलकत्ता से नौवहन सेवा अस्त व्यस्त होने के कारण

कलकत्ता से पोर्ट ब्लेयर जाने वाले और पोर्ट ब्लेयर से कलकत्ता आने वाले यात्रियों को भारी कठिनाई हुई है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार कलकत्ता और पोर्ट ब्लेयर के बीच नौवहन सेवा बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाने का है ;

(ग) कलकत्ता की फारवर्ड सीमैन एसोसिएशन द्वारा नौवहन अस्त व्यस्त किए जाने के कारण आवश्यक वस्तुओं, खाद्यान्न आदि की सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हुई है और अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के केन्द्र शासित प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं का अत्यधिक अभाव है ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मद्रास और विशाखापत्तनम से विशेष प्रयास करके सप्लाई की स्थिति को सुधारने का है ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार कलकत्ता की फारवर्ड सीमैन एसोसिएशन द्वारा दी गई धमकी का मुकाबला करने के लिए पोर्ट ब्लेयर और विशाखापत्तनम के बीच नियमित नौवहन सेवा शुरू कराने का है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) फोरवर्ड सीमेन युनियन आफ इंडिया द्वारा दी गई धमकी के कारण कलकत्ता से अंडमान जाने वाले कुछ जहाज रुके पड़े थे जिसके परिणामस्वरूप यात्रियों को असुविधा हुई है ।

(ख) अंडमान प्रशासन, स्थानीय हिंटरलैंड सीमैन यूनियन के सहयोग से कलकत्ता और पोर्ट ब्लेयर के बीच नौवहन सेवा को पुनः आरंभ करने के लिए प्रयास कर रहा है । अंडमान सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को भी इस मामले में हस्तक्षेप करने को कहा है ।

(ग) चावल, गेहूं और चीनी की सप्लाई स्थिति संतोषजनक है लेकिन खाद्य तेलों, साबुन, दुग्ध आहार, नमक, दालों और जल्द खराब होने वाली वस्तुओं के स्टॉक में गिरावट आई है ।

(घ) इन वस्तुओं को दक्षिण भारत स्थित पत्तनों से लाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

(ङ) पोर्ट ब्लेयर और विशाखापत्तनम के बीच नौवहन सेवा आवश्यकता पड़ने पर शुरू की जाएगी ।

रेल गाड़ियों की छतों पर यात्रा करने से रोकना

7388. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 51 अप सियालदह एक्सप्रेस, 49 अप अमृतसर एक्सप्रेस और 9 अप देहरादून एक्सप्रेस गाड़ियों में छतों के ऊपर बड़ी संख्या में लोग यात्रा करते हैं ;

(ख) यदि हां, तो रेलवे द्वारा इन गाड़ियों की छतों के ऊपर इस प्रकार जोखिम भरी यात्रा को रोकने के लिए क्या कठोर कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) रेल प्रशासन को पता चला है कि कभी-कभी यात्री गाड़ियों की छतों पर यात्रा करने के लिए मजबूर होते हैं विशेष रूप से उन अवसरों पर जब त्यौहारों, मेलों आदि के कारण असाधारण भीड़-भाड़ होती है ।

(ख) भारतीय रेल अधिनियम, 1890 की धारा 118 (2) के अन्तर्गत गाड़ियों की छतों पर यात्रा करना दण्डनीय अपराध है । गाड़ियों की छतों पर यात्रा की रोकथाम और इसे निरूत्साहित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जाते हैं :—

(1) स्टेशन के परिसरों में सूचनाएं और पोस्टर प्रदर्शित किये जाते हैं और महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर जन-उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से उद्घोषणाएं की जाती हैं जिनमें छत पर यात्रा करने के खतरों के बारे में बताया जाता है ।

(2) टिकट जांच कर्मचारियों को अनुदेश दिये जाते हैं कि वे यात्रियों को छतों पर यात्रा करने से रोके और गाड़ियों के छूटने से पहले उन्हें नीचे उतार दें ।

(3) गाड़ी की छतों पर यात्रा को रोकने के लिए रेल सुरक्षा बल/राजकीय रेलवे पुलिस की सहायता से छापे मारे जाते हैं और जांच की जाती हैं तथा अपराधियों के विरुद्ध मुकद्दमें चलाये जाते हैं ।

पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय नौवहन निगम को हुआ लाभ/हानि

7389. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय नौवहन निगम को पिछले तीन वर्षों के दौरान करों का भुगतान करने के पूर्व तथा भुगतान करने के पश्चात कितना लाभ अथवा हानि हुई ;

(ख) क्या यह सच है कि विदेशी नौवहन लाइनों को लाभ होता रहा है ;

(ग) यदि हां, तो भारतीय नौवहन निगम का कार्य-निष्पादन अच्छा न होने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या इसके लाभ को बढ़ाने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के सक्रिय विचाराधीन है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क)

(करोड़ रुपयों में)

	1980-81	1981-82	1982-83
कर पूर्व लाभ	19.66	6.12	23.39 (हानि)
कर पश्चात लाभ	18 36	4.74	24.44 (हानि)

(ख) जी नहीं। भारत और विदेशों में अधिकांश नौवहन कम्पनियों को हानि हो रही है। इसका कारण विश्व व्यापी मंदी का होना और जहाज फालतू रहने के कारण भाड़े की दरों का अत्यंत गिर जाना है।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

(घ) भारतीय नौवहन निगम ने, व्यय को नियंत्रित करने के लिए अनेक उपाय किये हैं। ये उपाय हैं: ईंधन तेल के प्राप्त करने के लिए योजना बनाना और नियंत्रण रखना, कम खर्च के निचले ग्रेड के तेल के प्रयोग के लिए मुख्य इंजिन में संशोधन करना तेल की खपत को कम करने के लिए जहाजों की गति को अभीष्ट स्तर तक कम करना हल की डिजाईनों के लिए नये तरीके, सेल्फ पोलिशिंग कापोलीयर पेंटस का प्रयोग करना, नए निर्माणों में ईंधन की कम खपत के साथ, लांग स्ट्रोक मेन इंजिनों की व्यवस्था करना, मरम्मत कार्यों को कारगर बनाना, ओवर टाइम और प्रशासनिक व्यय में कटौती करना। अलाभकारी पुराने जहाजों को बेचने/निकालने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं।

गैर सरकारी अस्पतालों में अपराधिक अथवा कानूनी मामलों से सम्बन्धित रोगियों को प्रवेश

7390. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी के गैर-सरकारी अस्पताल अपराधिक अथवा कानूनी मामलों के संबंधित रोगियों को, भले ही वह कितने गम्भीर रूप से रूग्ण हो, प्रवेश नहीं देते हैं ;

(ख) क्या हाल ही में गैर-सरकारी अस्पताल द्वारा इस प्रकार के रोगियों को प्रवेश दिए जाने से इंकार किए जाने और केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों द्वारा उचित ध्यान न दिए जाने के कारण कुछ मौतें हुई हैं ;

(ग) क्या राजधानी में गैर-सरकारी अस्पतालों द्वारा इस प्रकार की उदासीनता आम बात है और यदि हां, तो गम्भीर मामलों को टालने के बजाय, जिसके कारण रोगी की रास्ते में

ही मृत्यु हो जाती है, उन्हें स्वीकार करने अथवा उन्हें प्रवेश देने तथा पुलिस को निर्धारित कानूनी कार्यवाही पूरी करने के लिए बुलाने में उनके समक्ष क्या कठिनाइयां हैं ; और

(घ) क्या सरकार गृह मंत्रालय और दिल्ली प्रशासन से परामर्श करके इस प्रकार के मामलों में सहानुभूति का रवैया अपनाने के लिए विशेषकर जबकि शहर बहुत लम्बा चौड़ा है, आदेश जारी करने की वांछनीयता पर विचार करेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) सामान्यता दिल्ली के गैर-सरकारी अस्पताल अपराधिक अथवा कानूनी मामलों से संबंधित रोगियों को प्रवेश नहीं देते हैं ।

(ख) ऐसे किसी मामले की सूचना नहीं मिली है ।

(ग) लम्बे समय तक चलने वाली अदालती कार्यवाहियों से बचने के लिए गैर-सरकारी अस्पताल आमतौर पर मेडिको-लीगल मामलों को दाखिल करने से बचते हैं ।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

गार्ड और सहायक गार्ड

7391. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय रेलों में प्रत्येक ग्रेड में कुल कितने गार्ड और सहायक गार्ड हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : सूचना नीचे दी गयी है :—

गार्ड "ए" स्पेशल (वेतनमान	425—640 रु०)	1602
गार्ड "ए" (वेतनमान	425—600 रु०)	4767
गार्ड "बी" (वेतनमान	330—560 रु०)	5146
गार्ड "सी" (वेतनमान	330 530 रु०)	7751
सहायक गार्ड (वेतनमान	225—308 रु०)	2310

कम्प्यूटर प्रयोग (एपलीकेशन) के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए चुने गए विश्वविद्यालय

*7392. **श्री निहाल सिंह :** क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कम्प्यूटर प्रयोग (एपलीकेशन) स्नातकोत्तर पाठयक्रम आरम्भ करने के लिए चुना गया है ;

(ख) किन विश्वविद्यालयों में यह पाठ्यक्रम आरम्भ किया गया है ; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह पाठ्यक्रम सभी विश्वविद्यालयों में आरम्भ किया जाए, सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल): (क) निम्नलिखित विश्वविद्यालयों को कम्प्यूटर प्रयोग (एपलीकेशन) में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आरम्भ करने के लिए चुना गया है

1. जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय
2. पूना विश्वविद्यालय
3. दिल्ली विश्वविद्यालय
4. एम० एस० विश्वविद्यालय, बड़ौदा ।
5. हैदराबाद विश्वविद्यालय ।
6. मद्रास विश्वविद्यालय
7. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय
8. अन्ना विश्वविद्यालय, मद्रास

(ख) दिल्ली, अलीगढ़, पूना और हैदराबाद विश्वविद्यालयों ने कार्यक्रम आरम्भ कर दिया है ।

(ग) विद्यमान कम्प्यूटर पद्धति के बदलने के बाद जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय और मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम आरम्भ करने की सम्भावना है । एम० एस० विश्वविद्यालय और अन्ना विश्वविद्यालय को कार्यक्रम आरम्भ करने के लिए अपनी-अपनी राज्य सरकार से अनुमोदन/अनुमति लेनी पड़ेगी । उन्हें शीघ्र अनुमोदन प्राप्त करने के लिए सलाह दी गई है ।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, देहरादून की रसायनशास्त्र शाखा द्वारा अधिकारियों को "रोम सेन्टर" भेजना

7393. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती**
श्री टी० एस० नेगी } : क्या **शिक्षा और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रसायनशास्त्र शाखा ने बहुत से अधिकारियों को भित्तिचित्रों संबंधी प्रशिक्षण के लिए रोम सेन्टर भेजा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रशिक्षित अधिकारियों को प्रशिक्षण से लौटने के पश्चात चित्रों के संरक्षण का कार्य नहीं सौंपा गया है ;

(ग) इन अधिकारियों के रोम में प्रशिक्षण पर कितना धन व्यय किया गया ; और

(घ) क्या सरकार उनके प्रशिक्षण का उचित लाभ उठाने के लिए कदम उठा रही है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (घ) जी हां । भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भित्तिचित्र विज्ञान में प्रशिक्षण के लिए "रोम सेन्टर" में सात अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया है । इस पर 32,558/- रु० खर्च हुए थे । सभी अधिकारियों को, जिन्हें प्रशिक्षण हेतु प्रतिनियुक्त किया गया था, लौटने पर संस्मारकों और रंगचित्रों के रसायनिक परिरक्षण का कार्य दिया गया है ।

कुशालगढ़ और बांसवाड़ा डिवीजनों में आरक्षण सुविधाएं

7394. **श्री भीखा भाई** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिवासी क्षेत्रों में स्थित कुशालगढ़ और बांसवाड़ा सैलाना उप डिवीजन में स्टेशनों पर दिल्ली और बम्बई के बीच चलने वाली विभिन्न गाड़ियों में यात्रियों को रेल आरक्षण नहीं मिलता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कुशालगढ़ और बांसवाड़ा उप डिवीजन से गुजरने वाली ऐसी प्रत्येक गाड़ी में आरक्षित स्थानों की संख्या बढ़ाने का है ;

(ग) क्या यह सच है कि आदिवासी चाहते हैं कि लोग थींडला रोड और मेघनगर से आरक्षित स्थानों की प्रतिशतता बढ़ाई जाये ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (घ) बांसवाड़ा सैलाना और खुशालगढ़ क्षेत्र रतलाम, दाहोद, मेघनगर और थांडला रोड रेलवे स्टेशनों द्वारा सेवित हैं। विभिन्न दर्जों में रतलाम के लिए 16 गाड़ियों में, दाहोद के लिए 12 गाड़ियों में और मेघनगर स्टेशन के लिए 4 गाड़ियों में कोटे की व्यवस्था की गयी है। उपरोक्त कोटे का उपयोग 50-90 प्रतिशत के बीच किया जाता है। इस प्रकार ये कोटे वर्तमान स्तर की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझे जाते हैं। जहां तक थांडला रोड रेलवे स्टेशन का संबंध है, इस स्टेशन पर इस समय मामूली सा यातायात होता है। बहरहाल, परीक्षण के तौर पर 15.5.1984 से इस स्टेशन के लिए 19 और 20 देहरादून एक्सप्रेस गाड़ियों में दूसरे दर्जे की एक-एक शायिका का कोटा आवंटित करने का विनिश्चय किया गया है।

खतरे की जंजीर खींचे जाने के कारण किन-किन क्षेत्रों व स्टेशनों पर झेलम एक्सप्रेस की समयबद्धता प्रभावित होती है

7395. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू तवी और पुणे के बीच चलने वाली झेलम एक्सप्रेस के समय पर न चलने का एक मुख्य कारण खतरे की जंजीर का बार-बार खींचा जाना है ; और

(ख) यदि हां, तो इस क्रिया से किन-किन क्षेत्रों/स्टेशनों पर यह गाड़ी बहुधा प्रभावित होती है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां, यही एक बड़ा कारण है।

(ख) इटारसी-नयी दिल्ली खंड पर खतरे की जंजीर खींचे जाने की अधिक घटनाएं होती हैं।

सड़कों के विकास के लिये आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों के लिये नियत धनराशि

7396. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :.

(क) क्या उनके मंत्रालय ने छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सड़कों के विकास के लिए आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों के लिए धनराशि नियत की है ;

(ख) यदि हां, तो सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए वर्ष 1980-81, 1981-82, 1982-83, 1983-84 में राज्य-वार कितनी धनराशि दी गई है ; और

(ग) गृह मंत्रालय द्वारा सिफारिश की गई सड़कों के नाम क्या हैं ; उनकी लागत अनुमानत: राज्य-वार कितनी है और उनके मंत्रालय ने वर्ष 1983-84 के दौरान किन-किन सड़कों को स्वीकृति दी है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) नौवहन और परिवहन मंत्रालय के पास आदिवासी उपयोजना जैसी कोई योजना अलग से नहीं है । तथापि, राष्ट्रीय राजमार्गों और अन्य केन्द्रीय क्षेत्र सड़क के कुछ खण्डें आदिवासी क्षेत्रों से होकर गुजरते हैं और केन्द्रीय क्षेत्र सड़क कार्यक्रम के भाग के रूप में उपलब्ध धन में से इस प्रकार के काम के लिए धन की व्यवस्था की जा रही है । गृह मंत्रालय की सिफारिश के अनुसार आदिवासी क्षेत्रों में सड़कों के विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र सड़क स्कीम के भाग के रूप में राज्यों को सहायता अनुदान की व्यवस्था भी की जाती है । 828.86 लाख रुपये की अनुमानित लागत से इस प्रकार के ग्यारह कार्यों को अनुमोदित किया गया है जिसका विवरण संलग्न विवरण में दिया गया है । वर्ष 1983-84 के दौरान 50 लाख रुपये की धनराशि रिलीज की गई थी और वर्ष 1984-85 में 350 लाख रुपये की धनराशि के रिलीज किये जाने की संभावना है ।

विवरण

क्रम सं०	कार्य का नाम और राज्य	अनुमोदित लागत रु० लाख में
1	2	3
1.	मध्य प्रदेश में आदिवासी क्षेत्र में अचनाकमर-केपोची सड़क का विकास	192.267
2.	मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र में मदवास-कुशुमी सड़क पर 6 पुलों और पहुंच मार्गों का निर्माण	170.04
3.	मध्य प्रदेश मदवास-कुशुमी सड़क का निर्माण	46.346
4.	राजस्थान के बांसवाड़ा जिला में कलिगर-कुशलगढ़ मार्ग पर तारकोल लगाना, आदिवासी क्षेत्र-मेटलिंग में सड़क का निर्माण और तीन पुलों का निर्माण	51.26
5.	हिमाचल प्रदेश के लाहुल स्फीत और चंबा जिले में किन्नौर आदिवासी क्षेत्र में पुलों और सड़कों का निर्माण	92.677
6.	तमिलनाडु के दक्षिणी आरकोट जिला में बिल्ली-मलाई परीगाम सड़क पर तारकोल लगाना	45.00
7.	उड़ीसा के कोरापुट जिला में आदिवासी क्षेत्रों से होते हुए पुलकोन से संसोरापल्ली सड़क का निर्माण	98.00

1	2	3
8.	बिहार के राजनगर-सरायकेला नगर का विकास	43.13
9.	बिहार में खरसावं-दरभंगा सड़क पर पुलों का निर्माण	49.81
10.	बिहार में भंडारियां-रामकंदा सड़क पर पुलों का निर्माण	26.288
11.	बिहार में हुडदा-ओरगा सड़क पर घाट बाजार	14.04
	कुल	828.86

दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना लागू करना

7397. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री**
श्री मनोराम बागड़ी } : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम के कमचारियों पर पेंशन सम्बन्धी लाभ उपलब्ध नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो उन पर पेंशन योजना कब तक लागू हो जाएगी ; और

(ग) यदि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं हैं तो इसमें क्या कठिनाइयां है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग) दिल्ली परिवहन निगम एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और इसके कर्मचारी लोक उद्यम ब्यूरो के मार्गदर्शी सिद्धांत के अनुसार सेवा निवृत्त लाभ पाने के हकदार हैं। अभी दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों को ग्रेच्युटी, अंशदायी भविष्य निधि में जमा राशि और परिवार पेंशन के लिए अंशदान/कटौती की जमा राशि जैसे सेवा निवृत्ति लाभ मिल रहे हैं। दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों के लिए निवर्तन पेंशन स्कीम को अभी लोक उद्यम ब्यूरो के परामर्श से अन्तिम रूप दिया जाना है।

यूनिवर्सिटी कालिज आफ मेडिकल साइंसेज नई दिल्ली के छात्रों का वार्षिक परीक्षा में असफल होना

7398. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या **शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूनिवर्सिटी कालिज आफ मेडिकल साइंसेज, नई दिल्ली के कितने छात्र पिछले वर्ष विषय-वार अपनी वार्षिक परीक्षा में असफल रहे ;

(ख) उन्होंने अनुपूरक परीक्षा कब दी तथा असफल रहने वाले छात्रों में से कितने छात्रों ने परीक्षा पास की ;

(ग) क्या यह सच है कि पिछले वर्ष के परिणामानुसार "ग्याइनिकालैंजि" तथा "आब्स्टेरिक्स" में सोलह छात्र अनुपूरक परीक्षा में आये थे जिनमें से 1984 (मार्च) में हुई अनुपूरक परीक्षा में केवल तीन छात्र ही परीक्षा उत्तीर्ण कर सके ; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार बहुत अच्छे परिणाम/कोचिंग न रहने के क्या कारण हैं तथा विद्यमान स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या उपाय करने का प्रस्ताव है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) (क) से (घ) दिल्ली विश्वविद्यालय से सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर: रख दिया जाएगा ।

नसबन्दी कराने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अग्रिम वेतन वृद्धि

7399. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी यदि वह स्वयं अथवा उनकी पत्नियां परिवार नियोजन आपरेशन करायें तो अग्रिम वेतन वृद्धि के हकदार हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब से प्रभावी माना गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार का जो कर्मचारी अपनी अथवा अपनी पत्नी/पति का नसबंदी आपरेशन करवाता है वह भारत सरकार के 4 दिसम्बर 1979 के कार्यालय ज्ञापन सं० 8 (39) ई-III/79 के अनुसार विशेष वेतन वृद्धि का पात्र है । यह नियम उक्त तारीख से लागू है ।

दिल्ली में समुचित खेल मैदानों से वंचित केन्द्रीय विद्यालय

7400. **श्रीमती सुमति उरांव** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली और नई दिल्ली में अनेक केन्द्रीय विद्यालय पर्याप्त और समुचित खेल मैदानों और छात्रों के लिए/कामन रूप के बिना चल रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार, ऐसे केन्द्रीय विद्यालयों में इस प्रकार की सुविधाओं का पर्याप्त और समुचित ढंग से व्यवस्था करने का है, यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ग) केवल एक केन्द्रीय विद्यालय ऐसा है जिसमें फुटबाल, हाकी आदि जैसे बड़े खेलों के लिए कोई उचित खेल का मैदान नहीं है। इस विद्यालय के छात्रों के लिए इन खेलों को खेलने से संबंधित सुविधाएं पड़ोसी केन्द्रीय विद्यालय में उपलब्ध हैं।

महानगरों से केरल के लिए ग्रीष्म कालीन विशेष गाड़ियां

7401. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के विभिन्न महानगरों से केरल के लिए कुछ विशेष ग्रीष्मकालीन गाड़िया चलाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) चालू गर्मी के मौसम में निम्नलिखित ग्रीष्मकालीन विशेष गाड़ियों की सेवाएं उपलब्ध कराये जाने की योजना है।

निम्नलिखित के बीच ग्रीष्मकालीन साप्ताहिक विशेष गाड़ियां :

(1) तिरूवनन्तपुरम और बम्बई तथा

(2) मंगलूर/कोचीन और निजामुद्दीन, और

सप्ताह में दो दिन ग्रीष्मकालीन विशेष गाड़ियां :

(1) मद्रास और तिरूवनन्तपुरम और

(2) तिरूवनन्तपुरम और बेंगलूर।

केन्द्रीय सचिवालय और नौएडा के बीच रूट नं० 300 पर चलने वाली डी० टी० सी० की बसों की बारम्बारता और उनको समय पर जलाया जाना

7402. **श्री के० लक्प्पा :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सचिवालय से नौएडा और नौएडा से केन्द्रीय सचिवालय के बीच रूट संख्या 300 की बसें कितने समय के अन्तराल पर चलती हैं ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रूट संख्या 300 की अनेक बसों को दूसरे रूटों पर भेज दिया जाता है जिसके कारण जनता को असुविधा होती है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का रूट संख्या 300 की सभी बसों का समय से चलाया जाना सुनिश्चित करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) केन्द्रीय सचिवालय और नौएडा के बीच रूट संख्या 300 पर चलने वाली बसों की फ्रिक्वेंसी 36 मिनटों की है जिसके बीच निम्न प्रकार फ्रिक्वेंसी में कुछ अन्तर रखा गया है :—

प्रस्थान नोएडा	फ्रिक्वेंसी	प्रस्थान केन्द्रीय सचिवालय	फ्रिक्वेंसी
प्रात: 5.30 से दोपहर 12.06	36 मिनट	प्रात: 7.00 से अपराह्न 1.36 तक	36 मिनट
अपराह्न 1.18 से सायं 8.30 तक	36 मिनट	अपराह्न 2.48 से सायं 8.12 तक	
		सायं 8.12 बजे	
		रात्रि 9.00 बजे	
		रात्रि 10.00 बजे	

(ख) और (ग) रूट संख्या 300 पर चलने वाली बसों को किसी अन्य रूट पर नहीं लगाया गया। हालांकि 9 मार्च, 1984 के पहले बसों के चलने की समय सारणी से संबंधित कुछ प्रचालन सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण कुछ ट्रिपों में कटौती की गई थी। बसों की संख्या 5 से बढ़ाकर 6 कर दी गई है। जिससे बसों के चलने के समय में उपयुक्त ढंग से समायोजन कर दिया गया है। इससे इस रूट पर प्रचालन में काफी सुधार हुआ है।

जबरन नसबन्दी के बारे में झूठा प्रचार

7403. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में हुए जनसंख्या संबंधी संसद विज्ञों के सम्मेलन में प्रधान मंत्री ने यह वक्तव्य दिया था कि वर्ष 1975 से 1977 के दौरान यह झूठा प्रचार किया गया था कि जबरन नसबंदी की घटनाऐं हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उनके वक्तव्य का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या बाद में वर्ष 1977 में तत्कालीन सरकार द्वारा की गई जांच में जबरन नसबन्दी की घटनाओं का पता चला था ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) 17 से 20 फरवरी, 1984 को नई दिल्ली में हुए जनसंख्या और विकास के बारे में सांसदों के एशियाई फोरम के पहले सम्मेलन के अवसर पर प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए भाषण की एक प्रति अनुबंध में दी गई है। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी०—8179/84]

(ग) परिवार कल्याण कार्यक्रम मुख्यत: राज्यों और संघशासित क्षेत्रों द्वारा चलाया जाता है। नसबंदी आपरेशनों के बारे में मिली शिकायतें समुचित कार्यवाही के लिए उपयुक्त एजेंसियों को भेज दी गई थी।

पाकिस्तान का प्रमुख सड़कों को कराकोरम राजमार्ग से जोड़ने का प्रयास

7404. **श्री रशीद मसूद** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को पाकिस्तान के सभी प्रमुख सड़कों को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में कराकोरम राज मार्ग जिसे चीन की सहायता से बनाया गया था, से जोड़ने का प्रयास की जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो जहां तक इसके सामरिक महत्व का संबंध है सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) सरकार ने इस आशय की खबरें अखबार में देखी हैं।

(ख) इस मामले में सरकार के विचार सुविदित हैं और पाकिस्तान सरकार के समक्ष इस बारे में विरोध प्रकट करते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि भारत इस बात को चुपचाप स्वीकार नहीं कर सकता कि एक ऐसे प्रदेश में जो कि भारत का एक अभिन्न अंग है कराकोरम राजमार्ग का अथवा उसे जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण करके उससे काम लिया जाए। सरकार ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में न तो पाकिस्तान को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त है और न चीन को और इसलिए अगर ये दोनों देश अकेले-अकेले अथवा संयुक्त रूप से इस क्षेत्र में कोई कार्रवाई करते हैं तो वह पूर्णत: गैर-कानूनी होगी।

प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजे गए आर०एस०डी०ओ० अधिकारी

7405. **श्री दयाराम शाक्य :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विशेष प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजे गए आर०एस०डी०ओ० के अधिकारियों को 3-4 वर्ष के अन्दर ही अन्य स्थानों पर स्थानान्तरित कर दिया गया जबकि सरकार एक अधिकारी के प्रशिक्षण पर लाखों रुपये खर्च करती है;

(ख) वर्ष 1965 के बाद कितने अधिकारी प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजे गए और उनमें से कितने अधिकारी इस समय आर०एस०डी०ओ० के पास हैं; और

(ग) यदि उनमें से एक भी नहीं है तो इसके क्या कारण हैं और इन अधिकारियों के प्रशिक्षण देने से कितना नुकसान हुआ है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) 1965 से प्रशिक्षण पर भेजे गये अधिकारियों की संख्या के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है। यह सूचना केवल 1973 के बाद से उपलब्ध है। 1973 से, अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन से प्रशिक्षण के लिए 38 अधिकारी विदेशों में भेजे गये जिनमें से 3-4 वर्षों की अवधि के भीतर 20 अधिकारी रेलों पर स्थानान्तरित किये गये और अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन में अभी भी 11 अधिकारी काम कर रहे हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्रामीण क्षेत्रों में नए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का खोला जाना

7406. **श्री प्रताप भानु शर्मा :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पांचवीं योजना के दौरान देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता के सम्बन्ध में सर्वेक्षण किया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमदबेन एम० जोशी) : (क) और (ख) योजना आयोग ने सातवीं पंचवर्षीय योजना की कार्य-नीति के सन्दर्भ में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने की प्रणाली के सम्बन्ध में एक कार्य दल नियुक्त किया है जो ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर विचार करेगा। इस कार्य दल की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

कम्पूचिया के बच्चों को उपहारों को भेजने में हुआ विलम्ब

7407. **श्री पी० नामग्याल** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने 1982 के आरम्भ में किसी समय युद्ध पीड़ित कम्पूचिया जनवादी गणतंत्र के बच्चों के लिए अभ्यास पुस्तकें और वर्दियों जैसे एक करोड़ रुपए के उपहार मंजूर किए थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह उपहार अब तक नहीं भेजे गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार वचन दिये गये उपहारों को बिना किसी विलम्ब के भेजने की व्यवस्था करेगी और विलम्ब के कारणों की भी जांच करेगी ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) सरकार ने नवम्बर, 1982 में कम्पूचिया लोग· गणराज्य को एक करोड़ रु० मूल्य की निम्नलिखित वस्तुएं उपहार में देने की स्वीकृति दी थी :—

(1) सूती ड्रिल

(2) सूती पापलीन

(3) मशीन का धागा

(4) सिलाई मशीनें

(5) अभ्यास पुस्तिकाएं

(ख) जी हां।

(ग) एक करोड़ रुपये मूल्य की सामग्री खरीदने में प्रक्रिया सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने की वजह से विलम्ब हुआ। इसके लिए निविदाएं आमंत्रित करनी पड़ी थी और अब

आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय ने क्रयादेश दे दिए हैं। वास्तव में कुछ कपड़े खरीदे जा चुके हैं और भेजे जाने वाले हैं।

उम्मीद है कि कम्पूचिया जाने वाले जहाजों के उपलब्ध होने पर सभी मदें शीघ्र भेज दी आएंगी।

दक्षिण एशिया स्थित भारतीय दूतावासों के प्रमुखों की बैठक

7408. **श्री अमर राय प्रधान**
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी } : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पड़ोसी देशों के साथ सम्बन्धों पर पुनर्विचार करने के लिए हाल में नई दिल्ली में दक्षिण एशिया स्थित भारतीय दूतावासों के प्रमुखों की बैठक बुलाई गयी थी; और

(ख) यदि हां, तो बैठक में क्या निष्कर्ष निकले ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) जी हां।

(ख) ऐसी बैठकें विदेश मंत्रालय द्वारा समय-समय पर किये जाने वाले आंन्तरिक विचार-विमर्श और समीक्षा का एक भाग हैं। 2 से 5 अप्रैल, 1984 तक नई दिल्ली में आयोजित प्रश्नगत बैठक में द्विपक्षीय सम्बन्धों, अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं के संदर्भ में इस क्षेत्र की स्थिति और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग से संबद्ध मामलों पर विचार किया गया।

छठी योजना के दौरान रेल डिब्बा निर्माण कारखानों की स्थापना

7409. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना अवधि के दौरान मूलत: कितने नए रेल डिब्बा निर्माण कारखाने खोले जाने की योजना थी;

(ख) विभिन्न स्थानों में वास्तव में अब तक कितने नए रेल डिब्बा निर्माण कारखाने खोले गए हैं; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) छठी योजना अवधि के दौरान रेलवे क्षेत्र में किसी नये सवारी डिब्बा कारखाने की स्थापना करने की कोई ठोस योजना नहीं थी ।

बहरहाल, सितम्बर, 1982 में योजना आयोग ने रेलवे क्षेत्र में एक नया सवारी डिब्बा कारखाना स्थापित करने की योजना को सिद्धान्त रूप में अनुमोदित किया था। स्थान निर्धारण सर्वेक्षण सहित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का काम रेल इण्डिया टेक्निकल एण्ड इकनामिक सर्विसेज लिमिटेड को सौंपा गया है और परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिये जाने के बाद ही इसके कार्य-क्षेत्र, स्थान निर्धारण आदि के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा।

विश्व शांति के लिए दिल्ली में अखिल भारतीय सम्मेलन

7410. **श्री के० ए० राजन** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व शांति और परमाणु युद्ध के विरुद्ध खतरे और भारत की सुरक्षा के खतरे के बारे में मार्च, 1984 में दिल्ली में अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्मेलन में इस विषय पर "दिल्ली डेकलरेशन" अपनाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) दिल्ली घोषणा का पाठ संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-8180/84]।

नेपाल में सीमेन्ट संयंत्र की स्थापना

7411. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेपाल में उदयपुर में सीमेंट सन्यन्त्र के निर्माण के सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति क्या है तथा उत्पादन आरम्भ होने की अनुमानित तारीख, अधिष्ठापित क्षमता और दोनों देशों के बीच तय हुई शर्तें आदि क्या हैं;

(ख) क्या नेपाल सरकार ने प्रारम्भ में संयन्त्र के शीघ्र और अपेक्षाकृत सस्ते निर्माण

तथा सीमेंट के उत्पादन के हित में जयनगर और उदयपुर के बीच रेल लाइन का निर्माण किये जाने की मांग की थी; और

(ग) यदि हां, तो समस्तीपुर-जय नगर बड़ी लाइन का उदयपुर तक विस्तार करने के लिए क्या प्रयत्न किए गए हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया के सहयोग से नेपाल में उदयपुर के समीप एक संयुक्त सीमेंट परियोजना स्थापित करने के एक प्रस्ताव पर इस समय भारत और नेपाल की सरकारें विचार कर रही हैं। सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया इस परियोजना का सम्भाव्यता अध्ययन कर चुका है जिसके लिए भारत का निर्यात-आयात बैंक भारत से सम्बंध और उपस्कर की सप्लाई के लिए ऋण देने पर विचार करने के लिए सहमत हो गया है। निर्यात-आयात बैंक की प्रक्रियाओं के अन्तर्गत तथा अपेक्षित बैंक के अधिकारियों के एक दल ने मार्च, 1984 में स्थल-अध्ययन कर लिया है ताकि इसकी तकनीकी एवं आर्थिक व्यवहार्यता के लिए परियोजना रिपोर्टों का मूल्यांकन किया जा सके। निर्यात-आयात बैंक ज्यों ही उनकी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी, उसके आधार पर ऋण देने के बारे में अन्तिम निर्णय लेगा। सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया की परियोजना रिपोर्ट ने 1200 टन प्रति दिन की उत्पाद क्षमता का सुझाव दिया है। इस परियोजना पर 106 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है जिसमें कुल मिलाकर 26.50 करोड़ रुपये की इक्विटी होगी जिसमें भारत और नेपाल की भागीदारी क्रमशः 45 प्रतिशत और 55 प्रतिशत से होगी। चूंकि यह परियोजना निर्माण चरण तक अभी तक नहीं पहुंची है इसलिए यह बताना कठिन है कि उत्पादन कब शुरू होगा।

(ख) और (ग) इस परियोजना के आधारिक संरचना सम्बन्धी विकास के हिस्से के रूप में जयनगर से परियोजना स्थल तक एक रेलमार्ग बिछाने पर विचार किया गया था परन्तु चूंकि इसकी लागत बहुत बैठ रही थी इसलिए सड़क मार्ग के निर्माण को ही तरजीह दी गई।

भारत बंगला देश के संयुक्त उद्यम

7412. **श्री के० प्रधानी**
श्री सनत कुमार मंडल } : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और बंगला देश के उद्यमियों ने हाल ही में बंगला देश में रसायनों, कपड़ा और फिल्म-निर्माण उद्योगों के क्षेत्र में संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए ढाका में 5 मिलियन के एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन उद्यमों को स्वीकृति दे दी है;

(ग) प्रस्तावित संयुक्त उद्यमों की मोटी रूपरेखा क्या है, तथा उन पर पूंजी परिव्यय,

तकनीकी जानकारी के निर्यात सामान्य अंश पूंजी उपकरणों, संयत्र और मशीनों और श्रमशक्ति तथा अन्य सम्बद्ध मामलों सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) इसमें सम्मिलित भारतीय औद्योगिक घरानों के नाम क्या हैं; और

(ङ) इस सम्बन्ध में कार्य कब तक आरम्भ हो जाने की संभावना है और ये संयुक्त उद्यम स्थापित करने में कितना समय लग जाएगा ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के वाणिज्य एवं उद्योग मंडलों के निजी क्षेत्र के उद्योगपतियों और व्यापारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने पिछले महीने बंगलादेश की यात्रा की । सरकार ने इस आशय की खबरें देखी हैं कि बंगलादेश में संयुक्त उद्यमों की स्थापना के लिये करारों पर, इस यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किये गये थे ।

(ख) से (ङ) जैसाकि भारतीय कम्पनियों द्वारा विदेशों में प्रस्तावित सभी संयुक्त उद्यमों के मामले में किया जाता है, ये करार भी भारत सरकार के सम्बद्ध मंत्रालयों के अनुमोदन के बाद ही क्रियान्वित किए जाएंगे । भारतीय कम्पनियों द्वारा की गई पेशकशों का विवरण तभी उपलब्ध होगा जब ये कंपनियां सम्बद्ध मंत्रालय में अपना आवेदन प्रस्तुत करेंगी ।

दानापुर डिवीजन के यातायात विभाग में स्थानापन्न व्यक्तियों (सबस्टीच्यूट) की संख्या

7413. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दानापुर डिवीजन के यातायात विभाग के कितने स्थानापन्न व्यक्तियों (सबस्टीच्यूट) को 1960 से 1974 की अवधि के दौरान नियमित और पदोन्नत किया गया था, लेकिन उनकी पिछली पूर्ण सेवा अवधि को हिसाब में नहीं लिया गया था और रिक्त पदों के बावजूद भी इन कामगरों को नियमित न किये जाने के परिणामस्वरूप उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा समयोपरि भत्ते पर कितना खर्च किया गया है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

एलेप्पी में रेलवे बुकिंग कार्यालय खोलना

7414. **श्री बी० के० नायर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें यह पता है कि पूरे केरल (पुराने जिलों में) में एलेप्पी ही केवल ऐसा जिला मुख्यालय शहर है जहां कोई रेलवे बुकिंग कार्यालय नहीं है और हजारों लोगों को अपनी

रेलवे टिकटें बुक करने के लिए वहां से करीब 60 कि०मी० दूर एर्नाकुलम जाना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनका विचार एलेप्पी में एक पूर्ण विकसित रेलवे बुकिंग कार्यालय खोलने का है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) जी हां। अलेप्पी जिला कायनकुलम, तिरुवल्लूर चेंगनचेरी, चेंगन्नूर और एर्णाकुलम में रेल शीर्षों के माध्यम से रेलों द्वारा सेवित है। अलेप्पी में यात्रियों, पार्सल और माल की बुकिंग के लिए एक आउट एजेंसी कार्य कर रही है। यहां तक एक बुकिंग एवं आरक्षण काउंटर है जो प्रतिदिन 09.00 बजे से 17.00 बजे तक कार्य करता है। एलेप्पी आउट एजेंसी को विभिन्न गाड़ियों में आवंटित कोटे की सीमा तक रेल उपयोगकर्ता विभिन्न गाड़ियों में पुष्टिशुदा आरक्षित टिकट भी प्राप्त कर सकते हैं।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय, हैदराबाद में प्रोफेसरों, रीडरों और लेक्चरारों की संख्या

7416. **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विश्वविद्यालय, हैदराबाद के प्रत्येक विभाग में प्रोफेसरों, रीडरों और लेक्चरारों की स्वीकृत संख्या कितनी है;

(ख) प्रत्येक विभाग में कितने रिक्त पद हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन रिक्त पदों में से प्रत्येक को किस तारीख से भरा जायेगा;

(घ) इन रिक्त पदों के पहले न भरे जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इन रिक्त पदों को तत्काल भरने के लिए क्या उपाय किये जाने का विचार है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार विश्वविद्यालय ने वर्ष 1983-84 के लिए अपने बजट प्राक्कलनों में 24 प्रोफेसरों, 45 रीडरों तथा 54 लेक्चरारों के पदों के लिए प्रावधान किया है। इसकी तुलना में, वर्ष 1983-84 के दौरान कार्यरत शिक्षकों की संख्या में 19 प्रोफेसर, 36 रीडर तथा 45 लेक्चरर थे।

(ख) वर्ष 1983-84 के बजट प्रस्तावों के अनुसार पांचवी योजना में अनुमोदित योजनाओं के अनुसार विभाग-वार रिक्त शिक्षण पद संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) विश्वविद्यायय का प्रस्ताव रिक्त पदों को चरणबद्ध ढंग से भरने का है, जो विश्वविद्यालय में शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए भौतिक सुविधाओं की व्यवस्था की प्रगति पर निर्भर करता है ।

विवरण

विभाग का नाम	प्रोफेसर	रीडर	लेक्चरर
गणित और संगणक/सूचना विज्ञान स्कूल	1	4	2
भौतिक स्कूल	3	2	1
रसायन विज्ञान का स्कूल	3	7	—
जीव-विज्ञान स्कूल	—	3	—
दर्शन शास्त्र विभाग	1	1	—
अंग्रेजी विभाग	—	—	2
मानव विज्ञान केन्द्र	1	1	2
क्षेत्रीय अध्ययन केन्द्र	—	2	3
अर्थ-शास्त्र विभाग	2	4	2
समाज-विज्ञान और मानव विज्ञान विभाग	1	—	1
राजनीतिक शास्त्र-विभाग	—	2	1
इतिहास विभाग	1	—	—
अनिर्दिष्ट शिक्षण पद	3	—	—
रिक्त पदों की कुल संख्या	16	26	14

उत्तर प्रदेश में इंजीनियरी कालेज खोलना

7417. श्री हरीश रावत : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में किसी स्थान पर एक इंजीनियरी कालेज खोलने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस आशय का प्रस्ताव कहां से प्राप्त हुआ है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या निकट भविष्य में लखनऊ में एक इंजीनियरी कालेज खोलने का प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो यह कब तक खोला जाएगा ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (घ) लखनऊ में एक इंजीनियरी कालेज की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित कर दिया गया और उसकी मंजूरी राज्य सरकार को दिसम्बर, 1982 में भेज दी गई थी ।

इसके अलावा, उत्तर प्रदेश में एक इंजीनियरी कालेज की स्थापना संबंधी प्रस्ताव अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की उत्तरी क्षेत्रीय समिति के विचाराधीन है ।

न्हावा शेवा पत्तन के लिए विश्व बैंक द्वारा ऋण

7418. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक ने बम्बई के निकट न्हावा शेवा उप-पत्तन के निर्माण के लिए ऋण मंजूर किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) हां । विश्व बैंक बम्बई के निकट न्हावा शेवा परियोजना के वित्त पोषण के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डालर का ऋण देने पर सहमत हो गया है । इस ऋण की अदायगी 20 वर्षों में की जाएगी जिसमें 5 वर्ष की छूट भी शामिल है ।

1981-82 और 1982-83 के दौरान राष्ट्रीय ग्रंथालयों से पुस्तकों की चोरी/गुम होना

7419. **श्री अजय विश्वास** : क्या **शिक्षा और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1981-82 और 1982-83 के दौरान केन्द्रीय सरकार के क्षेत्राधिकार में आने वाले विभिन्न सार्वजनिक और राष्ट्रीय ग्रंथालयों से कितनी पुस्तकें (ग्रंथालयवार) चोरी गई अथवा गुम हुई ;

(ख) इस प्रकार की हानि अथवा चोरी के क्या कारण हैं ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) सरकार को 1981-82 और 1982-83 के दौरान केन्द्रीय सरकार के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत पुस्तकालयों से पुस्तकों के किसी भारी नुकसान या चोरी की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) तथा (ग) पुस्तकालयों में पुस्तकों का छोटा मोटा नुकसान/चोरी एक सामान्य बात है। तथापि, पुस्तकालय प्राधिकारी नुकसान को कम से कम करने के लिए उपयुक्त सुरक्षा प्रबन्ध तथा आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता से अवगत हैं।

भारतीय मूल के लोगों को "पासपोर्ट" जारी करने में दक्षिण अफ्रीकी प्रतिबंध

74.0. **श्री रामविलास पासवान**
श्री सतीश अग्रवाल
श्री सुशील भट्टाचार्य } : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 मार्च, 1984 के "पैट्रिअौट" में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है कि जिसमें कहा गया है कि भारतीय मूल के खिलाड़ियों, वकीलों, चिकित्सकों, अध्यापकों, संवाददाताओं और शोध छात्रों को दक्षिण अफ्रीका से बाहर जाने के लिए पासपोर्ट मन्जूर करने में दक्षिण अफ्रीका के प्राधिकारियों द्वारा इंकार किये जाने के कारण दक्षिण अफ्रीका में बंदियों जैसी कठिन स्थिति का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर भारत की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) सरकार ने मामले को हल करने अथवा दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) 20 मार्च, 1984 के पैट्रियट में प्रकाशित इस समाचार का संबंध भारतीय मूल के दक्षिण-अफ्रीकी राष्ट्रिकों से है। दक्षिण अफ्रीका की अल्पसंख्यक सरकार चूंकि जातीय पृथकतावाद की नीतियों पर चल रही है, इसी वजह से भारत सरकार ने पिछले तीन वर्षों से उस देश के साथ राजनयिक संबंध स्थापित नहीं किए हैं। भारत ने न सिर्फ भारतीय मूल के

लोगों को बल्कि दक्षिण अफ्रीका की अश्वेत बहुसंख्यक जनता के समुचित अधिकार उन्हें दिलाने का प्रश्न भी उठाया है। भारत ने यह मामला संयुक्त राष्ट्र में, राष्ट्र मंडल में और उन विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय स्तर पर उठाया है जिनके साथ भारत के संबंध हैं। संयुक्त राष्ट्र संकल्पों के अनुरूप भारत सरकार ने दक्षिण अफ्रीका की अल्पसंख्यक सरकार के साथ कोई आर्थिक, व्यापारिक, राजनयिक, कौंसली, सांस्कृतिक, शैक्षिक या राजनीतिक संबंध नहीं रखे हैं। भारत सरकार ग्लीनईगल करार का भी समर्थन करती है जिसमें दक्षिण अफ्रीका के साथ क्रीड़ा के क्षेत्र में संबंध रखने का वर्जन किया गया है। भारत सरकार ने दक्षिण अफ्रीकी स्वाधीनता आंदोलनों को उनके अपने-अपने देश में न्याय और समानता पर आधारित समाज स्थापित करने से उनके प्रयास में नैतिक, सामाजीगत और राजनयिक समर्थन प्रदान किया है।

जलारपेट-कोचीन बड़ी लाइन का विद्युतीकरण

7421. **श्री सी० चिन्नास्वामी :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जलारपेट-कोचीन बड़ी लाइन के विद्युतीकरण का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) रेल विद्युतीकरण पर पूंजी निवेश अत्यधिक यातायात के घनत्व वाले खंडों पर प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है ताकि जल्दी और अधिकतम लाभ प्राप्त किये जा सकें। वर्तमान प्राथमिकताओं में महानगरों के बीच के ट्रंक मार्ग तथा उच्च घनत्व वाले ऐसे अन्य मार्ग जिन पर कोयले, अयस्क और अन्य महत्वपूर्ण यातायात की ढुलाई की जाती है अथवा संचलन की निरन्तरता और प्रवाह सुनिश्चित करना होता है, शामिल हैं।

नयी लाइनों के बारे में राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति की सिफारिशें

7422. **श्री हरिहर सोरन :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नयी रेल लाइनों के निर्माण के बारे में राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या जाखपुरा-बांसपाणि रेल लाइन के बारे में भी सिफारिश की गई है ;

(ग) यदि हां, तो उड़ीसा में इस रेल लाइन के निर्माण में तेजी लाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) अप्रैल 1978 में योजना आयोग द्वारा गठित की गयी राष्ट्रीय परिवहन-नीति निर्धारण समिति ने नयी लाइनों के लिए निवेश के मानदण्डों के बारे में निम्नलिखित सिफारिशें की थीं ; जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है :

(1) नयी लाइनें बिछाने के लिए निवेश के मानदण्ड निर्धारित करते समय वित्तीय प्रतिफल और अर्थ-व्यवस्था के लाभ को ध्यान में रखा जाए। मूल्यांकन हेतु एक व्यापक सामाजिक लागत लाभ का मानदण्ड लागू किये जाने की आवश्यकता है। नयी लाइनों का निर्माण निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाना चाहिए :—

(क) परियोजना-उन्मुख लाइनों के रूप में नये उद्योगों की सेवा के लिए या खनिज पदार्थ और अन्य संसाधनों के दोहन के लिए।

(ख) छूटी हुई कड़ियों को जोड़ने के लिए जो मौजूदा भीड़-भाड़ वाले रेल मार्गों पर राहत देने के लिए वैकल्पिक मार्ग का काम दे सकें।

(ग) सामरिक महत्व को ध्यान में रखकर।

(घ) विकल्प संबंधी लाइनों के रूप में ताकि नये विकास केन्द्र स्थापित हो सकें या दूरस्थ क्षेत्रों में पहुंचा जा सके। ऐसे मामलों में सामान्य परियोजनाओं के लिए निर्धारित प्रतिफल से कम दर के प्रतिफल पर ही राजी हो जाना चाहिए, किन्तु जिन नयी रेलवे लाइनों से मूल्यह्रास में अंशदान और परिचालनिक लागत भी पूरी न हो सके उन्हें हाथ में लेना ठीक न होगा।

(ख) से (घ) जखापुरा और बांसपाणी के बीच नयी बड़ी रेल लाइन का निर्माण एक स्वीकृत परियोजना है। इस कार्य के पहले चरण में जखापुरा से दैतारी तक का भाग पूरा हो चुका है और यातायात के लिए खोल दिया गया है। जहां तक दूसरे चरण में दैतारी से क्योंझरगढ़ के बीच रेल लाइन बिछाने का सम्बन्ध है, इसके निर्माण के लिए एक यातायात एवं अन्तिम स्थान

निर्धारण सर्वेक्षण किया जा रहा है। इस परियोजना का कार्य निष्पादन सर्वेक्षण के परिणामों पर निर्भर करेगा, बशर्ते कि, योजना आयोग इसकी स्वीकृति दे दे और संसाधन उपलब्ध हों।

मद्रास मे आधुनिक कंटेनर बंदरगाह की कार्य प्रणाली

7423. **श्री के० राममूर्ति** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास में आधुनिक कंटेनर बंदरगाह की खर्चीली कार्य प्रणाली के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या बंगलौर, कोइम्बतूर और गुंटूर में भूमिगत कंटेनर डिपो का मद्रास के लिए कोई उपयोग नहीं है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) मद्रास में कंटेनर बंदरगाह की कार्य प्रणाली में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) मद्रास कंटेनर टर्मिनल को पूर्णतः 18.12.1983 को चालू किया गया है। इस टर्मिनल की कार्य-क्षमता का मूल्यांकन करना अभी इतनी जल्दी मुश्किल है।

(ख) से (घ) गुंटूर और कोयम्बतूर के अंतर्देशीय कंटेनर डिपुओं को क्रमशः अप्रैल, 1983 और अक्तूबर, 1983 में चालू किया गया था। इससे कुछ ही पहले बंगलौर के अन्तर्देशीय कंटेनर डिपू को चालू किया गया था। वर्ष 1983-84 के दौरान (फरवरी 1984 तक) इन कंटेनरों ने एक साथ 2101 आई० एस० ओ० कंटेनरों को भेजा। इसके विपरीत वर्ष 1981-82 और 1982-83 में क्रमशः केवल 229 और 323 कंटेनर ही मद्रास पत्तन के माध्यम से अन्तर्देशीय डिपू बंगलौर से भेजे गये थे। कंटेनराइजेशन के लाभ के बारे में यूशर को बताने के कारण देश में कंटेनर यातायात में वृद्धि की संभावना है।

जयपुर और टोडा राय सिंह के बीच रेल लाइन पर लकड़ी के स्लीपरों का बदला जाना

7424. **श्री बनवारी लाल बेरवा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयपुर और टोडा राय सिंह के बीच छोटी रेल लाइन है और उस पर गाड़ियां

चलती हैं ;

(ख) इस लाइन का निर्माण कब किया गया था और उस पर कौन-कौन सी गाड़ियां चलती है तथा उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि इस लाइन पर लकड़ी के स्लीपर पुराने पड़ गए हैं और अनुपयोगी हो गए हैं तथा क्या सरकार का विचार उन्हें बदलने का है ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि इन स्लीपरों के पुराने पड़ जाने के कारण इस लाइन पर एक गाड़ी रद्द कर दी गयी है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) जयपुर से सांगानेर तक का खंड 1943 में बनाया गया था और सांगानेर से टोडाराय सिंह तक का खंड 1958 में बनाया गया था। इस समय इस खंड पर एक जोड़ी गाड़ियां अर्थात 253 अप/255 डाउन सवारी/मिश्रित गाड़ियां चल रही हैं।

(ग) यह सही है कि इस लाइन पर लकड़ी के कुछ स्लीपर पुराने हैं, लेकिन ये गाड़ियां चलाने के लिए अभी अनुपयुक्त/बेकार नहीं हुए हैं। चूंकि इस लाइन पर यातायात का घनत्व कम रहता है, इसलिए आवश्यकतानुसार सेवा के अयोग्य स्लीपरों का नैमित्तिक नवीकरण कर दिया जाता है।

(घ) जी नहीं। 254 डाउन/255 अप मिश्रित गाड़ियां कम लोकप्रिय होने के कारण 1.4.1980 से रद्द कर दी गयी थी।

सउरा भाषा में पुस्तकों का प्रकाशन

7426. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा की एक जनजाति स्वयं सेवी संगठन "मातर बनम विज्ञान प्रचार समिति" द्वारा सउरा लिपि में सउरा भाषा में पुस्तकों के प्रकाशन के लिए अब तक कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ;

(ख) अब तक प्रत्येक शीर्षक की कुल कितनी प्रतियां प्रकाशित हुई हैं और कितनी पाण्डुलिपियों को प्रकाशित किया जाना है ;

(ग) पांडुलिपियों के प्रकाशन के लिए वर्षवार कितनी अनुदान राशि मंजूर की गई है और वास्तव में दी गई है ; और

(घ) क्या अनुदानों के उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त हो गए हैं तथा और अनुदान लेने के लिए उनकी समीक्षा की गई है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) मातरवनम विज्ञान प्रचार आश्रम, मरिचिगूड़ा, उड़ीसा को सउरा भाषा में 27 पांडुलिपियों के प्रकाशन हेतु 28,000/- रु० का अनुदान स्वीकृत तथा मुक्त किया गया था ।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) निम्नलिखित अनुदान मुक्त किए गए थे :

1980-81	—	10,000/- रु०
1982-83	—	18,000/- रु०

(घ) मातरवनम विज्ञान प्रचार आश्रम से 28,000/- रु० के कुल अनुदान के उपयोग संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त हुए थे । ये प्रमाण पत्र सही थें । मातरवनम बिज्ञान प्रचार आश्रम से और अनुदान के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है ।

कलकत्ता और अण्डमान के बीच नौवहन सेवा समाप्त किया जाना

7427. **श्री नारायण चौबे :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय नौवहन निगम ने कलकत्ता से अंडमान तक अपनी परिवहन सेवाएं समाप्त करने का फैसला किया है ;

(ख) यदि हां, तो कब से और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या कलकत्ता से आने-जाने वाले यात्रियों की कठिनाइयों को देखते हुए फैसले पर पुनर्विचार किया जायेगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) जी, नहीं । फारवर्ड सीमेन यूनियन आफ इंडिया द्वारा अंडमान के लिए नियत जल-

यानों को रोक लेने के कारण जैसा कि अंडमान और निकोबार प्रशासन ने अनुरोध किया है, भारतीय नौवहन निगम ने कलकत्ता से अंडमान की सेवाएं अस्थायी तौर पर स्थगित कर दी हैं।

(ग) इस बारे में स्थिति की अंडमान और निकोबार प्रशासन की सलाह को ध्यान में रख कर यथासमय समीक्षा की जायेगी।

केन्द्रीय विद्यालय अध्यापक संघ द्वारा आन्दोलन

7428. **श्री बाबू राव परांजपे** : क्या **शिक्षा और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय अध्यापक संघ ने अपनी छः सूत्री मांगों के समर्थन में अपना आन्दोलन पुनः आरम्भ करने का फैसला किया है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी छः सूत्री मांगें क्या हैं ; और

(ग) उनकी मांगों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने सूचित किया है कि उन्हें अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ द्वारा अपना आन्दोलन पुनः आरम्भ करने के किसी निर्णय की जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

बर्मा की भूमि का अन्तरण

7429. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 जनवरी, 1984 के "संडे आब्जर्वर" में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि बर्मा के साथ मणिपुर की सीमा पर तेंगोम्पाल जिले में 6 वर्ग किलोमीटर उपजाऊ भूमि गश्त के लिए बर्मा सरकार को अंतरित अथवा दे दी गई है;

(ग) यदि हां, तो यह भूमि बर्मा को किन आधारों अथवा समझौते अथवा किस कार्य के लिए दी गई है और इसका पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मणिपुर राज्य से इस मामले पर सलाह ली गई थी; और

(ङ) क्या सरकार का ध्यान राष्ट्रीय एकता सम्मेलन के दल की इन टिप्पणियों की ओर दिलाया गया है कि बर्मा के सुरक्षा बल पिलर संख्या 64 से 68 के बीच 250 किलोमीटर क्षेत्र में भारतीयों पर अकारण गोली चलाते हैं और उन्हें लगातार परेशान करते हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) महत्वपूर्ण सीमा सम्बन्धी मामलों पर मणिपुर सरकार के विचारों को ध्यान में रखा जाता है।

(ङ) भारत सरकार को इस प्रकार की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

मत्स्य कम्पनियों द्वारा रियायतों और मत्स्य नौकाओं के लिए ऋण तथा राज-सहायता प्रदान करने हेतु छूट दिये जाने की मांग

7430. **श्रीमती संयोगिता राणे**
कुमारी पुष्पा देवी सिंह } : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मत्स्य कम्पनियों ने सरकार से कुछ रियायतों और मत्स्य नौकाओं के लिए **ऋण** तथा राज-सहायता प्रदान करने हेतु छूट देने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) जी हां। सरकार को कुछ अभिवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें प्रमुख रूप से ऋण इक्विटी अनुपात में छूट, प्रदत्त पूंजी की आवश्यकता, मछली पकड़ने वाले जलयानों के लिए समय पर बीमा की व्यवस्था करना, विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के कारण कम्पनियों को कठिनाई, ऋण अदायगी के लिए पुनः व्यवस्था के लिए अनुरोध आदि बातों की चर्चा की गई है।

(ग) यह निर्णय किया गया है कि वित्तीय मामलों अर्थात ऋण इक्विटी अनुपात, जमानत की व्यवस्था, बीमा आदि, के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जा सकती। तथापि विशेष मामलों में कुछ कम्पनियों को जो स्वदेशी ट्रालर खरीद रही है, प्रत्येक किश्त के शुरू होने के बजाय उसके रिलीज के पहले 6 : 1 के अनुपात में डेट इक्विटी अनुपात के अन्दर ही छूट की व्यवस्था की गई है। उन्हें प्रदत्त पूंजी में धन की कमी के बारे में बैंक गारन्टी प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई है। विदेशी मुद्रा में परिवर्तन मे कमी को पूरा करने के लिए कम्पनियों को अतिरिक्त ऋण की संस्वीकृति दी गई है।

बन्दरगाह और गोदी कर्मचारियों की हड़ताल के कारण हुई हानि

7431. **श्री जार्ज फर्नान्डीज**
श्री बी० वी० देसाई
श्री विरदा राम फुलवारिया } : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रमुख पत्तनों के पत्तन और गोदी कर्मचारी हड़ताल पर हैं;

(ख) यदि हां, तो हड़ताल आरम्भ होने के समय से अब तक पत्तनों को प्रतिदिन कुल कितना नुकसान हुआ है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) प्रमुख पत्तनों के पत्तन और गोदी श्रमिकों की हड़ताल जो 15/16 मार्च, 1984 की मध्यरात्रि से शुरू हुई थी, 10/11 अप्रैल 1984 की मध्यरात्रि से समाप्त हो गयी।

(ख) हालांकि बड़े पत्तनों को हड़ताल के दौरान जो आय नहीं हुई वह प्रतीक्षारत जहाजों के घाट पर लगने और माल चढ़ाने उतारने का काम शुरू होने पर अधिकांश रूप से पूरी हो जाएगी। लेकिन पत्तनों को कुछ अन्य कारणों से हानि हुई है जैसे जहाजों को छोटे पत्तनों की ओर मोड़ना, हड़ताल आदि के कारण देर होने पर बड़े पत्तनों के मार्फत देश के निर्यात और आयात के व्यापार में कमी होने से पत्तनों से माल के यातायात में गिरावट। यह बताना सम्भव नहीं है कि इससे पत्तनों और अर्थव्यवस्था को कुल कितनी हानि हुई है।

विशेष विश्वविद्यालय न्यायालयों की स्थापना

7432. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या **शिक्षा तथा संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विद्यार्थियों और कर्मचारियों द्वारा विश्वविद्यालय के विरुद्ध मुकदमे-बाजी के कार्य को देखने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में यदि कोई निर्णय लिया गया है तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ग) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कार्यकरण से सम्बन्धित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समिति ने अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह सुझाव दिया कि सरकार विशेष न्यायालय अथवा प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित करने की वांछनीयता पर विचार कर सकती है जो छात्रों अथवा कर्मचारियों द्वारा विश्वविद्यालय के विरुद्ध मुकदमों को शीघ्रता से सुन सकती है। सरकार ने इस रिपोर्ट में की गई सिफारिश पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

हैदराबाद रेलवे स्टेशन के लिए आरक्षण कोटा

7433. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी स्लीपर कोचों का विभिन्न रेलगाड़ियों का आरक्षण कोटा कितना है;

(ख) क्या सरकार ने हैदराबाद स्टेशन की वास्तविक आवश्यकता का मूल्यांकन किया है;

(ग) यदि हां, तो हैदराबाद स्टेशन पर प्रत्येक रेलगाड़ी में कितने कोटे की आवश्यकता है;

(घ) हैदराबाद स्टेशन पर प्रत्येक रेलगाड़ी के लिए प्रतीक्षा सूची में व्यक्तियों की औसत कितनी है;

(ङ) बर्थ आरक्षण की वास्तविक आवश्यकता और उपलब्ध कोटे का अन्तर पूरा करने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है; और

(च) सरकार का विचार इस सम्बन्ध में अपना निर्णय कब तक घोषित करने का है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (घ) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) हैदराबाद में, विभिन्न गाड़ियों के लिए प्रतीक्षा सूची की स्थिति और कोटे के उपयोग के आधार पर आवश्यकता का मूल्यांकन किया गया है।

(ङ) और (च) सिकन्दराबाद और हैदराबाद में आरक्षित स्थानों की समग्र मांगों का समय-समय पर मूल्यांकन किया जाता है और परिचालनिक व्यावहारिकता की सीमा तक गाड़ी भार में उपयुक्त रूप से वृद्धि करने हेतु उपाय किये जाते हैं। बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों। उदाहरण के लिए, 1-4-84 से गाड़ी सं० 8 हैदराबाद-वाल्तेरु एक्सप्रेस और 54 हैदराबाद-मद्रास एक्सप्रेस में दूसरे दर्जे के क्रमशः 2 और 1 शयनयानों की वृद्धि की गयी है और इन गाडियों में हैदराबाद स्टेशन के लिए अतिरिक्त कोटे की व्यवस्था की गयी है। लाइन क्षमता की तंगी और सवारी डिब्बों की कमी के कारण इस समय और अतिरिक्त गाड़ियां तथा सवारी डिब्बे चलाना सम्भव नहीं है।

विवरण

(क) विभिन्न गाड़ियों में हैदराबाद स्टेशन पर आबंटित कोटा

गाड़ी सं० और नाम	वाता०	वाता० 2 टियर	पहला दर्जा	3 टियर	2 टियर	सीटें	साधारण सीटें
1	2	3	4	5	6	7	8
सं० 2 हैदराबाद-गुन्तूर एक्सप्रेस	—	—	16	—	—	—	100
2/88 हैदराबाद तिरूपति एक्सप्रेस	—	—	4	—	—	—	—
6 सिकन्दराबाद-गुन्तूर एक्सप्रेस	—	—	10	—	—	—	25
6/46 सिकन्दराबाद हावड़ा एक्सप्रेस	—	—	4	25	—	—	—
8 हैदराबाद वाल्तेरु एक्स०	4	13 (बाल्तेरु)	6 (बाल्तेरु)	202 (बाल्तेरु)	— (बाल्तेरु)	—	—
	—	—	6 (काकीनाड़ा पोर्ट सेवा)	22	—	—	—
20 सिकन्दराबाद-भुवनेश्वर कोणार्क एक्सप्रेस	—	—	—	81	—	—	—
21 हैदराबाद निजामुद्दीन दक्षिण एक्सप्रेस	—	—	10 (निजा०)	33 (निजा०)	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
हैदराबाद-लखनऊ कोच			4	35	—	—	—
हैदराबाद-भोपाल कोच			4	14	—	—	—
हैदराबाद-जम्मू तवी कोच			—	3	—	—	—
हैदराबाद-मद्रास सेन्ट्रल कोच			4	26	—	—	—
हैदराबाद-वाराणसी कोच			—	24	—	—	—
हैदराबाद-मेंगलूरु			—	8	—	10	—
आउट स्टेशन कोटा			—	5	—	—	—
29 हैदराबाद-तिरुपति-रामलसीमा एक्स०	—	—	10	220	—	—	—
				19	(आउट स्टेशन कोटा)		
तिरुपति-हैदराबाद		(तिरुवनन्तपुरम)		21			
30 रायल सीमा एक्सप्रेस				12	(वापसी यात्रा कोटा)		
32 हैदराबाद-बम्बई बी०टी० एक्सप्रेस	—	—	10	98	10	8	—
				13	(बम्बई के लिए)		
		(रद्द आरक्षणों के स्थान पर आरक्षण)					
(हैदराबाद-शोलापुर कोच)	—	—	4	—	—	—	20
(हैदराबाद-पुणे कोच)	—	—	—	—	11	45	—
54 हैदराबाद-मद्रास एक्स०	—	10	10	150	—	—	—
	—	—	—	28	—	—	—
				(कोचीन)			
56 सिकन्दराबाद-नरसापुर एक्सप्रेस	—	—	8	72	—	—	—
	भद्राचलम रोड		4	10	—	—	—
	मचिली पत्तनम्		—	14	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
85 हैदराबाद-बेंगलूरु एक्स०	—	—	8	103	—	—	—
	गुन्तकल्लु		—	32	13	30	—
	आउट स्टेशन कोटा		—	72	—	—	—
102 सिकन्दराबाद-बम्बई वी०टी० मीनार एक्स०	—	—	—	72	—	—	—
123 सिकन्दराबाद-नयी दिल्ली ए०पी० एक्सप्रेस	2	10	11	92	—	—	—
	वातानुकूल 10 कुर्सी कार सीटें	—	—	24 (भोपाल)	—	—	—
349 हैदराबाद-परली वैजनाथ पैसेंजर	—	—	—	40	—	—	—

(घ) विभिन्न गाड़ियों में हैदराबाद स्टेशन पर औसत प्रतीक्षा सूची

गाड़ी नं०	पहला दर्जा	वाता० 2-टियर	दूसरा दर्जा 3-टियर
54 मद्रास हैदराबाद एक्सप्रेस	7	2	88
8 डाउन गोदावरी एक्सप्रेस	5	2	83
123 ए०पी० एक्सप्रेस	1	—	43
29 रायल सीमा एक्सप्रेस	6	—	50
32 बम्बई एक्सप्रेस	11	—	60
21 दक्षिण एक्सप्रेस	3	—	42
85 बेंगलूरु एक्सप्रेस	5	—	12
6/46 हावड़ा एक्स०	1	—	2
56 नरसापुर एक्स०	1	—	2
102 मीनार एक्स०	—	—	45
20 कोणार्क एक्स०	—	—	4

1981-82 और 1982-83 के दौरान भारत में विदेशी सांस्कृतिक दल

7434. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्यिक, गृहों और अन्योंके सह-प्रायोजन के अंतर्गत भारत में विदेशी सांस्कृतिक, नाट्य, खेल और अन्य दल आते हैं;

(ख) यदि हां, तो 1981-82 और 1982-83 के दौरान ऐसे कितने दल भारत आए;

(ग) किन-किन देशों के दल किस प्रकार के दौरे पर भारत आए; और

(घ) उपर्युक्त अवधि में इससे हमारे देश को कितनी आय हुई अथवा भारतीय मुद्रा और विदेशी मुद्रा में उन पर कितना व्यय हुआ ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

संग्रहालयों की स्थापना और रख-रखाव

7435. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार कितने संग्रहालयों की स्थापना की गई है और उनका रख-रखाव किया जा रहा है;

(ख) ऐसे प्रत्येक संग्रहालय का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा वर्ष 1980-81, 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान उन पर कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार आम जनता के लाभार्थ ऐसे बहुत से और संग्राहलयों की स्थापना करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) संग्रहालय एक राज्य विषय है और राज्यों में संग्रहालयों की स्थापना और उनके

अनुरक्षण की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों की है। तथापि, केन्द्रीय सरकार के संस्कृति विभाग ने देश के विभिन्न भागों में निम्नलिखित संग्रहालय स्थापित किए हैं तथा उनका अनुरक्षण करता है :—

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	संख्या	ब्यौरे
आंध्र प्रदेश	1	सालार जंग संग्रहालय, हैदराबाद
दिल्ली/नई दिल्ली	4	राष्ट्रीय आधुनिक कला वीथी, नई दिल्ली
		राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली
		नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय, नई दिल्ली
		डा० जाकिर हुसैन स्मारक संग्रहालय, नई दिल्ली
मध्य प्रदेश	1	राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल
पश्चिम बंगाल	3	भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता
		विक्टोरिया स्मारक संग्रहालय, कलकत्ता
		राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, कलकत्ता।

(ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) और संग्रहालय स्थापित करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 1980-81 से 1983-84 तक केन्द्रीय संग्रहालयों को दिए गए अनुदान

(आंकड़े लाख रुपयों में)

क्रम सं०	संग्रहालय का नाम	1980-81 वास्तविक व्यय	1981-82 वास्तविक व्यय	1982-83 वास्तविक व्यय	1983-84 बजट प्राक्कलन
1	2	3	4	5	6
1.	भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता	34.14	39.84	40.00	44.20
2.	विक्टोरिया स्मारक संग्रहालय, कलकत्ता	17.47	33.06	22.38	31.36

1	2	3	4	5	6
3.	सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद	15·26	25.87	30·10	32·61
4.	राष्ट्रीय आधुनिक कला वीथी, नई दिल्ली	18·66	31.41	32·15	31·80
5.	राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, कलकत्ता	159·00	181.45	190·07	167.79
6.	राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली	64·52	68·75	81·41	87.70
7.	नेहरू स्मारक संग्रहालय, और पुस्तकालय, नई दिल्ली	33.28	42.47	44.00	66.00
8.	राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल	7.80	6.44	8·02	12·00
9.	डा० जाकिर हुसैन स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय, नई दिल्ली	68	·69	·80	.81

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के औषधालयों का कार्यचालन

7436. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के कितने औषधालय काम कर रहे हैं;

(ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा में कितने डाक्टर काम कर रहे हैं; और

(ग) प्रति लाभार्थी कितना व्यय किया जाता है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) 2051

(ख) 1220।

(ग) 1982-83 में प्रति लाभार्थी 73.73 रुपये खर्च हुए।

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में सेवा निवृत्त शिक्षण कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति

7437. **श्री चित्त महाटा :** क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में सेवानिवृत्त अध्यापकों, प्रोफेसरों और संकाय अध्यापकों को नियुक्त किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इन व्यक्तियों का पूर्व विवरण सहित ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन व्यक्तियों का जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय तथा अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में नियुक्त करने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने कुछ ऐसे अध्यापकों को फिर से नियुक्त किया है जो विश्वविद्यालय से सेवा निवृत्त हो गये थे।

(ख) इस तरह से पुनः नियुक्त अध्यापकों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

1. श्री ए०बी० हसानी,
   सहायक प्रोफेसर,
   पश्चिम एशियाई और अफ्रीकी अध्ययन केन्द्र,
   अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन स्कूल।

2. प्रो० एम० एस० राजन,
   प्रोफेसर
   अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तथा संगठन केन्द्र,
   अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन स्कूल।

3. प्रो० राम राहुल,
   प्रोफेसर
   दक्षिण, दक्षिण-पूर्व और केन्द्रीय
   एशियाई अध्ययन केन्द्र,
   अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन स्कूल

4. प्रो० सतीश चन्द्र,
प्रोफेसर,
ऐतिहासिक अध्ययन केन्द्र,
सामाजिक अध्ययन स्कूल ।

5. प्रो० के० शेशाद्री,
प्रोफेसर
राजनीतिक अध्ययन केन्द्र,
सामाजिक विज्ञान स्कूल ।

6. प्रो० आर०एम० बाकया,
प्रोफेसर,
रूसी अध्ययन केन्द्र,
भाषाएं स्कूल ।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को यह सलाह दी है कि यदि वे चाहें तो 60 वर्ष की आयु के बाद सीमित अवधि के लिए अध्यापकों को पुनर्नियुक्त कर सकते हैं । इस प्रकार की पुनर्नियुक्ति एक बार में 2-3 वर्ष की अवधि की होनी चाहिए बशर्ते कि कोई भी अध्यापक 65 वर्ष की आयु के बाद पुनर्नियुक्त नहीं किया जाए । जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय सहित केन्द्रीय विश्वविद्यालय सामान्यतया इन मार्ग-दर्शी रूपरेखाओं का पालन करते हैं ।

निर्गुट सम्मेलन चोगम के लिए प्रतिनियुक्त कर्मचारियों को चोगम के अनुवर्ती कार्य समाप्त होने से पूर्व ही मंत्रालय को भेज दिया जाना

7438. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय का सम्मेलन सैल 1 दिसम्बर, 1982 से 31 दिसम्बर, 1983 तक निर्गुट सम्मेलन/चोगम सचिवालय में प्रतिनियुक्ति पर था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सैल को चोगम के अनुवर्ती कार्य के समाप्त होने से पूर्व ही वापस भेज दिया गया था ;

(ग) क्या सेवानिवृत्त/पुनः नियोजित और अस्थायी कर्मचारियों और तदर्थ/दैनिक मजदूरी वाले व्यक्तियों की इस अनुवर्ती कार्य को निपटाने के लिए अवधि बढ़ा दी गई जिसके परिणामस्वरूप एक लाख रुपये प्रतिमाह का परिहार्य व्यय हुआ ;

(घ) क्या 31 मार्च, 1984 तक चोगम का अनुवर्ती कार्य निपटाने के लिए तीन माह में लगभग 3.45 लाख रु० व्यय हुए ;

(ङ) यदि सम्मेलन सैल के नियमित कर्मचारियों को वापिस नहीं भेजा जाता तो क्या उन्होंने यह काम कर दिया होता ;

(च) क्या और अधिक परिहार्य व्यय से दबने के लिए निर्गुट सम्मेलन/चोगम के बाकी के कार्य को निपटाने के लिए सम्मेलन सैल से कहा जाएगा ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) से (ङ) जी नहीं। सातवें गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन और 'चोगम' के आयोजन से संबंधित प्रारम्भिक कार्यों के लिए 106 कार्मिकों के एक अलग 'चोगम' केन्द्रीय कार्यालय की स्थापना की गई थी जिनमें से अधिकांश विभिन्न मंत्रालयों से प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी थे, अपेक्षित अनुभव वाले कुछ सेवा निवृत्त कार्मिक थे और टाइपिस्ट/लिपिक श्रेणी के कुछ तदर्थ कर्मचारी थे। इस कार्यालय में एक वित्त प्रभाग भी था जिसके अध्यक्ष भारत सरकार के अपर सचिव श्रेणी के वित्त सलाहकार थे, और एक सम्मेलन सैल भी था जिसकी सेवाएं दोनों सम्मेलनों के स्थान विज्ञान भवन में सम्मेलन के प्रबंधों के सिलसिले में प्राप्त की गई थीं। 'चोगम' 1983 की समाप्ति के तत्काल बाद 'चोगम' कार्यालय के स्टाफ की क्रमबद्ध रूप से छटनी कर दी गई और 31-1-1984 के बाद केवल 36 कार्मिक रहने दिए गए। क्योंकि सम्मेलन सैल का काम 30 नवम्बर, 1983 को 'चोगम' 83 की समाप्ति के साथ ही खत्म हो गया था इसलिए सम्मेलन सैल को 1-1-84 से विदेश मंत्रालय में प्रत्यावर्तित कर दिया गया क्योंकि कुछ अन्य सम्मेलनों के आयोजन में उसकी जरूरत थी। 31-3-84 तक 'चोगम' का बकाया काम निपटाने के लिए 3 महीने की अवधि के लिए वेतन और भत्तों के रूप में 2.15 लाख रु० दिए गए जिसकी मासिक औसत 71.79 हजार रुपये आती है।

(च) जी नहीं। दोनों सम्मेलनों के बकाया मामले निपटाने और जिससे जो लेना-देना है उसे निपटाकर दोनों सम्मेलनों का लेखा बंद करने के लिए लगभग 13 व्यक्तियों का स्टाफ 3 महीने के लिए रख लिया गया है। इस समय लेखा-परीक्षा का काम भी हो रहा है। कार्यालय बंद करने, दोनों सम्मेलनों के प्रशासनिक मामलों से संबंधित अन्तिम रिपोर्ट तैयार करने, बिलों/दावों की जांच करने और लेखा परीक्षकों के सवालों का जवाब देने का काम केवल वही व्यक्ति कर सकते हैं जो सम्मेलनों के सभी पहलुओं से संबंधित रहे हैं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

बरेली, बदायूं और उझानी रेलवे स्टेशनों पर सुविधाएं

7439. **श्री जयपाल सिंह कश्यप** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बरेली, बदायूं और उझानी रेलवे स्टेशनों पर वर्ष 1983-84 के दौरान प्रथम श्रेणी के प्रतीक्षालयों में प्रदान की गई अतिरिक्त सुविधाओं/साधनों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) 1975 में उपलब्ध सुविधाओं की तुलना में कितने प्रतिशत सुविधाएं बढ़ायी हैं और उन पर कितनी धन राशि खर्च हुई है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) इन स्टेशनों पर पहले दर्जे के प्रतीक्षालयों में अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था करने के बारे में स्टेशन-वार स्थिति नीचे दी गयी है :—

(1) **बरेली जंक्शन (उत्तर रेलवे)**

1983-84 के दौरान बेहतर रोशनदान, सफाई और दीवार-दर्पण की व्यवस्था करने पर 6000/- रु० की राशि खर्च की गयी थी ।

(2) **बरेली सिटी और बदायूं स्टेशन (पूर्वोत्तर रेलवे)**

1975 के बाद इन स्टेशनों पर कोई अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था नहीं की गयी है ।

(3) **उझानी स्टेशन (पूर्वोत्तर रेलवे)**

1981-82 में, स्नान गृह के सुधार कार्यों पर 10,000/- रु० की लागत से किया गया था ।

1975 के बाद, बरेली जंक्शन और उझानी स्टेशनों पर सुविधाओं में वृद्धि का प्रतिशत के हिसाब से बताना संभव नहीं है ।

परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पाकिस्तान को सहायता

7440. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रेस रिपोर्टों के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराने की इच्छा प्रकट की है ;

(ख) यदि हां, तो यह किस सीमा तक सच है ;

(ग) क्या भारत ने पाकिस्तान को परमाणु ऊर्जा में सहायता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष आपत्ति प्रकट की है ; और

(घ) यदि हां, तो भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ को पाकिस्तान को परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में सहायता न करने देने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं क्योंकि परमाणु बम के निर्माण को पाकिस्तान की नीति काफी स्पष्ट है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) और (ख) सरकार ने इस आशय का पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम प्रतिनिधि का कथित प्रेस साक्षात्कार देखा है। इस रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान ने इस तरह की सहायता के लिए कोई औपचारिक अनुरोध नहीं किया है।

(ग) और (घ) इस्लामाबाद स्थित हमारे राजदूत ने पाकिस्तान में संयुक्तराष्ट्र विकास कार्यक्रम के प्रतिनिधि के साथ इस मामले को उठाया है, जिन्होंने यह कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सहायता केवल नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए ही दी जायेगी और यदि वह पाकिस्तान के नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहायता के अनुरोध को स्वीकार करता है तो अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी सुरक्षा के उपाय लागू करेगी।

35/36 भोपाल-बिलासपुर एक्सप्रेस रेल गाड़ी में अतिरिक्त डिब्बे लगाना

7441. **श्री राम प्रसाद अहिरवार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 35/36 भोपाल-बिलासपुर एक्सप्रेस रेलगाड़ी में लगाए जाने वाले डिब्बे की संख्या अपर्याप्त है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे इस रेल गाड़ी में अतिरिक्त डिब्बे जोड़ने पर विचार कर रही है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) 35/36 भोपाल-बिलासपुर एक्सप्रेस को पहले ही अधिकतम डिब्बे लगाकर चलाया जा रहा है और इसमें नियमित रूप से अतिरिक्त डिब्बा लगाने की कोई गुंजाइश नहीं है।

विदेश मन्त्रालय में सहायकों और अनुभाग अधिकारियों की पदोन्नति

7442. **स्वामी इन्द्रवेश** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके मंत्रालय

में सहायक और अनुभाग अधिकारियों के रूप में नियुक्त हुए किस वर्ष तक के कर्मचारी क्रमशः अनुभाग अधिकारी और अवरसचिव के पदों पर पदोन्नत हो चुके हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : सूचना इस प्रकार है :—

1. अनुभाग अधिकारी वर्ग में पदोन्नति.

सहायक — सीधे भर्ती से लिए गए	—	1972
सहायक — विभागीय पदोन्नति से	—	1960
बीजांक सहायक	—	1962

2. अवर-सचिव वर्ग में पदोन्नति

अनुभाग अधिकारी	— सीधी भर्ती से लिए गए	—	1973
अनुभाग अधिकारी	— विभागीय पदोन्नति से	—	1973
अनुभाग अधिकारी	— सीमित विभागीय परीक्षा के उम्मीदवार	—	1975

हिन्द महासागर में सोवियत संघ के नौसैनिक बेड़े की उपस्थिति

7443. **श्री आनन्द सिंह** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिन्द महासागर में सोवियत संघ के नौसैनिक बेड़े की उपस्थिति की जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो यह उपस्थिति किस प्रकार की है और इससे भारत की सुरक्षा को क्या खतरा है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) जी, हां।

(ख) हमने अपनी यह स्थिति बार-बार दोहराई है कि हिन्द महासागर में बड़ी शक्तियों और अन्य गैर तटवर्ती देशों की सैनिक मौजूदगी से इस क्षेत्र में तनाव पैदा होता है जो इस क्षेत्र की शान्ति और स्थिरता के लिए हानिकर है।

दिल्ली में कमीशन वेंडरों की नियुक्ति

7444. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980 से 1983 तक के वर्षों के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत मानवीय आधारों पर उनकी सिफारिश पर दिल्ली में विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर नियुक्त किए गए कमीशन वेण्डरों की संख्या कितनी है ;

(ख) उन गरीब बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन्होंने 1980 से 1983 के दौरान कमीशन वेंडरों हेतु आवेदन किया था ;

(ग) उनमें से कितने आवेदनपत्रों को अस्वीकृत किया गया ; और

(घ) उन आवेदन पत्रों को किन आधारों पर अस्वीकृत किया गया और इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (घ) 1980 से 1983 के दौरान दिल्ली में किसी भी स्टेशन ने रेल मंत्री के कहने पर कोई भी कमीशन वेंडर मानवीय आधार पर नियुक्त नहीं किया गया । इस अवधि के दौरान, कमीशन वेंडरों के रूप में नियुक्ति के लिए कुल 418 व्यक्तियों ने आवेदन किया था जिनमें से 83 व्यक्ति चुने गये थे और इस प्रयोजन के लिए गठित स्क्रीनिंग समिति ने गुण-दोष के आधार पर शेष 335 आवेदन पत्र रद्द कर दिये थे ।

ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा-सुविधा का विस्तार

7445. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छठी पंच वर्षीय योजना के चौथे वर्ष तक ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा-सुविधा के विस्तार की प्रगति का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी सामुदायिक विकास खंड मुख्यालयों में कम से कम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की सुविधा प्रदान कर दी गई है ;

(ग) यदि नहीं, तो प्रत्येक राज्य, संघ राज्य क्षेत्र में ऐसे खंड मुख्यालयों की संख्या और नाम क्या हैं जिनमें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं हैं ;

(घ) इन खंड मुख्यालयों को यह सुविधा कब तक प्रदान कर दी जाएगी ; और

(ङ) खंड मुख्यालयों को इस सुविधा से अब तक वंचित रखने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा परिचर्या सुविधाओं के विस्तार की प्रगति की समीक्षा और निगरानी मासिक/तिमाही रिपोर्टों के जरिये नियमित रूप से की जा रही है।

(ख) जी हां।

(ग) से (ङ) यह प्रश्न ही नहीं उठते।

कनिष्ठ गृह विज्ञान शिक्षक के वेतनमान बढ़ाना

7446. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 27 मार्च, 1982 के अपने परिपत्र संख्या एफ 5-44/82 स्कू० 6 के द्वारा सभी संघ राज्य क्षेत्रों में कनिष्ठ गृह-विज्ञान शिक्षकों के पद के वेतनमान को 425-640 रु० से बढ़ाकर 5 सितम्बर, 1981 से 440-750 रु० कर दिया था ;

(ख) क्या यह सच है कि 5 सितम्बर, 1981 के बाद कनिष्ठ गृह विज्ञान शिक्षक के रूप में नियुक्त किये गये निर्धारित अर्हता प्राप्त व्यक्ति बढ़े हुए वेतनमान के पात्र हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ; और

(घ) यदि उक्त भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो क्या सभी स्कूलों को 5 सितम्बर, 1981 के बाद इस पद पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों को बढ़े हुए वेतनमान देने के लिए अनुदेश जारी कर दिए गए हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल): (क) से (घ) जूनियर गृह-निज्ञान के शिक्षकों सहित जूनियर शिक्षकों के कुछ वर्गों का वेतनमान 5 सितम्बर, 1981 से 425-460 रु० से 440-750 रु० तक इस शर्त पर बढ़ाया गया था कि 5 सितम्बर, 1981 के बाद से जूनियर ग्रेड में कोई भर्ती नहीं की जाएगी और यह कि यह भर्ती निर्धारित अर्हताओं के सख्ती से पालन करने के साथ-साथ 440-750 रु० के वेतनमान तक ही सीमित रहेगी।

देश के रक्त बैंकों में विभिन्न ग्रुपों के रक्त की कमी

7447. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के एक बैंकों में विभिन्न ग्रुपों के रक्त की कमी होने के बारे में कोई शिकायतें मिली हैं ;

(ख) क्या विभिन्न राज्यों के रक्त कोषों में रक्त भंडारण की पर्याप्त सुविधाओं की कमी है ;

(ग) क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों के रक्त बैंकों के अतिरिक्त भंडारण सुविधाओं की व्यवस्था करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो उपरोक्त प्रस्तावों की क्रियान्विति संबंधी सरकार के कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार को किसी विशेष रक्त वर्ग या उसके भंडारण की सुविधा की कमी के बारे में कोई गम्भीर शिकायत नहीं मिली है। वैसे, जिला स्तर तक रक्त बैंक/रक्ताधान की ऐसी सुविधाओं को बेहतर बनाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है जिनमें रक्त एकत्र करने, उसके भण्डारण, वितरण तथा क्वालिटी नियंत्रण के सभी पहलू शामिल हैं।

स्थायी वार्तालाप तंत्र की बैठकें

7448. **श्री अजित बाग** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल विभाग में स्थायी वार्तालाप तंत्र की बैठकों के उद्देश्य क्या हैं ;

(ख) डिवीजन, जोन, और रेलवे बोर्ड स्तर पर स्थायी वार्तालाप तंत्र की बैठकें कितनी अवधि के बाद होनी चाहिए ;

(ग) क्या इन बैठकों में दिए गए फैसलों के प्रति रेल प्रशासन और मान्यता प्राप्त मजदूर संगठन दोनों प्रतिबद्ध हैं ;

(घ) या स्थायी वार्तालाप बैठकों में किए गए फैसलों की क्रियान्विति न करने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को कोई दंड दिया जाता है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) स्थायी वार्ता तंत्र की बैठकों का लक्ष्य श्रमिकों से सम्पर्क बनाये रखना, कर्मचारियों की शिकायतों का समाधान करना तथा उनके और रेल प्रशासनों के बीच उत्पन्न विवादों तथा मतभेदों को दूर करना है।

(ख) स्थायी वार्ता तंत्र की बैठकें मंडल स्तर पर दो महीने में एक बार और क्षेत्रीय तथा रेलवे बोर्ड स्तर पर तीन महीने में एक बार आयोजित की जानी होती हैं।

(ग) जी हां। यदि इन बैठकों में लिये गये निर्णयों में कोई परिवर्तन करना आवश्यक होता है तो आपसी परामर्श के बाद ही ऐसा किया जाता है।

(घ) और (ङ) स्थायी वार्ता तंत्र की बैठकों में लिये गये निर्णयों को शीघ्र ही कार्यान्वित किया जाता है। निर्णयों को कार्यान्वित करने में यदि किसी मामले में विलम्ब होता है तो स्थायी वार्ता तंत्र की अनुवर्ती बैठकों में मान्यताप्राप्त यूनियनों द्वारा इसे उठाया जाता है। निर्णय कार्यान्वित न किये जाने के मामले इस मंत्रालय के ध्यान में नहीं आये हैं।

रेल सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधी ब्रोशर

7449. **श्री अजित बाग** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण सम्बन्धी ब्रोशर का दूसरा संस्करण पिछली बार वर्ष 1976 में प्रकाशित हुआ था ;

(ख) रेलवे बोर्ड ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सम्बन्ध में वर्ष 1976 से कितने परिपत्र जारी किये हैं ; और

(ग) वर्ष 1976 से रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किये गये सभी परिपत्रों/पत्रों को सम्मिलित करते हुए, ब्रोशर का तीसरा संस्करण कब प्रकाशित होने की संभावना है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) लगभग 150।

(ग) दूसरे संस्करण में संशोधन करने का काम पहले ही शुरू कर दिया गया है। जैसे ही सम्पादन पूरा हो जायेगा इसे मुद्रणालय भेज दिया जायेगा और तत्पश्चात तृतीय संस्करण जारी कर दिया जायेगा।

भारतीय रेल वित्तीय संहिता का प्रकाशन

7450. **श्री अजित बाग** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेल वित्तीय संहिता के कब तक प्रकाशित और बिक्री के लिए, जारी किये जाने की संभावना है;

(ख) संहिता के अब तक प्रकाशित नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) 'भारतीय रेल वित्त संहिता' दो जिल्दों अर्थात जिल्द-I और II डिगलाट स्टाइल (हिन्दी-अंग्रेजी द्विभाषी रूप में) क्रमशः जनवरी, 1984 और नवम्बर, 1983 में पहले ही प्रकाशित हो चुकी हैं और बिक्री के लिए जारी कर दी गयी है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

भावनगर-तारापुर रेल सम्पर्क

7451. **श्री नवीन रवाणी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य और उस क्षेत्र के लोगों की मांग है कि गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में भावनगर और तारापुर के बीच बड़ी रेल लाइन बनाई जाए ;

(ख) सरकार के पास यह प्रस्ताव कब से विचाराधीन पड़ा हुआ है ;

(ग) सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) यह लाइन कब शुरू और पूरी किए जाने की संभावना है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) 1956-57, 1968 और 1976-77 में इस लाइन के लिए इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण किया गया था और इस परियोजना को वित्तीय दृष्टि से अर्थक्षम नहीं पाया गया । संसाधनों की भारी तंगी को देखते हुए परियोजना को निकट भविष्य में विचार करने के लिए प्रतीक्षा करनी होगी ।

दिल्ली परिवहन निगम की बसों से हुए घाटे के कारण

7452. **श्री एन० ई० होरो** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परिवहन निगम के स्वामित्व वाली बसों को भारी घाटा हो रहा है, जब कि दिल्ली परिवहन निगम के अन्तर्गत चल रही प्राईवेट बसें काफी लाभ कमा रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1982-83 के दौरान दिल्ली परिवहन निगम की बसों से कितना लाभ हुआ तथा प्राईवेट बसों को कितनी धनराशि का भुगतान किया गया और दिल्ली परिवहन निगम को कुल कितनी हानि हुई ; और

(ग) दिल्ली परिवहन निगम की बसों के घाटे में चलने के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) दिल्ली परिवहन निगम के पास इसके अधीन प्रचालन में प्राइवेट बसों के लाभ और हानि का कोई रेकार्ड नहीं रहता है । तथापि दिल्ली परिवहन निगम की नगर रूटों पर चलने वाली बसों पर हानि हो रही है ।

(ख) सूचना निम्न प्रकार है :—

कुल आय	(लाख रुपए)	
दिल्ली परिवहन निगम की अपनी बसें	दिल्ली परिवहन निगम के प्रचालन के अधीन प्राइवेट प्रचालक बसें	कुल
1. 5,008.73	666.52	5675.25

2. प्राइवेट आपरेटरों को भुगतान की गई राशि
865.81 लाख रु०

3. वर्ष 1982-83 में 31.82 करोड़ रुपए की कार्य हानि हुई ।

(ग) दिल्ली परिवहन निगम की हानि का मुख्य कारण है—इसका थाड़ा ढांचा और विभिन्न कच्चे मालों पर अधिक खर्च ।

टी० टी० ई० और कंडक्टरों को 'रनिंग स्टाफ' की श्रेणी में लाना

7453. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलों में टी० टी० ई० और कंडक्टरों को 'रनिंग स्टाफ की श्रेणी में लाने के लिए विचार किया जा रहा है, क्योंकि उनकी ड्यूटी का स्वरूप बदल गया है और उन्हें खतरे की जंजीर खींचने की जिम्मेदारी सौंपी गई है अर्थात गाड़ियों के संचालन और आरक्षण संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने, पंखे, बिजली और यात्रियों के खाने की सप्लाई के कार्य में प्रत्यक्ष रूप से शामिल किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

टिकट जांच करने वाले कर्मचारियों के लिए 455-700 रुपये और 840-1040 रुपये के ग्रेड को कार्यान्वित किया जाना

7454. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे में टिकट जांच करने वाले कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों की कितनी रिक्तियां हैं ;

(ख) क्या टिकट जांच करने वाले कर्मचारियों के लिए 455-700 रु० और 840-1040 रुपये के ग्रेडों को कार्यान्वित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) टिकट जांच कर्मचारियों की ग्रेड-वार रिक्तियां नीचे दी गयी हैं :—

700-900 रु०	—	62
425-640 रु०	—	17
330-560 रु०	—	35
260-400 रु०	—	24

(ख) और (ग) टिकट जांच कर्मचारियों के संवर्ग में 425-640, 550-750 और 700-900 रु० के ग्रेड पहले से ही उपलब्ध हैं। चूंकि इस कोटि में 840-1040 रु० का ग्रेड फिलहाल नहीं है, इसलिए इस ग्रेड के शुरू करने के प्रश्न पर चौथे वेतन आयोग द्वारा विचार किया जायेगा ।

लेखा विभाग के श्रेणी तीन और श्रेणी चार के कर्मचारियों के लिए कैडर का पुनः गठन किया जाना

7455. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे के लगभग सभी विभागों में कैडर पुनर्गठन संबंधी योजना शुरू की गई है, लेकिन लेखा विभाग के श्रेणी तीन और श्रेणी चार के कर्मचारियों को इस योजना से बाहर रखा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार लेखा विभाग के श्रेणी तीन और श्रेणी चार के इन कर्मचारियों को भी इस योजना के अन्तर्गत लाने का है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, नहीं। लेखा विभाग के वर्ग 'ग' (श्रेणी III) और वर्ग 'घ' (श्रेणी IV) के कर्मचारियों को भी समय-समय पर की गयी संवर्ग पुनर्संरचना का लाभ दिया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूहों में पत्तन प्रशासक कार्यालय के लिए एक अधिकारी प्रतिनियुक्त करना

7456. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए पत्तन प्राधिकरण मंजूर किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके आदेश कब जारी किए गए थे ;

(ग) क्या यह सच है कि अन्डमान और निकोबार प्रशासन ने नौवहन और परिवहन मंत्रालय से पत्तन प्रशासक के कार्यालय का कार्यभार ग्रहण करने के लिए एक अधिकारी प्रतिनियुक्त करने हेतु कई बार अनुरोध किया है ; और

(घ) यदि हां, तो अन्डमान और निकोबार प्रशासन का उक्त अनुरोध कब प्राप्त हुआ था और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) प्रबन्ध बोर्ड के गठन और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पत्तन और बन्दरगाह के प्रशासन संबंधी कार्यों को उसे सौंपने के संबंध में आदेश 25 जुलाई, 1983 को जारी किये जा चुके हैं। इस आदेश में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए मुख्य पत्तन प्रशासक के एक पद के सृजन की व्यवस्था भी की गई है।

(ग) और (घ) अंडमान और निकोबार प्रशासन ने नौवहन और परिवहन मंत्रालय के पास मुख्य पत्तन प्रशासक के पद को भरने के लिए पत्र अगस्त 1983 में लिखा। नौवहन और परिवहन मंत्रालय ने इस पद के लिए उपयुक्त अधिकारियों का एक पैनेल बनाया है और अंडमान और निकोबार प्रशासन को उनकी सिफारिश के लिए उस पैनेल को भेज दिया है।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अध्यापकों की संख्या

7457. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र में प्राथमिक, सीनियर बेसिक, उच्च और सीनियर सैकेण्डरी स्कूलों में श्रेणीवार और माध्यम-वार कुल कितने अध्यापक हैं ;

(ख) इनमें से श्रेणीवार और माध्यम-वार कितने अध्यापक तदर्थ आधार पर काम कर रहे हैं ;

(ग) वे कितने समय से सेवा में हैं ;

(घ) विभिन्न वर्गों में कितने अध्यापकों को सरकारी आवास आवंटित किया गया है ; और

(ङ) अध्यापकों के लिए क्वार्टरों के निर्माण को पूरा करने के काम में छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक क्या प्रगति हुई है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र सभापटल पर रख दी जाएगी।

अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह के विद्यालयों में आवास की कमी

7458. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र में एक माध्यम वाले अथवा दो माध्यम वाले प्राइमरी सीनियर बेसिक, हाई और सीनियर सेकेन्डरी स्कूलों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) उनमें से प्रत्येक श्रेणी के कितने स्कूलों में आवास की कमी है और स्कूल भवनों के निर्माण के लिए क्या कार्यवाही की गई है और छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इस कार्यक्रम में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में समस्त स्कूल भवनों का निर्माण पूरा करने के लिए कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र सभापटल पर रख दी जाएगी।

'आलमबाग-उतरतिया उप मार्ग को पूरा करना

7459. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आलमबाग-उतरतिया उप मार्ग पूरा नहीं हुआ है उसके पूरा होने में विलम्ब होने के कारण इस की लागत 7 करोड़ रु० के पहले अनुमान के स्थान पर अब लगभग 30 करोड़ रुपये होगी ;

(ख) यदि हां, तो उक्त मार्ग को पूरा करने में विलम्ब होने के कारण क्या हैं ; और

(ग) मूल अनुमान की तुलना में इस पर कुल कितनी धन राशि खर्च होगी ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) आलमबाग-उतरतिया बाई पास रेल लाइन का निर्माण कार्य 1979-80 में अनुमोदित किया गया था। 1981-82 में स्वीकृत अनुमान के अनुसार इस कार्य की लागत 4.34 करोड़ रु० थी। 10.59 करोड़ रु० के संशोधित अनुमान की जांच की जा रही है।

(ख) संसाधनों की समग्र तंगी के कारण इस कार्य के लिए कम धन आबंटित करने के कारण इस कार्य को पूरा करने में विलम्ब हुआ।

(ग) 10.59 करोड़ रु० के संशोधित अनुमान की जांच की जा रही है।

यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए अत्याधिक भीड़भाड़ वाले मार्गों पर और मिनी बसें लगाना

7460. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में चल रही मिनी बसों द्वारा उनकी लाइसेंस क्षमता से अधिक यात्री ले जाने की कोई सीमा है;

(ख) यदि हां, तो कितनी;

(ग) इन बसों के लाइसेंस धारी एक वर्ग के लोगों को जिन्हें राजधानी में असहाय यात्रियों की कीमत पर, अधिक किराया देने पर भी पशुओं की भांति भरा जाता है धनी बनाने के क्या कारण हैं;

(घ) मिनी बसों, विशेषकर भीड़-भाड़ वाले मार्गों पर जैसे अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे अथवा दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों से दूरस्थ कालोनियों को जोड़ने वाले मार्गों के लिए अधिक लाइसेंस देने में उन्हें क्या कठिनाई है; और

(ङ) क्या उनका यह सुनिश्चित करने का विचार है कि कुछ अत्याधिक भीड़-भाड़ वाले मार्गों पर, और मिनी बसें लगाकर जनता को राहत दी जाए और यात्रा आरामदेह बनाई जाए ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) राज्य परिवहन प्राधिकरण ने 33 यात्रियों की बैठक क्षमता की अनुमति दे रखी है और यात्रियों की ओवरलोडिंग की अनुमति नहीं है।

(ग) मिनी बसों में ओवरलोडिंग की शिकायतें समय-समय पर मिलती रही हैं। ओवर-लोडिंग कानून में जुर्म और इस प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए प्रवर्तन प्राधिकरण आवश्यक कदम उठाता है। जहां तक दिल्ली परिवहन निगम का सम्बन्ध है, जब कभी इसके अधीन मिनी बसों के सम्बन्ध में इस प्रकार की कोई विशेष शिकायत निगम के ध्यान में लाई जाती है तो समझौते की शर्तों के अनुसार परिचालक के विरुद्ध निश्चित रूप से कार्रवाई की जाती है।

(घ) और (ङ) वर्ष 1982 एशियाई खेलों के दौरान दिल्ली प्रशासन ने 43 शहरी रूटों पर माइक्रो-मिनी बसें चलाने के लिए 226 परमिट जारी किए थे। चूंकि दिल्ली परिवहन निगम जो कि यात्रियों को समुचित और लाभकारी परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है,

अपने संविधानिक इकरारनामे को पूरा करने की स्थिति में है, इसलिए प्राइवेट मिनी बसों को चलाने की कोई नई स्कीम लागू करना आवश्यक नहीं है। अब मिनी बसों जो कि यात्रियों की कम संख्या को ले जाती है, के स्थान पर दिल्ली परिवहन निगम की अपनी अथवा दिल्ली परिवहन के प्रभार के अंतर्गत प्राइवेट आपरेटरों की बड़े आकार की बसों में और वृद्धि करने पर बल दिया जा रहा है।

दक्षिण एशिया में इन्फ्लूएन्जा फैलने के सम्बन्ध में विश्व स्वास्थ्य संगठन की चेतावनी

7461. **श्री अमर सिंह राठवा :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दक्षिण एशिया के सभी देशों को इस क्षेत्र में इन्फ्लूएन्जा के बड़े पैमाने पर फैलने की सम्भावना के बारे में चेतावनी दी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संदर्भ में क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व के छः क्षेत्रों में इन्फ्लूएन्जा निगरानी केन्द्रों का जाल-सा बिछा दिया है। यह संगठन अपने साप्ताहिक जानपदिक-रोगविज्ञान अभिलेख में इंफ्लूएन्जा की घटनाओं के बारे में नियमित आधार पर रिपोर्टें देता रहता है। ये रिपोर्टें भारत सहित सभी सदस्य-देशों को भेजी जाती हैं। सरकार को पता है कि कई पड़ोसी देशों में इंफ्लूएन्जा फैला हुआ है। देश में इंफ्लूएन्जा की किसी भी प्रकार की महामारी का मुकाबला करने के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के स्वास्थ्य प्राधिकारियों को आवश्यक मार्ग-निर्देश दे दिए गए हैं। नमूनों की जांच करने तथा उनकी पुष्टि करने के लिए देश के विभिन्न भागों में स्थित 8 निगरानी केन्द्रों को भौगोलिक आधार पर राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के साथ जोड़ा गया है। पत्तन और हवाई पत्तन अधिकारियों को भी सलाह दी गई है कि वे निगरानी करते रहें। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों को भी सलाह दी गई है कि वे औषधियों की उपलब्धता तथा रोगियों के उपचार के लिए उनका वितरण सुनिश्चित करें। आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि सहित जन प्रचार के माध्यमों के जरिए लोगों को शिक्षित करने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी उपायों को तेज कर दिया गया है।

रेलवे में अनुसूचित जातियों और आदिवासियों के लिए आरक्षण

7462. **श्री अमर सिंह राठवा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे के अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों और आदिवासी

कर्मचारियों की नियुक्ति और पदोन्नति के मामले में आरक्षण सम्बंधी सभी सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए कोई सेल बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1982-83 और 1983-84 में प्रत्येक जोन में कितने आदिवासी लोगों को रोजगार मिला है; और

(ग) क्या यह सच है कि रेलवे में रोजगार के लिए निर्धारित आदिवासी कोटे को अभी तक पूरा नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस सम्बंध में क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां। यह मानते हुए कि आदिवासी शब्द का प्रयोग इस प्रश्न में यहां तथा प्रश्न के अनुवर्ती भागों में अनुसूचित जातियों के संदर्भ में किया गया है।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) जी हां।

(घ) अनुसूचित जाति के उपयुक्त/पात्र उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने के कारण तथा दूर-दराज के स्थानों पर रोजगार पाने के लिए आदिवासी क्षेत्र से बाहर निकलने में संकोच महसूस करने के कारण भी।

(ङ) समय-समय पर त्वरित कार्यक्रम चलाकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की भर्ती को बढ़ाने के लिए हर सम्भव प्रयास किया जाता है। क्षेत्रीय रेलों के महाप्रबंधकों को विशेष शक्तियां प्रत्यायोजित की गयी हैं कि वे आरक्षित उम्मीदवारों की विशेष और सीधी भर्ती करें ताकि उनकी कमी को पूरा किया जा सके।

केन्द्रीय विद्यालयों में व्यायाम शिक्षकों और छात्रों का अनुपात

7463. **श्री निहाल सिंह** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विद्यालयों में खेल-कूद और व्यायाम शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु और नियुक्ति के उद्देश्य से केन्द्रीय विद्यालय प्रतिष्ठान के व्यायाम शिक्षकों और खेल-कूद प्रशिक्षकों की संख्या के मुकाबले में और छात्रों का कितना अनुपात निर्धारित किया है;

(ख) इस प्रकार के व्यायाम शिक्षकों और खेल-कूद प्रशिक्षकों को कितना-कितना वेतन दिया जाता है और उनकी पदोन्नति का क्रम क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय विद्यालयों में इस प्रकार के अध्यापकों की नियुक्ति के मानदण्डों का अनुपालन किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल): (क) प्रत्येक केन्द्रीय विद्यालय (सेन्ट्रल स्कूल) को 300 छात्रों के समूह के लिए एक शारीरिक शिक्षा शिक्षक दिया जाता है और यह अधिक से अधिक तीन हो सकते हैं। केन्द्रीय विद्यालय संगठन में खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति की कोई व्यवस्था नहीं है।

(ख) शारीरिक शिक्षा शिक्षकों का वेतनमान 440-750 रुपये है। इनमें से 20% 740-880 रु० के वेतनमान में प्रवरण ग्रेड में वरीयता एवं-योग्यता के आधार पर नियुक्ति के पात्र हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) भर्ती की सामान्य प्रणाली अर्थात खुला विज्ञापन अपनायी जाती है। पद के लिए निर्धारित अनिवार्य अर्हताएं विश्वविद्यालय की डिग्री और शारीरिक शिक्षा में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा अथवा लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कालेज, ग्वालियर से शारीरिक शिक्षा में स्नातक डिग्री अथवा समकक्ष अर्हता है। पद के लिए निर्धारित आयु-सीमा 35 वर्ष है।

रेल प्रशासन के अधीन कार्यरत अध्यापकों की सेवावधि दो वर्ष बढ़ाये जाने से लाभ

7464. **श्री सुशील भट्टाचार्य :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड द्वारा संचालित केन्द्रीय विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की सेवा-निवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ा कर 60 वर्ष कर दी गई है जैसा कि शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यरत अन्य सभी विभागों में पहले ही लागू किया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो रेलवे प्रशासन के अधीन कार्यरत उन अध्यापकों को जो 58 वर्ष की आयु पर 2 सितम्बर 1983 के बाद सेवानिवृत्त हुए थे और जो जल्दी ही सेवानिवृत्त होने वाले हैं, सेवा की अवधि दो वर्ष बढ़ाये जाने सम्बन्धी लाभ न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) दिल्ली आदि में केन्द्र द्वारा संचालित स्कूलों के अध्यापकों की अधिवर्षिता की आयु बढ़ाने के सम्बन्ध में सरकार के निर्णय को रेल मंत्रालय के अधीन कार्यरत अध्यापकों पर लागू करने तथा शिक्षा एवम् सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा सम्बन्धित आदेशों के जारी किये जाने के बाद सेवा-निवृत्त हुए अध्यापकों को लाभ दिये जाने के प्रश्न पर रेल मंत्रालय द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

राजगीर-नालन्दा-पावापुरी बोधगया रेल लाइन

7465. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजगीर, नालन्दा, पावापुरी और बोधगया देशी और विदेशी पर्यटकों के आकर्षण के विशिष्ट केन्द्र हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार राजगीर, नालन्दा और पावापुरी को बोधगया से रेल मार्ग से जोड़ने का है जिससे इन स्थानों की यात्रा पर आने वाले अधिसंख्यक पर्यटकों के लिये यात्रा सुविधाजनक हो और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) बख्तियारपुर-पावापुरी रोड नालन्दा राजगीर लाइन को गया के साथ जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बख्तियारपुर और राजगिरी के बीच नई रेलगाड़ियां चलाना, डिब्बों को बदलना और रेल सेवा में सुधार करना

7466. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्री और उनकी एसोसिएशन पूर्वी रेलवे के बख्तियारपुर और राजगिरि के बीच रेल सेवा बढ़ाने, पुराने डिब्बों के बदलने, रेलगाड़ियों के समय पर चलाने और इस लाइन पर एक्सप्रेस रेलगाड़ियां चलाने की काफी दिनों से मांग कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) यातायात के वर्तमान स्तर के लिए मौजूदा 3 जोड़ी गाड़ियां पर्याप्त समझी जाती हैं। लाइन क्षमता की तंगियों, टर्मिनल सुविधाओं का अभाव, सवारी डिब्बा स्टाक की कमी आदि जैसी कुछ परिचालनिक कठिनाइयों के कारण इस खंड पर एक अतिरिक्त एक्सप्रेस गाड़ी चलाना व्यावहारिक नहीं है। इस खंड पर चल रही गाड़ियों की समय-पाबन्दी का निष्पादन संतोषजनक है।

सवारी डिब्बों की उत्पादन क्षमता और धन की तंगी को देखते हुए सभी पुराने सवारी डिब्बों के स्थान पर नये डिब्बे चलाना सम्भव नहीं है, ऐसा चरण-बद्ध ढंग से किया जा रहा है। सवारी डिब्बों की हालत में सुधार किया जा रहा है।

शोरानूर-नीलाम्बर लाइन पर अधिक गाड़ियां चलाना

7467. **श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शोरानूर-नीलाम्बर लाइन पर इस समय कितनी गाड़ियां चल रही हैं;

(ख) क्या इस लाइन पर और अधिक गाड़ियां चलाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) शोरवण्णु-नीलाम्बर खंड पर दो जोड़ी मिली-जुली गाड़ियां चलती हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दक्षिण रेल के खान-पान ठेकेदार की एसोसिएशनों से ज्ञापन

7468. **श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दक्षिण रेलवे के खानपान ठेकेदारों की एसोसिएशन से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त ज्ञापन का ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

मांगे इस प्रकार हैं :—

(1) लाइसेंस फीस निर्धारित करने के लिए एक मानदण्ड विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए और इसमें समय-समय पर वृद्धि नहीं की जानी चाहिए।

(2) लाइसेंस का नवीकरण पूरी अवधि के लिए किया जाना चाहिए।

(3) कच्चे माल, मंजूरी और अनुरक्षण आदि को ध्यान में रखते हुए टैरिफ दरों में संशोधन करते समय इन्हें ऊर्ध्व रखा जाना चाहिए।

(4) मानक भोजन के लिए व्यंजन सूची और टैरिफ का विकेन्द्रीकरण किया जाना चाहिए।

(5) सेवा प्रभारों के लिए टैरिफ पर 20 प्रतिशत अतिरिक्त प्रभार स्वीकार की जानी चाहिए।

लाइसेंस फीस निर्धारित करने के लिए मानदण्ड पहले से ही विनिर्दिष्ट है, जिसमें स्थान के अनुसार बिक्री की मात्रा, भवनों के अनुरक्षण की लागत आदि के अनुसार समय-समय पर संशोधन किया जाता है। सामान्यतः भोजनयान/मैन्ट्रीकार/बुफे कार/रसोईयानों/रेतरां कारों, अल्पाहार गृहों और रेस्तरा के मामलों में लाइसेंस का नवीकरण 5 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है और वेंडिंग ठेकों अर्थात् चाय के स्टालों, ट्रालियों आदि के मामले में लाइसेंस के नवीकरण की अवधि 3 वर्ष है किन्तु कुछ मामलों में, प्रशासनिक कारणों से अल्प-अवधि में भी लाइसेंस का नवीकरण किया जाता है।

मानक भोजनों और उनके मूल्यों के बारे में यात्री जनता के दिमाग के भ्रम को दूर करने के लिए 1954 में गठित की गई खान-पान से सम्बन्धित उच्चाधिकार समिति अर्थात् अलगेसन समिति ने खानपान ठेकेदारों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श करके भारतीय और पश्चिमी ढंग के भोजन, चाय और काफी के लिए मानक मूल्य निर्धारित करने हेतु मानक व्यंजन सूची तैयार की थी, जिसे सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। तब से, इस मंत्रालय द्वारा इन मदों की सूची और मूल्यों की समीक्षा केन्द्रीकृत रूप से की जी रही है और इसे सभी भारतीय रेलों पर (विभागीय और ठेकेदारों द्वारा संचालित इकाइयों दोनों में) समान रूप से लागू किया जाता है। पिछली बार मानक थाली भोजन की सूची और टैरिफ में संशोधन नवम्बर, 1981 में और चाय तथा काफी के लिए जनवरी 1984 में किया गया था। गाड़ियों में भोजन सेवा के मामले में प्रति भोजन के लिए 50 पैसे और चाय तथा काफी के प्रति पाट के लिए 10 पैसे का अतिरिक्त सेवा प्रभार भी लगाया जाता है।

विशेषज्ञों द्वारा केन्द्रीय स्वास्थ्य औषधालयों का दौरा

7469. **श्री मोहन लाल पटेल :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रोगियों के लाभ के लिए विशेषज्ञ अपने क्षेत्राधिकार के

अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक के० स० स्वा० यो० के औषधालयों का सप्ताह में एक बार दौरा करते हैं;

(ख) क्या यह सच है कि यह व्यवस्था अब समाप्त कर दी गई है, यदि यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि रोगियों को अस्पताल में डाक्टरों को संपर्क करने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) क्या सरकार उपयुक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए रोगियों के लाभ के लिए विशेषज्ञ द्वारा के० स० स्वा० यो० औषधालयों का दौरा करने की पहली व्यवस्था को जारी रखने पर विचार करेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) से (घ) हाल ही तक एक विशेषज्ञ कुछ औषधालयों में दौरा किया करता था। परन्तु प्राक्कलन समिति की सिफारिशों के अनुसार विशेषज्ञ सेवाओं के पुनर्गठन के फलस्वरूप अब औषधालयों को विशेषज्ञ सेवाएं कई औषधालयों के लिए एक मुख्य स्थान पर प्रदान की जाती हैं, जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि जो औषधालय डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल सफदरजंग अस्पताल से काफी दूर हैं, उन्हें विशेषज्ञ सेवाएं नजदीक से नजदीक प्राप्त हो सकें।

भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, देहरादून द्वारा भवन की खरीद

7470. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा निदेशक (विज्ञान) के लिए देहरादून में दस लाख रुपये के अत्यधिक मूल्य पर एक अपर्याप्त भवन खरीदा गया है और जिसका कब्जा भी विवादास्पद है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : 29, न्यू कैंट रोड, देहरादून में संरचना सहित 4.40 बीघे का भू-खंड-भवन परिसर सन् 1982 में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के माध्यम से 9.34 लाख रुपये में खरीदा गया था। यह भवन परिसर अक्तूबर, 1977 से ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कब्जे में है और निदेशक (विज्ञान) के कार्यालय की अपेक्षाओं के लिए पर्याप्त है। इस परिसर में बने एक छोटे आउट हाउस पर अनधिकृत कब्जा है। उसे खाली कराने के लिए पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

तकनीकी सहयोग प्रशिक्षण पुरस्कारों के लिए ब्रिटिश कौंसिल का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को आठ स्थानों का प्रस्ताव

7471. **श्री रणुपद दास** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटिश कौंसिल ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विश्वविद्यालयों और महाविद्यालय के अध्यापकों के लिए तकनीकी सहयोग प्रशिक्षण के लिए आठ स्थानों का प्रस्ताव किया है;

(ख) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वर्ष 1982-83 और 1983-84 के लिए नामांकन आमंत्रित किए गये थे; और

(ग) यदि हां, तो इन नामांकनों को स्वीकार न करने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल): (क) से (ग) ब्रिटिश परिषद के तकनीकी सहयोग प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1983-84 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लिए कोई आबंटन नहीं किया गया था। वर्ष 1983-84 के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 'युवा वैज्ञानिकों' के लिए आठ स्थान निर्धारित किए गए थे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अपेक्षित नामांकन कर दिए गए हैं और दाता एजेंसी को अनुमोदन के लिए भेज दिए गए हैं।

नांगल-तलवाड़ा रेलवे लाइन

7472. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब और हिमाचल प्रदेश में नांगल-तलवाड़ा रेलवे लाइन के निर्माण-कार्य की प्रगति की नवीनतम स्थिति क्या है तथा ऊना जिले में मेहतपुर के रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य कितना हुआ है;

(ख) रेलवे प्रशासन ने राज्य सरकार को अधिसूचना के द्वारा भूमि का अधिग्रहण करने हेतु कहां तक जमीन की हदबन्दी बता दी है तथा वर्ष 1983-84 और 1984-85 के लिए कितनी धनराशियों की व्यवस्था की गई है;

(ग) (एक) मेहतरपुर (दो) ऊना (तीन) अम्ब तक निर्माण-कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है; और

(घ) क्या इस लाइन की औद्योगिक विकास सम्बन्धी क्षमता और वैकल्पिक सुरक्षा लाइन की बात को दृष्टि में रखते हुए इसके निर्माण कार्य को कोई उच्च प्राथमिकता दी जाएगी ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) नंगलडैम और मेहातपुर के बीच भूमि और पुलों सम्बन्धी काम में क्रमश: 85 प्रतिशत और 25 प्रतिशत प्रगति हुई है। मेहातपुर रेलवे स्टेशन का निर्माण-कार्य अभी आरम्भ हुआ है।

(ख) मेहातपुर से 17.5 कि०मी० (अर्थात् ऊना तक) तक भूमि के सीमांकन का कार्य रेल प्रशासन ने राज्य सरकार को दिया है। 1983-84 और 1984-85 के दौरान क्रमशः 95 लाख और 2 करोड़ रुपये का धन आवंटित किया गया है।

(ग) मेहातपुर तक निर्माण कार्य जून, 1984 के अन्त तक पूरा होने की संभावना है। ऊना और अम्ब तक के कार्य की प्रगति और उसका पूरा होना वर्षानुवर्ष धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(घ) विभिन्न चालू नयी लाइन परियोजनाओं के लिए संसाधनों की समग्र तंगी को ध्यान में रखकर प्राथमिकता दी जाती है और धन आवंटित किया जाता है।

उत्कृष्ट महिला शिक्षा कार्यनिष्पत्ति के लिए पुरस्कार

7473. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग में लड़कियों की भर्ती 9 से 14 वर्ष के प्रत्येक आयु वर्ग में लड़कियों के लिए गैर-औपचारिक शिक्षा 15 से 35 वर्ष आयु वर्ग में महिला प्रौढ़ शिक्षा की श्रेणियों के अन्तर्गत महिला शिक्षा की कार्यनिष्पत्ति में उत्कृष्ठता के लिए अगले उच्च प्रशासकीय एकक समूह में प्रथम, द्वितीय और तृतीय रहने वाले राज्यों, जिलों, खंडों और पंचायतों को पुरस्कार देने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब बनाई गई थी;

(ग) इस संबंध में प्रत्येक स्तर अर्थात् पंचायत, खंड, जिला और राज्य स्तर पर प्रथम द्वितीय और तृतीय रहने पर दिये जाने वाले पुरस्कार की वास्तविक राशि क्या है; और

(घ) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक पिछले वर्ष के लिए अब तक दिए गए पुरस्कारों का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) जी, हां। (क) लड़कियों के दाखिले (ख) लड़कियों के लिए अनौपचारिक शिक्षा और (ग) प्रौढ़ महिला साक्षरता के निष्पादन में श्रेष्ठता के लिए एक पुरस्कार योजना 1983-84 के दौरान शुरू की गई है।

(ग) और (घ) 1982-83 के दौरान राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के निष्पादन के आधार पर निम्नलिखित पुरस्कार, जिनका मूल्य प्रत्येक के समक्ष कोष्ठक में दिया गया है, घोषित किए गये हैं :

(1) लड़कियों के विद्यालय में दाखिले में श्रेष्ठता का राज्य स्तरीय पुरस्कार केरल (प्रथम पुरस्कार 1.50 करोड़ रुपये का), पंजाब (द्वितीय पुरस्कार 1 करोड़ रुपये का) और महाराष्ट्र (तृतीय पुरस्कार 80 लाख रुपये का) को दिया गया है।

(2) अनौपचारिक शिक्षा के लिये राज्य स्तरीय पुरस्कार, मध्य प्रदेश (प्रथम पुरस्कार 50 लाख रुपये का), राजस्थान (द्वितीय पुरस्कार 30 लाख रुपये का) और उत्तर प्रदेश (तृतीय पुरस्कार 20 लाख रुपये का) को दिया गया है।

(3) महिला प्रौढ़ साक्षरता में श्रेष्ठता के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार, तमिलनाडु, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश (प्रत्येक को 25 लाख रुपये का पुरस्कार) दिया गया है।

(4) महिला प्रौढ़ साक्षरता में श्रेष्ठता के लिए तीन विशेष पुरस्कार (प्रत्येक 8 लाख रुपये का) चंडीगढ़, दिल्ली और पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्रों को दिये गये हैं।

(5) राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को दिए गये अन्य पुरस्कार नीचे दिए गए हैं :

लड़कियों का नामांकन

(क) पंचायत स्तरीय पुरस्कार (प्रत्येक 25,000 रु० का) 252 पंचायतों को।

(ख) खंड स्तरीय पुरस्कार (प्रत्येक 50,000 रु० का) 116 खंडों के लिए।

(ग) आदिवासी खंडों के लिए पुरस्कार (प्रत्येक 50,000 रु० का) 34 आदिवासी खंडों के लिये।

(घ) जिला स्तरीय पुरस्कार (प्रत्येक 1 लाख रुपये का) 53 जिलों के लिये।

महिला प्रौढ़ साक्षरता

(क) जिला स्तरीय पुरस्कार (प्रत्येक 3 लाख रुपये का) 22 जिलों को।

(ख) केन्द्र स्तरीय पुरस्कार (प्रत्येक 5,000 रुपये का) 1676 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों को।

टिप्पणी : पंचायत खंड, जिला और केन्द्र स्तरीय पुरस्कार, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों की सिफारिशों को ध्यान में रखकर, दिए गये हैं।

उप-कुलपतियों की बैठक द्वारा की गई सिफारिशें

7474. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्नामलाई नगर में दिसम्बर, 1983 में हुई 70 उप-कुलपतियों की बैठक में कोई निश्चित निष्कर्ष निकाले गये थे और सरकार को अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कोई ठोस सिफारिशें की गई थीं; और

(ख) यदि हां, तो इस बैठक की कार्यवाहियों का संक्षिप्त सारांश क्या है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) भारतीय विश्वविद्यालय एसोसिएशन, जो एक अंतर विश्वविद्यालय संगठन है, ने 12 दिसम्बर, 1983 को हुई अपनी 59वीं वार्षिक बैठक में सदस्य विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इत्यादि से प्राप्त विभिन्न मदों पर विचार किया। बैठक में की गई सिफारिशों में निम्नलिखित बातें शामिल हैं :

(1) यह महसूस किया गया कि कई विश्वविद्यालयों में मौजूदा कानून और व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालयों में सुरक्षा प्रबन्धों को मजबूत बनाया जाना चाहिये। मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने और इस संबंध में सिफारिशें करने के लिये एक उप समिति गठित की गई थी।

(2) विश्वविद्यालयों को शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के स्तरों को बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की सिफारिश करते समय यह सुझाव दिया गया कि व्यापक आधार पर शिक्षा प्रदान करने और शिक्षण स्टाफ पर शुरू से नियंत्रण रखने के लिये शिक्षकों की भर्ती विश्वविद्यालय से बाहर के उम्मीदवारों में से करने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

(3) उच्च शिक्षा की कोटि को बढ़ाने और उसे सामयिक प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से अधिक व्यापक रूप से उपलब्ध कराने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रस्ताव विश्वविद्यालयों को भेजा गया।

(4) राष्ट्रीय सामान्य परीक्षा की आवश्यकता का सुझाव देने से संबंधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रस्ताव और राष्ट्रीय अभिरूचि जांच प्रणाली से संबंधित प्रस्ताव भी भेजे गए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शिक्षा मंत्रालय और संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिनिधियों की एक उप-समिति राष्ट्रीय जांच संगठन की शीघ्र स्थापना करने के लिये अपनी सिफारिशें देने हेतु गठित की गई थी।

(5) यह सुझाव दिया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सहयोग से विश्वविद्यालयों द्वारा ग्रीष्म स्कूल आयोजित किए जाएं ताकि ऐसे कार्यक्रमों में भारी संख्या में शिक्षक भाग ले सकें।

(6) विश्वविद्यालय पुस्तकालयों से सम्बन्धित एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने के प्रस्ताव के सभी पहलुओं पर विचार करने के लिये एक उप-समिति नियुक्त की गई थी।

नागपुर और चन्द्रपुर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का सुधार

7475. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर और चन्द्रपुर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति बहुत खराब है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग के इस भाग की स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, नहीं। राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 7 का खंड नागपुर हैदराबाद के भाग के रूप में नागपुर से जम्ब तक ही राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह यातायात के लायक है। जम्ब से चन्द्रपुर तक की सड़क राज्य की सड़क है और इसका अनुरक्षण और सुधार कार्य महाराष्ट्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

सांगली-मिराज रेल सम्पर्क का पुनः स्थापित किया जाना

7476. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) याचिका समिति की सिफारिश के अनुसार सरकार ने सांगली-मिराज और नांदरे-माधव नगर न्यू सांगली रेल संपर्क पुनः स्थापित करने के लिए क्या कार्यवाही की है; और

(ख) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) दोनों निर्माण-कार्य अर्थात् (1) पुणे-मिरज खंड पर नांदरे और न्यू सांगली के बीच एक कार्ड लाइन की व्यवस्था करके ओल्ड माधवनगर स्टेशन की मुख्य लाइन पर लाना और (2) मिरज-सांगली रेल सम्पर्क का पुनः स्थापन अनुमोदित कार्य हैं। चूंकि इन कार्यों की अद्यतन लागत काफी बढ़ गयी है इसलिए एक नया विस्तृत मूल्यांकन किया गया है। पुनर्मूल्यांकन की रिपोर्ट अब प्राप्त हो गयी

है और इन योजनाओं में अन्तर्विष्ट विभिन्न आर्थिक तथा तकनीकी पहलुओं की फिलहाल पुनः जांच की जा रही है।

थाणे के दैनिक यात्रियों की कठिनाइयों के सम्बन्ध में अभ्यावेदन

7477. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाप्रबन्धक (परिचालन) मुख्य रेलवे बम्बई को, थाणे के दैनिक यात्रियों की कठिनाइयों के सम्बन्ध में दिनांक 20 जनवरी और 6 फरवरी, 1984 के अभ्यावेदन प्राप्त हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त अभ्यावेदनों में किन कठिनाइयों का उल्लेख किया गया है और उनको हल करने के लिए किन सुझावों/मांगों को रखा गया है; और

(ग) रेल अधिकारी इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रहे हैं अथवा करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) पत्र में उल्लिखित कठिनाइयां थाणे तथा बम्बई वी० टी० के बीच यात्रा करने वाले थाणे क्षेत्र के दैनिक यात्रियों की समस्या से सम्बन्धित है और दिये गए सुझावों का सम्बन्ध मुख्यतः अतिरिक्त स्थानीय गाड़ियां चलाने तथा थाणे से बम्बई वी० टी० तक भी कुछ तेज स्थानीय गाड़ियां चलाने से है।

(ग) तंगियों के बावजूद, 1-4-1984 से 6 तेज स्थानीय गाड़ियां चलाकर थाणे से प्रारम्भ होकर बम्बई की ओर जाने वाली स्थानीय गाड़ियों की संख्या 13 से बढ़ाकर 19 कर दी गई है।

प्राचीन मूर्तियों की चोरी में वृद्धि

7478. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में पांडुलिपियों, प्राचीन मूर्तियों, मूल्यवान अभिलेखों और दुर्लभ कृतियों की चोरी में काफी वृद्धि हुई है;

(ख) क्या यह सच है कि उच्च स्तरीय राजनयिक व्यापारी और तस्कर ऐसे कार्यों में लगे हुए हैं और देश में इनका एक संगठित गिरोह सक्रिय है; और

(ग) यदि हां, तो हाल ही में गिरफ्तार किए गए ऐसे व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है और ऐसे मामलों को पूरी तरह से रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों का राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी नहीं। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिये गये निम्नांकित आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि पुरावशेषों की चोरी की घटनाओं में तुलनात्मक रूप से ह्रास हुआ है :—

1981	...	878
1982	...	728
1983	...	668

(ख) तस्कर विरोधी एकक से प्राप्त सूचना के अनुसार ऐसी चोरियों में राजनयिकों अथवा वैद्य व्यापारियों के शामिल होने के प्रमाण नहीं मिले हैं।

(ग) राजस्व खुफिया विभाग ने अपने क्षेत्रीय संघटनों को सतर्क कर दिया है। सीमा शुल्क विभाग ने वायु पत्तनों पर निवारक और खुफिया एककों को सशक्त बना दिया है। इसके अतिरिक्त भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने निम्नलिखित उपाय किये हैं :—

(1) विशेष श्रेणी के पुरावशेषों का अनिवार्य रूप से पंजीकरण।

(2) ऐसे पंजीकृत पुरावशेषों की गतिविधि के बारे में पंजीकरण अधिकारियों को सूचित कराया जाना।

(3) पुरावशेषों का व्यापार लाइसेंसधारी व्यापारियों तक ही सीमित करना।

(4) पुरावशेषों के निर्यात को प्रतिबंधित करना।

(5) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नियंत्रणाधीन केन्द्र परिरक्षित कुल महत्वपूर्ण संस्मारकों और संग्रहालयों में पहरे व निगरानी व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के अतिरिक्त सशस्त्र गारदों की तैनाती।

रेलवे परियोजनाओं के लिए परिव्यय

7479. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी**
श्री मनोहर लाल सेनी
श्रीमती किशोरी सिन्हा : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने वर्ष 1984-85 की योजना परियोजनाओं के लिए 1975 करोड़ रुपये के परिव्यय की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उपरोक्त धनराशि दे दी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस धनराशि में किस आधार पर कटौती की गई है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) जैसा कि बजट-भाषण में तथा रेलवे बजट पर बहस के दौरान बताया गया है, योजना आयोग और वित्त मंत्रालय द्वारा यथा-निर्धारित 1984-85 में रेलों के लिए योजना आबंटन की राशि 1650 करोड़ रुपये है। इसे संसद् द्वारा पारित रेलवे बजट में शामिल कर लिया गया है।

1950 और प्रत्येक योजना के अन्त में राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई और

7480. **श्री ए० के० राय** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह कृपा करेंगे कि :

(क) 1950 और प्रत्येक योजना के अन्त में राष्ट्रीय राजमार्ग की लम्बाई और संख्या क्या थी;

(ख) प्रत्येक योजना में सड़कों से प्राप्त हुई आय और उन पर किये गये व्यय का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि प्रगति की दर धीमी है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) विवरण-1 संलग्न है।

(ख) सम्बन्धित सूचना विवरण-2 में दी गई है।

(ग) और (घ) जी हां। योजना साधनों में कमी के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों पर विकास कार्यक्रम में तेजी लाना संभव नहीं हो पाया है।

विवरण-1

प्रथम योजना से योजनावार राष्ट्रीय राजमार्गों में की गई वृद्धि सम्बन्धी विवरण

क्रम सं०	अवधि	अवधि में जोड़ी गई लम्बाई (कि०मी०)	जोड़े गये रा० राजमार्गों की संख्या	अवधि के अन्त में कुल लम्बाई
1	2	3	4	5
1.	1-4-1947 के अनुसार लम्बाई	21,440	37	21,440
2.	प्रथम पंचवर्षीय योजना से पूर्व (1947—51) में जोड़ी गई लम्बाई	815	2	22,255

1	2	3	4	5
3.	प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951—56)	—	—	22,255
4.	दूसरी पंचवर्षीय योजना (1956—61)	1,514	4	23,769
5.	तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961—66)	179	रा०रा० 31 का विस्तार	23,948
6.	अन्तरिम अवधि (1966—69)	52	1	24,000
7.	चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969—74)	4,819	11	28,819
8.	पांचवी पंचवर्षीय योजना (1974—78)	158	1	28,977
9.	अन्तरिम अवधि (1978—80)	46	1	29,023
10.	छठी पंचवर्षीय योजना	2,375	7	31,398

विवरण-2

सड़क परिवहन से राजस्व और सड़कों पर व्यय सम्बन्धी विवरण

क्रम सं०	योजना अवधि	सड़क परिवहन से राजस्व (केन्द्र और राज्य)	सभी श्रेणियों की सड़कों के विकास और अनुरक्षण पर कुल व्यय (करोड़ रुपये में)
1.	1951—56	325.62	186.48
2.	1956—61	591.11	448.91
3.	1961—66	1472.02	644.49
4.	1966—69	1466.42	539.63
5.	1969—74	4019.33	1010.13
6.	1974—78	5861.29	2396.60

केन्द्रीय विद्यालयों में दाखिले और स्थानान्तरण

7481. श्री भीम सिंह
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह
श्री मोती भाई आर० चौधरी } : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 फरवरी, 1984 के दैनिक स्टेट्समैन में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि केन्द्रीय विद्यालयों में दाखिले और स्थानान्तरण के मामलों में अनियमितताएं बरती गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में जांच की है;

(घ) यदि हां, तो जांच करने वाली एजेंसी का ब्यौरा क्या है और उसके द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केन्द्रीय विद्यालय में एक बच्चे के लिए दाखिला प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ और दूसरा केन्द्रीय विद्यालय के एक अध्यापक का स्थानान्तरण करने के तथाकथित जालसाजी के दो मामले केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच के लिए सुपुर्द किए गए हैं।

(घ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच चल रही है।

(ङ) इस समय प्रश्न ही नहीं उठता।

रेलवे सेवा आयोग इलाहाबाद द्वारा 1980 में ली गई परीक्षा के परिणामों की घोषणा

7482. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग में रिक्त पदों को भरने के लिए रेल सेवा आयोग इलाहाबाद द्वारा 1980 में ली गई लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में लाखों बेरोजगार लोग बैठे थे;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणाम घोषित न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या तीन बार परीक्षा का आयोजन करने के बाद भी परिणामों की घोषणा नहीं की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (घ) 1980 के दौरान रेल सेवा आयोग, इलाहाबाद द्वारा विभिन्न कोटियों के पदों की परीक्षा ली गई थी और इनके सभी परिणाम पहले ही घोषित किये जा चुके हैं।

केरल में "इंस्टीट्यूट फार स्टाफ ट्रेनिंग एण्ड टैक्नालाजी अपडेटिंग"

7483. **श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार का सातवीं योजना अवधि के दौरान राज्य में "इंस्टीट्यूट फार स्टाफ ट्रेनिंग एण्ड टैक्नालाजी अपडेटिंग" प्रारम्भ करने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है तथा उस दिशा में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) केरल राज्य में तकनीकी शिक्षा के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना से सम्बन्धित कई अन्य प्रस्तावों के साथ-साथ तकनीकी शिक्षा निदेशक, केरल ने इंजीनियरी कालेजों के शिक्षकों, तकनीशियनों, दस्तकारों और प्रशासकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक संस्थान खोलने का प्रस्ताव किया था। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की दक्षिणी क्षेत्रीय समिति ने 4 जनवरी, 1984 को हुई अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ इन सभी प्रस्तावों पर भी विचार किया और यह संकल्प पारित किया कि जैसे ही राज्य सरकार से प्रस्तावों की औचित्यता/आवश्यकता को दर्शाने वाला ब्यौरे-वार परियोजना रिपोर्ट और राज्य योजना के अन्तर्गत आवश्यक प्रावधानों की उपलब्धता के बारे में पुष्टीकरण सहित अन्य प्रासंगिक सूचना प्राप्त हो जाएगी, तब यह मामले पर कार्रवाई करेगी। इन सिफारिशों के अनुसरण में, मंत्रालय के दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय ने तकनीकी शिक्षा निदेशक, केरल से वांछित सूचना भेजने के लिए मार्च, 1984 में अनुरोध किया है।

बाल विवाह रोकने हेतु उपाय

7484. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि देश के कुछ भागों में अभी भी बाल विवाह होते हैं; और

(ख) बाल विवाह रोकने हेतु सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) बाल विवाह निषेध अधिनियम में बाल विवाह पर रोक लगाने की व्यवस्था है परन्तु ऐसी प्रथाओं को केवल कानूनी कार्यवाही द्वारा पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता। अतः इस प्रथा के विरुद्ध सामाजिक चेतना उत्पन्न करने के लिए जन संचार माध्यमों के माध्यम से सरकार द्वारा एक प्रचार अभियान भी शुरू किया गया है।

शिक्षा प्रणाली द्वारा बच्चों में सृजनात्मक प्रतिभा का नष्ट किया जाना

7485. **श्री बापूसाहिब परूलेकर**
डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी
श्रीमती किशोरी सिन्हा } : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कनाडा की एक बाल विकास विशेषज्ञ श्रीमती पोली हिल द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद की व्याख्यान माला में व्यक्त किये गये विचारों की ओर आकर्षित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि शिक्षा की वर्तमान प्रणाली द्वारा बच्चों की सृजनात्मक प्रतिभा को नष्ट किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद ने; अपने राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान व्याख्यान माला कार्यक्रम के अन्तर्गत, श्रीमती पोली हिल को, 28 दिसम्बर, 1983 को राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के संकाय सदस्यों को सम्बोधित करने के लिए आमन्त्रित किया था। श्रीमती पोली हिल के व्याख्यान का सारांश राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान न्यूजलेटर के फरवरी 1983 के अंक में प्रकाशित किया गया था।

श्रीमती पोली हिल द्वारा व्यक्त किये गये विचारे उनके व्यक्तिगत विचार हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद, सृजनात्मकता की संकल्पना, स्कूलो में सृजनात्मक बच्चों का पता लगाने के तरीकों को समझने के लिए शिक्षकों तथा शिक्षक प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान कर के बच्चों में सृजनात्मकता के विकास और इस प्रकार उनकी सृजनात्मक क्षमता का पता लगाने के अवसर प्रदान करने के लिए प्रयत्न कर रही है। देश के अन्य बहुत से संगठनों द्वारा भी इसी दिशा में अच्छा कार्य किया जा रहा है।

वर्ष 1984-85 के दौरान तपेदिक के रोगियों का इलाज करने के लिए राज्यों को सहायता

7486. **श्री अमर सिंह राठवा**
श्री चिन्तामणि जेना } : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार पता लगाये गये तपेदिक के मामलों की संख्या क्या है;

(ख) केन्द्र द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान तपेदिक के रोगियों का इलाज करने के लिए प्रत्येक राज्य को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि केन्द्र द्वारा दी गई सहायता अपर्याप्त है;

(घ) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों ने केन्द्र द्वारा दी गई सहायता में वृद्धि करने का अनुरोध किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो उपर्युक्त अवधि के दौरान गुजरात राज्य को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है और उसकी मांग क्या थी; और

(च) सरकार द्वारा वर्ष 1984-85 के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन के अंतर्गत इस रोग का उन्मूलन करने के लिए राज्यों को अधिकतम सहायता उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) अप्रैल, 1983 से फरवरी, 1984 तक पता लगाये गये क्षय रोगियों की राज्य-वार संख्या (अनन्तिम आंकड़े) का एक विवरण-I संलग्न है।

(ख) से (ङ) राष्ट्रीय क्षय-रोग नियंत्रण कार्यक्रम को एक केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में क्रियान्वित किया जा रहा है। जिसका खर्च केन्द्र और राज्यों द्वारा 50 : 50 के आधार पर वहन किया जाता है। केन्द्र के हिस्से के 50 प्रतिशत खर्च के अलावा राज्य अपने 50 प्रतिशत हिस्से के साथ-साथ काफी खर्च अपने नान-प्लान बजट से वहन करते हैं। केन्द्रीय सरकार अपने हिस्से के एक भाग के रूप में उपकरण क्षयरोग रोधी औषधियां सप्लाई करती हैं। गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सप्लाई की गई सामग्री और उपकरणों/क्षय रोग-रोधी औषधियों के मूल्य का ब्यौरा विवरण-2 में दिया गया है। इससे यह पता चलता है कि गुजरात राज्य सहित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से अधिक सहायता के लिये मिले अनुरोध को ध्यान में रखते हुए इस सम्बन्ध में 1983-84 के दौरान केन्द्रीय सहायता में काफी वृद्धि की गई है।

(च) 1984-85 के बजट अनुमानों में 1050/- लाख रुपये के अस्थायी बजट के प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है, जो राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझा गया है ।

विवरण-I

अप्रैल, 1983 से फरवरी 1984 तक के नये क्षय रोगियों का विवरण
राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम		संख्या
1	2		3
1.	आन्ध्र प्रदेश	—	47,344
2.	असम	—	14,139
3.	बिहार	—	82,015
4.	गुजरात	—	92,261
5.	हरियाणा	—	17,741
6.	हिमाचल प्रदेश	—	11,198
7.	जम्मू व कश्मीर	—	7,356
8.	कर्नाटक	—	44,045
9.	केरल	—	21,939
10.	मध्य प्रदेश	—	80,654
11.	महाराष्ट्र	—	1,85,568
12.	मणिपुर	—	1,518
13.	मेघालय	—	1,171
14.	नागालैण्ड	—	65
15.	उड़ीसा	—	20,278
16.	पंजाब	—	33,558
17.	राजस्थान	—	27,169
18.	सिक्किम	—	621
19.	तमिलनाडु	—	83,825
20.	त्रिपुरा	—	1,508

1	2		3
21.	उत्तर प्रदेश	—	1,85,881
22.	पश्चिम बंगाल	—	61,605
23.	अरूणाचल प्रदेश	—	1,004
24.	गोवा, दमन व दीव	—	2,512
25.	मिजोरम	—	910
26.	पांडिचेरी	—	3,828
27.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	—	561
28.	चंडीगढ़	—	1,843
29.	दादरा व नगर हवेली	—	283
30.	दिल्ली	—	34,028
31.	लक्षद्वीप	—	140
	कुल		10,67,148

विवरण-2

राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम

(रुपये लाखों में)

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	1981-82	1982-83	1983-84
		वास्तविक	वास्तविक	वास्तविक
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	8.37	10.82	26.32
2.	असम	3.25	3.32	10.04
3.	बिहार	37.57	5.59	17.12
4.	गुजरात	9.45	13.99	25.07
5.	हरियाणा	2.64	5.85	13.91

1	2	3	4	5
6.	हिमाचल प्रदेश	3.74	3.68	7.44
7.	जम्मू व कश्मीर	2.51	4.60	13.05
8.	कर्नाटक	7.46	13.74	26.87
9.	केरल	5.25	8.46	16.50
10.	मध्य प्रदेश	33.00	13.35	38.39
11.	महाराष्ट्र	8.84	16.92	43.28
12.	मणिपुर	0.67	0.51	1.01
13.	मेघालय	3.71	0.57	0.52
14.	नागालैण्ड	3.54	0.08	0.42
15.	उड़ीसा	5.60	5.36	19.98
16.	पंजाब	6.11	8.43	13.43
17.	राजस्थान	5.63	7.14	30.95
18.	सिक्किम	—	—	0.50
19.	तमिलनाडु	9.61	18.70	29.51
20.	त्रिपुरा	0.04	0.54	5.68
21.	उत्तर प्रदेश	18.56	24.60	57.48
22.	पश्चिम बंगाल	9.41	12.88	33.68
23.	अरूणाचल प्रदेश	4.14	2.24	1.26
24.	गोवा, दमन व दीव	0.70	0.67	5.46
25.	मिजोरम	0.17	0.43	0.87
26.	पांडिचेरी	0.59	1.41	2.23
27.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	0.56	0.29	0.77
28.	चंडीगढ़	0.66	0.54	0.63
29.	दादरा व नगर हवेली	0.08	0.12	0.17
30.	दिल्ली	11.29	15.87	26.64
31.	लक्षद्वीप	—	—	—
	कुल	203.95	199.70	469.18

वाणिज्यिक निरीक्षकों के पदों का दर्जा बढ़ाना

7487. **श्री रामेश्वर नीखरा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रेड-वार, जोनल रेलवे-वार परिवहन निरीक्षकों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) 1 जनवरी, 1979 और हाल के पुनर्गठन के दौरान कुल कितने परिवहन निगम के पदों का दर्जा बढ़ाया गया है ;

(ग) ग्रेड-वार और जोनल रेलवे वार वाणिज्यिक निरीक्षकों की कुल संख्या कितनी है और 1 जनवरी, 1979 से 1 जून, 1980 के दौरान उनके कितने पदों का दर्जा बढ़ाया गया है ;

(घ) क्या यह सच है कि वाणिज्यिक निरीक्षकों पर हाल के पुनर्गठन से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ; और

(ङ) वाणिज्यिक निरीक्षकों के पदों का दर्जा बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी।

(घ) और (ङ) वाणिज्यिक निरीक्षकों की संवर्ग-पुनर्संरचना इस मंत्रालय के विचाराधीन है।

दूरदर्शन के माध्यम से ग्रामीण जनता को विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा प्रदान करना

7488. **श्री के० मालन्ना** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दूरदर्शन के माध्यम से ग्रामीण लोगों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुई नवीनतम प्रगति की जानकारी देने के लिए कोई महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल): (क) और (ख) विज्ञान कार्यक्रम, दिल्ली और अन्य दूरदर्शन केन्द्रों से नियमित रूप से किए जाते हैं। विज्ञान विषयों से संबंधित कार्यक्रमों को राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल करने का प्रस्ताव है। विज्ञान कार्यक्रम, शैक्षिक दूरदर्शन सेवा के अंतर्गत इनसेट-1 बी० द्वारा भी प्रसारित किए जा रहे हैं। विज्ञान कार्यक्रमों के निर्माण से संबंधित विषयों पर सलाह देने के लिए दूरदर्शन में विज्ञान कार्यक्रम सलाहकार समिति है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाने तथा और लोगों

में वैज्ञानिक भावनाएं पैदा करने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय विज्ञान और प्रोद्योगिकी संचार परिषद गठित की गई है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी संभव संचार साधनों और माध्यमों का उपयोग किया जाएगा। विज्ञान शिक्षा सहित शिक्षा में दूरदर्शन के उपयोग के लिए महाराष्ट्र, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और बिहार में एक महत्वाकांक्षी परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। अन्य राज्यों को भी शामिल करने के लिए परियोजना का यथा समय विस्तार किया जाएगा।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

7489. **श्रीमती प्रमिला दंडवते**
श्री मोतीभाई आर० चौधरी
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह } : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी संसदीय समिति ने अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की भांति अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भी 15 प्रतिशत सीटों के आरक्षण की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई उपाय किए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति (सातवीं लोक सभा) ने अपनी उन्तालीसवीं रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की थी कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अनुरूप अध्ययन के सभी पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जातियों के लिए 15% तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 7½% आरक्षण प्रदान करना स्वीकार करना ही चाहिए।

(ख) सरकार ने सिफारिश नोट कर ली तथा दिसम्बर 1981 में संसद द्वारा संशोधित अ० मु० वि० अधिनियम में निहित विश्वविद्यालय के विशेष स्वरूप को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय के साथ मामले को उठाना स्वीकार कर लिया था।

(ग) तथा (घ) सरकार विश्वविद्यालय को आरक्षण आदेशों का पालन करने के लिए अनुरोध करती रही है। विश्वविद्यालय ने बताया है कि विश्वविद्यालय के उपयुक्त प्राधिकारियों को प्रस्तुत करने के लिए मामले पर कार्रवाई की जा रही है।

महिलाओं के संबंध में राष्ट्रीय आयोग स्थापित करने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ की सिफारिशें

7490. **श्रीमती प्रमिला दंडवते** : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने सभी देशों से सिफारिश की है कि वे राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सांविधिक शक्तियों युक्त महिलाओं संबंधी राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करें ;

(ख) यदि हां, तो विश्व के कितने देशों ने सर्वाधिक शक्तियों युक्त इस प्रकार के आयोग स्थापित किये हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि महिलाओं का दर्जा संबंधी समिति में भी अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष (1975) में प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में राज्य और केन्द्र के स्तर पर महिलाओं संबंधी राष्ट्रीय आयोग स्थापित करने की सिफारिश की थी ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल): (क) और (ख) जी, नहीं। फिर भी संयुक्त राष्ट्र ने सरकारों के भीतर ही अन्तर-अनुशासनिक और बहु-खण्डीय व्यवस्थातंत्र (नेशनल मशीनरी) स्थापित करने की सिफारिश की है। भारत सहित 84 देशों ने ऐसे व्यवस्थातंत्र की स्थापना की है।

(ग) जी, हां।

(घ) क्योंकि सरकार ने समाज कल्याण मंत्रालय में पहले से ही एक ऐसे राष्ट्रीय व्यवस्थातंत्र की स्थापना की हुई है जिसमें महिलाओं संबंधी राष्ट्रीय समिति और महिला कल्याण और विकास ब्यूरो सम्मिलित है, अतः राष्ट्रीय आयोग का गठन करना उपयुक्त नहीं समझा गया।

लेह में केन्द्रीय स्कूल के लिए भवन

7491. **श्री पी० नामग्याल** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लेह में हाल ही में खोले गए केन्द्रीय स्कूल के भवन के निर्माण के लिए कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ;

(ख) क्या इसके लिए भूमि अधिग्रहीत कर ली गई है और यदि हां, तो भवन निर्माण कार्य कब शुरू होगा ; और

(ग) प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है और इस समय नियुक्त कर्मचारियों (स्टाफ) की संख्या कितनी है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल): (क) और (ख) लेह स्थित केन्द्रीय विद्यालय के भवन निर्माण के लिए कोई राशि निर्धारित नहीं की गई है, क्योंकि केन्द्रीय विद्यालय संगठन को अभी तक भूमि स्थानांतरित नहीं की गई है।

(ग) लेह स्थित केन्द्रीय विद्यालय में 4.4.1984 की यथा स्थिति के अनुसार छात्रों और स्टाफ की संख्या निम्नलिखित थी :—

छात्रों की संख्या

कक्षा I	54
कक्षा II	37
कक्षा III	23
कक्षा IV	21
कक्षा V	9

कर्मचारियों की संख्या

प्रभारी प्रधानाचार्य	1
प्राथमिक अध्यापक	9
संगीत अध्यापक	1
अवर श्रेणी लिपिक	1
वर्ग घ	1

दूरस्थ शिक्षा (डिस्टेंस एजूकेशन) पाठ्यक्रम

7492. **श्री रेणुपद दास** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता विश्वविद्यालय ने कला स्नातक और वाणिज्यिक स्नातक की डिग्री के के लिए दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम आरंभ करने का एक प्रस्ताव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसे स्वीकार कर लिया गया है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उसके लिए आवश्यक वित्तीय सहायता पर विचार करके उसे मंजूरी प्रदान कर दी गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल): (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को बी० ए०/बी० काम (पास) स्तर पर पत्राचार पाठ्यक्रम लागू करने के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय से जून, 1980 में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

(ख) और (ग) आयोग ने सिद्धांत रूप में प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। विश्वविद्यालय से आयोग की मार्गदर्शी रूपरेखाओं के अनुसार वित्तीय सहायता के लिए संशोधित योजना प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। विश्वविद्यालय ने अभी तक संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में धन का अभाव

7493. **श्री रेणु पद दास :** क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास अनेक वर्षों से धन का अभाव है यहां तक कि जिन महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों की खोज की गई है उनके वैज्ञानिक ढंग से अनुरक्षण तथा नये स्थलों की खोज के लिए भी धन नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी नई परियोजनाएं शुरू की गई और कितनी पूरी की गई ; विशेषकर पूर्वी भारत में ;

(घ) इन कार्यक्रमों पर वास्तव में राज्य-वार कितनी धन राशि खर्च की गई है ; और

(ङ) इसके क्या परिणाम निकले ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विनिर्दिष्ट समस्याओं पर प्रकाश डालने हेतु उन्हीं समस्या-मूलक उत्खनन कार्यों को अपने हाथ में लेता है जिसके बारे में हमारा ज्ञान अपर्याप्त है। साधारणत., सभी उत्खनन कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उन प्राचीन स्थलों का क्रमबद्ध अन्वेषण किया जाता है ताकि निर्दिष्ट क्षेत्र में स्थल की प्रभविष्णुता का पता चल सके। अत: समस्या के समाधान हेतु उत्खनन के लिए प्रभविष्णु स्थल का चयन किया जाता है। सर्वेक्षण, राज्य के पुरातत्व विभागों और विश्वविद्यालयों/शोध संस्थानों द्वारा तैयार किये गये उत्खनन के प्रस्तावों की पुरातत्व के केन्द्रीय

सलाहकार बोर्ड की स्थायी समिति द्वारा सम्यक रूपेण जांच की जाती है जिसमें केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों के प्रतिनिधि होते हैं तथा उत्खनन किये जाने वाले स्थल के बारे में अन्तिम निर्णय लिये जाते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भारतवर्ष के पूर्वी भाग में बल्लालधीपि, जिला नादिया, पश्चिम बंगाल, सराय टीला, जिला नालंदा, बिहार में उत्खनन कराये हैं। अंतीचक, जिला भागलपुर, बिहार में पहले शुरू किये गये उत्खनन कार्य को भी 1981-82 वर्ष के दौरान भी चालू रखा गया।

(घ) संपूर्ण देश में अन्वेषण/उत्खनेन कार्यों के लिए वर्ष 1983-84 में 27,02,000/- रु० का आवंटन किया गया था और वर्ष 1984-85 के लिए 28 लाख रु० की धनराशि के आवंटन किये जाने का प्रस्ताव है। निधियों का आवंटन कार्यालय-वार/शाखा-वार (प्रत्येक कार्यालय/शाखा का कार्यक्षेत्र एक से अधिक राज्यों में होता है) किया जाता है, राज्य-वार नहीं।

(ङ) उपर्युक्त उत्खननों से बल्लालधीपि में एक विशाल ईंटों का मंदिर जो लगभग 10-11 ई० शताब्दी का है, जिसका ऊर्ध्वच्छन्द पिरामिडनुमा है और वह एक बड़ी दीवार से घिरा हुआ है, सराय टीले में मध्ययुगीन बौद्ध मठ और अंतीचक में मध्ययुगीन बौद्ध संरचनाएं एवं पुरावशेष उद्घाटित हुए हैं।

विश्वविद्यालयों और कालेजों में अध्यापकों को विदेशों में भेजना

7494. **श्री रेणुपद दास :** क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 1981-82, 1982-83 और 1983-84 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के अन्तर्गत भारतीय विश्वविद्यालयों और कालेजों के कितने अध्यापकों को विदेश भेजा गया ;

(ख) उन विश्वविद्यालयों और कालेजों के नाम क्या हैं, जिनके अध्यापकों को विदेश भेजा गया ; और

(ग) इन अध्यापकों का चयन करने के मानदंड क्या हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विद्युत इंजनों में इस्तेमाल की जाने वाली मोटरें

7495. **श्री सरज भान**
श्री अटल बिहारी वाजपेयी } : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980-81, 1981-82 और 1983-84 में विद्युत इंजनों में प्रत्येक श्रेणी, अर्थात 'मेल'

द्वारा निर्मित, आयातित तथा अन्य प्रकार की कितनी मोटरें इस्तेमाल की गई ;

(ख) उपर्युक्त वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष में इस प्रकार की प्रत्येक श्रेणी की मोटरों में से कितनी मोटरें सामान्य सेवा के दौरान खराब हो गई ;

(ग) इसके परिणामस्वरूप आय में हुई हानि सहित कितना नुकासन हुआ ; और

(घ) उपर्युक्त भाग (ख) में उल्लिखित कितने प्रतिशत मोटरें गारंटी की अवधि के दौरान ही खराब हो गई ओर उनका क्या हुआ ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) बिजली रेल इंजनों में इस्तेमाल की जा रही भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० में बनी, आयातित तथा अन्य किस्म की कर्षण मोटरों की अनुमानित संख्या नीचे दी गयी है :—

वर्ष	भा० है० इ० लि०		आयातित		अन्य	
	ए०सी०	डी०सी०	ए०सी०	डी० सी०	चि० रे० का०	
	ब०ला०	ब०ला०	ब०ला०	मी०ला०	ब०ला०	ए०सी०/ब०ला०
1980-81	155	360	936	40	276	2834
1981-82	156	360	934	40	276	3170
1982-83	135	360	946	40	276	3552
1983-84	126	360	942	40	276	3756

(ख) इन वर्षों के दौरान क्षतिग्रस्त मोटरों (खराबी आ जाने) की अनुमानित संख्या नीचे दी गयी है :—

वर्ष	भा० है० इ० लि०		आयातित		अन्य	
	ए०सी०	डी०सी०	ए०सी०	डी० सी	चि० रे० का०	
	ब०ला०	ब०ला०	ब०ला०	मी०ला०	ब०ला०	ए०सी०/ब०ला०
1980-81	5	113	270*	कोई नहीं	180*	461
1981-82	7	122	303*	कोई नहीं	180*	572
1982-83	11	164	303*	कोई नहीं	178*	750
1983-84	5	81	226*	कोई नहीं	137*	736

*थोक में आयातित कर्षण मोटरें 15/20 वर्ष पूर्व खरीदी गयी थी, इसलिए उनकी खराबी की दर की सही-सही तुलना कम आयु वाली देशी मोटरों से नहीं की जा सकती ।

(ग) मोटरों में उत्पन्न खराबियों के कारण रेल इंजनों के रुक जाने की वजह से आय में किसी प्रकार कमी को रोकने के लिए फालतू मोटरों की हमेशा विशिष्ट रूप से पर्याप्त व्यवस्था की जाती है ताकि खराब मोटरों को फालतू मोटरों से बदला जाय और रेल इंजनों को सेवा में बनाये रखा जाय। खराब हुई मोटरों की छोटी-मोटी मरम्मत के लिए और बड़ी मरम्मतों के लिए चि० रे० का०/रेलों की वर्कशापों भा० है० इ० लि० की मरम्मत यूनिटों में धन खर्च किया जाता है। बिजली शेडों में कर्षण मोटरों सहित अलग-अलग उपस्करों की मरम्मत पर हुए खर्च का लेखा-जोखा रखने की कोई प्रणाली नहीं है, इसलिए कर्षण मोटरों पर हुए खर्च का उल्लेख नहीं किया जा सकता।

(घ) चि० रे० का० द्वारा निर्मित कर्षण मोटरों पर कोई वारंटी शर्त नहीं है। आयातित तथा भा० है० इ० लि० में निर्मित कर्षण मोटर बहुत पहले खरीदी गयी थी और वारंटी की विफलता के रिकार्ड तत्काल उपलब्ध नहीं है।

केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा निरीक्षण किये गये आयुर्वेदिक कालिज

7496. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय भारतीय औषध परिषद् ने 1982-83 और 1983-84 के दौरान कितनी आयुर्वेदिक संस्थाओं का निरीक्षण किया और उसके क्या निष्कर्ष थे ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् ने भारतीय चिकित्सा, केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48 वां) की धारा 20 के उपबंधों के अन्तर्गत 1982-83 और 1983-84 में क्रमशः 32 और 5 आयुर्वेदिक कालेजों का दौरा किया। ये दौरे यह जानने के लिए गए कि उन कालेजों में शिक्षा का स्तर अर्थात भारतीय चिकित्सा में शिक्षा देने के लिए या इनके यहां की परीक्षाओं के लिये निर्धारित स्टाफ, उपकरणों, आवास, प्रशिक्षण संबंधी और अन्य सुविधाएं पर्याप्त हैं या नहीं। इन दौरों के निषकर्ष मुख्यतः इन्हीं क्षेत्रों के बारे में है।

उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के कटक-भुवनेश्वर सेक्शन का चौड़ा किया जाना

7497. **श्री हरिहर सोरन** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास उड़ीसा से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5 में कटक-भुवनेश्वर सेक्शन को चौड़ा करने के संबंध में कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की क्रियान्विति के लिए अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) दोहरी लेन वाली मौजूदा कटक-भुवनेश्वर सड़क को चरणबद्ध ढंग से चार लेन तक चौड़ा करने की परिकल्पना की गई है। ओ० एम० पी० जंक्शन में महानदी पुल के दाहिनी ओर के पहुंच मार्ग तक चौड़ा करने के लिए 91 लाख रुपए की अनुमानित राशि की परियोजना को तकनीकी रूप से अनुमोदित कर दिया गया है। इसके लिए आर्थिक सहायता मंजूर करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

मैसर्स ए० एच० व्हीलर एण्ड कम्पनी को बुक स्टालों का आबटन

7498. **श्री भीखा भाई** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स ए० एच० व्हीलर एण्ड कम्पनी द्वारा राज्यवार और रेलवे-जोन-वार कितने बुक स्टाल चलाये जा रहे है ;

(ख) मैसर्स ए० एच० व्हीलर एंड कम्पनी को बुक स्टाल आबंटित करने के क्या कारण हैं

(ग) उक्त कम्पनी को बुक स्टाल किन शर्तों पर आबंटित किये गये और दिये गये हैं ;

(घ) क्या आबंटन और पट्टा स्थायी आधार पर है या इसका नवीकरण करना पड़ता है ; और

(ङ) मैसर्स व्हीलर एण्ड कम्पनी को आबंटित बुक स्टालों से रेलवे को कितनी हानि होती?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) मैसर्स ए० एच० व्हीलर एंड कम्पनी द्वारा चलाये जा रहे राज्यवार तथा रेलवे-वार बुक स्टालों की संख्या नीचे दी गई है :

राज्यवार		
बिहार	—	48
आन्ध्र प्रदेश	—	19
महाराष्ट्र	—	86
उड़ीसा	—	11
पश्चिम बंगाल	—	30
मध्य प्रदेश	—	34
गुजरात	—	26
दिल्ली	—	5
उत्तर प्रदेश	—	72
कर्नाटक	—	2
असम	—	13
नागालैंड	—	1
राजस्थान	—	11
हरियाणा	—	2
		360

रेलवे-वार

मध्य	—	83
पूर्व	—	41
उत्तर	—	48
पूर्वोत्तर	—	34
पूर्वोत्तर सीमा	—	30
दक्षिण मध्य	—	21
दक्षिण पूर्व	—	24
पश्चिम	—	79
		360

(ख) मैसर्स ए० एच० व्हीलर एण्ड कम्पनी को बुक-स्टाल आबंटित करने का कारण यह है कि पिछले 100 वर्षों से उन्होंने यात्रियों के लिए पठन-सामग्री उपलब्ध कराने के लिए, सप्लायर के रूप में उन्नति की है और उन्होंने अपने बिक्री उत्पादन में से रेलवे की रायल्टी देने के साथ-साथ यात्रियों के लिए संतोषजनक सेवाएं भी प्रदान की हैं।

(ग) और (घ) संतोषप्रद कार्य-निष्पादन होने पर मेसर्स ए० एच० व्हीलर एण्ड कम्पनी के साथ बुक-स्टाल के करारों का 9 वर्षों के आधार पर नवीकरण किया जाता है।

(ङ) 1982 और 1983 के दौरान मैसर्स ए० एच० व्हीलर द्वारा भुगतान की गयी रायल्टी की राशि नीचे दी गयी है :—

1982	11,81,388/- रु०
1983	12,53,418/-रु० (अनन्तिम)

नागदा रेलवे स्टेशन पर ऊपरि पुल

7499. **श्री भीखा भाई** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागदा रेलवे स्टेशन पर हर तरफ तीन-तीन सीढ़ियों वाले दो ऊपरि पुल हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि ये ऊपरि पुल बहुत तंग हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या ये यातायात के लिए बाधक हैं ; और

(घ) यदि हां, तो साइकिल जैसे वाहनों को इन पुलों से जाने की अनुमति क्यों दी जाती हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां,

(ख) प्रत्येक ऊपरि पैदल पुल की चौड़ाई 6 फुट है। इन दोनों ऊपरी पैदल पुलों की कुल चौड़ाई 12 फुट है और इस स्टेशन पर वर्तमान यातायात के स्तर के लिए यह चौड़ाई पर्याप्त है।

(ग) जी नहीं।

(घ) इन ऊपरी पैदल पुलों पर वाहन यातायात की अनुमति नहीं है। साइकिल पर सवार हुए बिना साइकिल ले जाने की अनुमति है क्योंकि रेलवे लाइन के दोनों ओर शहर आबाद हैं।

निजी ठेकेदारों द्वारा रेलमार्गों का रख-रखाव

7500. **श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे निजी ठेकेदारों को रेलमार्गों के रख-रखाव के लिये ठेका देने पर विचार कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो ठेके की शर्त समाप्त हो जाने के बाद किसी दोष के लिये किसे जिम्मेदार ठहराया जायेगा ; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

फूलपुर में गाड़ियों की जांच के लिए कर्मचारी

7501. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लखनऊ डिवीजन के अन्तर्गत कैरिज और वैगन विभाग द्वारा गाड़ियों की जांच के लिए फूलपुर में कोई कर्मचारी उपलब्ध नहीं होता है ; और

(ख) फूलपुर में प्रतिदिन कितनी गाड़ियों की जांच की जानी होती है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) कोई नहीं। प्रतिदिन 2 से कम गाड़ियां आती-जाती हैं। इन गाड़ियों की जांच प्रत्येक गाड़ी के मार्ग के अनुसार वाराणसी अथवा इलाहाबाद में की जाती है।

बम्बई वी० टी० उपनगरीय रेलवे स्टेशन को नया रूप दिया जाना

7502. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिकतम व्यस्तता वाले घंटों में बम्बई वी० टी० उपनगरीय रेलवे स्टेशन पर बहुत भीड़-भाड़ हो जाती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को नया रूप देने का प्रस्ताव है ;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ; और

(घ) उनका सही सही ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) बम्बई वी० टी० में सुचारू प्रवेश और निकास के लिए दोहरी निकासी वाले प्लेटफार्म की व्यवस्था करने हेतु उपनगरीय यार्ड के ढांचे में परिवर्तन के कार्य की स्वीकृति दी गयी है। कार्य का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(1) उपनगरीय यार्ड के आर-पार ऊपरी पैदल पुल की व्यवस्था।

(2) एक दोहरी निकासी वाले प्लेटफार्म तथा एक अतिरिक्त प्लेटफार्म की व्यवस्था।

(3) रूट रिले अंतर्पाशन केबिन का निर्माण तथा सम्बद्ध मशीनरी की व्यवस्था।

ऊपरी पैदल पुल का काम पहले ही पूरा हो चुका है और यह 26-1-84 से चालू हो गया है। इससे दैनिक यात्रियों को प्लेटफार्म से शीघ्र आने-जाने में सहायता मिली है।

बंबई पत्तन न्यास द्वारा बंबई नगर निगम को देयिताओं की अदायगी न किया जाना

7503. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंबई न्यास ने बम्बई नगर निगम को जल और सम्पत्ति कर के रूप में 90 65 लाख रु० की अदायगी करनी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को मालूम है कि बम्बई नगर निगम की वित्तीय स्थिति खराब है और इस गैर-अदायगी से उस पर और अधिक भार पड़ा है ; और

(ग) यदि हां, तो बम्बई पत्तन न्यास द्वारा अदायगी न किए जाने के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) 31-3-1984 तक बम्बई नगर निगम का बम्बई पोर्ट ट्रस्ट के पास 80.85 लाख रुपये बकाया थे जिसमें 1970-71 से 1983-84 की अवधि तक वाटर चार्जेज के रूप में 61.79 लाख रु० और 1969-70 से 1983-84 तक की अवधि का कवरेज चार्जेज के रूप में 19.06 लाख रु० शामिल है। बम्बई पोर्ट ट्रस्ट का कहना है कि ये धन विवादस्पद बिल के रूप में हैं, दुहरे बिल के रूप में हैं और ऐसे बिल हैं जहां इनको कुछ भी देय नहीं बनता है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के लिए दी गयी धनराशि

7504. **श्री नारायण चौबे** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के लिये वर्ष 1980-81, 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के लिये कितनी धनराशि दी है ;

(ख) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से केवल चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती बन्द करने को कहा है और स्टाफ की किसी अन्य श्रेणी के लिए नहीं कहा, यदि हां, तो कब से ; और

(ग) केवल चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति पर प्रतिबंध लगाये जाने के विशेष कारण क्या हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को निम्नलिखित अनुदान दिये गए थे :—

(रुपये लाखों में)

वर्ष	योजनेत्तर	योजनागत	कुल
1980-81	1094.93	297.80	1392.73
1981-82	1240.72	190.86	1431.58
1982-83	1634.46	220.68	1855.14
1983-84 (अनन्तिम)	1822.10	171.25	1983.35

(ख) और (ग) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में गैर-शिक्षण कर्मचारियों के वेतनमानों में असमानता को समाप्त करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने फरवरी, 1983 में वर्ग 'घ' कर्मचारियों के वेतनमान बढ़ाने का निर्णय किया था। ऐसा करते समय, आयोग ने यह सलाह दी है कि सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को पदोन्नति अवसर प्रदान करने के लिए गैर शिक्षण कर्मचारियों के संवर्गों की पुनः संरचना करने के लिए कदम उठाने चाहिए और विभिन्न संवर्गों की विस्तृत रूप से समीक्षा किए जाने तक वर्ग 'घ' पदों पर कोई नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए।

खान-पान (केटरिंग) का ठेका देने सम्बन्धी नियम और नीतियां

7505. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे के विभिन्न जोनों में खान-पान का ठेका देने सम्बन्धी नियमों और नीतियों में संशोधन किया है ;

(ख) क्या महाप्रबंधकों द्वारा विभिन्न जोनों में खान-पान स्टालों के लिए लाइसेंस का ठेका मंजूर करने में भिन्न भिन्न नियमों और नीतियों का पालन किया जा रहा है ;

(ग) यदि हां, तो इन नियमों और नीतियों का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या पश्चिम रेलवे और मध्य रेलवे के बम्बई उपनगरीय रेलवे स्टेशनों पर ऐसे ठेके/लाइसेंस दिए गए थे ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी नहीं। खान-पान ठेकों के आवंटन के सम्बन्ध में क्षेत्रीय रेलों को कुछ प्रशासनिक अनुदेश जारी किये गये हैं जिनमें अनुपालनार्थ मुख्य मार्ग दर्शक सिद्धांत निर्धारित किये गये हैं और इनमें समय-समय पर संशोधन किये जाते हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

कला और संस्कृति परंपरा के लिये इंडियन नेशनल ट्रस्ट

75 6. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कला और संस्कृति परम्परा के लिए हाल ही में इंडियन नेशनल ट्रस्ट की स्थापना की गई है ;

(ख) यदि हां, तो ट्रस्ट के उद्देश्य क्या हैं ;

(ग) ट्रस्ट द्वारा शुरू की जाने वाली प्रयोजनाओं का ब्योरा क्या है ; और

(घ) क्या अपनी परम्परा के अनुरक्षण के लिए क्षेत्रीय निकायों की स्थापना, इसके कार्य के विस्तार और इसमें युवकों को शामिल करने का विचार है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल): (क) भारतीय राष्ट्रीय कला और सांस्कृतिक परम्परा न्यास एक स्वैच्छिक संगठन के रूप में स्थापित किया गया है।

(ख) से (घ) न्यास के उद्देश्य, जिनका उनके संघ के ज्ञापन में उल्लेख किया गया है, संलग्न विवरण में पुनः उद्धृत किए गए हैं। इन उद्देश्यों के समर्थन में शुरू की जाने वाली परियोजनाओं और इसके ढांचे के संबंध में निर्णय करना न्यास का कार्य है।

विवरण

जिन उद्देश्यों के लिए सोसायटी का गठन किया गया है वे नीचे दिए गए हैं :—

(1) भारत की सांस्कृतिक और प्राकृतिक परम्परा के परिरक्षण और अतीत के अनुभव तथा कौशल का सम्मान तथा जानकारी के लिए जनता में जागृति पैदा करना तथा प्रोत्साहित करना ;

(2) प्राकृतिक स्रोत तथा सांस्कृतिक सम्पत्ति के परिरक्षण तथा संरक्षण के लिए उपाय करना जो उच्च पुरातत्वीय, ऐतिहासिक, कलात्मक अथवा वैज्ञानिक महत्व के दृश्य सौंदर्य और भू-वैज्ञानिक स्थलों, जो किसी भी केन्द्रीय अथवा संविधियों द्वारा सुरक्षित नहीं है, तक ही सीमित नहीं है।

(3) न केवल ऐतिहासिक भवनों बल्कि ऐतिहासिक स्थलों और नगरों तथा देशीय कलात्मक प्रदर्शन वास्तुकला अथवा कौशलपूर्ण कारीगरी के परिरक्षण के लिए उपयुक्त उपाय शुरू करना ;

(4) किसी भी ऐसी सांस्कृतिक सम्पत्ति अथवा उसके किसी भाग का अधिग्रहण करना अथवा पट्टे पर लेना जिसे सोसायटी अपने उद्देश्य के समर्थन के लिए आवश्यक समझती हो ;

(5) सांस्कृतिक और प्राकृतिक परम्परा का प्रलेखन शुरू करना ;

(6) जब सांस्कृतिक और प्राकृतिक परम्परा को, निजी अथवा सार्वजनिक नीति अथवा किसी अन्य कारण से, क्षति अथवा विनाश का अकस्मात खतरा पैदा होता है तो जनमत तैयार करके प्रभावी समूह के रूप में कार्य करना ;

(7) प्रायोगिक संरक्षण परियोजनाएं शुरू करना ;

(8) ग्रामीण और शहरी विकास योजनाओं के सांस्कृतिक घटकों का पता लगाना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भौतिक और प्रौद्योगिकीय प्रगति उन्मुख योजनाएं वास्तुशिल्पीय और सांस्कृतिक परम्परा अथवा स्रोतों को किसी प्रकार का खतरा पैदा न करे ;

(9) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, राज्य पुरातत्व विभाग, राष्ट्रीय और अन्य संग्राहलय तथा सांस्कृतिक सम्पत्ति संरक्षण अनुसंधान प्रयोगशाला जैसे व्यावसायिक राष्ट्रीय और प्रादेशिक संगठनों तथा यूनेस्को और अन्तर्राष्ट्रीय स्मारक तथा स्थल परिषद् (आई० सी० ओ० एम० ओ० एस०), अन्तर्राष्ट्रीय संग्राहलय परिषद् (आई० सी० ओ० एम०) अन्तर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक सम्पत्ति परिरक्षण और पुनरुत्थान अध्ययन केन्द्र, रोम (आई० सी० सी० आर० ओ० एम०), अन्तर्राष्ट्रीय प्रकृति और प्राकृतिक स्रोत संरक्षण यूनियन (आई० यू० सी० एन०) जैसे अन्तर्राष्ट्रीय व्यावसायिक संगठनों तथा ऐसे ही निकायों के साथ सहयोग बढ़ाना और उसे सुदृढ़ करना ;

(10) परम्परागत कलाओं और शिल्पकलाओं के परिरक्षण को बढ़ावा देना तथा उनकी प्रमाणिकता और पहचान को सुनिश्चित करना ;

(11) सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्रोत तथा परम्परा के परिरक्षण तथा रचनात्मक और नवीन कार्यकलापों के लिए भी वित्तीय, तकनीकी और बौद्धिक सहायता प्रदान करने के लिए 'संस्कृति बैंक' के रूप में कार्य करना ;

(12) प्राकृतिक और सांस्कृतिक सम्पत्ति तथा स्रोतों के संरक्षण से संबंधित मामलों में विचारों और तकनीकों के आदान प्रदान के लिए उपयुक्त मंच बनाना और अध्ययन पाठ्यक्रम, कार्यशालाएं, सम्मेलन तथा व्याख्यान शुरू करना, आयोजित करना और सुकर बनाना ।

(13) तकनीकी वैज्ञानिक योजनाओं तथा सिद्धांत संबंधी परिरक्षण के मामलों में अनुसंधान को बढ़ावा देना ;

(14) सोसायटी के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए पत्र-पत्रिकाओं, पुस्तकों, पुस्तिकाओं,

सूचना पत्रों, इश्तिहारों इत्यादि का प्रकाशन शुरू करना और उसकी व्यवस्था करना ;

(15) सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के अध्ययन को सुकर बनाने के लिए पुस्तकालय और सूचना सेवाएं स्थापित करना और उनका अनुरक्षण करना ;

(16) सोसायटी के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए भारत में सुविधाजनक केन्द्रों पर क्षेत्रीय शाखाएं अथवा सभाएं गठित करना अथवा गठन के लिए प्रेरित करना ;

(17) प्रोन्नति कार्यकलाप शुरू करना जिनके करने से सोसायटी प्रयोजनार्थ उपयोग में आने वाले सोसायटी के संसाधनों में वृद्धि होगी ;

(18) चार्ल्स विलियम वालेस बीक्वेस्ट से इसे सुलभ कराई गई निधियों और तत्संबंधी आय के संचालन के लिए सतत व्यवस्था करना और उसे इतिहास मानविकी, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कला और शिल्प सहित शिक्षा की प्रोन्नति के लिए उपयोग करना, जो पूर्णतः धर्मार्थ होगी और जो भारत गणराज्य अथवा ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के युनाइटेड किंगडम की जनता अथवा इन देशों के किसी वर्ग की जनता के लाभ के लिए होगी, तथा जो भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से होगी।

(19) पूर्वोक्त धर्मार्थ उद्देश्यों को बढ़ावा देने लेकिन और अन्यथा नहीं तथा उसकी व्यापकता के पूर्वाग्रह के बिना :—

(क) यू० के० की राष्ट्रीयता रखने वाले उन पुरुष और महिलाओं को वित्तीय सहायता के प्रावधान के लिए सोसायटी की सम्पूर्ण अथवा कोई पूंजी अथवा आयु का उपयोग करना जो ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के युनाइटेड किंगडम के अधिवासी अथवा निवासी हैं ताकि वे भारत का दौरा कर सकें और भारत में ऐसे किसी पाठ्यक्रम का अध्ययन, अनुसंधान अथवा कोई अन्य शैक्षिक कार्य कर सकें जो किसी भी एक देश अथवा दोनों देशों के लिए लाभदायक हो ;

(ख) वित्तीय सहायता के प्रावधान के लिए (अनुदान द्वारा अथवा अन्यथा जैसा कि सोसायटी निर्धारित करें) अथवा भारत गणराज्य में किसी धर्मार्थ शैक्षिक संस्था अथवा ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के युनाइटेड किंगडम में किसी धर्मार्थ शैक्षिक संस्था जो (अकेले अथवा अन्यों के साथ) यू० के० की राष्ट्रीयता रखने वाले और युनाइटेड किंगडम में अधिवासी और सामान्यता वहां के निवासी व्यक्तियों की सेवा कर रहा है, सोसायटी की

सम्पूर्ण पूंजी अथवा उसका कोई भाग अथवा आय का उपयोग करना बशर्ते भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमोदन हो ;

(20) सोसायटी की सभी आय आमदनी, चल और/अथवा अचल सम्पत्ति का इसके लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्रोन्नति के लिए ही उपयोग किया जाएगा ;

(21) सोसायटी के उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रेरक और प्रासंगिक सभी विधि सम्मत कार्य करना ।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अंतर्गत अध्यापक

7507. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन के देश में विभिन्न स्थानों पर इसके अंतर्गत काम करने वाले अध्यापकों की भर्ती के लिए अलग शर्तें हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा पोटब्लेयर में स्थानीय रूप में भर्ती किए गए और बाद में स्थायी रूप में खपाए गए प्राथमिक विद्यालय अध्यापकों को अंदमान विशेष वेतनाविशेष भत्ता, किराया मुक्त आवास और निःशुल्क समुद्री यात्रा के लाभ नहीं दिए गए हैं ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन के प्रत्येक कर्मचारी का भारत में कहीं भी स्थानांतरण किया जा सकता है ; और

(च) यदि हां, तो पोर्टब्लेयर में संगठन के कुछ कर्मचारियों की सेवा संबंधी शर्तों में भेदभाव बरतकर उन्हें वित्तीय तथा अन्य लाभों से वंचित रखने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल): (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) और (घ) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के वर्तमान नियमों के अनुसार पोर्ट ब्लेअर में कार्य कर रहे इसके स्थानीय नियुक्त कर्मचारी सन्दर्भित भत्ते आदि के पात्र नहीं है । तथापि, संगठन को यह सलाह दी गई है कि वे सरकार द्वारा अपने स्थानीय नियुक्त कर्मचारियों को यदि

कोई इसी प्रकार की सुविधाएं प्रदान की गई हों तो उसके संदर्भ में मामलों की जांच करें।

(ङ) जी हां, तथापि नीति के मामले के रूप में प्राथमिक अध्यापकों को सामान्य तौर पर सिवाय उनके अनुरोध के उनके राज्यों से बाहर स्थानांतरित नहीं किया जाता।

(च) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अंतर्गत कार्य करने वाले सभी अध्यापक एक समान नियमों तथा विनियमों से अभिशासित होते हैं। अतः किसी विशेष वर्ग के कर्मचारियों के विरुद्ध भेद भाव का प्रश्न नहीं उठता।

रेल दुर्घटनाओं में मरने वाले व्यक्तियों के परिवारों को किया जाने वाला भुगतान

7598. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल दुर्घटनाओं में मारे जाने वाले व्यक्तियों के परिवारों को सीमित धनराशि का भुगतान किया जाता है ;

(ख) यदि नहीं, तो मृतकों के परिवारों को कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है ; और

(ग) क्या रेल दुर्घटनाओं में मरने वाले व्यक्तियों के परिवारों को स्थायी रूप से एक निश्चित धनराशि के भुगतान करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय रेल अधिनियम, 1890 और रेल दुर्घटना (क्षतिपूर्ति) नियम, 1950 के प्रावधानों के अन्तर्गत गाड़ी दुर्घटनाओं के हताहतों को रेलवे क्षतिपूर्ति का भुगतान करती है। भारतीय रेल अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत मृत्यु या पूर्ण रूप से अक्षम हो जाने के मामले में क्षतिपूर्ति की देय राशि 1,00,000 रुपये है। बहरहाल, तत्काल कठिनाई कम करने के उद्देश्य से, दुर्घटना के तुरंत बाद उनके इस क्षतिपूर्ति के दावों को प्राभावित किए बिना अनुग्रह राशि का भुगतान भी किया जाता है।

मद्रास-नई दिल्ली रेल मार्ग का दोहरा करना

7509. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास तथा नई दिल्ली के बीच दोहरे रेल मार्ग को पूरा करने के लिये कुल कितने किलोमीटर पटरी की आवश्यकता होगी ;

(ख) इस महत्वपूर्ण खण्ड को पूरा करने में विलम्ब के क्या कारण है, जिसके लिये तत्काल दोहरे मार्ग की आवश्यकता है ; और

(ग) इस क्षेत्र अर्थात मद्रास और दिल्ली के मार्ग को कब तक दोहरा करने की संभावना है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) 341.21 कि० मी०

(ख) और (ग) 183.01 कि० मी० पर रेल पथ के दोहरीकरण का काम चल रहा है और इसका पूरा किया जाना वर्षानुवर्ष धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। शेष इकहरी लाइन, खण्डों (158.20 कि० मी०) के दोहरीकरण पर यातायात की आवश्यकताओं और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जायेगा।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर खान-पान की व्यवस्थाएं

7510. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान रेलवे द्वारा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भवन का नवीकरण करने तथा उसमें अन्य परिवर्तन करने के लिए कितनी धनराशि व्यय की गई तथा उसके क्या कारण हैं ;

(ख) नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पश्चिमी रेलवे द्वारा खान-पान के लिए चल रही 'बेस किचन' को बन्द करने के क्या कारण हैं इसे कब आरम्भ किया तथा इसका वार्षिक लाभ क्या है ; और

(ग) नई दिल्ली रेलवे रटेशन पर पश्चिम रेलवे द्वारा चलाई जा रही वर्तमान 'बेस किचन' के स्थान पर खान-पान के लिए क्या व्यवस्था की गई है तथा किस मूल्य पर तथा उससे कितना लाभ होने का अनुमान है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान नयी दिल्ली स्टेशन में छोटे-मोटे परिशोधन/सुधार सम्बन्ध कार्यों सहित सामान्य अनुरक्षण पर किया गया खर्च का विवरण इस प्रकार है :—

1981-82	16.05 लाख रु०
1982-83	21.71 लाख रु०
1983-84	17.65 लाख रु०

इसके अलावा, 1983-84 में नयी दिल्ली स्टेशन पर केन्द्रीकृत आधार रसोईघर की व्यवस्था करने के लिए 7.5 लाख रु० खर्च किये गये थे।

(ख) पश्चिम रेलवे द्वारा संचालित आधार रसोई घर को बंद नहीं किया गया है इसे नयी दिल्ली स्टेशन भवन के पहली मंजिल पर नये स्थान में स्थानांतरित कर दिया गया है। इसको मई, 1972 में शुरू किया गया था और 1983-84 के दौरान इसमें 37,27,884/- रु० की बिक्री हुई थी जिससे 9,74,649/- रुपये का लाभ हुआ था।

(ग) नयी दिल्ली स्टेशन पर पश्चिम रेलवे की आधार रसोईघर सहित सभी अलग-अलग रसोईघरों को मिलाकर एक केन्द्रीकृत आधार रसोईघर में बदल दिया गया है जिसके लिए 7.50 लाख रु० की व्यवस्था की गयी थी । इस पर आधार रसोईघर से पिछले वर्षों की भांति ही लाभ अर्जित होने की प्रत्याशा है ।

उड़ीसा में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा और गांव से गांव सर्वेक्षण कार्यक्रम

7511. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के गांव से गांव सर्वेक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत उड़ीसा में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा अब तक कुल कितने गावो का सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) उन गांवों के तथा उनके जिलों के नाम क्या क्या हैं, जिन गांवों का सर्वेक्षण किया जाना है ;

(ग) कितने पुरातात्विक खंडरों तथा अवशेषों का पता चला है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा कितने स्मारकों की सुरक्षा की गई है ;

(घ) यदि सर्वेक्षण की प्रगति धीमी है तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) भारती पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा उड़ीसा के कोरापुट जिले के गांवों और नदी घाटियों को उसके अंतर्गत लाने के लिए यदि कोई कदम उठाये गये है तो वे क्या हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने प्राचीन ध्वसावशेषों की ग्रामीण सर्वेक्षण योजना के अधीन उड़ीसा में अब तक 499 गांवों का सर्वेक्षण किया है ।

(ख) जिन गांवों का अब तक सर्वेक्षण हुआ है, वे मयूरभंज और कटक जिलों में पड़ते हैं। सर्वेक्षण इस राज्य के सभी गांवों का सर्वेक्षण करेगा जिनकी संख्या 50,000 से भी अधिक है।

(ग) फिलहाल, उड़ीसा में 65 केन्द्र परिरक्षित संस्मारक/स्थल हैं ।

(घ) क्षेत्र और निहित कार्य की मात्रा को ध्यान में रखते हुए सर्वेक्षण की प्रगति संतोषजनक है ।

(ङ) ग्रामीण योजना के अंतर्गत अन्वेषण का कार्य सतत् प्रक्रियाशील है और कोरापुट जिले में अन्वेषण उसकी बारी पर किया जाएगा ।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण के अन्तर्गत धार्मिक स्थल

7512. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुरातत्व विभाग के नियंत्रण के अधीन 29 फरवरी, 1984 तक (राज्य-वार और क्षेत्रवार) कितने मस्जिद, मन्दिर, पवित्रस्थल, गिरजाघर, गुरुद्वारे और अन्य संरक्षित स्मारक थे ;

(ख) इन स्मारकों पर वर्ष 1980-81, 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान राज्य वार और संघ क्षेत्र-वार सरकार ने कितनी धनराशि खर्च की ; और

(ग) विभाग द्वारा आगामी दो वर्षों के दौरान राज्य-वार कितने स्मारकों को अपने नियंत्रण में लिये जाने का प्रस्ताव है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालय की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) अधिसूचना की प्रविष्टियों के अनुसार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन तारीख 29-2-84 को केन्द्रीय परिरक्षित संस्मारकों/स्थलों की संख्या 3510 है जिसमें मस्जिद, मंदिर और गिरजाघर आदि शामिल हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संस्मारकों/स्थलों के नामों को दर्शाने वाली सूची संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ख) संस्मारकों/स्थलों के संरक्षण के लिए बजट मंडल-वार तैयार किया जाता है, राज्य-वार नहीं।

(ग) संस्मारकों/स्थलों का संरक्षण कार्य एक सतत प्रक्रिया है। ज्यों ही कोई संस्मारक/स्थल सर्वेक्षण के ध्यान में लाये जाते हैं, उनका परीक्षण किया जाता है और यदि उन्हें केन्द्रीय परीरक्षण के उपयुक्त पाया जाता है, तो कार्यवाही की विधिवत औपचारिकताएं पूरी करने के बाद सभी प्रासंगिक विवरण देते हुए, उन्हें प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष नियम, 1958 के अधीन राष्ट्रीय महत्व का संस्मारक घोषित कर दिया जाता है।

गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के सम्मेलन/राष्ट्रमण्डलीय देशों के शासनाध्यक्षों के सम्मेलन के लिए डी० एल० वाई० कारों का किराये पर लिया जाना

7513 **श्री पी० के० कोडियन** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के सम्मेलन/राष्ट्रमण्डलीय देशों के शासनाध्यक्षों के सम्मेलन के दौरान किसी प्राइवेट फर्म से 6 महीने से लेकर डेढ़ वर्ष की अवधि के लिये डी० एल० वाई० कारें किराये पर ली गई थी ;

(ख) यदि हां तो उस फर्म का नाम क्या है, कितनी डी० एल० वाई० कारें किराये पर

ली गई थीं, दैनिक भुगतान की दर क्या थी और किराये के रूप में कुल कितनी धनराशि खर्च की गई ; और

(ग) इतनी लंबी अवधि के लिये किराये पर प्राइवेट कारें लेकर लाखों रुपये का भुगतान करने के बजाय यदि मंत्रालय नई मोटर कारें खरीद लेता, तो क्या सरकार के लिये वह लाभप्रद नहीं रहता ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) और (ख) जी नहीं। गुट निरपेक्ष आंदोलन/राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्ष सम्मेलन में जिन कारों की जरूरत पड़ी थी वे मुख्य रूप से भारतीय पर्यटन विकास निगम से किराये पर ली गई थी जो कि सरकारी क्षेत्र का एक उपक्रम है। "नाम" के दौरान परिवहन प्रभार के रूप में कुल मिलाकर 70.53 लाख रु० दिए थे जिसमें से 59.10 लाख रु० भारतीय पर्यटन विकास निगम को अदा किए गए और शेष 11.43 लाख रु० 32 प्राइवेट ट्रांसपोर्टरों को दिए गए थे जिनके वाहन भारतीय पर्यटन विकास निगम की दरों पर लिए गए थे। इसी तरह राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों के सम्मेलन के दौरान अदा की गयी 47.14 लाख रु० की कुल रकम में से 32.04 लाख रु० की रकम भारतीय पर्यटन विकास निगम को दी गयी और शेष 15.10 लाख रु० की राशि 13 प्राइवेट ट्रांसपोर्टरों को अदा की गई।

(ग) चूंकि उक्त दोनों सम्मेलनों की परिवहन संबंधी अधिकांश आवश्यकताएं भारतीय पर्यटन विकास निगम को पूरी करनी थी इसलिए पर्यटन मंत्रालय ने इस उद्देश्य के लिए 300 एम्बेसेडर कारें खरीदी थीं।

राष्ट्रमंडल देशों के राष्ट्राध्यक्षों के सम्मेलन के सचिवालय द्वारा उपकरणों की खरीद

7514. श्री पी० के० कोडियन : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारी मात्रा में बड़ी लागत पर खरीदे गये उपकरणों के निरीक्षण और खरीद के लिए राष्ट्रमंडल देशों के राष्ट्राध्यक्षों के सम्मेलन के सचिवालय के पास केवल एक एजेंसी थी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) और (ख) जी, नहीं। विदेशों से प्राप्त किए गए उपकरण के संबंध में इस तरह के निरीक्षण की कोई बात नहीं थी, क्योंकि इस उपकरण की सप्लाई गारंटी/वारंटी धारा के अन्तर्गत इसके निर्माताओं ने इस आशय का परीक्षण प्रमाण-पत्र दिया था कि यह सभी निर्माण दोषों से मुक्त है। जहां तक स्वदेशी चीजों की खरीद का सवाल है संबद्ध उपकरण का या तो आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय के निरीक्षणालय द्वारा निरीक्षण किया गया था अथवा निपटान एवं आपूर्ति निदेशालय के विदेश मंत्रालय से संबद्ध निरीक्षणालय के अर्हता प्राप्त वस्तु निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण कर लिया गया था।

बीमारी के कारण मरने वालों की प्रतिशतता

7515. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न बीमारियों के कारण मरने वालों की प्रतिशतता क्या है ;

(ख) इनमें से कुछ बीमारियों के कारण मरने वालों की अधिक प्रतिशतता के क्या कारण हैं ; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन बीमारियों पर नियंत्रण करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं, तथा उनका क्या परिणाम है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) इस मंत्रालय में उपलब्ध सूचना का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ख) इनमें से कुछ बीमारियों से मौतों का प्रतिशत अधिक होने के ठीक-ठीक क्या कारण हैं यह बतलाना तो कठिन है किन्तु सामान्यतः यह माना जाता है कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों का समाज-आर्थिक स्तर ठीक न होना, कुपोषण, और अधिक भीड़-भाड़ होना, गंदी पर्यावर्णिक स्थितियां, स्वास्थ्य परिचर्या की सेवाओं का पूरा-पूरा उपयोग न करना और स्वास्थ्य शिक्षा की कमी का अनेक संचारी रोगों से होने वाली मौतों में बड़ा हाथ होता है । उम्र का बढ़ जाना और उसमें आधुनिक जीवन के दबाव और तनाव वृहत और सूक्ष्म कैंसर जनक अनेक परिस्थितियों की मौजूदगी तथा जीवन-यापन के तरीकों में आये परिवर्तनों का हृदय रोग और कैंसर में होने में बहुत बड़ा हाथ होता है ।

(ग) स्वास्थ्य एक राज्य विषय है । फिर भी भारत सरकार उपलब्ध संसाधनों को देखते हुए लोगों के स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाने के लिए स्वास्थ्य परिचर्या की निरन्तर रूप से उपयुक्त व्यवस्था करती रही है और उसने कई राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किये हैं जो या तो पूर्णतः केन्द्रीय हैं या केन्द्रीय प्रायोजित हैं । इनमें से कुछ कार्यक्रम इस प्रकार हैं : —

1. राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम ।
2. राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम ।
3. राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम ।
4. दृष्टिहीनता निवारण कार्यक्रम ।
5. कैंसर अनुसंधान और उपचार कार्यक्रम ।
6. राष्ट्रीय गलगंड नियंत्रण कार्यक्रम ।
7. जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य कार्यक्रम जिसमें विस्तृत टीका कार्यक्रम आदि शामिल है।

चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाने के लिए भारत सरकार संस्थागत अनुदान के अन्तर्गत देश में पात्र स्वयंसेवी चिकित्सा संस्थाओं को सहायता अनुदान भी दे रही है।

विवरण

जो-जो रोग समूह मौत का बड़ा कारण होते हैं उनसे 1978, 1979 और 1980 के दौरान (देहाती इलाकों में) हुई मौतों की प्रतिशतता का विवरण

		ग्रामीण इलाके			
क्र० सं०	मुख्य कारण (प्रमुख लक्षण)	1978 मौतों की प्रतिशतता	1979 मौतों की प्रतिशतता	1980 मौतों की प्रतिशतता	1981 मौतों की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6
1.	खांसी (श्वसन प्रणाली के रोग)	20.6	20.3	20.00	20.7
	1. फेफड़ों का क्षय रोग				
	2. दमा या श्वसन प्रणाली में अलर्जी वाले बिकार।				
	3. निमोनिया				
	4. ब्रांकाइटिस				
2.	बुढ़ापा	19.2	18.5	20.7	22.4
3.	शिशु-अवस्था के रोग	13.0	13.5	13.6	12.1
	1. समयपूर्व जन्म				
	2. जनजात शिशुओं में श्वसन क्रिया का संक्रमण				
	3. नवजात शिशुओं में अतिसार				
	4. कुपोषण				
4.	बुखार	9.6	8.9	8.5	8.4
	1. टायफाइड				
	2. इंफ्लूएंजा				
	3. मलेरिया				

1	2	3	4	5	6
5.	**पाचन संबंधी विकार**	9.3	9.7	9.3	8.0
	1. जठरांत्र शोध				
	2. मेदा सख्त होना				
	3 कमजोरी और कुपोषण				
	4. पेट का अलसर				
6.	**खून के दौरे संबंधी रोग**	9.0	9.3	8.6	8.8
	1. दिल का दौरा (इस्की-मिक हार्ट डीसीज)				
	2. अरक्तता				
	3. कंजेस्टिव हृदय रोग				
7.	**अन्य स्पष्ट लक्षण**	7.8	8.3	7.5	8.1
	1. कैंसर				
	2. टेटनस				
	3. पीलिया				
	4. सिरोसिस आफ लिवर				
8.	**दुर्घटनायें और चोटें**	4.9	4.6	5.0	5.1
	1. डूब जाना				
	2. वाहन दुर्घटनायें				
	3. आत्महत्या				
	4. सांप का काटना				
9.	**केन्द्रीय तांत्रिक प्रणाली के रोग**	3.6	3.6	3.8	3.5
	1. लंकवा या सेरेब्रल-एपापर्लस्ली				
	2. मस्तिष्क-शोथ				
		97.0	96.7	97.0	97.1

स्रोत :— 1978, 79, 80 और 81 में (देहाती क्षेत्रों में) मौतों के कारण ।

जो-जो रोग समूह मौत का बड़ा कारण होते हैं वर्ष 1978 और 1979 में उनसे हुई मौतों के प्रतिशत का विवरण।

	नगरीय क्षेत्र	नगरीय	
प्रमुख समूह सं०	मृत्यु के कारण का वर्णन	1978 % मृत्यु	1979 % मृत्यु
1.	इंफेक्टिव एवं पैरासिटिक रोग	24.5	21.7
2.	नेयोप्लाजमा	3.5	3.0
3.	एन्ड्रोक्राईन न्यूट्रिशनल एवं मेटाबालिक रोग	2.4	2.8
4.	रक्त एवं रक्त बनाने वाले अंगों के रोग	2.2	2.3
5.	मानसिक विकार	0.1	0.2
6.	नर्वस सिस्टम एवं सैंस आनों के रोग	3.8	4.6
7.	सर्कुलेटर सिस्टम के रोग	15.0	14.3
8.	रेलिपिरेटरी सिस्टम के रोग	8.3	6.5
9	डाइजेष्टिव सिस्टम के रोग	5.6	5.8
10.	जेनिटो यूरिनरी सिस्टम के रोग	1.4	1.7
11.	प्रसव, शिशु जन्म तथा प्रासविक जटिलताएं	1.2	1.8
12.	स्किन एवं सबक्युटेनियस टिशु रोग	0.2	0.2
13.	नसक्लोस्कलेटल सिस्टम एवं वनेक्टिव टिशु रोग	0.1	0.1
14.	जन्मजात रोग	0.6	1.1
15.	प्रसवकालीन रोगों तथा मृत्यु के कुछ कारण	7.8	8.8
16.	लक्षण और तीन वर्णित दशायें	14.3	15.6
17.	दुर्घटनाएं, विषाक्तता और उग्रता	9.0	9.5
	योग :	100.00	100.00

स्रोत :—वाइटल स्टेटिक्टिक्स आफ 1979 (1979 में भारत के जन्म-मरण के आंकड़े)

नोट :—मृत्यु के कारण की डाक्टरी तौर पर प्रमाणित करने की योजना कुछेक राज्यों में शुरू की गई हैं और यह योजना जिलों और शिक्षण अस्पतालों को कवर करती है।

बीना-कटनी सेक्शन पर एक नई तीव्र गाड़ी चलाया जाना

7516. **श्री राम प्रसाद अहिरवार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय की बीना-कटनी सैक्शन पर एक नई तीव्र गाड़ी चलाने की योजना है ;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) यातायात औचित्य के अलावा, संसाधनों की तंगी के कारण इस खंड पर एक अतिरिक्त गाड़ी चलाना फिलहाल व्यावहारिक नहीं है ।

'हाऊ हर्स आपरेटर कैपीटेलाइस आन डेथ

7517. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 मार्च के "इंडियन एक्सप्रैस" में "हाऊ हर्स आपरेटर कैपीटेलाइस आन डेथ" शीर्ष से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो अवैध अर्थी सेवा (हर्स सर्विस) की अवांछनीय गतिविधियों और इसमें अस्पताल के कर्मचारियों की सांठ-गांठ होने की जांच कराने के लिए सरकार का विचार क्या उपाय करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) (क) हां ।

(ख) जहां तक केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों अर्थात् डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली और सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली का सम्बन्ध है, अर्थी-वाहन चलाने वाले प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा अस्पताल के कर्मचारियों के साथ सांठ-गांठ करके शोषण करने के बारे में मृतकों के रिश्तेदारों से कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं । दिल्ली प्रशासन ने भी बतलाया है कि शवों को ले जाने के लिए लोगों द्वारा स्वयं व्यवस्था की जाती है और इसलिए अस्पताल कर्मचारियों के साथ उनके मिले होने/सांठ-गांठ होने का प्रश्न ही नहीं उठता । उन्होंने यह भी बतलाया है कि दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका के भी वाहन हैं जो शवों को भुगतान पर ले जाते हैं । दिल्ली नगर निगम के पास 18 वाहन हैं इनमें से 16 चालू हालत में हैं । नई दिल्ली नगर पालिका

के पास ऐसे दो वाहन हैं। ये वाहन सूचना देने पर दिन-रात हर समय उपलब्ध होते हैं। दिल्ली नगर निगम प्रति किलोमीटर 1.50 रुपए तथा नई दिल्ली नगर पालिका 1.00 रुपये प्रति किलोमीटर प्रभार लेते हैं लेकिन यह कम-से-कम 15.00 रुपये होता है।

दिल्ली प्रशासन ने यह भी सूचित किया है कि उनके परिवहन निदेशालय को हाल ही में यह पता चला कि कुछ प्रीइवेट आपरेटर गैर-कानूनी ढंग से अर्थी-वाहन चला रहे हैं। परिवहन निदेशालय के इनफोर्समेंट स्टाफ ने ऐसे वाहनों के विरुद्ध अभियोग चलाया है।

क्षय रोग अवरोधक औषधियों के लिए 1984-85 के दौरान गुजरात के लिए धनराशि

7518. **श्री आर० बी० गायकवाड** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि क्षय रोग के मामलों को कम करने के लिए सरकार द्वारा गुजरात राज्य को क्षय रोग अवरोधक औषधियों की सप्लाई के लिए दी गई धनराशि अपर्याप्त है;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् ने सिफारिश की है कि क्षय रोग अवरोधक औषधियों की सप्लाई के लिए केन्द्रों को शत प्रतिशत खर्च दिया जाना चाहिए;

(ग) केन्द्र सरकार ने गुजरात में नए क्षय रोग के मामलों का पता लगाने के लक्ष्य की तुलना में वर्ष 1983-84 के लिए इस राज्य को कितनी धनराशि दी है; और

(घ) वर्ष 1984-85 के लिए इस कार्य हेतु कितनी धनराशि देने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसका खर्च केन्द्र और राज्यों द्वारा 50 : 50 के आधार पर वहन किया जाता है। इस कार्यक्रम के लिए राज्य-वार आबंटन योजना आयोग/भारत सरकार द्वारा वर्ष प्रतिवर्ष स्वीकृत कुल परिव्यय को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। केन्द्र के 50 प्रतिशत हिस्से के अलावा राज्य अपने 50 प्रतिशत खर्च के साथ-साथ नान-प्लान बजट से काफी खर्च वहन करते हैं। केन्द्र सरकार अपने हिस्से के एक भाग के रूप में राज्यों को उपकरण और क्षय रोग रोधी औषधियां सप्लाई करती हैं।

(ख) हां। योजना आयोग ने इस प्रस्ताव को समर्थन नहीं दिया है।

(ग) 50 प्रतिशत केन्द्रीय हिस्से के अन्तर्गत 1983-84 के दौरान गुजरात में क्षय रोग केन्द्रों को लगभग 25.07 लाख रुपये की सामग्री और उपकरण/क्षय रोग रोधी औषधियां सप्लाई की गई थीं।

(घ) 1984-85 में गुजरात को सामग्री और उपकरण/क्षय रोग रोधी औषधियां सप्लाई करने के लिए 1984-85 के बजट अनुमानों में 86.50 लाख रुपये का एक अस्थायी केन्द्रीय आबंटन किया गया है।

बांसवाड़ा-रतलाम लाइन का सर्वेक्षण

7519. **श्री भीखा भाई** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बांसवाड़ा-रतलाम के बीच प्राथमिक सर्वेक्षण की वांछनीयता पर पुनः विचार कर रही है;

(ख) क्या यह सच है कि दुर्गापुर से उसकी दूरी के आधार पर पहले किए गए सर्वेक्षण अलाभकारी थे;

(ग) क्या यह सच है कि औद्योगिक तथा कृषि क्षेत्र में भारी वृद्धि होने के कारण 54 किलोमीटर की रेलवे लाइन की दूरी लाभकारी हो गई है; और

(घ) क्या तत्सम्बन्धी प्राथमिक आंकड़ों को संकलित किया जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी नहीं।

(ख) पहले किये गए सर्वेक्षण से पता चला कि दुर्गापुर तक विस्तार किये बिना भी यह परियोजना अर्थक्षम नहीं थी।

(ग) इस परियोजना की लाभप्रदत्ता का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है।

(घ) फिलहाल नहीं।

कुछ रेल मार्गों पर यात्री यातायात का सर्वेक्षण करना तथा अजमेर-खंडवा सैक्शन पर अधिक रेलगाड़ियां चलाना

7520. **श्री भीखा भाई** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ ऐसे रेलवे मार्गों पर यात्री यातायात का कोई सर्वेक्षण किया है जहां रेलगाड़ियों में बहुत भीड़ भाड़ होती है और यात्री रेलगाड़ियों की छतों पर यात्रा करते हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मार्ग और रेलगाड़ियां कौन-कौन सी हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या यह सच है कि छोटी लाइन पर चलने वाली यात्री गाड़ियों मे, विशेषकर अजमेर से खंडवा तक चलने वाली रेलगाड़ियों में बहुत ज्यादा भीड़ रहती है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे मार्गों पर भीड़-भाड़ कम करने के लिए अधिक रेलगाड़ियां या शटल चलाने का है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) लगभग सभी गाड़ियों में मुहैय्या किए एये स्थानों का उपयोग किए जाने की गणना वर्ष में 2 बार की जाती है, पहले अप्रैल और मई के महीनों में दूसरे नवम्बर और दिसम्बर के महीनों में ।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) अजमेर-खण्डवा मीटर लाइन खण्ड पर चलने वाली 19 जोड़ी गाड़ियों में से, 3 जोड़ी मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों, 4 जोड़ी फास्ट पैसेंजर गाड़ियों और 3 जोड़ी शटल गाड़ियों में स्थानों के उपयोग का अनुपात 100 प्रतिशत या इससे अधिक है ।

(घ) लाइन क्षमता की तंगी और साथ-ही-साथ सवारी डिब्बों की अत्यन्त कमी के कारण, इस समय इस मार्ग पर और अधिक गाड़ियां चलाना सम्भव नहीं है ।

ऐलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक डाक्टरों के लिये समान वेतन और सेवा

7521. **श्री अमर रायप्रधान** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने ऐलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक डाक्टरों के लिए वेतनमान, मूल सुविधाओं और सेवा की शर्तों आदि में समानता का मामला चौथे वेतन आयोग को भेज दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) नहीं ।

(ख) और (ग) तृतीय वेतन आयोग ने जिसने इस मामले की छान-बीन की थी, एलोपैथी, भारतीय चिकित्सा पद्धतियों तथा होम्योपैथी के डाक्टरों के वेतनमान समान करने की बात को उनकी योग्यताओं, प्रशिक्षण की अवधि तथा सेवा शर्तों के भिन्न-भिन्न होने के कारण स्वीकार नहीं किया था ।

केरल में रेलवे स्टेशनों पर बिना छत के प्लेटफार्म

7522. **प्रो० पी० जे० कुरियन**
श्री स्कारिया थामस
श्री वी० एस० विजयराघवन } : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में उन रेलवे स्टेशनों के नाम क्या हैं जहां बिना छत के प्लेटफार्म हैं; और

(ख) इन प्लेटफार्मों पर छत डालने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खां चौधरी) : (क) केरल राज्य में पड़ने वाले 162 रेलवे स्टेशनों में से 60 स्टेशन बिना किसी सायबान के हैं। इसके अतिरिक्त, 24 स्टेशन ऐसे भी हैं जहां के सभी प्लेटफार्मों पर सायबान नहीं हैं। इन स्टेशनों के नाम संलग्न **विवरण** में दिये गये हैं :—

(ख) यात्री सुविधाओं जैसे प्लेटफार्म पर सायबान की व्यवस्था सम्बन्धी कार्य की योजना कार्यक्रमवद्ध आधार पर बनायी जाती है जिसमें धन की उपलब्धता तथा विभिन्न स्टेशनों की तुलनात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। केरल राज्य में यात्रियों के लिए सायबान/यात्रियों के लिए सायबान के विस्तार की व्यवस्था निम्न प्रकार से की गयी है :—

1981	—	4 स्टेशन
1982	—	5 स्टेशन
1983	—	7 स्टेशन

17 स्टेशनों पर कार्य प्रगति पर है।

विवरण

(क) **केरल राज्य के उन रेलवे स्टेशनों के नाम, जहां प्लेटफार्मों पर कोई सायबान नहीं हैं** : 1. वालयर 2. कनुईकोड 3. मंकरै 4. पालप्पुरम हाल्ट 5. कारकाड 6. कोड्मुंडा हाल्ट 7. पेराशशेरूप्णूर हाल्ट 8. तिल्वागुर हाल्ट 9. वैत्लाररुकाड हाल्ट 10. शरिगन्र 11. मुक्कालीहाल्ट 12. चंदेरा हाल्ट 13. कालनाड हाल्ट 14. वल्लटोल नगर 15. मुलुरकरै 16. नेल्लायी 17. कोरट्टि अंगाडि 18. वलमस्सेरी 19. मटचिरी हाल्ट 20. कुरीकाड हाल्ट 21. कडुरूत्ती हाल्ट 22. कुमारनल्लूर हाल्ट 23. मुनरोटुरुत्तु हाल्ट 24. इरवीपुरम हाल्ट 25. मय्यानांड 26. कप्पिल 27. एडवै 28. अक्तुमुरि 29. पेरुगुषि 30. कषकुट्टम 31. वेली हाल्ट 32. कोचुवेली 33. तिरुवनंनपुरम पेट्टा 34. नेमीम हाल्ट 35. बलरानपुरम 36. धनुवाचापुरम हाल्ट 37. पाराशाला 38. आर्यनुकावु 39. एडावलैयम 40. तेनलाई 41. ओनक्कल 42. एडमन 43. अवनीश्वरम् 44. कुरी हाल्ट 45. एषुकोणे 46. कुंडारा ईस्ट हाल्ट 47. किल्ली कोल्लूर 48. मुथलमडा 49. वडकन्निकापुरम हाल्ट 50. पुदुनागराम 51. वदनाम्कुरुशशि हाल्ट 52. वल्लपुषा 53. कुलुक्कल्लूर हाल्ट 54. चेरुकारा हाल्ट 55. अंगाडीपुरम 56. पत्तीक्काड हाल्ट 57. मेलाचूर 58. तुव्वूर 59. तोडियाप्पुलम हाल्ट 60. वाणियम्बलम।

(ख) केरल राज्य के उन रेलवे स्टेशनों के नाम जहां सभी प्लेटफार्मों पर सायबान की

व्यवस्था नहीं है : 1. केरोक 2. कणणपुरम 3. पय्यनूर 4. मजेश्वर 5. बडक्कचिरी 6. मुलगुण्णुकावु 7. पुडुक्काड 8. इरिंजलाकुडा 9. चालकुडी 10. कुरुकुत्ती 11. इडवल्ली 12. एर्णाकुलम टाउन 13. तृपूणित्तरा 14. पीरावाम रोड 15. चेगान्नूर 16. कायनकुलम 17. कोल्लम 18. परवूर 19. वर्कला 20. कडकावूर 21. मुरुक्कमपुषा 22. पालघाट टाउन 23. शीरुवण्णूर 24. कालीकट।

विश्व भारती विश्वविद्यालय

7523. **श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार :** क्या **शिक्षा और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय संसद के समक्ष विश्व भारती (संशोधन) विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों के विरुद्ध रोष उत्पन्न होने से शान्ति निकेतन में स्थित विश्व भारती विश्वविद्यालय संकट की स्थिति में है (इंडिया टुडे —31-3-1984);

(ख) क्या पाली चर्चा केन्द्र भी असंतोषजनक स्थिति में चल रहा है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार का शांतिनिकेतन में स्थिति को सुधारने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री : (श्रीमती शीला) कौल : (क) जी, नहीं। तथापि, विधेयक, जो अब संसद के समक्ष है, के कुछ उपबन्धों के विरुद्ध विश्वविद्यालय के छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के एक वर्ग ने अभ्यावेदन दिया है।

(ख) और (ग) पाली चर्चा केन्द्र के कार्यकलापों के अनुस्थापन के बारे में विश्वविद्यालय में चर्चा हुई है। विस्तृत चर्चा के बाद विश्वविद्यालय ने निर्णय लिया है कि केन्द्र को ग्रामीण विकास पर बल देते हुए अनुसंधान उन्मुख होना चाहिए।

(घ) और (ङ) संशोधन विधेयक में जो अब संसद के समक्ष है, ऐसे उपबन्ध शामिल हैं जिनसे विश्वविद्यालय रवीन्द्र नाथ टैगोर द्वारा परिकल्पित रूप-रेखाओं पर अपने कार्यक्रमों और कार्यकलापों को विकसित करने के लिए कदम उठा सकेगा।

दिल्ली में पर्याप्त पेय जल सुविधाओं से वंचित केन्द्रीय विद्यालय

7524. **श्रीमती सुमति उरांव :** क्या **शिक्षा और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली और नई दिल्ली में अनेक केन्द्रीय विद्यालयों में समुचित और पर्याप्त पेय जल, शौचालय और बिजली सुविधाएं उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या सरकार का विचार समुचित रूप से इन सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था करने का है, यदि हां, तो कब तक?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल): (क) से (ग) दिल्ली और नई दिल्ली स्थित सभी केन्द्रीय विद्यालयों में पीने के पानी और जन सुविधाएं प्रदान कर दी गई हैं। फिर भी, आग लगने की दुर्घटना से बचने के लिए इनमें से पांच विद्यालयों में बिजली मुहैया नहीं की गई है। क्योंकि ये विद्यालय तम्बूओं में चल रहे हैं। इन स्कूलों के लिए पक्का/अर्ध पक्के भवन तैयार होते ही इनके लिए बिजली की व्यवस्था कर दी जाएगी।

दिल्ली में बिना पर्याप्त स्थायी भवनों के केन्द्रीय विद्यालय

7525. **श्रीमती सुमति उरांव** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली/नई दिल्ली में अनेक केन्द्रीय विद्यालय अपने किसी पर्याप्त स्थायी भवन के बिना चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो सत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि कुछ केन्द्रीय विद्यालयों में नये भवनों का निर्माण कार्य अर्थात् दो वर्ष या उससे अधिक समय से आरंभ हुआ था या तो अधूरा रहता है अथवा बन्द कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन्हें शीघ्र पूरा करने में यदि कोई कठिनाइयां/बाधायें हैं तो वे क्या हैं; और

(ङ) क्या सरकार ऐसे सभी केन्द्रीय विद्यालयों को पर्याप्त स्थायी शेड्स उपलब्ध करायेगी यदि हां, तो उसमें कितना समय लगेगा ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) जी, हां। दिल्ली/नई दिल्ली स्थित 22 केन्द्रीय विद्यालयों में से 11 अपने ही स्थायी भवनों में नहीं चल रहे हैं। इन 11 विद्यालयों में से 6 तम्बुओं में और 5 बैरकों में चल रहे हैं।

8 विद्यालयों के सम्बन्ध में भूमि के स्थानांतरण/भवन योजनाओं की स्वीकृति इत्यादि के बारे में कार्यवाही की जा रही है। शेष 3 विद्यालयों से सम्बन्धित स्थिति इस प्रकार है :—

जनकपुरी स्थित विशेष केन्द्रीय विद्यालय अपने स्थायी भवन में चला जाएगा जिसके शीघ्र पूरे होने की संभावना है, झड़ौदा-कलां स्थित केन्द्रीय विद्यालय सी० आर० पी० एफ० के पर्याप्त स्थायी भवन में पहले से चल रहा है, और बदरपुर स्थित केन्द्रीय विद्यालय एक परियोजना क्षेत्र वाला स्कूल है और आशा है कि परियोजना प्राधिकारी इस विद्यालय के लिए स्थायी भवन की व्यवस्था करेंगे।

(ग) और (घ) दिल्ली में केवल एक ही ऐसा स्कूल है जिसका भवन ठेकेदार के साथ विवाद के कारण पूरा नहीं किया जा सका। मामला न्यायालय में है।

(ङ) स्थायी शेड बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि आवश्यक होने पर स्थायी भवनों के निर्माण होने तक अस्थायी ढांचों का निर्माण किया जाता है।

सरकारी मेडिकल स्टोर्स डिपू मद्रास में भाप के वायलर का आयल फायर्ड कार्निस वायलर द्वारा बदला जाना

7526. **श्री के० बी० एस० मणि** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री 1980-81 से 1982-83 तक फार्मास्यूटिकल फैक्टरी, मद्रास में किये गये उत्पादन के मूल्य के बारे में 28 अप्रैल, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9142 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी मेडिकल स्टोर्स डिपू, मद्रास में भाप के वायलर के स्थान पर आयल फायर्ड कार्निस वायलर लगाया गया है;

(ख) क्या मेडिकल स्टोर्स डिपू मद्रास की फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री में जैनरेटर लगाया गया है; और

(ग) मेडिकल स्टोर्स डिपू, मद्रास की फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री के उत्पादन में सुधार करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) नहीं।

(ग) सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो, मद्रास से सम्बद्ध फार्मास्युटिकल फैक्टरी के उत्पादन में सुधार लाने के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। पुरानी मशीनों के स्थान पर नयी मशीनें खरीदी जा रही हैं। आयल फायर्ड कार्निस वायलर के स्थान पर स्टीम वायलर लगाने की कार्रवाई की जा रही है। नई मदों के निर्माण की सम्भावना का भी पता लगाया जा रहा है। पूर्ति और निपटान महानिदेशालय को जिस कंच्चे माल के लिए मांग पत्र पहले ही भेजे जा चुके हैं उसे शीघ्र प्राप्त करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं।

मेडिकल स्टोर डिपो, मद्रास के भूतपूर्व 'बी' ग्रेड लिपिकों की बकाया राशि का भुगतान न किया जाना

7527. **श्री के० बी० एस० मणि :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई और कलकत्ता के सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो के भूतपूर्व 'बी' ग्रेड लिपिकों के वेतन के पुनर्निर्धारण के फलस्वरूप बकाया राशि का भुगतान किया गया है और यदि हां, तो प्रत्येक डिपो द्वारा कुल कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि मद्रास डिपो के भूतपूर्व 'बी' ग्रेड लिपिकों के वेतन के पुनर्निर्धारण के फलस्वरूप किसी भी बकाया धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है और यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं; और

(ग) मद्रास डिपो के लिपिकों को भुगतान कब तक कर दिया जायेगा और उस पर कितना खर्च आयेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) बम्बई और कलकत्ता के उच्च न्यायालय के निर्णयों के आधार पर बम्बई और कलकत्ता के सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो के भूतपूर्व ग्रेड 'बी' के लिपिकों के वेतन के पुनर्निर्धारण के फलस्वरूप बकाया राशि का भुगतान इस प्रकार किया गया :—

1. सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो, बम्बई	4,61,852.80 रुपये
2. सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो, कलकत्ता	4,09,802.00 रुपये

(ख) और (ग) मद्रास वाले डिपो के भूतपूर्व ग्रेड 'बी' के लिपिकों को ऐसा भुगतान नहीं किया गया क्योंकि सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो, मद्रास के कुछ कर्मचारियों द्वारा मद्रास के उच्च न्यायालय में दायर की गई वह रिट-याचिका रद्द हो गई थी जिसमें उन्होंने यह प्रार्थना की थी कि उन्हें बम्बई और कलकत्ता के उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों के अनुसार लाभ दिए जाएं। अतः सरकारी स्टोर डिपो, मद्रास के लिपिकों को ऐसा भुगतान करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

तमिलनाडु और सी० जी० एच० एस० मद्रास से प्राप्त मांग पत्रों (इन्डेंट) का मूल्य

7528. **श्री के० बी० एस० मणि :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु सरकार और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, मद्रास से अप्रैल, 1983 से मार्च, 1984 के दौरान कितने मूल्य के मांग पत्र (इन्डेंट) प्राप्त हुए हैं;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान संस्थानों को कितने मूल्य के स्टोर्स की सप्लाई की गई; और

(ग) यदि तमिलनाडु सरकार और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, मद्रास के मांग-पत्रों की स्थिति उत्साहवर्द्धक नहीं है, तो स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) (क) और (ख) तमिलनाडु सरकार और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, मद्रास को अप्रैल, 1983 से मार्च, 1984 तक सरकारी चिकित्सा सामग्री भण्डार, मद्रास से जितनी कीमत के निविदा प्राप्त हुए और उस भण्डार द्वारा जो सप्लाई की गयी, उसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

	प्राप्त हुई निविदाओं की कीमत	जितनी कीमत का माल सप्लाई किया गया
(1) तमिलनाडु सरकार	40,00,000 रुपये	37,00,009 रुपये
(2) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, मद्रास	16,00,000 रुपये	14,00,000 रुपये

(ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, मद्रास को पहले से ही निदेश दिए गए हैं कि चिकित्सा सामग्री भण्डार संबंधी आवश्यकताएं सरकारी चिकित्सा सामग्री भण्डार, मद्रास से पूरी करें। वैसे, तमिलनाडु सरकार जो निविदाएं भेजती है उसकी स्थिति संतोषजनक नहीं है। तथापि, मद्रास सरकार से भी आग्रह किया जा रहा है कि वह अपनी अधिक-से-अधिक चिकित्सा सामग्री, चिकित्सा सामग्री भण्डार, मद्रास से मंगवाएं।

हैजा उन्मूलन हेतु योजना

7529. **श्री छीतू भाई गामित** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह पता करने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है कि किन राज्यों और उनके किन विशिष्ट भागों से पिछले तीन वर्षों के दौरान हैजा फैला है और उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार को हैजा फैलने के कारणों की जानकारी है और क्या इस घातक बीमारी के फैलने का एक कारण अधिकतर गरीब परिवारों द्वारा स्वच्छता के प्रति उदासीनता बरतना है अथवा इसके कोई अन्य कारण हैं;

(ग) क्या सरकार चेचक की ही तरह हैजे के उन्मूलन के लिए एक योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) से (घ) सरकार ने इस प्रकार का कोई सर्वेक्षण नहीं किया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़, दिल्ली और पांडिचेरी से हैजे के रोगियों की सूचना मिली है। वैसे, वर्ष 1981 में राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान तथा राष्ट्रीय हैजा एवं आंत्र रोग संस्थान, कलकत्ता ने दिल्ली, दक्षिण-पश्चिम बंगाल तथा गुजरात के बड़ौदा में स्थानीय परीक्षण किए हैं। खाद्य एवं पीने के पानी के स्रोतों के दूषित होने के कारण हैजा फैलता है।

अतिसार रोगों को रोकने तथा उन पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से सरकार ने राष्ट्रीय अतिसार रोग नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें हैजा तथा हैजे जैसे रोगों की रोकथाम करने जैसे निम्नलिखित कार्य भी शामिल हैं :—

(1) अतिसार रोग से होने वाली मृत्यु तथा रुग्णता को कम करने के लिए ओरल रीहाइड्रेशन थिरेपी का प्रयोग।

(2) सुरक्षित और स्वास्थ्यकर उपायों से जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य, स्तन पान आदि के लिए लोगों और माताओं को स्वास्थ्य शिक्षा।

(3) चिकित्सा, अर्ध चिकित्सा कार्मिकों और जन-नेताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार किया गया है।

(4) ग्राम स्तर पर कार्य कर रहे सभी स्वास्थ्य गाइडों को अतिसार से पीड़ित बच्चों के लिए ओ० आर० एस० के पैकेट दिए जा रहे हैं।

(5) अतिसार रोगियों के रोग निदान और बेहतर इलाज के लिए चुने हुए जिला अस्पतालों और जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं को प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध करके उपकरणों की सप्लाई करके सुदृढ़ किया जा रहा है।

(6) अतिसार रोगों से होने वाली रुग्णता और मौतों के बारे में सर्वेक्षण करने के लिए प्रत्येक जिले में एक केन्द्र के हिसाब से 400 निगरानी केन्द्र खोले गए हैं।

लोक कलाओं को आश्रय

7530. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा उन लोक कलाओं को आश्रय प्रदान करने के लिए कोई ठोस कदम उठाए गए हैं जो लुप्त हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल): (क) और (ख) नृत्य, नाटक, थिएटर मण्डलियों को वित्तीय सहायता की योजना के अन्तर्गत संस्कृति विभाग; ग्रामीण/जनजातीय क्षेत्रों में प्रचलित कलाओं सहित परम्परागत कलाओं के क्षेत्र में अभिनय दलों को अनुदान देता है। उन दलों को प्राथमिकता दी जाती है, जो दुर्लभ स्वरूपों और अन्य परम्परागत स्वरूपों में लगे हुए हैं।

संगीत नाटक अकादमी ने लोक और परम्परागत कलाओं सहित कलाओं के परिरक्षण और प्रोन्नति की एक उपयुक्त योजना भी आरम्भ की है। उनकी भारत में संगीत समारोहों के आयोजन की योजना से देश के विभिन्न ग्रामीण/जनजातीय क्षेत्रों में समारोहों को सहायता प्रदान करके लोक अभिनय कलाओं को प्रोत्साहन मिलता है। इसके अतिरिक्त, कठपुतली कला सहित जनजातीय/ग्रामीण और अन्य लोक कलाओं के परिरक्षण और प्रोन्नति में कार्यरत संस्थाओं को उनके कार्य-कलापों में सहायता प्रदान करने के लिए अनुदान दिए जाते हैं।

इन लोक और परम्परागत कलाओं की प्रोन्नति के लिए, जो बाद में दुर्लभ हो गई हैं, अकादमी अधिछात्रवृत्ति की योजना कार्यान्वित करती है, जिसके अन्तर्गत उन गुरुओं को, जिन्होंने इन स्वरूपों में ख्याति प्राप्त कर ली है, चुने हुए शिष्यों को अपनी कलाओं में शिक्षा प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। शिष्यों को वजीफे भी दिये जाते हैं।

स्नातकोत्तर अध्यापकों को उप-प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति

7531. **श्री त्रिलोक चन्द** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की प्रबन्ध समितियों द्वारा स्नातकोत्तर अध्यापकों को उप-प्रधानाचार्यों के पद पर पदोन्नति करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनायी जाती है;

(ख) क्या इस विषय पर, दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 के परिप्रेक्ष्य में कोई विशेष नियम बनाए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इन नियमों को अनुपालन के लिए स्कूलों की प्रबन्ध समितियों को अधिसूचित किए गए हैं; और

(घ) क्या अभिलाषी अध्यापक की वरिष्ठता ही उप-प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति के लिए एकमात्र मापदण्ड है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) (क) से (ग) दिल्ली स्कूल शिक्षा नियमावली, 1973 के नियम 98 के अन्तर्गत, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की प्रबन्ध समिति नियोक्ता प्राधिकरण होती है। उपरोक्त नियमावली के नियम 96(6)

के प्रावधानों के अनुसार, प्रवरण समिति अभ्यर्थियों के चयन के लिए अपनी कार्यविधि को विनियमित करेगी। तथापि, दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 की धारा 8(1) और धारा 13, जो उपरोक्त नियमावली के नियम 100 के साथ पढ़ा जाएगा, के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रशासक ने दिनांक 25.2.80 की अधिसूचना के द्वारा सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों सहित मान्यता प्राप्त स्कूलों में प्रधानाचार्यों के पदों के लिए भर्ती नियम बनाए हैं। हाल ही में, प्रधानाचार्य और उप-प्रधानाचार्य के पदों के लिए विभागीय कर्मचारियों के लिए कुछ छूट दी गई है। ये नियम और अनुदेश सम्बन्धित प्रबन्धकों को अधिसूचित कर दिए गए हैं।

(घ) प्रधानाचार्य और उप-प्रधानाचार्य के पद प्रवरण पद हैं। इस प्रकार की पदोन्नतियां योग्यता और वरिष्ठता के सिद्धांत से अभिशासित होती हैं।

संस्कृत आशुलिपि का विकास

7532. **श्री केशवराव पारधी** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संस्कृत आशुलिपि के विकास की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इसे शुरू करने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का क्या ब्यौरा है; और

(ग) कब तक इसे शुरू किए जाने की संभावना है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ग) भारत सरकार को संस्कृत आशुलिपि आरम्भ करने की कोई योजना प्राप्त नहीं हुई है। तथापि एक स्वैच्छिक संगठन से संस्कृत आशुलिपि का विकास करने के अपने कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए वित्तीय सहायता हेतु सरकार से सम्पर्क किया था और संगठन द्वारा आयोजित प्रतियोगिता के आधार पर योग्य पाये गये उत्तम संस्कृत आशुलिपिकों को पुरस्कार प्रदान करने के लिए उस संस्था को 5,000 रुपये का अनुदान दिया गया था।

दिल्ली प्रशासन के शिक्षकों को बोनस का भुगतान

7533. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों को बोनस का भुगतान कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों को भी बोनस का भुगतान किया जाएगा;

(ग) यदि हां, तो कब तक; और

(घ) यदि नहीं, तो दिल्ली प्रशासन के सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों को बोनस देने से इंकार किए जाने के कारण क्या हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सहायता प्राप्त स्कूलों के कर्मचारियों के लिए बोनस की योजना की इस समय जांच की जा रही है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की वायु प्रदूषण एकक

7534. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की वायु प्रदूषण एकक कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर रही है;

(ख) क्या वायु प्रदूषण एकक के अनेक यंत्र काम नहीं कर रहे हैं और सुपरिन्टेन्डिंग केमिस्ट जिसे इस पद के लिए प्रशिक्षित किया गया है, की नियुक्ति आगरा में कभी नहीं की गयी है;

(ग) भारतीय पुरात्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा क्या विशेष उपाय किए गए हैं और ताजमहल को वायु प्रदूषण से बचाने हेतु कितना अनुसंधान किया गया है; और

(घ) क्या सरकार का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के कार्यकरण के बारे में कोई उच्च अधिकार प्राप्त जांच गठित करने का विचार है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल): (क) और (ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण वायु प्रदूषण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है एवं परिवेशी वायु को माप करने तथा वर्षा के पानी का विश्लेषण करने और भौतिक तत्वों को विवक्त करने के लिए आगरा में एक प्रयोगशाला तथा मानिटरिंग उपकरण लगाए हैं। ये उपकरण अच्छी तरह से कार्य कर रहे हैं। इस कार्य में प्रशिक्षित अधिकारियों को लगाया गया है।

(ग) और (घ) उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के अनुसार, विभिन्न अभिकरणों द्वारा ताज को बचाने के लिए विशिष्ट उपाय किए गए हैं, जैसे दो तापीय संयंत्रों को बंद कराना, रेलवे मार्शलिंग यार्ड में वाष्प चालित इंजन के स्थान पर डीजल चालित इंजन बदलवाना और ढलाई-घरों को स्थानांतरित किये जाने के लिए वैकल्पिक स्थल की व्यवस्था करना। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में उद्योग चलाने के लिए नए लाइसेंस नहीं दिये जाएंगे। पादपीकरण के जरिए हरित पट्टी

लगाने का कार्य प्रगति पर है। प्रस्तरों पर चिन्हों के नमूनों और विभिन्न प्रस्तरीय परिरक्षियों के सापेक्षिक गुण-दोषों के अनुसंधान का कार्य चल रहा है।

पड़ोसी देशों में भारत विरोधी प्रचार

7535. **श्री रामकृष्ण मोरे** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पड़ोसी देशों में समाचार पत्रों द्वारा किये जा रहे भारत विरोधी प्रचार की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) समय-समय पर सरकार के देखने में यह आया है कि कुछ पड़ोसी देशों के प्रचार माध्यमों में भारत के सम्बन्ध में ऐसे लेख आदि छपे हैं जिन्हें जानबूझ कर भारत विरोधी स्वरूप दिया गया है।

(ख) विदेश मंत्रालय और उसके विदेश स्थित मिशन देश के सम्बन्ध में झूठे प्रचारों का तत्काल खंडन करते हैं और जहां भी जरूरत हो मामला सम्बन्धित सरकार के साथ उठाया जाता है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, विकास रख-रखाव और मरम्मत के लिए आवंटित धन

7536. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, विकास, रख-रखाव और मरम्मत के लिए वर्ष-वार कितनी राशि आवंटित की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : अपेक्षित सूचना इस प्रकार है :

आवंटित निधि

लाख रुपये

वर्ष	राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और निर्माण	राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण और मरम्मत	कुल
1981-82	707.00	265.53	972.53
1982-83	850.00	303.79	1153.79
1983-84	987.11	354.53	1341.64

जहाजरानी विकास निधि समिति द्वारा मत्स्य कम्पनियों को ऋण

7537. **श्री के० प्रधानी** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जहाजरानी विकास निधि समिति, विभिन्न मत्स्य कम्पनियों को ऋण देती है;

(ख) यदि हां, तो उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनको गत तीन वर्षों के दौरान ऋण दिये गये, उनको कुल कितनी धनराशि के ऋण दिये गये और उनसे कितना ब्याज प्राप्त हुआ है;

(ग) इस प्रकार के ऋणों की स्वीकृति के लिये क्या मार्गनिर्देश निर्धारित किये गये हैं और ये उड़ीसा के समुद्रतटीय जिलों में मत्स्य उद्योग के विकास में कहां तक सहायक सिद्ध हुये हैं; और

(घ) क्या मछुओं की सहकारी समितियां इस प्रकार के ऋण पाने की पात्र नहीं है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी हां।

(ख) सूचना अनुबंध-I में दी गई है। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी०-8181/84]

(ग) इन ऋणों को देने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत नौवहन और परिवहन मंत्रालय की 31.1.1981 की अधिसूचना संख्या एस० डब्ल्यू/एम० एस० डी०(70)/79-एम० डी० के माध्यम से जारी किये जा चुके हैं। मार्गदर्शी सिद्धांतों का सार अनुबंध-II में दिया गया है। [ग्रथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी०-8181/84]। ये ऋण फिशिंग कम्पनियों द्वारा फिशिंग ट्रावलरों की खरीद के लिए है। इसलिए उड़ीसा के तटीय जिलों में मत्स्यपालन के विकास का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 के अधीन जो सरकारी समितियां निम्नलिखित शर्तें पूरी करती हैं, ऋण प्राप्त करने की पात्र हैं :—

(1) जो सहकारी समिति पंजीकृत है, जिस-जिस सहकारी समिति को सहकारी समिति अधिनियम 1912 या किसी राज्य में कुछ समय के लिए लागू सहकारी समिति से सम्बद्ध अन्य किसी कानून के अन्तर्गत पंजीकृत मान लिया जाता है।

(2) प्रत्येक व्यक्ति जो कि सहकारी समिति का सदस्य है और जहां अन्य कोई सहकारी समिति उसकी सदस्य है प्रत्येक व्यक्ति जो कि अन्य सहकारी समिति का सदस्य है, वह भारत का नागरिक है।

भारत-रूस परियोजनाएं

7538. **श्री बी० वी० देसाई**
श्री पी० एम० सईद } : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग 30 बड़ी भारत-रूस परियोजनाएं या तो निर्माणाधीन हैं अथवा इस समय उनकी रूपरेखा तैयार की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो कौन-सी परियोजनाओं पर अभी तक विचार-विमर्श चल रहा है अथवा जिन पर सहमति हो गई है; और

(ग) उन 30 बड़ी भारत-रूस परियोजनाओं के बारे में कब तक अन्तिम रूप से निर्णय कर लिये जाने की संभावना है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) से (ग) भारत में कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिन पर इस समय सोवियत संघ के सहयोग से निर्माण चल रहा है। चूंकि इन विचाराधीन परियोजनाओं को अंतिम रूप देने से पूर्व हमें बहुत-सी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है जिनमें अपने संसाधनों की स्थिति भी शामिल है, इसलिए कोई निश्चित समय बताना कठिन है। जहां तक इन निर्माणाधीन परियोजनाओं का संबंध है, सरकार इस बात का सुनिश्चय कराने का पूरा प्रयास कर रही है कि वे निर्धारित समय पर पूरी हो जाएं।

साहित्य अकादमी और भाषाओं के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए धनराशि का आवंटन

7539. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **शिक्षा और संस्कृति** मंत्री भाषाओं/बोलियों को राज्य की मान्यता के बारे में 4 मई, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9915 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा साहित्य अकादमी के विभिन्न कार्यक्रमों और भाषाओं, (1) जिन्हें न तो आठवीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है परन्तु साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता दी गई है (2) जिन्हें न तो आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है और न ही साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता दी गई है परन्तु जिसे दस लाख से अधिक लोगों द्वारा बोला जाता है और जिसका विभिन्न जनगणना की विवरणियों में मातृभाषा के रूप में उल्लेख किया जाता है, के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त भाग (क) (II) में उल्लिखित भाषाओं/मातृभाषाओं को कितनी सहायता दी गई है और उसके विकास के लिए सरकार की योजना क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) :

(क) तथा (ख) साहित्य अकादमी, संस्कृति विभाग द्वारा पूर्ण रूप से वित्त-पोषित एक स्वायत्त संगठन है। इसने अपने कार्यक्रमों, जिनमें प्रकाशन, सेमिनार/संगोष्ठियां तथा कार्यशालाएं और वार्षिक पुरस्कार भी शामिल हैं, के कार्यान्वयन हेतु 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की है। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 15 भाषाओं के अतिरिक्त साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त सात भाषाएं हैं :

1. मैथिली, 2. अंग्रेजी, 3. मणिपुरी, 4. डोगरी, 5. राजस्थानी, 6. कोंकणी, 7. नेपाली।

अकादमी, संस्कृति विभाग से प्रत्येक वर्ष एक मुश्त आधार पर अनुदान प्राप्त करती है तथा विभिन्न कार्यक्रमों के लिए निधियां निर्धारित करती है। आबंटन भाषा-वार नहीं किए जाते।

साहित्य अकादमी के अलावा, केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर अनुसंधान कर रहा है और सामग्री उत्पादन तथा भाषाई वर्णन के लिए पहले से ही 52 जन-जातीय भाषाओं/बोलियों को लिया है। कोई वित्तीय सहायता अलग से नहीं दी गई है।

विभिन्न राज्य सरकारें भी अपने-अपने राज्यों में इस्तेमाल होने वाली विभिन्न भाषाओं को मान्यता प्रदान कर सकती हैं।

यमुना पुल में निर्माण संबंधी दोष

7540. **श्री ईरा अनबरासु** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में, आई० टी० ओ० के समीप यमुना पुल गत से तीन वर्षों के दौरान कितने वाहन यमुना नदी में गिरे;

(ख) क्या यह सच है कि इस पुल की रेलिंग दोषपूर्ण होने के कारण हाल ही में दिल्ली परिवहन निगम की एक बस नदी में गिर गई थी और एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी;

(ग) क्या यह सच है कि पुल का तल इतना खराब है कि इस पर चलने वाले वाहन उलट जाते हैं और इस प्रकार यात्रियों के लिये जानलेवा दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है; और

(घ) यदि हां, तो इस पुल के निर्माण सम्बन्धी दोषों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (घ) दिल्ली प्रशासन से मिली सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों में यमुना नदी में तीन गाड़ियां गिरी हैं। हाल ही में यमुना नदी में दिल्ली परिवहन निगम की बस गिरने के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु हो

गई। परन्तु इसके गिरने का कारण रेलिंग का खराब होना नहीं था। पुलों में जहां-जहां पर जोड़ हैं उन्हीं से कठिनाई पैदा होती है। दिल्ली प्रशासन ने केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के परामर्श के साथ इन जोड़ों की मरम्मत/सुधार की जांच करने की कार्रवाई शुरू कर दी है।

हैवी ड्यूटी ब्रेक डाउन क्रेन्स के टेण्डरों को स्वीकृति

7541. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी ड्यूटी ब्रेक डाउन क्रेन्स की सप्लाई के लिये भारतीय रेलवे के विश्वव्यापी टेण्डर जी० पी०-120 पर कुछ देशों ने रुपया भुगतान के आधार पर अपेक्षित क्रेनों के अतिरिक्त प्रौद्योगिकी तथा जानकारी देने की भी इच्छा व्यक्त की है; और

(ख) क्या उनका मंत्रालय अधिक लाभ लाभप्रद रुपया भुगतान की पेशकशों पर बातचीत करने के बजाय विदेशी मुद्रा के आधार पर केवल क्रेनों के लिये टेण्डरों का अनुमोदन करने पर विचार कर रहा है : यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खां चौधरी) : (क) जी हां रुपया भुगतान के आधार पर केवल एक देश से प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

(ख) वित्त मंत्रालय के साथ परामर्श करके यह विनिश्चय किया गया था कि केवल दो फर्मों अर्थात् पश्चिम जर्मनी की मैसर्स लिओ गोटवाल्ट, जो तकनीकी रूप से स्वीकार्य निम्नतम निविदादाता थी और यू० के० की मैसर्स एन० ई० आई० क्रेन्स लिमिटेड के साथ वार्ता की जाये क्योंकि वित्त मंत्रालय ने सूचित किया था कि यू० के० से की जाने वाली खरीद यू० के० अनुदान के अन्तर्गत आयेगी और इस प्रकार वह देश के लिए मुफ्त होगी। इसके अतिरिक्त इन दोनों फर्मों द्वारा सप्लाई किये गये ब्रेकडाउन स्टीम क्रेनों के सम्बन्ध में भारतीय रेलों को पर्याप्त और सुखद अनुभव रहा है।

इस विश्व निविदा के लिए जर्मन जनवादी गणतंत्र की एक फर्म से रुपया भुगतान के आधार पर प्राप्त प्रस्ताव तकनीकी रूप से उपयुक्त नहीं पाया गया।

इन दोनों फर्मों अर्थात् पश्चिम जर्मनी के मैसर्स लिओ गोटवाल्ट तथा यू० के० की मैसर्स एन० ई० आई० क्रेन्स लिमिटेड के साथ वार्ता करने के बाद रेल मंत्रालय ने इन दोनों फर्मों से तकनीकी अन्तरण के साथ-साथ हैवी ड्यूटी ब्रेकडाउन क्रेन्स खरीदने का विनिश्चय किया। इन दोनों फर्मों के साथ अब करार समाप्त हो गये हैं।

विदेशों में कार्य कर रहे सप्लाई मिशन

7542. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अंतर्गत विदेशों में कार्य कर रहे सप्लाई मिशनों का विवरण क्या

है और उनके द्वारा खरीदी गई मदों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक मिशन पर किये गये खर्च का वर्षवार ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) ऐसे दो सप्लाई विंग हैं, और ये लंदन और वाशिंगटन स्थित मिशनों के अंग हैं। ये मिशन सरकार के लिए और सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ ही उद्यमों के लिए अनिवार्य वस्तुएं मंगाते हैं। इन वस्तुओं में शामिल हैं :—रक्षा या गैर-सैनिक इस्तेमाल के लिए विदेशों से खरीदे गये विमानों के लिए फालतू पुर्जे, मशीनरी और उपकरण।

(ख) **सप्लाई विंग लंदन**

1980-81 :	1,04,95,500/- रुपये
1981-82 :	1,04,23,400/- रुपये
1982-83 :	1,07,39,700/- रुपये

सप्लाई विंग, वाशिंगटन

1980-81 :	81,78,800/- रुपये
1981-82 :	92,00,800/- रुपये
1982-83 :	1,23,800/- रुपये

12.00 म० प०

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : मैं सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। **इन्डिया टुडे** राष्ट्र विरोधी सामग्री छाप रहा है। इस समय उन्होंने तमिलनाडु में तमिल युवकों के केम्पों की तथाकथित मौजूदगी और सेवा निवृत्त सेनाधिकारियों द्वारा उन्हें प्रशिक्षित किये जाने पर एक विस्तृत लेख प्रकाशित किया है—यह राष्ट्र विरोधी है।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे विवरण दें मैं इस पर चर्चा के लिए तथ्यों की जांच करूंगा। **(व्यवधान)**

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : इन्डिया टूडे देश-द्रोही काम कर रहा है। यह अमेरिका का दलाल है और पैसे खाता है। इस अखबार की सदन के बाहर भी होली जलाई जाएगी। **(व्यवधान)**।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी बात सुन ली है। मिनिस्ट्री से पता कर लूंगा। इसमें कोई तथ्य है तो डिसकस करवा दूंगा।''' (**व्यवधान**)।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : मैं आपका ध्यान आज के समाचार पत्रों में छपे समाचार की ओर आकर्षित करूंगा जिसके अनुसार सिलोन द्वारा नाकेबन्दी की गई और कुछ हवाई गोलाबारी भी हुई। मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि श्रीलंका को इस नाकेबन्दी करने की क्या जरूरत पड़ी और क्या''' (**व्यवधान**)।

अध्यक्ष महोदय : हम समाचार-पत्रों में प्रकाशित खबरों के अनुसार नहीं चल सकते।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : इस सदन में अखबारों को डराने-धमकाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। अभी-अभी जो कांग्रेस के सदस्य ने किया है, इससे पता लगता है कि देश की आजादी में उनका भरोसा नहीं है। मंत्री महोदय जवाब दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह मुझे पसन्द नहीं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अखबार, हमारे और आपके खिलाफ रोज लिखते हैं। सदन में आकर अखबार फाड़ना, इसकी आप निंदा करें।''' (**व्यवधान**)।

अध्यक्ष महोदय : आपकी बात मैंने सुन ली है। मैं देख लूंगा और सब करवा दूंगा। सदन में जो अखबार फाड़ने की बात कर रहे हैं, यह अच्छा नहीं है।''' (**व्यवधान**)।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : वे प्रैस कौन्सिल के पास जा सकते हैं।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : मंत्री महोदय ने स्पष्ट रूप से उत्तर दे दिया है कि वे इसकी जांच करेंगे।

डा० वसन्त कुमार पंडित (राजगढ़) : भारत की छवि को धूमिल किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : छोड़िए, इसको देख लेंगे।

डा० वसन्त कुमार पंडित : अति महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है ?

अध्यक्ष महोदय : अभी अखबारी खबर है। मेरे पास 377 है।''' (**व्यवधान**)।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : इस मामले पर आप 377 की बात कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : और क्या कर सकते हैं ?

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री **

** कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : आप उल्टी बात कर रहे हैं। जब तक किसी बात का पूरा पता न लग जाए, सिर्फ खबर पर कुछ बात कह देना गलत है।

इसकी अनुमति नहीं है। (**व्यवधान**)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : आपने, 377 का नाम लिया इसलिए हमको कहना पड़ा। मैं कहना चाहता हूं कि आप इस पर कालिंग अटेंशन लें।... (**व्यवधान**)।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह राज्य का मामला नहीं है।... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : पहली बात तो यह है कि जब तक पूरे फैक्ट्स का पता न लगे, बात नहीं करनी चाहिए। पहले पता करवा लेना चाहिए।... (**व्यवधान**)

(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कुछ भी रिकार्ड नहीं होगा।

(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने अर्ज किया है कि जब तक फैक्ट्स पता नहीं लग जाये मैं कुछ नहीं कह सकता।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : फिर वही बात, आप बैठते क्यों नहीं। मैं सारा पता करवा रहा हूं।

एक माननीय सदस्य : देश की प्रतिष्ठा को धक्का लग रहा है।

अध्यक्ष महोदय : मैं पता करवा रहा हूं। फिर आप से बैठ कर बात करेंगे। एक दूसरे सदन का मेम्बर है तो बैठ कर बात करेंगे। मैं कंसीडर करूंगा।

डा० वसन्त कुमार पन्डित : क्या तब तक मेरा स्थगन प्रस्ताव आपके विचाराधीन रहेगा ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने कह दिया। आप मेरे से रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं ?

डा० वसन्त कुमार पंडित : जी नहीं।

श्री सुनील मैत्रा : (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : पिछले कुछ दिनों से केरल के समुद्र तट को तूफानी लहरें बहा रही हैं।

अध्यक्ष महादय : जरूरी मसला है, उसको करेंगे। (**व्यवधान**)।

अध्यक्ष महोदय : मैं एक-एक करके सभी विषय लेना चाहता हूं। मैं कुछ ऐसे मुद्दों पर बहस करना चाहता हूं जिनसे लोग चिन्तित हैं। हम आलू विषय तथा तत्पश्चात तम्बाकू को लेते हैं।

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अब मैं इस विपत्ति पर भी विचार कर रहा हूं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : सरकार को श्रीलंका के गृह मंत्री की यात्रा पर एक वक्तव्य देना चाहिए। यह एक बहुत गम्भीर घटना है। आज हमने देखा कि चार या पांच लोग मारे गये हैं। हम इस प्रकार का नर-संहार और बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष जी, कल मैंने एक सवाल उठाया था पाकिस्तान के हवाई जहाज का।...

अध्यक्ष महोदय : जवाब दूंगा आपको।

श्री मनीराम बागडी : उसको लम्बा करके क्या फायदा ?

अध्यक्ष महोदय : लम्बा तो हुआ पड़ा है। एक महीना हो गया है इसको।

श्री मनीराम बागड़ी : कितनी गलत बात है। रक्षा मंत्री को तुरन्त जवाब देना चाहिए ताकि गलतफहमी जो फैल रही है वह मिटे।

अध्यक्ष महोदय : कर रहे हैं। हो जाएगा।

श्री अनन्त रामुलु मल्लु (नगरकुरनूल) आन्ध्र प्रदेश में "ई चट्टुवुलू मकोड्डो" के नाम से प्रदर्शित की जा रही फिल्म के बारे में मैंने नोटिस दिया है, इससे भारतीय संविधान का उल्लंघन हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय यदि आप मुझे नहीं सुनते तो मैं आपको नहीं सुनूंगा। मैं आपको बता दूं कि मैं तथ्य प्राप्त कर रहा हूं। जब तथ्य मिल जायेंगे तो मैं आपसे बात करूंगा।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यहां नेवी की नाकेबन्दी हुई है। सरकार को इस बारे में वक्तव्य देना चाहिए। क्या उन्होंने पार...

अध्यक्ष महोदय : या तो वे वक्तव्य देंगे वरना हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश करेंगे या कोई और चर्चा।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) अध्यक्ष जी, "हिन्दुस्तान" अखबार के 10 तारीख के संस्करण में निकला है अमरीकी राजदूत श्री बर्न्स की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के बारे में, और भारत के विरोध में वह सब बात कर रहे हैं...

अध्यक्ष महोदय : यह देखकर करेंगे। मैंने आपका नोटिस देख लिया है। मैं इसकी जांच करूंगा।

श्री ईरा अनबारासु (चिंगलपट्टु) : श्री लंका सरकार द्वारा आक्रमण का खतरा हो गया है...

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा।

श्री ईरा अनबारासु : मैं आपको कारण बताता हूं। उन्होंने हमारे क्षेत्रीय समुद्र पर अधिक्रमण कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : यहां पर अभी हम कारणों की चर्चा नहीं कर रहे हैं। मैं ऐसा वक्तव्य नहीं सुनना चाहता, अनुमति नहीं दी।

श्री रतनसिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : महोदय, वनस्पति उद्योग के लिए आयातित तेल की बोट पर विशेषाधिकार भंग का नोटिस दिया है।...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यह पहले से ही मेरे पास है।...(**व्यवधान**)

श्री रतन सिंह राजदा : मंत्री महोदय ने सदन को गुमराह किया है—जिसका मैं विरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है हम इसे ला रहे हैं।

श्री रामलाल राही (मिसरिख) : रेलवे सर्विस कमीशन इलाहाबाद में निरन्तर गड़बड़ी हो रही है।

अध्यक्ष महोदय : यह तो आपको लिखकर देना होगा।

श्री राम लाल राही : 8-12-83 को मैंने एक सवाल रखा था, रेल मंत्री ने जवाब दिया था कि 80 हजार कापियां छात्रों की गायब हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई वक्तव्य नहीं है। आपको ऐसी अनुमति नहीं है।...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, अनुमति नहीं है।

श्री हरिकोश बहादुर (गोरखपुर) : महोदय, मैंने श्री निहार रंजन लास्कर, आपूर्ति तथा वाणिज्य राज्य मंत्री, के विरूद्ध एक विशेषाधिकार उल्लंघन का नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : किस बात के लिए?

श्री हरिकेश बहादुर : महोदय, प्रतिबन्ध उठा लिया गया है इस बारे में मैंने नोटिस दिया है।...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : उससे निपटा जा रहा है।

श्री हरिकेश बहादुर : महोदय, यह प्रतिबन्ध कब तक लागू रहेगा?

अध्यक्ष महोदय : इसमें टाइम लगता है। एक या दो दिन में हम...(**व्यवधान**)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, लोक-सभा के परिसर की जिम्मेदारी आप पर है। मैं अत्यन्त विनम्रतापूर्वक आप से कह रहा हूं कि मैं उधर से गाड़ी से आ रहा था, इधर से प्राइम मिनिस्टर जा रही थीं। इतने रूड तरीके से आज फिर वहां रोका गया, आपने पहले इस विषय पर कहा भी है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) **··· **(व्यवधान)**

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : प्राइम मिनिस्टर खुद खड़े होकर बोलने लगीं, लेकिन वह अधिकारी लोग···

अध्यक्ष महोदय : शास्त्री जी आप सज्जन आदमी हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुनिये। यह छोटी बात है। न तो प्रधानमंत्री चाहतीं और न कोई दूसरा भला सज्जन इस बात को चाहता, लेकिन हालात ऐसे होते हैं जिसमें···

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : हम भी नहीं चाहते। हम भी प्राइम मिनिस्टर की इज्जत करते हैं, उनकी मर्यादाओं का पालन करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपकी ही इज्जत वह कर रहे थे। मेरे कहने का भाव है कि हम उनको ड्यूटी पर लगा देते हैं, कल अगर कुछ गड़बड़ हो जाये तो उल्हाना होता है। इसलिये आप भी थोड़ा ध्यान रखें।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : ऐसा कोई भी आदमी नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर जा रही हों तो वह उसके आगे जाना चाहे। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अपना बन्दोबस्त हमें करना है। हमारे आदमी जो बन्दोबस्त कर रहे हैं···

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : श्री बूटा सिंह जी ने जो कहा है, क्या वह रिकार्ड पर जायेगा ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरी परमीशन के बगैर कोई बात रिकार्ड पर नहीं जाती। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा कि मेरी बगैर परमीशन कुछ नहीं लिखा जाता। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हमें इसे सही अर्थों में लेना चाहिए।

हो रहा है, इस पर विचार हो रहा है।

**कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : अभी कंसीडर ही हो रहा है ? (व्यवधान)

श्री हरिकेश बहादुर : हमारे क्षेत्र में चेचक से बहुत से लोग मर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दीजिये, हो जायेगा।

श्री हरिकेश बहादुर : वहां पर टीम भेजिये।

अध्यक्ष महोदय : लिखकर दें।

12.13 म० प०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

भारतीय रेल अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : मैं भारतीय रेल अधिनियम, 1890 की धारा 82ञ की उपधारा (3) के अन्तर्गत, रेल दुर्घटनायें (मुआवजा) (संशोधन) नियम, 1984, जो 20 मार्च, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 171 (अ) में प्रकाशित हुए थे, एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 8138/84]

नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

वाणिज्य एवं आपूर्ति विभाग मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1982-83 तथा उसके 9 सहायक निगमों के वर्ष 1981-82 और 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली, का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां तथा उसके 9 सहायक निगमों के वर्ष 1981-82 और 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 8139/84]

केन्द्रीय उच्चतर तिब्बती अध्ययन संस्थान, वाराणसी के वर्ष 1982-83 के वार्षिक लेखों तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, आदि

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) केन्द्रीय उच्चतर तिब्बती अध्ययन संस्थान, वाराणसी के वर्ष 1982-83 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 8140/84]

केन्द्रीय होमियोपैथी अनुसंधान परिषद नई दिल्ली का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे, भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद, नई दिल्ली के वार्षिक लेखे आदि को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब का विवरण, अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या अध्ययन संस्थान, बम्बई का 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, आदि

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखती हूं :—

(1) (एक) केन्द्रीय होमियोपैथी अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय होमियोपैथी अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 8141/84]

(2) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा-वर्ष की समाप्ति के बाद नौ महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8142/84]

(3) (एक) अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या अध्ययन संस्थान, बम्बई, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[श्रीमती मोहसिना किदवई]

(दो) अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या अध्ययन संस्थान, बम्बई, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या अध्ययन संस्थान, बम्बई, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 8143/84]

सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्णा) : मैं सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1). (एक) सा० का० नि० 254 (अ) तथा 255 (अ), जो 31 मार्च, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 31 मार्च, 1979 की अधिसूचना संख्या 80-सी० शु० और 1 मार्च, 1984 की अधिसूचना संख्या 56/84-सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि राष्ट्रीय मलेरिया जन्मूलन कार्यक्रम के लिए डी०डी०टी० फारमुलेशनों को 31-3-1987 तक समस्त मूल और अतिरिक्त सीमाशुल्क से छूट दी जाये।

(दो) सा० का० नि० 256 (अ) और 257 (अ), जो 31 मार्च, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 22 नवम्बर, 1983 की अधिसूचना संख्या 311-सी० शु० तथा 13 फरवरी, 1984 की अधिसूचना संख्या 16/84-सी० शु० की वैधता की अवधि को 31 मार्च, 1985 तक बढ़ाया गया है।

(तीन) सा० का० नि० 258 (अ) और 259 (अ), जो 3 मार्च, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 26 मई, 1982 की अधिसूचना संख्या 157/82-सी० शु० और 1 मार्च, 1984 की अधिसूचना संख्या 57/84-सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया ताकि लैड ग्लास ट्यूबों और छड़ों पर सीमाशुल्क की छूट की

वैधता की अवधि को हल्के परिवर्तन के साथ 31-3-1985 तक बढ़ाया जाये।

(चार) सा० का०-नि० 260 (अ), जो 31 मार्च, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 1 जनवरी, 1979 की अधिसूचना संख्या 2--सी० शु० की वैधता की अवधि को 30 जून, 1984 तक बढ़ाया गया है।

(पांच) सा० का० नि० 261 (अ), जो 31 मार्च, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 22 अगस्त, 1979 की अधिसूचना संख्या 179-सी० शु० की वैधता की अवधि को 30 जून, 1984 तक बढ़ाया गया है।

(छः) सा० का० नि० 262 (अ) और 263 (अ), जो 31 मार्च, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 30 मार्च, 1981 की अधिसूचना संख्या 89-सी० शु० और 1 मार्च, 1984 की अधिसूचना संख्या 56/84-सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि प्रिमिफोस मिथाइल 25 प्रतिशत डब्ल्यू० डी० पी० पर सीमा-शुल्क की छूट की वैधता की अवधि को हल्के परिवर्तन के साथ 31-3-1985 तक बढ़ाया जाये।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 8144/84]

(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अंतर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 270 (अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 5 अप्रैल, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 13 नवम्बर, 1982 की अधिसूचना संख्या 271/82-के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है, ताकि आयातित सी० जी० अलमोनियम पिंडों से बने अलमोनियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क की दरों को स्वदेशी पिंडों से बनाए जाने वाले उत्पादों की दरों के बराबर किया जा सके। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 8145/84]

12.14 म० प०

लोक लेखा समिति

सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 181वां, 187वां तथा 188वां प्रतिवेदन

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : महोदय, मैं, लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :—

(एक) वित्त मंत्रालय से संबंधित "धन कर" के संबंध में समिति के 101वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 181वां प्रतिवेदन।

(दो) रेल मंत्रालय से संबंधित "रेलवे परिसम्पत्तियों का प्रतिस्थापन, चल स्टाक, खरीद और भण्डार, निर्माण कार्य और आय" के संबंध में समिति के 107वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 187वां प्रतिवेदन।

(तीन) वाणिज्य मंत्रालय से संबंधित "अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड" के संबंध में समिति के 122वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 188वां प्रतिवेदन।

———

12.14-3/4 म०प०

प्राक्कलन समिति

65वां प्रतिवेदन

श्री बंसीलाल (भिवानी) : मैं गृह मंत्रालय-पुलिस (केन्द्रीय जांच ब्यूरो सहित) के संबंध में प्राक्कलन समिति के 49वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का 65वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

———

121.5 म० प०

मानसिक स्वास्थ्य विधेयक

संयुक्त समिति में सदस्य नियुक्त करने की राज्य सभा की सिफारिश से सहमति

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि लोक सभा मानसिक स्वास्थ्य विधेयक, 1981 सम्बन्धी दोनो सभाओं की संयुक्त समिति में श्री मोहम्मद यूसुफ के निधन के कारण रिक्त हुए स्थान पर एक सदस्य नियुक्त करें और संकल्प करती है कि उक्त संयुक्त समिति में रिक्त स्थान को भरने के लिए श्री बी० एस० विजय राघवन को नाम-निर्दिष्ट किया जाए ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि लोक सभा मानसिक स्वास्थ्य विधेयक, 1981 सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में श्री मोहम्मद यूसुफ के निधन के कारण रिक्त हुए स्थान पर एक सदस्य नियुक्त करे और संकल्प करती है कि उक्त संयुक्त समिति में रिक्त स्थान को भरने के लिये श्री बी० एस० विजय राघवन को नामनिर्दिष्ट किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने किसी को भी बोलने की अनुमति नहीं दी है । (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : सारा काम ठीक तरह से होगा । हम इस बारे में बात करेंगे । सारी बात आएगी । (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : किसी को भी बोलने की अनुमति नहीं दी गई है । सभा किसी भी प्रस्ताव अथवा वक्तव्य पर विचार-विमर्श कर सकती है । (व्यवधान)

वाणिज्य तथा पूर्ति विभाग मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : मैं, आयात और निर्यात नीति के बारे में एक वक्तव्य सभा-पटल पर रख रहा हूं ।... (व्यवधान) मैं उस विषय पर आ रहा हूं । एक अन्य वक्तव्य मैं 2 बजे दूंगा । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इस बारे में ऐसा नहीं कर सकते । नहीं, आपको अनुमति नहीं दी गई है । वे तो सोच रहे हैं कि सभा आपके पक्ष में है । (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी प्रस्ताव के बारे में सूचना देने की अनुमति दे दी है । मैं इस पर विचार करूगा ।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : मैंने एक प्रस्ताव दिया है । (व्यवधान)**

**कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री हरिकेश, आप इस प्रकार नहीं बोलते जाइये। आपको अनुमति नहीं दी गई है। मैं किसी भी प्रस्ताव पर विचार कर सकता हूं। मै किसी भी चीज पर विचार कर सकता हूं लेकिन इस तरह से नहीं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी भी सदस्य द्वारा उठाई गई बात को हल्के तौर पर नहीं ले सकता। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं हर एक बात के लिए मौका देने के लिए तैयार हूं। लेकिन इस तरह से नहीं। मैंने किसी बात को रोका कब है ?

12.18 **म० प०**

वर्ष 1984-85 की आयात और निर्यात नीति के बारे में वक्तव्य

वाणिज्य तथा पूर्ति विभाग मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : महोदय, मुझे 1984-85 के लिए आयात-निर्यात नीति को सदन की मेज पर रखते हुए खुशी हो रही है।

प्रस्तुत नीति बताते समय हमने सारे संसार के आर्थिक वातावरण को और उत्पादन व निर्यात के लिए अपनी अर्थव्यवस्था की जरूरतों को ध्यान में रखा है। आयात-निर्यात नीति का मुख्य आधार उद्योग की प्रगति और विकास को दृढ़ रखना और आगे बढ़ाना है। इस नीति के प्रमुख उद्देश्य हैं :—

— निर्यातों को और अधिक प्रोत्साहन देना,

— जहां तक सम्भव हो सके, आयातों को कम करना,

— उत्पादन आधार को मजबूत बनाना और उसका विकास करना,

— घरेलू उद्योग की प्रगति और उसमें आत्मनिर्भरता के लिए सहायता देना,

— टेक्नोलाजी को उन्नत बनाने के लिए सुविधाएं देना; और

— निर्यात उत्पादन में लघु क्षेत्र के उद्योग को सहायता देना।

पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति के सामान्य ढांचे को कायम ही नहीं रखा गया है, बल्कि कुछ क्षेत्रों में निर्यात बढ़ाने के लिए उसे और अधिक मजबूत बनाया गया है।

जिस निर्यात माल से वास्तविक विदेशी मुद्रा की अधिक कमाई होती है, उसमें उपयोग होने वाले माल और अधिक प्राप्त कराने के लिए 10 प्रतिशत से कम आयात प्रतिपूर्ति की दरों में एक प्वाइंट प्रतिशतबढ़ा दिया गया है।

परिशिष्ट-17 में 13 और उत्पाद जोड़े गए हैं जिससे कि ऐसे उत्पादों के निर्यातिक आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंस प्राप्त कर सकें।

जिस निर्यात माल से वास्तविक विदेशी मुद्रा की अधिक कमाई होती है। उसका और अधिक निर्यात बढ़ाने के लिए कुछ व्यवस्थाएं प्रारंभ की जा रही हैं।

जो निर्माता-निर्यातिक अपने उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा निर्यात करते हैं और अधिक वास्तविक विदेशी मुद्रा भी कमाते हैं, उनके लिए कच्चे माल की उपलब्धता को भी सुगम बनाया जा रहा है। ऐसे निर्यातिकों के लिए उपलब्ध उदार क्षेत्र को और बढ़ा दिया गया है। आर० ई० पी० लाइसेंसों के मद्दे जिस अधिकतम मूल्य सीमा तक पूंजीगत माल का आयात किया जा सकता था, वह मूल्य सीमा ही बढ़ा दी गई है।

उच्चतर मूल्य वाली निर्मित वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

कम्प्यूटर साफ्ट-वेयर के निर्यात का विकास करने के लिए एक नई योजना आरम्भ की गई है।

1984-85 के दौरान किए गए निर्यातों पर अतिरिक्त लाइसेंसों के लिए पात्रता की गणना कुछ अंश तक निर्यात सदन/व्यापार सदन द्वारा कमाई गई वास्तविक विदेशी मुद्रा के अनुपात में की जाएगी।

निर्यात सदनों/व्यापार सदनों के रूप में मान्यता के लिए पात्रता के लिए उनके द्वारा किए गए नए उत्पादों के निर्यात या नए बाजारों को निर्यात की गिनती मुनाफे वाले ऐसे निर्यातों के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य की दुगुनी दर पर की जाएगी।

व्यापार सदनों और उनसे संबद्ध निर्माताओं के बीच लम्बे संमय तक स्थायी संबंध बने रहें, इसको बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना आरम्भ की गई है जो निर्यात के लिए उत्पादन की योजना को सुकर बनायेगी।

जो नई श्रेणी के उद्यमी व्यापारी निर्यातक लघु उद्योग/कुटीर उद्योग क्षेत्र से चुनिन्दा उत्पादों का निर्यात करते हैं, उनको प्रोत्साहन देने के लिए एक दूसरी योजना आरम्भ की गई है।

सोने के आभूषणों के निर्यात को बढ़ाने के लिए स्वर्ण आभूषण प्रतिपूर्ति और निर्यात संवर्धन योजना आरंभ की गई है।

निर्यात सदन और व्यापार सदन के रूप में पात्रता के लिए क्रियाविधि को उन्नत बनाने के लिए परिशोधित किया गया है। व्यापार सदनों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है ताकि वे निर्यात के लिए अपने उत्पादों का विविधिकरण करें और नए बाजार ढूंढें।

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह]

शत-प्रतिशत निर्यात अभिमुख यूनिटों और मुक्त व्यापार क्षेत्रों की यूनिटों को उपलब्ध सुविधाएं लागू रखी जा रही हैं।

शुल्क छूट योजना भी जारी रखी जा रही है। अधिक निर्यात उत्पादों के लिए विशेष और उत्पादन की मात्रा निर्धारित की गई है और नीति-पुस्तक में शामिल कर दी गई है जिससे विकेन्द्रीकृत स्तर पर अधिक अग्रिम लाइसेंस जारी किये जा सकेंगे।

जिन आयातों को कम किया जा सकता है, उनमें कटौती करने के लिए नीति में व्यवस्थाएं की गई हैं। संघटकों के आयात को नियन्त्रित करने के लिये सूची-साक्ष्यांकन क्रियाविधि कपड़े की मशीनरी बनाने वाली यूनिटों के लिए भी प्रदान की गई है। यह क्रियाविधि उन यूनिटों के लिए भी लागू होगी जिन्होंने अपने चरणवार विनिर्माण कार्यक्रम पूरे कर लिए हैं।

सात वर्ष से अधिक पुरानी मशीनों के आयात की अनुमति नहीं दी जायेगी।

फालतू पुर्जों की कुछ श्रेणियों के आयात पर कुछ प्रतिबन्ध लगाए गये हैं।

वे कुछ मुद्दे खुले सामान्य लाइसेंस से निकाल दी गई है जिनका उत्पादन देश में ही हो रहा है। कुछ मुदों को आटोमेटिक अनुमेय सूची से निकाल कर सीमित अनुमेय सूची और प्रतिबन्धित सूचियों में रख दिया गया है।

इलेक्ट्रानिक उद्योग, लैम्प बनाने के उद्योग और सिनेमाटोग्राफिक इक्विपमैंट के लिये मशीनरीं तथा छोटे उद्योगों और निर्यात अभिमुख एककों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मशीनरी, जैसे गारमेंट और हौजरी मशीनरी जैसे बहुत से पूंजीगत माल को खुले सामान्य लाइसेंस में रखा गया है।

सारणीबद्ध एजेन्सियों द्वारा सम्भरण शीघ्र किया जा सके, इसके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं।

देशी इस्पात उद्योग को सहायता प्रदान करने के लिए लोहा, इस्पात और मिश्रधातु की कुछ खास श्रेणियों को सारणीबद्ध कर दिया गया है और कुछ अन्य को प्रतिबंधित बना दिया गया है।

वास्तविक उपयोक्ताओं (औद्योगिक) द्वारा खुले सामान्य लाइसेंस, आटोमेटिक लाइसेंस या पूरक लाइसेंस के अन्तर्गत आयात करने के सामान्य ढांचे में भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। लाइसेंस के लिए "रिपीट सुविधा" लागू रहेगी।

आटोमेटिक लाइसेंस के मुद्दे सीमित अनुमेय सूची के कच्चे माल, संघटक और फालतू पुर्जों की मदों के आयात के लिए उच्च मूल्य सीमा बढ़ा दी गई है।

टेक्नोलाजी के आयात के लिए सुविधा को और उदार बना दिया गया है। हम निर्यात

क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है जिसको टेक्नोलाजी के आयात की अनुमति दी जाएगी। उन इलाकों और क्षेत्रों को चिन्हित करने के लिए भी प्रयास किया जाएगा जिनके लिए खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत टेक्नोलाजी के आयात की अनुमति दी जा सकती है।

वास्तविक उपयोक्ताओं को वितरित किये जाने के लिये कृषि मशीनरी और फालतू पुर्जों के आयात की अनुमति राज्य कृषि उद्योग निगमों को दी जायेगी। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम और राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगमों को भी स्टाक और बिक्री के लिए पूंजीगत माल आयात करने की स्वीकृति दी जायेगी।

आयात लाइसेंसों की वैधता अवधि को बारह महीने से बढ़ाकर अट्ठारह महीने किया जा रहा है।

अधिकांश पण्यवस्तुओं का निर्यात स्वतन्त्र रूप से जारी रहेगा। सिन्थेटिक ब्लैंडड यार्न के निर्यात की अनुमति भी कुछ शर्तों के अधीन दी गई है। कुछ सीमित मदों, जैसे जनता की खपत की आवश्य वस्तुओं, के निर्यात पर ही नियन्त्रण रहेगा।

पहली बार आयात-निर्यात नीति की कुछ परिशिष्टों के अन्तर्गत आने वाली प्रत्येक मद के लिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार वर्गीकरण और सीमा शुल्क वर्गीकरण लागू किए गए हैं।

यह उम्मीद की जाती है कि इस नीति से निर्यात को और बढ़ावा मिलेगा, उत्पादन के आधार मजबूत होंगे और व्यापार तथा उद्योग को फूलने-फलने में सहायता मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय आदेश पत्र को मद संख्या 10 में उल्लिखित वक्तव्य 2 बजे अपराह्न देंगे।

12.25 म० प०

जीवन बीमा निगम विधेयक

संयुक्त समिति में एक सदस्य नियुक्त करने के लिये राज्य सभा से सिफारिश

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा, जीवन बीमा कारबार के राष्ट्रीयकरण के उद्देश्यों की अधिक प्रभावी सिद्धि की दृष्टि से भारतीय जीवन बीमा निगम के विघटन के लिए और उक्त कारबार को अधिक प्रभावी रूप से चलाने के लिए अनेक निगमों की स्थापना के लिए तथा उससे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों

[श्री मूलचन्द डागा]

के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति में श्री बी० इब्राहिम की राज्य सभा से सेवा निवृत्ति के कारण रिक्त हुए स्थान पर राज्य सभा का एक सदस्य नियुक्त करे और उक्त समिति में राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नियुक्त किये गए सदस्य के नाम की सूचना इस सभा को दें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा, जीवन बीमा कारबार के राष्ट्रीयकरण के उद्देश्यों की अधिक प्रभावी सिद्धि की दृष्टि से भारतीय जीवन बीमा निगम के विघटन के लिए और उक्त कारबार को अधिक प्रभावी रूप से चलाने के लिए अनेक निगमों की स्थापना के लिए तथा उससे सम्बन्धित या उनके आनुषंगिक विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति में श्री बी० इब्राहीम की राज्य सभा से सेवा निवृत्ति के कारण रिक्त हुए स्थान पर राज्य सभा का एक सदस्य नियुक्त करें और उक्त समिति में राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नियुक्त किये गए सदस्य के नाम की सूचना इस सभा को दें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब, नियम 377 के अधीन मामले लिए जाएं। श्री नन्दी चेल्लैया अनुपस्थित। श्री वृद्धि चन्द्र जैन।

12.27 म० प०

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप एक-एक करके बोले तो मैं सुन सकता हूं। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप में से एक समय पर एक व्यक्ति बोलना चाहिए। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, मैं जानता हूं कि यह मामला प्रश्न काल से पहले भी उठाया गया था और अध्यक्ष महोदय ने इस विषय पर अपना निर्णय दे दिया है और इस लिए अब कौन-सा उद्देश्य पूर्ण होगा ? **(व्यवधान)**

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर): महोदय क्या आपने कल सभा स्थगित की थी ? **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यह विषय समाप्त हो चुका है। मैं उस विषय को दोबारा आरम्भ नहीं कर सकता। यह समाप्त हो चुका है। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उस विषय को दोबारा आरम्भ नहीं कर सकता और वह मामला समाप्त हो चुका है। मुझे क्षमा कीजिए, यह मामला समाप्त हो चुका है। (**व्यवधान**)

12.28 म० प०

(इस समय श्री मनी राम बागड़ी तथा कुछ अन्य सदस्य सभा भवन से उठकर बाहर चले गये।)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : **

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब केवल यही कहूंगा : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। (**व्यवधान**)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी महोदय, आप सभा स्थगित किये बिना ही चले गए थे।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही आपको बता दिया है। (**व्यवधान**)

12.29 म० प०

(इस पर श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से उठकर बाहर चले गये।)

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : महोदय, अध्यक्ष महोदय ने निर्णय दे दिया था। उन्होंने यह मामला सुबह भी उठाया था। अध्यक्ष महोदय दुबारा इस मामले पर पूरी तरह विचार किया गया था। उन्होंने आपके कल के निर्णय को मान लिया था और विपक्ष का कोई आधार नहीं था लेकिन महोदय, अध्यक्ष महोदय, के निर्णय के विरुद्ध सभा से उठकर चले जाने से उन्होंने अध्यक्षपीठ की अवमानना की है। वस्तुत: मैं यह चाहता हूं कि इसे रिकार्ड किया जाए।

12.30 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वृद्धि चन्द्र जैन। कृपया नियम 377 के अधीन अपना वक्तव्य पढ़िये। (**व्यवधान**)**

** उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाएगा ।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ रिकार्ड न करें । नियम 377 के अधीन श्री वृद्धि चन्द्र जैन के वक्तव्य के सिवाय कुछ रिकार्ड नहीं किया जाएगा ।

(एक) माही बजाज सागर बांध और कडाना बांध के सम्बन्ध में वर्ष 1966 में गुजरात तथा राजस्थान की सरकारों के बीच हुए समझौते के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में गुजरात सरकार की असफलता और इस सम्बन्ध में केन्द्रीय हस्तक्षेप की आवश्यकता

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित वक्तव्य प्रस्तुत करता हूं :

गुजरात और राजस्थान सरकारों के बीच वर्ष 1966 में हुए अन्तर्राज्यीय करार के अनुसार राजस्थान में माही बजाज सागर बांध और गुजरात में कडाना बांध का निर्माण किया जाना था ।

करार में यह व्यवस्था है कि माही बजाज सागर तथा कडाना बांध में एकत्रित जल का गुजरात तब तक उपयोग कर सकता है जब तक कि माही क्षेत्र (लगभग 6.5 लाख एकड़) नर्मदा नदी को अन्तरित नहीं कर दिए जाते ।

करार में व्यवस्था है कि नर्मदा जल विकास के बाद कडाना से आंशिक सप्लाई और माही बजाज सागर बांध का पूरा जल राजस्थान में बाड़मेर और जालौर जिलों के रेगिस्तानी क्षेत्र को दिया जाएगा ।

जबकि गुजरात में कडाना बांध का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और राजस्थान में माही बजाज सागर बांध लगभग पूरा होने वाला है, बाड़मेर एवं जालौर क्षेत्रों के लिए राजस्थान के हिस्से का जल पहुचाने के लिए गुजरात को (गुजरात क्षेत्र में 200 मील लम्बी) एक उच्च स्तर की कडाना नहर का निर्माण करना है ।

गुजरात कडाना उच्च स्तरीय नहर का निर्माण-कार्य आरम्भ करने में हिचकिचा रहा है । इसका अर्थ यह हुआ कि गुजरात अपने 1966 के करार से पीछे हट रहा है । इस प्रकार राजस्थान का 6.5 लाख एकड़ रेगिस्तानी क्षेत्र सिचाई से वंचित रह जाएगा । कडाना बांध के निर्माण-कार्य की अनुमति दे दी गई थी तथा राजस्थान के जल आप्लावन क्षेत्र के बारे में केवल इसलिए सहमति हुई क्योंकि राजस्थान को 6.5 लाख एकड़ क्षेत्र में सिचाई करानी थी ।

केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह करार के अधीन दिए गए वचन को पूरा करने के लिए गुजरात को समझाए ।

** कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

(दो) हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के पिछड़ेपन को दूर करने हेतु राज्य सरकार को वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित वक्तव्य प्रस्तुत करना चाहता हूं।

हिमाचल प्रदेश की आबादी 42 लाख के लगभग है। यहां के लोग दूर-दराज क्षेत्रों में और छोटे-छोटे गांवों में बसे हुए हैं। खेतीबाड़ी की उपज भी बहुत कम होती है। यही नहीं इन लोगों को विकास के साधन भी पूरे उपलब्ध नहीं हैं। चूंकि विकास खंडों की कमी है। इसी कमी के कारण वे उन्नति नहीं कर सकते और न ही इन्हें अब तक भारत सरकार की ओर से पूरी सुविधा प्राप्त हुई है। सड़कों की कमी है। पशु पालन करने वाले पशुओं के गर्भाधान और नई नस्लों के पशु पैदा करने की कमी के कारण दूध की कमी है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य कायम रखने हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उपकेन्द्रों की भी कमी है। लोग अपना इलाज ठीक प्रकार से नहीं करा सकते। दवाइयों का अभाव रहता है। शिक्षा में भी यह क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। कन्नौर, लाहौल, सिपिती, भरमोर पांगी डोडराक्वार इत्यादि स्थानों में अब तक किसी कालिज की ऊंची शिक्षा प्राप्त करने हेतु कोई भी सुविधा नहीं है और इन क्षेत्रों में ग्रामीण आबादी के लिए कहीं भी कोई कालिज नहीं है। सिवाय शहरों के। यही हाल नगरों का है।

मैं भारत सरकार से प्रार्थना करता हूं कि हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार को उक्त समस्याओं का समाधान करने हेतु अधिक-से-अधिक सहायता दी जाए।

(तीन) हिमाचल प्रदेश में और अधिक दूर-संचार सुविधाओं की व्यवस्था करने तथा वर्तमान सुविधाओं में प्राप्त करने की आवश्यकता

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : नियम 377 के अधीन मैं निम्नलिखित वक्तव्य प्रस्तुत करता हूं :

हिमाचल प्रदेश में, देहर पावर हाउस, बी० एस० परियोजना इत्यादि जैसी अनेक परियोजनाओं का निर्माण तथा पंजाब राज्य बिजली बोर्ड द्वारा विद्युत लाइनों के उत्थापन कार्य के परिणाम स्वरूप हिमाचल और विद्युत समान्तर प्रेरणा से हिमाचल प्रदेश में आम तौर पर और बिलास पुर, मंडी, हमीर पुर और ऊना जिला में विशेष रूप से समस्त दूर संचार समन्वय समिति इन क्षेत्रों में टेलीफोन लाइनों/टेलीग्राफ लाइनों तथा टेलीफोन एक्सचेन्जों को ठीक किए जाने के कार्य को कोई प्राथमिकता नहीं देती। बरमना-बिलासपुर टेलीफोन ट्रंक लाइन का कार्य पी० टी० सी० सी० के पास छः महीने से अधिक समय से लम्बित है। मैं दूर संचार मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि इस क्षेत्र के निवासियों की होने वाली परेशानी को ध्यान में रखते हुए इस ओर निजी तौर पर ध्यान दें।

(चार) पिछड़े वर्गों को दी जा रही सुविधाएं हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुसलमान, गूजरों तथा उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के हिन्दू अहेड़ियों को भी देने की आवश्यकता

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : मोहतरिम, हिन्दुस्तान आजाद हुये 37 साल हो गये, मगर मेरे बार-बार लिखा-पढ़ी करने के बावजूद उत्तर प्रदेश के तराई इलाके में बसने वाली हिन्दू अहेड़ी बिरादरी और उत्तर प्रदेश और हरियाणा में बसने वाली मुसलमान गूजर बिरादरी को बैकवर्ड क्लास नहीं बनाया गया, जब कि हिन्दू गूजर बैकवर्ड क्लास के दर्जे में हैं, जो मुसलमान गूजर से बहुत तरक्की-याफ्ता हैं। हिन्दु अहेड़ी और मुसलमान गूजरों में न तालीम है और न पैसा है। मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि सहारनपुर, मुजफ्फर नगर, मेरठ, बिजनौर, बुलन्दशहर, आगरा और कई दूसरे शहरों में बसने वाली हिन्दू अहेड़ी बिरादरी को और उत्तर प्रदेश और हरियाणा में बसने वाली मुसलमान गूजर बिरादरी को फौरन पिछड़ी जाति करार देकर उनको वे तमाम सहूलियात दें जो दूसरी पिछड़ी जातियों को हैं, ताकि ये गरीब बिरादरियां भी तरक्की कर सकें।

(पांच) गंगा नदी के जल के बंटवारे सम्बन्धी समझौते का विस्तार करने से सम्बन्धित बंगला देश के प्रस्ताव को अस्वीकार करने की आवश्यकता

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदय, फरक्का बांध का निर्माण के महीनों के दौरान, पदमा से भागी-रथी में पर्याप्त मात्रा में विशेष रूप से कमी वाले महीनों में जल छोड़ने के उद्देश्य से किया गया था ताकि कलकत्ता बन्दरगाह को बचाया जा सके और नगर की पानी की बहुत बड़ी आवश्यकता को पूरा किया जा सके।

बांध पर पानी के बंटवारे के बारे में नवीनतम समझौता, जिस पर 18 महीने पहले श्रीमती श्रीमती इन्दिरा गांधी और जनरल इरशाद ने हस्ताक्षर किए थे, पिछली 6 अप्रैल को समाप्त हो गया। सूचित किया जाता है कि ढाका ने विद्यमान समझौते की अवधि बढ़ाने के लिए प्रस्ताव किया है।

सदन को अच्छी तरह मालूम है कि बांध बनने के शुरू से ही भागीरथी में कमी के महीनों के दौरान न्यूनतम 'पर्याप्त' 40,000 क्यूसेक पानी कभी उपलब्ध नहीं हो पाता है। इसके प्रतिकूल, भागीरथी में कमी वाले महीनों के दौरान पिछले डेढ़ वर्षों से 12 से 18 हजार क्यूसेक से अधिक पानी कभी नहीं मिला। किन्तु पदमा में इस अवधि के दौरान कमी वाले महीनों में 38 से 44 हजार क्यूसेक से भी अधिक पानी प्राप्त हुआ। इसके परिणामस्वरूप भागीरथी के तल के ऊपर चार भूमि (भूमि-विस्तार) में और वृद्धि हो गई है जो कलकत्ता बन्दरगाह के लिये अशुभ होने के साथ नौ संचालन के लिए भी हानिकारक है।

इस समझौते की अवधि और बढ़ाने से कलकत्ता बन्दरगाह, जिसे अभी भी काफी क्षति हो चुकी है, को बहुत हानि होगी।

पश्चिमी बंगाल की सरकार ने पहले की तरह ही इस प्रस्ताव का जोरदार विरोध किया है।

मेरी यह मांग है कि सरकार को इस तरह के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देना चाहिए और कलकत्ता बन्दरगाह, जिसके साथ देश की पश्च प्रदेश, समस्त पूर्वी, उत्तर-पूर्वी भाग लगते हैं, को बचाने के लिए समुचित उपाय करने चाहिएं। सरकार को किसी प्रकार का निर्णय लेने से पूर्व पश्चिम बंगाल की सरकार से भी परामर्श करना चाहिए।

(छः) लोगों को बीमारियों से बचाने के लिये मच्छर तथा मक्खी नाशक अभियान आरम्भ करने के लिये राज्य सरकारों को निदेश देने की आवश्यकता

श्री रामलाल राही (मिसरिख) : उपाध्यक्ष महोदय, महामारियों और बीमारियों के विशेषज्ञों तथा शोधकर्ताओं का यह मत रहा है कि अन्य कारणों सहित मच्छर और मक्खियां अनेक प्रकार की छुतही बीमारियां, महामारियां, चर्मरोग, आदि, उत्पन्न करने के मूल हैं। सन 1965-66 में अनेक प्रदेशों में मच्छर, मक्खियां तथा विभिन्न प्रकार के रोग पैदा करने वाले कीटाणुओं को मारने के लिये एक अभियान चलाया गया था, परिणामस्वरूप मलेरिया, चेचक, ताऊन जैसी महामारियों पर लगातार नियन्त्रण पा लिया गया है।

आज के युग में मलेरिया, चेचक घर-घर में फैल रही है। मच्छरों और मक्खियों की इस समय जितनी पैदावार है सम्भवतः कभी देखने को नहीं मिली। दिल्ली राजधानी जहां मच्छर बहुत कम थे वहां भी अब हर जगह मच्छर घूमते नजर आते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में तो इसकी भरमार है। मेरे जनपद सीतापुर में इस समय शाम होते ही हर स्क्वायर मीटर में कम से कम 500 से 1000 तक मच्छर अपनी तान सुनाते नजर आते हैं। स्वास्थ्य विभाग यह जानते हुए कि मच्छरों और मक्खियों के कारण ही रोग बढ़ रहे हैं, फिर भी इन्हें नष्ट करने के कोई उपाय नहीं सोच रहे हैं।

मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि उन राज्यों को निर्देश दें कि मच्छर व मक्खियों को नष्ट करने के लिये शहर-शहर, गांव-गांव तथा बस्तियों में मच्छर तथा मक्खियां मार दवाओं के छिड़काव का अभियान सतत रूप में चलाया जावे। जिससे रोगों की रोकथाम हो सके।

(सात) जम्मू तथा काश्मीर राज्य सरकार से तथा-कथित स्वतन्त्रता सेनानियों की गृह मन्त्रालय द्वारा पहले सूची प्राप्त किये जाने और फिर प्रत्येक मामले के गुणावगुणों के आधार पर पेंशन देने के बारे में निर्णय लिये जाने की आवश्यकता

प्रो० सैफुद्दीन सोज़ (बारामूला) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रतीत होता है कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू और कश्मीर राज्य के उन साठ व्यक्तियों के लिए, जो स्वतंत्रता सेनानियों को दी जाने वाली पेंशन के निर्धारित मानदण्डों को पूरा नहीं करते, राजनीतिक पेंशन। सहायता स्वीकार करने का निर्णय कर लिया है। इन तथाकथित स्वतंत्रता सेनानियों ने कानून की प्रक्रिया की अवहेलना करने में सफलता प्राप्त कर ली है और अपने आवेदन पत्र, एक विशेष दल के नेताओं की अनुशंसा के साथ, गृह मंत्रालय को सीधे ही भेज दिए हैं। यह समझ में नहीं आता कि राज्य सरकार की किसी प्रकार की अनुशंसा के बिना और निश्चित रूप से स्वयं मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का प्रत्यक्ष उल्लंघन करने पर भी पेंशन/राहत की स्वीकृति मंत्रालय कैसे दे देता है। यह बहुत ही स्पष्ट प्रक्रिया है कि इस प्रकार के आवेदन पत्र सम्बन्धित उपायुक्त के द्वारा भेजे जाएं। जम्मू और कश्मीर राज्य स्वतंत्रता सेनानी संघ ने एक विवरणिका का मंत्रालय का ध्यान राजनीतिक पेंशन प्राप्त करने वाले उन लोगों की सूची की ओर आकर्षित किया है जिनके पास इस संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित की गई कोई भी योग्यता नहीं थी। स्वतंत्रता सेनानी संघ ने मंत्रालय से अनुरोध किया है कि ये पेंशन तत्काल वापस ली जाए और आवेदकों से सामान्य कानून की प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदन करने को कहा जाए। गृह मंत्रालय को सलाह दी जाए कि वह राज्य सरकार से तथाकथित स्वतंत्रता सेनानियों की सूची प्राप्त करें और उसके बाद प्रत्येक मामले में गुणावगुण के आधार पर निर्णय करें।

(आठ) मोदी सिन्टेक्स लिमिटेड के प्रबन्ध मण्डल द्वारा मिल को बन्द करने का प्रयास तथा इस मामले में सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता

श्री सुशील भट्टाचार्य (बर्दवान) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान मोदी सिन-टैक्स लिमिटेड अथवा 'सी' मिलों द्वारा 6 अप्रैल, 1984 से बंद की अधिसूचना देने से उत्पन्न अप्रिय स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मोदी स्पिनर्स लिमिटेड और 'बी' मिल पहले ही अगस्त, 1983 से बंद पड़े थे। 'सी' मिल को बंद करने का प्रस्ताव, 28 श्रमिकों के निलम्बन के विरुद्ध श्रमिकों द्वारा छेड़े गए संघर्ष को देखते हुए किया गया है। टेक्सटाइल मिल मजदूर संघ, यूनियन का कारखाने में उत्पादन का स्तर और अनुकूल वातावरण बनाए रखने का प्रस्ताव ठुकरा दिया गया।

प्रबन्धक भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से 2 करोड़ रुपये का ऋण, बैंकों से 3 करोड़ रुपये के ओवरड्राफ्ट का अधिकार तथा पहले के सभी ऋणों की अदायगी का निलम्बन, 'सी' मिल को एक पिछले जिले में एक उद्योग के रूप में माना जाना। पांच वर्ष तक बिक्री कर की अदायगी और श्रमिकों को बोनस देने से छूट चाहते हैं। इसके अतिरिक्त वे ये भी चाहते हैं कि मजदूरी में से 20 प्रतिशत की कटौती की जाए, मंहगाई भत्ता बन्द किया जाए तथा पांच वर्षों तक श्रमिकों की ओर से कोई आर्थिक मांग न की जाए। इन पूर्व-शर्तों से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रबंध-मण्डल 'सी' मिल को चलाने के अनिच्छुक हैं और इसे बन्द रखने का वैसा ही इरादा है जैसा कि 'बी' मिल के मामले में किया गया। 'बी' मिल भी इसी प्रबन्ध-मण्डल के अधीन है। अत: मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि करीब पांच हजार भूखमरी के शिक्षा बेरोजगार श्रमिकों तथा देश के उत्पादन के हित में वह इस मामले में हस्तक्षेप करे। यदि प्रबंध-मंडल 'बी' और 'सी' मिलों के विवाद निपटाने और उन्हें चलाने में असफल रहता है तो सरकार इस अवसर का सामना करे और मिलों का अधिग्रहण कर ले।

(नौ) हड़प्पा तथा मोहन जोदड़ों को विनाश से बचाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कदम उठाने तथा एक समिति गठित करने की आवश्यकता

श्री प्रताप भानु शर्मा (विदिशा) : उपाध्यक्ष महोदय, मिश्र एवं मेसोपोटामिया की तरह भारत की सिन्धु घाटी भी मानव सभ्यता के पालने के रूप में स्वीकार की जाती है। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ों आज पाकिस्तान में भले ही हों, पर वे निश्चय ही पूरे मानव समाज की विरासत हैं।

ये अवशेष वर्षा और क्षार द्वारा धीरे-धीरे नष्ट हो रहे हैं। यह भी आशंका व्यक्त की जा रही है कि सिंधु नदी की एक बड़ी बाढ़ ही पूरे पुरातत्व क्षेत्र को जल मग्न कर मानव जाति की इस अमूल्य निधि को नष्ट कर सकती है। सयुक्त राष्ट्र संघ के शिक्षा विज्ञान एवं संस्कृति संगठन ने इन अवशेषों विशेषकर मोहनजोदाड़ों की तत्काल रक्षा की आवश्यकता रेखांकित की है। इस अभियान से सम्बन्धित समिति ने विश्व राष्ट्रों को आमंत्रित किया है और वे सिंधु घाटी की इस दौलत की सुरक्षा और संरक्षण में हाथ बढ़ाएं।

अत: मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि ऐतिहासिक एवं पुरातत्व महत्व के इन प्राचीनतम नगरों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए पहल कर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर शीघ्र ही आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए ताकि मानव जाति की इस अमूल्य निधि को नष्ट होने से बचाया जा सके।

मेरा सुझाव है कि भारत में भी इस कार्य हेतु एक विशेष समिति का गठन किया जाना चाहिए जो विभिन्न स्तर पर इस कार्य हेतु पहल कर सके।

(दस) मिजोरम में होने वाले चुनावों के दौरान श्री लाल डेंगा के संदेशों के उपयोग द्वारा चुनाव प्रचार पर प्रतिबन्ध

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, पूर्वोत्तर सीमा की राजनीति

[प्रो० अजित कुमार मेहता]

में दो हफ्ते बाद होने वाले मिजो चुनावों में विद्रोही नेता श्री लाल डेंगा के अप्रत्यक्ष इस्तेमाल को लेकर हलचल है। पिछले चुनावों में उनकी पार्टी मिजो नेशनल फ्रंट ने चुनावों का बहिष्कार का नारा दिया था। जिसका कोई खास असर नहीं हुआ परन्तु अब पूरे राज्य में श्री लाल डेंगा के दो संदेश कैसेट के माध्यम से खुलेआम सुनाए जा रहे हैं। इस संदेश की सोलह पेजी पुस्तिका बनवाकर उसकी पन्द्रह हजार प्रतियां हाल में बांटी गई। इस प्रकार छोटे स्वार्थ के कारण श्री लाल डेंगा का अप्रत्यक्ष इस्तेमाल कर उनको राजनीतिक पुनर्जीवन देना क्या मिजोरम और राष्ट्र के दूरगामी हित में है ?

अतः मैं सरकार से इस पर प्रतिबंध लगाने और इस प्रचार को बंद कराने की मांग करता हूं।

12.47 म० प०

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1984-85

(एक) शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय

उपाध्यक्ष महोदय : अब हमें शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय के लिए अनुदानों की मांगों को लेते हैं। हम मतदान के चरण में थे।

अब मैं श्री ऐ० के० राय का कटौती प्रस्ताव संख्या-30 को सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है :—

"कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[पब्लिक स्कूलों को बंद करने में असफलता तथा देश में एक ही जैसी शिक्षा की व्यवस्था]

[30]

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं अन्य सभी कटौती प्रस्तावों को सभा में मतदान हेतु रखूंगा।

कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों को सभा में मतदान हेतु रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय संबंधी मांग संख्या 24 से 27 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा संबंधी राशियों से अनधिक सम्बन्धित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा द्वारा स्वीकृत

शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय के सम्बन्ध में अनुदानों की मांगें, 1984-85

मांग संख्या	मांग का नाम	14 मार्च, 1984 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की रकम		सदन द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांग की रकम	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय					
24	शिक्षा विभाग	67,50,000	...	3,37,48,000	...
25	शिक्षा	69,57,82,000	5,40,000	347,89,09,000	27,00,000
26	संस्कृति विभाग	3,36,57,000	...	16,82,85,000	...
27	पुरातत्व	1,90,83,000	...	9,54,17,000	...

12.49 म० प०

(दो) वाणिज्य मंत्रालय

अध्यक्ष महोदय : इस सभा में अब वाणिज्य मंत्रालय की मांग संख्या 10 और 12 पर चर्चा एवं मतदान का मामला लिया जाएगा। इसके लिए 5 घंटे का समय दिया गया है। जो माननीय सदस्य सभा में उपस्थित हैं और अनुदानों की मांगों पर जिनके कटौती प्रस्ताव परिचालित किए गए हैं वे यदि अपने कटौती प्रस्ताव पेश करना चाहते हैं तो वे 15 मिनट में उन कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्या लिख कर, जिन्हें वे पेश करना चाहते हैं, पर्चियां सभा पटल पर रख दें, प्रस्ताव पेश किये माने जाएंगे।

जो कटौती प्रस्ताव पेश किये गये माने जाएंगे उनकी क्रमबद्ध तालिका सूचना पटल पर कुछ देर में लगा दी जाएगी। यदि कोई सदस्य इस तालिका में अन्तर पाता है तो वह कृपया अविलम्ब इस ओर पटल अधिकारी का ध्यान दिलावे।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गईं मांग संख्या 10 से 12 के संबंध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से आवधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत

वाणिज्य मंत्रालय के सम्बन्ध में अनुदानों की मांगें, 1984-85

मांग संख्या	मांग का नाम	14 मार्च, 1984 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की रकम		सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की रकम	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1	2	3		4	
वाणिज्य मंत्रालय					
10	वाणिज्य मंत्रालय	44,45,000	....	2,22,25,000	
11	विदेश व्यापार और निर्यात उत्पादन	110,45,05,000	86,77,50,000	552,25,25,000	433,87,50,000
12	सूती वस्त्र, हथकरघा और हस्तशिल्प	58,52,02,000	31,84,22,000	292,60,12,000	159,21,11,000

श्रीमती सुशीला गोपालन (अलप्पी) : अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष के लिए वाणिज्य मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन में कहा गया है :—

"भारत का निर्यात कार्य प्रशंसनीय रहा क्योंकि उन्होंने कठिन अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति में भी बढ़िया कार्य कर दिखाया है।"

प्रतिवेदन में यह भी कहा गया है :—

"1950 से 1975 तक के पच्चीस वर्षों के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में हुए उल्लेखनीय विस्तार की तुलना में 1975 से 1979 तक विश्व व्यापार में लगभग 5 प्रतिशत की औसत वृद्धि हुई है, 1980 में यह 1.5 प्रतिशत रह गई, 1981 में यह स्थिर हो गई और 1982 में इसमें गिरावट आई है। यहां यह कहना उचित रहेगा कि 1981-82 में हमारी निर्यात आय 16.3 प्रतिशत बढ़ गई थी और 1982-83 में यह 13.2 प्रतिशत बढ़ गई है।"

उसमें आगे कहा गया है कि :

"अप्रैल-दिसम्बर 1983 के दौरान 6858.3 करोड़ रु० मूल्य के निर्यात हुए जो पिछले वर्ष उसी अवधि में हुए निर्यात के 6,118.4 करोड़ रु० की तुलना में 12.1 प्रतिशत की वृद्धि दिखलाता है।"

× × × ×

"उसी समय, अप्रैल-दिसम्बर, 1983 के दौरान आयात 10416.5 करोड़ रु० के रहे जो कि पिछले वर्ष की उसी अवधि में 10,718.3 करोड़ रु० की तुलना में 2.3 प्रतिशत अधिक थे।"

प्रफुल्ल वाणिज्य मंत्रालय आगे कहता है :—

"परिणामस्वरूप अप्रैल-दिसम्बर, 1982 में 4,060 करोड़ रु० का जो व्यापार घाटा था वह कम होकर अप्रैल-दिसम्बर, 1983 में 3,558 करोड़ रु० ही रह गया है।"

क्या हमारा कार्य सराहनीय है ? हमने तेल का आयात बहुत कम कर दिया है।

"1983-84 के दौरान कच्चे तेल का घरेलू उत्पादन 262 लाख तक पहुंच जाने का अनुमान है। फलस्वरूप भारत के कुल आयात खर्चे में पैट्रोलियम, तेल और स्नेहक पदार्थों के आयातों का सापेक्ष अंश 1980-81 में लगभग 42 प्रतिशत से कम होकर 1982-83 में 39 प्रतिशत हो गया है और अनन्तिम आंकड़ों के आधार पर चालू वित्तीय वर्ष के पहले आठ मासों में केवल 33 प्रतिशत रह गया है। सभी निर्यातों का हिसाब लगाने के बाद पैट्रोलियम, तेल और स्नेहक पदार्थों के आयात का मूल्य 1981-82 में 4978 करोड़ रु०

[श्रीमती सुशीला गोपालन]

से कम होकर 1982-83 में 4441 करोड़ रु० रह गया और अनुमान है कि 1983-84 में यह केवल 3600 करोड़ रु० रह जाएंगे।"

इस प्रकार तेल के आयात में भारी कमी हुई है। मंत्रालय के अनुसार हम कच्चे तेल का निर्यात कर रहे हैं जिससे हमें 1,023 करोड़ रु० प्राप्त हो रहे हैं। ऐसा समझा जाता है कि विश्व भर में तेल के सुरक्षित भंडार काफी नहीं हैं तो क्या कच्चे तेल का निर्यात इस समय विवेकपूर्ण नीति होगी ? ऐसा हिसाब लगाया गया है कि यह केवल अगले 20 वर्षों तक रहेंगे। हम अपूर्य कच्चा माल कच्चा तेल निर्यात कर रहे हैं। हमारे यहां कहावत है कि बीज को ही पीस कर खा जाओ। इसलिए व्यापार घाटे को कम करने के लिए हम कच्चे तेल का निर्यात कर रहे हैं परन्तु परिणाम लाभदायक नहीं हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि घाटे में कमी हुई है। आप 1977-78 में हुए निर्यात पर विचार करें। उस वर्ष 5,4 7 करोड़ रु० मूल्य का निर्यात हुआ और 1982-83 में यह बढ़कर 8,834 करोड़ रु० हो गया। आयात कितना था ? 1977-78 में 6,020 करोड़ रु० मूल्य का आयात किया गया और अब यह बढ़कर 14,359 करोड़ रु० तक पहुंच गया है। आयात में अत्याधिक बढ़ोत्तरी हुई है परन्तु निर्यात में हम कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं कर पाये जबकि तेल के आयात में काफी कमी भी हुई है।

इसका अर्थ यह है कि अभी हमारी उपलब्धि इतनी नहीं है जितना कि माननीय मंत्री जी दावा करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, कई महत्वहीन चीजों का आयात किया जा रहा है और आयात सम्बन्धी कुछ और रियायतें देने की घोषणा की गई है। नई तकनीकी के आयात के विषय में और रियायत दी गई है। प्रौद्योगिकी हमें अवश्य चाहिए किन्तु विचार करने की बात यह है कि किन क्षेत्रों में चाहिए ? यह सब बातें ध्यान में रखनी है। कुछ समय के पश्चात् मैं इस पर बोलूंगा। अनावश्यक चीजों का आयात किया जा रहा है। सिन्थेटिक वस्तुओं के आयात की क्या आवश्यकता है ?

आपने रसायन और मिश्र स्टील के आयात की भी अनुमति दे दी है जबकि हमारे यहां ये उद्योग कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हैं और इन चीजों के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग कर रहे हैं। आपने आस्ट्रेलिया से ऊन के आयात की भी अनुमति दे दी है जिससे कि यहां इन उद्योगों में काम कर रहे करीब 5000 मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। मैं यह जानना चाहूंगा कि गेहूं के आयात की क्या जरूरत है ? गत वर्ष अच्छी फसल हुई थी और इस वर्ष भी 1440 लाख टन की भारी फसल होगी। यदि देश में गेहूं प्राप्त करने की व्यवस्था ठीक प्रकार से हो तो गेहूं के आयात की कोई आवश्यकता न होगी। मैं यह कहूंगा कि आप देश में जमींदारों को बचाने की नीति अपना रहे हैं।

हमारे किसानों की क्या दशा है? क्या उन्हें लाभ कर मूल्य दिए जा रहे हैं? आप अमरीकी किसान को ज्यादा देने के लिए तैयार हैं किन्तु अपने किसानों को कुछ और देने को तैयार नहीं हैं। उनकी स्थिति बदतर है। मजदूरों की दशा भी खराब है। निर्मित वस्तुओं कपड़ा, मशीनरी, रसायन तथा अन्य वस्तुओं का निर्यात काफी कम हुआ हैं। सोवियत संघ ने 5000 करोड़ रु० मूल्य का कपड़ा, हाथ से बुने कालीन और अन्य वस्तुएं खरीदी हैं किन्तु निर्यात में अभी भी कमी है।

महोदय, हमार देश संसाधनों की दृष्टि से समृद्ध है। यदि राही योजनाबद्ध रूप से कार्य हो तो हम विदेशों को कई वस्तुओं का निर्यात कर सकते हैं। 1947 में विश्व बाजार में व्यापार का हमारा 2.91 प्रतिशत भाग था लेकिन अब 1981 में यह केवल .4% रह गया है। भारतीय निर्यात संगठन के अनुसार 11 देशों में हमारा कोई स्थान नहीं है।

1.00 म० प०

70 देशों में हमारा स्थान केवल 1 प्रतिशत, 11 देशों में 2 प्रतिशत, 12 देशों में 2 प्रतिशत से कुछ अधिक, 7 देशों में 10 प्रतिशत और 3 देशों में 5 प्रतिशत के करीब व्यापार का भारत भागीदार है 5 देशों में इसमें 43 प्रतिशत वृद्धि हुई है। यह हमारी देन है। यदि हम सुनियोजित ढंग से इन समृद्ध साधनों का सदुपयोग करें तो हम अधिक निर्यात कर सकेंगे। यह कहना गलत होगा कि हमारे निर्यात में वृद्धि हुई है और हमारा कार्य प्रशंसनीय रहा। पूर्वी यूरोप के देशों से हमारा व्यापार 26 प्रतिशत से अधिक रहा। लेकिन आप इन देशों से कितना सामान आयात कर रहे हैं? निर्यात योग्य वस्तुओं का 26 प्रतिशत आप से खरीद रहे हैं लेकिन आप उनसे कितना कुछ खरीद रहे हैं? आप इन देशों से खरीदने में झिझकते हैं। आप अभी भी पूंजीवादी बाजार पर निर्भर हैं। यह देश संरक्षणवाद की नीति अपना रहे हैं। आपने अपने प्रतिवेदन में ऐसा स्वयं ही कहा है। संरक्षणवाद की उनकी कठोर नीति के कारण हमारी काफी वस्तुएं उनके बाजार तक, विशेषकर पूंजीवादी बाजार में नहीं पहुंच पाती। लेकिन फिर भी आप इन पूंजीवादी बाजारों से माल खरीद रहे हैं। आप उन पर विशेष ध्यान देते हैं।

अत्याधिक पक्षपात किया जा रहा है। मैं यहां बताना चाहता हूं कि किस प्रकार आप कई विभिन्न वस्तुओं के मामले में समाजवादी देशों से भेदभाव कर रहे हैं। उन उद्योगों के सम्बन्ध में सरकार का रवैया कैसा है जिन पर लाखों लोग आश्रित हैं? नारियल के रेशे, पटसन, तम्बाकू, हथकरघा, रबड़ और काजू की मिसाल दी जा सकती है। क्या होता है? उन सभी उद्योगों में वास्तव में आप एकाधिकार प्राप्त घरानों और बड़े व्यापारियों के हितों की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे पटसन व्यापार पर केवल 6 या 7 बड़े व्यापारियों का नियन्त्रण है।

पश्चिम बंगाल विधान सभा ने सर्वसम्मति से इस उद्योग के राष्ट्रीयकरण के लिए एक प्रस्ताव पास किया था। लेकिन उसका क्या परिणाम निकला? इससे स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हो रहा है। पटसन उद्योग के नवीनीकरण अथवा आधुनिकीकरण के लिए वे अर्जित लाभ को खर्च नहीं करना चाहते। जब ढाई लाख श्रमिक हड़ताल पर थे तब केन्द्र सरकार ने क्या किया?

[श्रीमती सुशीला गोपालन]

इन गरीब श्रमिकों की मदद के लिए सरकार ने क्या किया ? कुछ भी नहीं। अन्त में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप किया, जब मामला तय किया किया जा चुका है। क्या आप उस निर्णय के लाभ दूसरे राज्यों के श्रमिकों को भी देंगे ? क्या केन्द्र सरकार ने इस बारे में दिलचस्पी ली ? नहीं, आपने कोई परवाह नहीं की।

अब श्रमिकों की नियति क्या होगी ? क्यों वे कष्ट सहन कर रहे हैं ? उसमें आपकी क्या भूमिका है ? आप कहते हैं हमें अधिक-से-अधिक निर्यात चाहिए। आखिरकार यह सब लोगों के लिए होती है। जब लाखों लोग दुःख झेल रहे हैं तो उनके लिए आप क्या कर रहे हैं ? इस हड़ताल में केन्द्र सरकार उनकी मदद के लिए उचित ढंग से हस्तक्षेप नहीं कर सकी। अब राष्ट्रीयकरण का प्रश्न है। भारतीय रिजर्व बैंक के एक प्रवक्ता ने बताया कि पटसन निर्माता अपना वास्तविक लाभ अपने खातों में नहीं दिखा रहे हैं। उसमें कुप्रबन्ध और दुराचार का बोलबाला है, लेकिन सरकार इस बारे में क्या कर रही है ? हम कुछ नहीं जानते। केन्द्र सरकार देश के बड़े व्यापारियों के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पायेगी। आपने श्रमिकों के लिए क्या किया है ? उनकी संख्या साढ़े तीन लाख से घटकर अब ढाई लाख रह गई है। आपने एक लाख लोगों की छंटनी होने दी। पटसन निर्माताओं ने कोई आधुनिकीकरण नहीं किया। इसलिए श्रमिकों पर कार्य का भार बहुत बढ़ गया है। हमारा निर्यात-बाजार घटता जा रहा है क्योंकि अधिक सुधार नहीं हो सका है।

पहले हम अपने उत्पादों का 70 प्रतिशत निर्यात कर रहे थे जो घट कर अब केवल 30 प्रतिशत रह गया है। अन्तर्देशीय बाजार की खपत 70 प्रतिशत है। इसी लिए मैं कह रही हूं कि यदि पटसन उद्योग का शीघ्र राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है तो उसमें सुधार की आशा की जा सकती है। तभी पश्चिमी बंगाल के सभी लोग यह मांग कर रहे हैं। किन्तु केन्द्र उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है।

अब मैं रबड़ उद्योग की बात करूंगी। आप कहते हैं कि हमें घरेलू मांग की पूर्ति के लिए रबड़ आयात करना पड़ेगा क्योंकि उत्पादन और मांग के बीच काफी अन्तर है। मांग का प्रश्न कुछ विवादास्पद है। मैं जानना चाहूंगी कि इस समय मांग की मात्रा कौन निर्धारित करता है। इसके लिए एक बैठक आयोजित की गई थी। जहां तक मेरी जानकारी है, रबड़ बोर्ड ने इस निर्धारित मात्रा पर एतराज किया है। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने आयात करने के लिए रबड़ की मात्रा तय की। मैं जानना चाहती हूं कि आपने रबड़ के उत्पादों की कितनी मात्रा आयात की है। क्या आपने रबड़ के आयात के लिए निर्धारित मात्रा से अधिक आयात कर लिया है ?

मैं एक और बात स्पष्ट करना चाहती हूं यदि किसी वस्तु की मांग और आपूर्ति मे अन्तर है तो आप उसका आयात कर सकते हैं। लेकिन उस वस्तु पर आप शुल्क क्यों घटाते हैं ? मैं समझ नहीं पाती कि इसका क्या औचित्य है। यह कहा गया है कि रबड़ पर 83 प्रतिशत शुल्क को घटाकर 13 प्रतिशत या 35 प्रतिशत कर दिया गया है। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं। तथ्य कोई भी नहीं जानता। क्या आप हमें बताएंगे कि इस वस्तु पर वास्तव में आपने कितना शुल्क कम कर दिया है।

इसके अतिरिक्त शुल्क को घटाने की क्या आवश्यकता है ? क्या यह बड़े रबड़ निर्माताओं की मदद के लिए किया गया है ?

महोदय, खाना पकाने वाले तेलों का उपयोग साधारण जनता करती है। इस वस्तु की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए आपने खाद्य तेलों का आयात किया। इस वस्तु के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि के बाद आपने पहले से आयातित तेलों का मूल्य बढ़ा कर घरेलू बाजार में बेच दिया। आपने देश में मूल्य-वृद्धि की चिन्ता नहीं की। साधारण जनता के लिए आप कुछ नहीं करेंगे लेकिन देश के बड़े लोगों के लिए आप शुल्क कम कर देते हैं। खाद्य तेलों के मामले में आपने कीमत बढ़ा दी, आपको इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं। आप ऐसी नीतियों पर चल रहे हैं।

नारियल-रेशा उद्योग में कच्चे माल की कीमतें बढ़ रही हैं। लगभग 5 लाख श्रमिक नारियल-रेशा उद्योग पर निर्भर हैं। केरल सरकार केन्द्र सरकार के साथ मिली भगत करके भूसी नियंत्रण आदेश वापस लेने की कोशिश कर रही है। कल 10,000 नारियल रेशा श्रमिकों ने केरल सरकार के सचिवालय के सामने भूसी नियन्त्रण आदेश को वापस लेने की मांग को लेकर धरना दिया। इस पर वाणिज्य मंत्री कहेंगे कि यह उनके नियंत्रण में नहीं।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : लेकिन सरकार के नियंत्रण में तो है।

श्रीमती सुशीला गोपालन : लेकिन कोई तालमेल नहीं है। मुझे वाणिज्य मंत्री से उत्तर मिला है कि सभी बातों को ध्यान में रखते हुए वे निर्यात किये जाने वाले उत्पादों का मूल्य नियत कर रहे हैं लेकिन वे भूसी नियंत्रण आदेश को वापस नहीं लेंगे। लेकिन साथ ही केरल विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण में भूसी नियन्त्रण आदेश को वापस लेने का जिक्र था। इसलिए वहां कोई तालमेल नहीं है। केन्द्र में मंत्रालय इसे वापस लेने की अनुमति दे रहा है। नारियल जटा बोर्ड ने सुझाव दिया है कि नारियल रेशा उत्पादों के न्यूनतम मूल्यों में 5 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक वृद्धि होनी चाहिए। हमने ऐसा सुझाव नारियल जटा बोर्ड की बैठक में दिया था और बोर्ड ने प्रस्ताव भेज दिया। हालांकि न्यूनतम मूल्यों में 5 से 15 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई तथापि मैं बताना चाहूंगी कि इस फैसले को होने में पूरे साढ़े तीन महीने लगे। यही नहीं कच्चे माल की भी कीमतें दिन प्रति दिन बढ़ रही हैं। नारियल जटा उद्योग के लिए कच्चे माल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए आप तैयार न होंगे, लेकिन उसी क्षण में आप शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख उद्योग के नाम पर इस उद्योग को मशीनीकृत करने की कोशिश कर रहे हैं। यह मध्यम तथा छोटे दर्जे की इकाइयों को बुरी तरह प्रभावित करेगा जहां लाखों श्रमिक काम कर रहे हैं और अपने जीवन निर्वाह के लिए उन पर निर्भर हैं। वह अब न्यायालय में है हम कार्मिक संघ के लोग न्यायालय तक गये क्योंकि यह नारियल जटा बोर्ड के फैसले के विरुद्ध है। मंत्री महोदय कहेंगे

[श्रीमती सुशीला गोपालन]

कि यह तो एक गुजरी बात हो गई है। लेकिन हम अभी भी इसका बोझ ढो रहे हैं। किसी भी समय यह नुकसान दे सकता है। इन पांच लाख गरीब श्रमिकों, की जिनमें से चार लाख महिलाएं हैं, मदद के लिए भारत सरकार क्या कर रही है ? वे कष्ट झेल रहे हैं। आपने इन श्रमिकों के कल्याण के लिए क्या उपाय किये हैं।

छठी योजना मे आबंटित की गई राशि भी समाप्त होने वाली है क्योंकि राज्य सरकार की ओर से इसके बराबर राशि का योगदान नहीं किया। वहां अब कोई पैसा नहीं है। जब आप समान अनुदान की बात करते हैं तो इसका अर्थ है कि धन राशि समाप्त होने वाली है क्योंकि राज्य सरकार के पास धन नहीं है, तब 7वीं योजना में आप कह सकते हैं कि नारियल जटा के लिए अधिक धन की जरूरत नहीं पड़ती, और रकम घटा दी जाती है।

हथकरघों का आधुनिकीकरण का मतलब है उनका सुधार। यदि वह कर लिया जाता है तो अन्य स्रोत से हम मुकाबला कर सकते हैं। मशीनीकरण की कोई आवश्यकता नहीं। केरल का पूरा उद्योग इस बात पर एकमत है। लेकिन केन्द्र मशीनीकरण थोपना चाहता है। अभी जो जरूरत है वह है करघों का सुधार।

अब तम्बाकू को लें। कल यहां चर्चा चली थी। हर साल किसानों को मदद के लिए आपके पास आना पड़ता है। उचित समय पर कुछ भी नहीं होगा। जब वे अपने माल में से बढ़िया किस्म के तम्बाकू का एक बड़ा भाग 1.50 रु० अथवा 2.00 रु० बेच चुके होते हैं तब सरकार कोई निर्णय लेती है। क्या यह मौसम के शुरू होते ही नहीं किया जा सकता ? आप निर्णय ले सकते हैं कि एक एजेन्सी गठित की जाए जो वस्तुओं की खरीद करेगी। वास्तव में अधिक खरीद की आवश्यकता नहीं लेकिन व्यापारी समझेंगे कि कोई एजेन्सी मदद के लिए है और वे खरीद के लिए आगे आएंगे। अभी तक वहां पर ऐसा नहीं है, वे दो-तीन वर्षों से आन्दोलन कर रहे हैं। लेकिन अभी तक तम्बाकू बोर्ड के व्यापार विंग के बारे में केन्द्र सरकार द्वारा गठित अध्ययन दल द्वारा दिये गये सुझाव पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इस पर तुरन्त निर्णय लेने की जरूरत है। अन्यथा अगले वर्ष भी किसान पहले की तरह लूटे जाएंगे। आपको उन्हें बचाना होगा। उन्होंने तम्बाकू बोर्ड में व्यापार विंग की स्थापना के लिए केवल 1.15 करोड़ रुपयों की मांग की है। अब तो तुरन्त बाजार में प्रवेश करने की जरूरत है।

अभी राज्य व्यापार निगम को 10 करोड़ रुपये आबंटित किये गए हैं खरीद करने के लिए। लेकिन उत्पाद का अधिकांश भाग बहुत थोड़ी सी रकम में बेच दिया जाता है। समस्या है कि मदद कैसे करें ? तम्बाकू में भी मशीनीकरण है। प्रोद्योगिकी के नाम पर यह सरकार क्या कर रही है— मैं नहीं जानती। एक मशीन 45,000 लोगों को बेरोजगार कर देगी। इस उद्योग पर दो लाख लोग निर्भर हैं, समय-समय पर मैं निवेदन करती रही हूं। लेकिन मशीन काम कर रही है। 6,000 लोग

पहले ही बाहर कर दिये गये हैं, आप उन्हें क्या वैकल्पिक रोजगार दे रहे हैं, यही बात मेरी समझ में नहीं आ रही है।

मैं यह समझती हूं कि कुछ क्षेत्रों में नई प्रौद्योगिकी की जरूरत है, लेकिन किन क्षेत्रों में ? आपको पहले यह तय करना होगा तत्पश्चात उन्हें वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराया जाए। जिस देश में बेरोजगारी बढ़ रही हो यदि आप इस तरीके से उद्योगों का मशीनीकरण करते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा ?

मैं नहीं जानती कि यह बात सच है कि नहीं। लेकिन जब मैं मद्रास में थी तो मुझे बताया गया कि मद्रास में माचिस बनाने वाली पांच आधुनिकतम मशीनें आयात की जा चुकी हैं। मैं नहीं जानती। तीन साल पहले भी एक ऐसा प्रस्ताव था तब हम प्रधानमंत्री, योजना आयोग, उद्योग और वाणिज्य मंत्रियों और हरेक के पास गये।

उस समय बताया गया था कि यह नीति विषयक मामला है और अन्त में उन्होंने निर्णय लिया कि कोई भी आधुनिकतम माचिस मशीन आयात नहीं की जाएगी, माचिस के लिए आप किस प्रकार की प्रौद्योगिकी चाहते हैं ? किस प्रकार का परिवर्तन ? यदि नौ मशीनें जिन्हें आयात करने का इरादा है और उन्हें आयात करने की मंजूरी दे दी जाती है तो दो लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे। कहां रोजगार देंगे आप उन्हें ? वे बहुत गरीब लोग हैं। आप शिवकाशी जाएं। आप देखेंगे उन्हें कितनी कम मजदूरी मिलती है।

लेकिन इस मामले में वे इस काम से भी वंचित कर दिये जाएंगे। यदि रिपोर्ट सही है तो वह एक विनाशकारी बात होगी।

हथकरघा उद्योग के बारे में स्थिति क्या है जहां लाखों लोग काम कर रहे हैं ? धागा अत्यधिक ऊंची कीमतों पर बेचा जाता है। मैं, केरल, तमिलनाडु आंध्रप्रदेश व अन्य स्थानों पर गई। कहीं भी आपके धागे की सप्लाई उन तक नहीं पहुंच रही है। सहकारी समितियां संकट में हैं। वास्तव में, आपका निर्यात बाजार निजी लोगों के प्रभुत्व में है। अब नई किस्में आ रही हैं। उचित काऊंट उपलब्ध नहीं है। कीमत पर नियंत्रण भी निजी लोगों द्वारा किया जाता है। क्या सरकार उनकी सहायता करने का प्रयास करेगी ? देश के बाहर हथकरघा उत्पाद के लिए पर्याप्त बाजार हैं। जब हम बाहर गये तो कई समाजवादी देशों ने हमसे हथकरघा उत्पाद सप्लाई करने के लिए कहा। इसके लिए काफी मांग है परन्तु आपको इसके लिए उचित रूप से प्रयास करना होगा। इस समय, सारे भारतवर्ष में हथकरघा उद्योग संकट में है।

काजू के लिए, केरल में एकाधिकार वसूली है। यह सरासर ज्यादती है और इसके फलस्वरूप,

[श्रीमती सुशीला गोपालन]

किसानों तथा श्रमिकों को बुरी तरह लूटा जा रहा है। अब श्रमिकों को न्यूनतम वेतन तक भी नहीं मिल रहा है और करोड़ों रुपयों की वेतन के रूप में हानि हो रही है। काजू निर्यातकों को करोड़ों रुपये प्राप्त हो रहे हैं। आप उनके लिए ऐसे हालात उत्पन्न कर रहे हैं जिससे वे धन इकट्ठा कर सकें। परन्तु श्रमिकों की स्थिति अत्यन्त दयनीय है। उनकी स्थिति को सुधारने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं ? निर्यात बाजार के मूल्यों को देखते हुए किसानों को भी उचित दाम नहीं मिल रहे हैं। जो दाम उनको मिल रहे हैं वे युक्तियुक्त नहीं हैं।

मैं यह बताना चाहूंगी कि किस प्रकार केरल काजू विपणन संघ, राज्य व्यापार निगम को काजू बेचने में असमर्थ रहा। मैं कारण नहीं जानती, परन्तु उन्होंने कहा है कि इसे रोक लिया गया है। मैं नहीं जानती कि इसके लिए कौन उत्तरदायी है, राज्य व्यापार निगम या निगम ? परन्तु इसका प्रभाव उद्योग पर पड़ेगा।

क्या इसराइल के साथ हमारे कोई व्यापार संबंध हैं क्योंकि बम्बई के दामोदर एंड संस ने उस देश के साथ व्यापार किया और उन्हें उसके लिए आढ़त मिली ? ये सब बातें **देशाभिमणी** में छपीं थी। इससे अरब देशों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी तक हमें नहीं बताया गया है कि हमारे उनके साथ व्यापार संबंध हैं। यदि आपकी जानकारी के बिना, उनके उस देश के साथ कुछ संबंध हैं और व्यापार आढ़त ले रहे हैं, तो इसके लिए उचित कार्यवाही की जानी चाहिए।

आपकी समस्त आयात तथा निर्यात नीति वास्तव में देश में तबाही मचा रही है। अगर मैं ऐसा कहूंगी तो आप मुस्करायेंगे, परन्तु गावों में यही स्थिति है। लाखों लोग संकटमय स्थिति में हैं। इस बारे में आप क्या कदम उठा रहे हैं ? आपको श्रमिकों तथा किसानों के बारे में कोई चिन्ता नहीं है, आपको केवल देश के बड़े-बड़े व्यापार घरानों की चिंता है क्योंकि, वे चुनावों के दौरान काम आयेंगे। देश में मूल्य वृद्धि के कारणों में से एक कारण वाणिज्य मंत्रालय की नीति है। इसलिए, जब तक आप अपनी नीति नहीं बदलते और लोगों की सहायता नहीं करते, कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि देशभर में श्रमिकों, किसानों और अन्य लाखों लोगों की सहायता के लिए समुचित कदम उठाए बिना कोई भी 20-सूत्रीय कार्यक्रम आपकी रक्षा नहीं कर सकता। मुझे यही कुछ कहना था। इसलिए, यदि हमें अपना निर्यात तेज करना है तो तुरन्त कार्यवाही करनी होगी और समाजवादी देशों के साथ हमारे व्यापार संबंधों में भी वृद्धि करनी चाहिए। हमें भी उनसे और चीजें खरीदनी चाहिएं और केवल तभी हमारे वास्तविक निर्यात सुधर सकते हैं।

इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करती हूं।

श्री सुशील भट्टाचार्य (बर्दवान) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विदेश व्यापार और निर्यात उत्पादन शीर्षक के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[उत्तर बंगाल में चाय के बागानों के प्रबंध का अधिग्रहण करने में असफलता।] (22)

[पश्चिम बंगाल में निर्बाध व्यापार क्षेत्र की स्थापना करने में असफलता।] (23)

[इस्पात जैसी जिन्सों का आयात प्रतिबन्धित करने, जिनमें देश आत्मनिर्भर हो गया है, में असफलता।] (24)

[बड़े निर्यात गृहों को दी जाने वाली सहायता प्रतिबन्धित करने में असफलता।] (25)

[समाजवादी देशों के साथ व्यापार में पर्याप्त वृद्धि करने में असफलता।] (27)

"कि विदेश व्यापार और निर्यात उत्पादन शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।"

[तम्बकू उत्पादकों के लिए लाभकारी मूल्यों का भुगतान सुनिश्चित करने की आवश्यकता।] (28)

[स्वदेशी रबड़ उत्पादन में वृद्धि करने के लिए रबड़ के आयात को कम करने की आवश्यकता।] (29)

[दार्जिलिंग में चाय बागानों का पुनर्गठन करने की आवश्यकता।] (30)

[चाय श्रमिकों के कल्याण के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता।] (31)

[काफी श्रमिकों के कल्याण के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता।] (32)

[रबड़ श्रमिकों के कल्याण के लिए वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता।] (33)

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वाणिज्य मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रु० किया जाये।"

[विदेश व्यापार में होने वाले घपलों को रोकने में असफलता।] (38)

[समाजवादी देशों के साथ विदेश-व्यापार को बढ़ाने में असफलता।] (39)

[विदेश व्यापार में होने वाले भारी घाटे को समाप्त करने में असफलता।] (40)

[विदेश व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने में विफलता।] (41)

[चाय के मूल्यों में वृद्धि को रोकने में असफलता।] (42)

[आन्ध्र प्रदेश में तम्बाकू के मूल्यों में भारी गिरावट को रोकने में असफलता।] (43)

[चाय के निर्यात में वृद्धि करने में असफलता।] (44)

[श्री रामावतार शास्त्री]

[समाजवादी देशों से होने वाले आयात और उन्हें किए जाने वाले निर्यात के बीच समानता बनाये रखने में असफलता ।] (45)

[पूंजीवादी देशों के साथ व्यापार का परिहार्य करने में असफलता । (47)

[चाय-बागानों में काम करने वाले मजदूरों के वेतन तथा दूसरी सुविधाओं में वृद्धि करने में असफलता ।] (46)

"कि वस्त्रोद्योग, हथकरघा और हस्तशिल्प शीर्षक के अंतर्गत मांग को कम करके एक रुपया किया जाये ।"

[कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण के नाम पर पूंजीपतियों को भारी रकम देने की नीति में परिवर्तन करने की आवश्यकता ।] (49)

[कपास का लाभकारी मूल्य 300 रुपये क्विंटल तय करने की आवश्यकता ।] (50)

[सभी कपड़ा मिलों का राष्ट्रीयकरण करने में विफलता ।] (51)

[कपड़ा उद्योगपतियों को आर्थिक सहायता देने के बावजूद कपड़ा उद्योग की स्थिति में सुधार लाने में असफलता ।] (52)

'कि वस्त्र, हथकरघा और हस्तशिल्प शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें ।"

[ऋणों की वसूली में हथकरघा मजदूरों को परेशानी से बचाने की आवश्यकता ।] (53)

[ग्रामों में हस्तशिल्प कला के विकास में विशेष सहायता प्रदान करने की आवश्यकता ।] (54)

[सभी जूट मिलों का राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता ।] (55)

[जूट उत्पादकों को जूट का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने की आवश्यकता ।] (56)

[हथकरघा मजदूरों को सस्ते दाम पर सूत मुहैया करवाने की आवश्यकता ।] (57)

[हथकरघा मजदूरों को बेचे जाने वाले सूत में चल रही चोरबाजारी को रोकने की आवश्यकता ।] (58)

[हथकरघा मजदूरों द्वारा तैयार कपड़ों के बिकवाने की उचित व्यवस्था करने की आवश्यकता ।] (59)

[हथकरघा मजदूरों के उत्पादों को उचित मूल्य पर सरकार द्वारा खरीदने की आवश्यकता ।] (60)

[हथकरघा कारीगरों को आसान शर्तों पर राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण दिलवाने की आवश्यकता ।] (61)

[हथकरघा कारीगरों की दयनीय स्थिति में सुधार करने की आवश्यकता ।] (62)

[हथकरघा मजदूरों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सूत की सप्लाई सुनिश्चित करने की आवश्यकता ।] (63)

[करघों से बने कपड़ों का सरकारी कर्मचारियों के लिए वर्दी बनवाने में इस्तेमाल करने की आवश्यकता ।] (64)

[बिहार काटन मिल्स लि० फुलवारी शरीफ को सरकार के अधीन लेकर चलाने की आवश्यकता ।] (65)

[रुग्ण बिहार काटन मिल्स, फुलवारी शरीफ के मजदूरों की बकाया मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने की आवश्यकता ।] (66)

[गया काटन एण्ड जूट मिल्स में व्याप्त कदाचार एवं अनियमितता को रोकने की आवश्यकता ।] (67)

[गया काटन एण्ड जूट मिल्स के मजदूरों की मांगों को स्वीकार करने की आवश्यकता ।] (68)

[राष्ट्रीय कपड़ा निगम में व्याप्त कदाचार एवं अनियमितताओं को रोकने की आवश्यकता ।] (69)

[राष्ट्रीय कपड़ा निगम के कार्यकरण में सुधार करने की आवश्यकता ।] (70)

[देश से अबरक के निर्यात का काम छोटे व्यवसायियों को न देकर एकाधिकारवादियों को देने की नीति में परिवर्तन करने की आवश्यकता ।] (71)

श्री ए० के० राय (धनबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि वाणिज्य मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रु० किया जाए ।"

[अभ्रक के उत्पाद में निरन्तर कमी को रोकने में असफलता ।] (72)

[अभ्रक की बिक्री के लिए विदेशों में बाजार ढूंढने में असफलता ।] (73)

[कानपुर में राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों के लिए कच्ची कपास की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था करने में असफलता ।] (74)

[कानपुर में सरकारी क्षेत्र की कपड़ा मिलों के लिए पर्याप्त पूंजी की व्यवस्था करने में असफलता ।] (75)

[कानपुर में सरकारी क्षेत्र की कपड़ा मिलों की आधुनिकीकरण करने में असफलता ।] (76)

[कानपुर में सरकारी क्षेत्र की कपड़ा मिलों के उत्पादों की बिक्री बढ़ाने हेतु उनमें विविधता लाने में असफलता ।] (77)

[देश में पटसन उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने में असफलता ।] (78)

[श्री ए० के० राय]

[राष्ट्रीय कपड़ा निगम में हानि को रोकने में असफलता ।] (79)

"कि वाणिज्य मंत्रालय" शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 13—14) में 100 रुपये कम किए जायें।

[बिहार की रुग्न कपड़ा मिलों का राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता ।] (81)

[भारतीय अभ्रक व्यापार निगम के कर्मकारों की बोनस की समस्या का समाधान करने की आवश्यकता ।] (82)

[भारतीय अभ्रक व्यापार निगम के सभी कर्मकारों के लिए समान वेतनमानों की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।] (83)

[स्वामीनाथन प्रतिवेदन को लागू करने की आवश्यकता ।] (84)

[भारतीय अभ्रक व्यापार निगम में स्थानीय लोगों को रोजगार देने की आवश्यकता ।] (85)

[भारतीय अभ्रक व्यापार निगम के कारखानों में "होम कुलियों" को न्यूनतम मजदूरी देने की आवश्यकता ।] (86)

[भारतीय अभ्रक व्यापार निगम के कारखानों के कर्मचारियों और कर्मकारों को बोन भोज के संदाय में असमानता दूर करने की आवश्यकता ।] (87)

[पश्चिमी देशों को अभ्रक के निर्यात में कमी को रोकने की आवश्यकता ।] (88)

[भारतीय अभ्रक व्यापार निगम के मुख्यालय को पटना से गरिडीह में स्थानान्तरित करने की आवश्यकता ।] (89)

[कानपुर में जे० के० कैलाश मिल के खोले जाने के लिए कार्यवाही करने की आवश्यकता ।] (90)

[राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों में ऊपरी कार्यों को कम करने की आवश्यकता ।] (91)

[राष्ट्रीय कपड़ा निगम की कानपुर स्थित मिल से अनुभवहीन अधिकारियों को हटाने की आवश्यकता ।] (92)

[कानपुर में कपड़ा मिलों के ठेकाधीन कर्मकारों को न्यूनतम वेतन देने की आवश्यकता ।] (93)

[वाणिज्य मंत्रालय के अधीन उपक्रमों की प्रबन्ध-व्यवस्था में कर्मकारों को उचित प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता] (94)

[पटसन उत्पादों में विविधता लाने के लिए अनुसंधान संस्थान को प्रभावी बनाने की आवश्यकता] (95)

श्री निर्मल सिन्हा (मथुरापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विदेश व्यापार और निर्यात उत्पादन शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[1982-83 तथा 1983-84 में चीनी के निर्यात के सम्बन्ध में राज्य व्यापार निगम द्वारा उठाई गई हानि के कारण 50 करोड़ रुपए की राशि की प्रतिपूर्ति करने से बचने में असफलता] (96)

[राज सहायता के आधार पर नियंत्रित कपड़े का अधिक उत्पादन तथा वितरण करने की व्यवस्था करने की आवश्यकता] (97)

"कि विदेश व्यापार और निर्यात उत्पादन शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए।"

[समुद्री उत्पादों के निर्यात के सवर्धन हेतु समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण को मजबूत बनाने की आवश्यकता] (98)

[प्रशीतित समुद्री श्रिम्प मछली लोबस्टर की दुम, मेंढक की टांगों, सूखी मछली श्रिमा आदि का निर्यात बढ़ाने की आवश्यकता] (99)

[काकद्वीप, पश्चिम बंगाल में सूखी मछली के निर्यात के लिए भांडागार स्थापित करने की आवश्यकता] (100)

[झींगा मछली पालन—कलकत्ता में एक क्षेत्रीय केन्द्र तथा डायमंड हार्बर, पश्चिम बंगाल में एक उप-क्षेत्रीय केन्द्र उक्त मछली के निर्यात के लिए स्थापित करने की आवश्यकता] (101)

[गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे निर्धन व्यक्तियों के लिए नियंत्रित कपड़े के अधिक सप्लाई केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता] (102)

"कि वस्त्रोद्योग, हथकरघा और हस्तशिल्प शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[पटसन मिलों का प्रबन्ध ग्रहण करके उन्हें पुन: स्थापित करके तथा उनका आधुनिकीकरण करके पटसन उद्योग का विकास करने की आवश्यकता ताकि उन्हें आर्थिक रूप से आत्म-निर्भर बनाया जा सके] (103)

[निर्यात को बढ़ावा देने तथा सुन्दरबन पिछड़े क्षेत्र का औद्योगिकीकरण करने के लिए फाल्का मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना हेतु अधिक धन देने की आवश्यकता] (104)

श्री उमा कान्त मिश्र (मिर्जापुर) : उपाध्यक्ष जी, मैं वाणिज्य मंत्रालय की अनुदान की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आयात-निर्यात के सम्बन्ध में मंत्रालय द्वारा जो प्रगति की गई है, उसके सम्बन्ध में हम संतोष व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि हमारी

[श्री उमा कान्त मिश्र]

अर्थव्यवस्था इससे मजबूत होगी। आयात को कम करने का प्रयास किया जा रहा है और यह प्रयास जारी रहे, ऐसी हम कामना करते हैं।

हमारे संसदीय क्षेत्र की मुख्य वस्तु कालीन हूं, जिसका निर्यात होता है। हमें बहुत प्रसन्नता है कि घड़ल्ले के साथ कालीन का निर्माण हो रहा है और निर्यात हो रहा है और पर्याप्त विदेशी मुद्रा का भी अर्जन हो रहा है। जैसा कि हमारी प्रधानमंत्री और वाणिज्य मंत्री चाहते हैं कि यह काटेज इन्डस्ट्री घरेलू उद्योग है, उसी के अनुरूप इसका विस्तार किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि वाणिज्य मंत्री जी के प्रयासों से और प्रधान मंत्री जी की इच्छा के अनुसार पूर्वांचल में कालीन का धन्धा गांव में फैल रहा है। जिसकी वजह से वे खुशहाल हो रहे हैं। उनका जीवन स्तर ऊंचा हो रहा है। बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में आई०आर०डी०पी० के अन्तर्गत लोगों को ऋण मिल रहा है और वे लोग लूम लगाकर कालीन और दरियों का निर्माण कर रहे हैं। अधिक से अधिक लोगों को काम मिल रहा है।

एक निवेदन मैं यह जरूर करना चाहूंगा कि कालीन का निर्यात करने वाले लोगों को पर्याप्त इनसेंटिव मिलता है और वे साधन सम्पन्न हो जाते हैं, लेकिन जो कालीन को बनाने वाला है, जो बुनकर है, जो रंगाई करता है, उसको उतना लाभ नहीं मिल पाता है। यह ठीक है कि निर्यात करने से देश को विदेशी मुद्रा अर्जित होती है, लेकिन जो निर्माण करने वाला, है, उसकी मजदूरी भी तो बढ़नी चाहिए। जो मजदूरी उनको मिल रही है, वह बहुत ही कम है। इसलिए वाणिज्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे उनकी मजदूरी बढ़ाने की ओर कदम भी बढ़ायें। इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जहां पर कालीन बुनकर रहते हैं, उनकी बस्तियों में पेयजल की सुविधा प्रदान की जाए। वहां सड़कें बना दी जाएं, उनके लिए बिजली लगा दी जाय, बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था कर दी जाय, दस-पांच गांवों के बीच एक चिकित्सालय खोल दिया जाय ताकि उनके बीच की जो कठिनाइयां हैं, जो उनकी प्रारम्भिक आवश्यकताएं हैं, वे पूरी हो सकें। हमने इस सम्बन्ध में व्यक्तिगत रूप से मांग की थी और मंत्री जी से भी हमने कहा था—हम आशा करेंगे कि मंत्री महोदय बुनकर लोगों की मजदूरी बढ़ाने के साथ-साथ उनके जीवन की जो आवश्यकताएं हैं, जैसे शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पेय-जल—इनकी व्यवस्था करने की कृपा करेंगे।

हमें प्रसन्नता है—भदोही में भदोही विकास प्राधिकरण की स्थापना कर दी गई है जो भदोही के 8 किलोमीटर के क्षेत्र में बुनकरों के लिए शेड बना रहा है। लेकिन हमें यह भी पता चला है कि उनके पास धन की कमी है। अगर उनके लिए तुरन्त धन की व्यवस्था कर दी जाय तो उस क्षेत्र के कालीन बुनकरों के कल्याण के लिए काम हो सकता है, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जा सकता है।

कालीन के व्यवसाय में आज जिन देशों के साथ हमारी प्रतिस्पर्धा है—वे हैं, पाकिस्तान, चीन तथा कुछ अन्य देश। हमको विशेषज्ञों ने बतलाया है कि वहां कालीन के नये-नये डिजाइन बनाए जाते हैं। हमने भी मांग की थी और हमें प्रसन्नता है कि हमारे यहां भी एक इंस्टीचूट आप कारपेट टैकनालाजी की स्थापना कर दी गई है। हमारा निवेदन है कि इस इंस्टीचूट का जल्द से जल्द निर्माण कराया जाय ताकि कालीन के नये-नये डिजाइन तैयार हों और अच्छे कालीन बनें जिससे अधिक निर्यात हो और अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा इस देश को मिले।

एक निवेदन यह है – मेरे संसदीय क्षेत्र मिर्जापुर में बर्तन बनते हैं। वहां पर ताम्बे तथा पीतल के बर्तन बनाने का बहुत पुराना धन्धा है। सैकडों वर्षों से बर्तन बनते आ रहे हैं और दूर-दूर तक मिर्जापुर के बर्तन मशहूर रहे हैं लेकिन इस उद्योग को प्रोत्साहन न मिलने से इसमें कमी आ रही है। मुरादाबाद भी बर्तन उद्योग के लिए बहुत मशहूर है, वहां के बर्तन निर्यात होते हैं तथा वहां के उद्योग को सरकार की तरफ से हर तरह का प्रोत्साहन मिल रहा है, जिससे अधिक से अधिक काम हो रहा है, लोगों को काम मिल रहा है और वहां के अधिक से अधिक सम्पन्न हो रहे हैं। इसी प्रकार से मिर्जापुर में जो हमारा बर्तन बनाने का उद्योग है उसको प्रोत्साहन देने के लिए, उसके लिए नया तरीका मुहैया करने के लिए, नई टैक्नालाजी देने के लिए, एक ऐसी संस्था की स्थापना की जाय जिससे इस उद्योग को बढ़ावा मिले और वहां के बर्तनों को भी निर्यात सूची में रखा जाय। वहां जो कमी हो उसको दूर करने के लिए विशेषज्ञों का सलाहकार मंडल या कोई सलाहकार वहां भेजा जाय जो वहां के उद्योग को सलाह दे सके, जिससे वहां के उद्योग को बढ़ावा मिले और वहां के लोग भी तरक्की कर सकें।

इस देश में इस वर्ष कृषि का उत्पादन बहुत बढ़ा है और यह प्रसन्नता की बात है कि इस वर्ष अभूतपूर्व उत्पादन हुआ है। यह हमारी सरकार की नीति और किसानों के श्रम का परिणाम है। प्रकृति की भी इस बार कृपा रही है। किन्तु किसानों को उनकी उपज का जितना मूल्य मिलना चाहिए, वह उनको नहीं मिलता है। किसान जितना श्रम करता है, जितना धन लगाता है, उसकी तुलना में उसको दाम नहीं मिलता है। हमारा निवेदन यह है—जितना भी सम्भव हो किसान के उत्पादन को भी निर्यात सूची में रखा जाय। सलाहकार समिति की बैठक में भी यह बात आई थी और मंत्री जी ने कहा था कि कृषिजन्य उत्पादन को भी निर्यात सूची में रखा जायगा और कोशिश करेंगे कि किसानों का उत्पादन निर्यात हो। यदि कृषिजन्य उत्पादन को निर्यात सूची में रख दिया जाय और इनका निर्यात होने लगे तो यह जो शिकायत है कि किसानों को उचित मूल्य नहीं मिलता, वह शिकायत दूर हो जायगी।

जिस वस्तु का निर्यात होगा, उसकी कीमत अवश्य अधिक होगी और इससे उचित मूल्य उत्पादकों को मिल सकेगा। इसलिए मेरा कहना यह है कि कृषि के क्षेत्र में जिन वस्तुओं का निर्यात सम्भव हो, उनके निर्यात की व्यवस्था की जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार और हमारे वाणिज्य मंत्री जी इस दिशा में जागरूक हैं और वे अधिक से अधिक निर्यात बढ़ाने का प्रयास करेंगे जैसा कि प्रयास किया भी जा रहा है और इस वर्ष आयात-निर्यात का संतुलन

[श्री उमा कान्त मिश्र]

बड़ा उत्तम रहा है और भारत का आयात भी घटा है। यह एक शुभ लक्षण है।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और वाणिज्य मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री गुलाम मोहम्मद खां (मुरादाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आज कामर्स मिनिस्ट्री की मांगों पर बातचीत हो रही है।

मैं 5-6 सालों से देख रहा हूं कि कामर्स मिनिस्ट्री की बदौलत व्यापार में घाटा ही होता जा रहा है। पहले यह 4 हजार, 5 हजार, 6 हजार करोड़ रुपये का था और वह उन्नति करते-करते 7 करोड़ रुपए का हो गया है और इससे हमारे मुल्क को बहुत नुकसान हो रहा है।

वाणिज्य तथा पूर्ति विभाग मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : इस साल घाटा घटा है।

श्री गुलाम मोहम्मद खां : दो प्वाइन्ट के करीब घटा है। खैर, यह बहस की बात है और मैं इसमें नहीं जाना चाहता। हमसे आप इस बारे में सुझाव मांग रहे हैं। आप सुझावों को पसन्द करें, तो हम आप को सुझाव देते हैं। एक बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि पुराने ढर्रे पर जो चीज हम पहले बनाते थे, उसी तरीके पर आज भी बनाते जा रहे हैं और कोई री-माडलिंग हमने नहीं की है। जैसे पहले हमारे यहां जूता बनाते थे आज भी वैसा ही बनाते हैं और लैदर का काम पहले हमारे यहां बहुत मजबूत होता था और दुनिया में पहले इसकी बहुत मांग थी अगर उसमें कोई री-माडलिंग नहीं हुआ है और अब पहले वाली चीज पसन्द नहीं की जाती हैं। इसलिए उनकी डिमांड अब घट गई है। इसी तरह से अब जूट के सामान की बात है। हमने कोई नया तरीका नहीं अपनाया है, जिससे इन सब चीजों की मांग विदेशों में बढ़े। अब इनकी मांग कमजोर होती जा रही है।

इसी तरह से पीतल के काम की बात है। पीतल के बर्तन पहले बड़े मशहूर थे और मथुरा, झज्जर, मुरादाबाद और हिन्दुस्तान के दूसरे कोनों से बाहर जाते थे लेकिन आज भी परम्परागत ढंग से वे बनते जा रहे हैं और उनकी कोई री-माडलिंग नहीं हुई है। दुनिया में नई-नई चीजें आती जा रही हैं और नये-नये फैशन आ रहे हैं लेकिन हमारे यहां कोई रिसर्च सेन्टर इस काम के लिए नहीं खोला गया है। रिसर्च सेन्टर खोलकर लोगों को यह नहीं बताया गया है कि बाहर के लोग क्या-क्या चीजें पसन्द करते हैं और उसी हिसाब से कारीगरों को चीजें बनाने के लिए बताएं। आज हमारे यहां रिसर्च सेन्टर खोलने की बहुत सख्त जरूरत है। लेदर में, जूते में, पीतल के काम में और खास तौर से बर्तनों के लिए इसकी बहुत जरूरत है। अब मुरादाबाद के लम्बे-लम्बे फूलदान बाहर पसन्द नहीं किए जाते हैं। हमारे श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह मुरादाबाद गए थे और वहां पर मुरादाबाद के लोगों की मुसीबतों को उन्होंने सुना। वे इन्साफपरस्त आदमी हैं। और हमेशा हमारी बातों को सुनते आए हैं और इन्साफ करते हैं। मुरादाबाद के लोगों ने

जो मांगें उनके सामने रखी थीं, उनको उन्होंने पूरा किया और इसके लिए मैं उनका आभारी हूं। मेरी सजेएचन सिर्फ यही है कि बर्तनों के सम्बन्ध में एक रिसर्च सेन्टर कायम किया जाए और नई-नई चीजों को ईजाद किया जाए, जिससे विदेशों में हमारा माल ज्यादा जा सके। मुरादाबाद पिछले दो-तीन साल पहले लगभग 62 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा कमाता था लेकिन अब वह घट गई है। और आप काआपरेशन देते रहे जैसा कि देते आए हैं, तो हमें उम्मीद है कि यह 80 करोड़ तक पहुंच जाएगा। इस साल मांग बहुत अच्छी है लेकिन मैं चाहूंगा कि इसके लिए नये मार्किट भी हमें ढूंढने चाहिए और उसके लिए डेलीगेशन्स को बाहर भेजना चाहिए। अभी हमारे यहां फ्रांस का डेलीगेशन आया है और वह यह देख रहा है कि कौन सा माल हिन्दुस्तान उनके यहां से मंगा सकता है और कौन से माल वे यहां से खरीद सकते हैं। इसी तरह से बर्तनों के बारे में आप डेलीगेशन्स भेजिए और मालूम कराइए कि कौन-सी चीजें बाहर लोग चाहते हैं और वे कितने में बिक सकती हैं।

अभी दुनिया में बहुत से ऐसे मुकाम हैं जहां लोगों को पता ही नहीं है कि हिन्दुस्तान में पीतल का सामान मिलता है। वहां पर लोगों को बताया जाए कि हमारे यहां जो पीतल का सामान बनता है, उसकी मिसाल दुनिया में नहीं है। इस तरह का एक डेलीगेशन तमाम दुनियां के मुल्कों में भेजना चाहिए और इस तरह का एक नया सेन्टर खोला जाना चाहिए जो बदलते हुए फैशन से अवगत करा सके और इस तरह की सलाह दे सके।

एक बात और बताना चाहता हूँ कि इस पीतल के काम में बड़े लोग ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। जो काम करता है उसको लाभ नहीं मिल पाता। बड़े लोगों ने अपनी मोनोपली बना रखी है। इसको समाप्त करने के लिए सुझाव है कि पीतल और स्टील का कच्चा माल सीधे मजदूरों को दिया जाए और तैयार माल सीधे मजदूरों से खरीदा जाए। सरकार खरीद कर उसको एक्सपोर्ट करे। इससे मजदूरों को लाभ होगा जिस प्रकार सूती कपड़ा सरकार खरीद लेती है और बाद में दूसरी जगह भेजती है, उसी तरह की नीति इसमें भी अपनानी चाहिए। ब्रास कॉरपोरेशन बनाया गया है लेकिन उसके माध्यम से गरीब मजदूरों को कोई सामान नहीं मिल पाता। बड़े लोग ही उससे फायदा उठाते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि गरीबों को कच्चा माल देने की व्यवस्था की जाए और गरीबों से ही माल खरीदा जाय। अभी यह इंडस्ट्री शहर तक सीमित है, लेकिन अब बाहर भी फैलती जा रही है। अगर गरीबों को माल खरीदा और बेचा जाएगा तो मेरा विश्वास है कि यह इंडस्ट्री पूरे जिले में फैल जाएगी।

एक बात और कहना चाहता हूँ कि मुरादाबाद की आबादी बहुत बनी है। कोयला जलने से लोगों की तंदुरुस्ती खराब हुई है। काफी लोगों को टी०बी० हो गई है। धुएं की वजह से काफी घुटन रहती है। बाहर काम करने की कोशिश की गई है मगर कामयाबी नहीं मिली है। शेड नहीं बन पाए हैं इस ओर ध्यान दिया जाए कि शहर से बाहर भट्टियों का काम कर दिया जाए। इससे लोगों की तंदुरुस्ती बनी रहेगी। शहर की आबादी 4 लाख है और तीन लाख के करीब लोग बिजनेस में लगे हुए हैं। अगर इसका इंतजाम शहर के बाहर नहीं किया गया तो

[श्री गुलाम मोहम्मद खां]

सकोकेशन बहुत हो जाएगा और बीमारी बढ़ती चली जाएगी।

पचास-पचास शेड बनाए गए हैं। किसी को भी नहीं दिए गए हैं। केवल कीमत मुकर्रर की है। जब तक दिए जाएंगे तब तक कीमतें और बढ़ जायेंगी। पावर की बहुत बड़ी प्राबलम है। हर वक्त पावर कट रहती है। कभी आती है और कभी चली जाती है। इससे बड़ी उलझन रहती है। मजदूरों को इसकी वजह से काफी परेशान होना पड़ता है। अगर, आप वहां पावर का इंतजाम कर दें तो आपकी बड़ी इनायत होगी। पीतल के मामले में पिछले दो वर्षों से ताइवान काफी आगे बढ़ गया है। ताइवान के बर्तन महंगे होते जा रहे थे, जबकि हिन्दुस्तानी बर्तनों की कीमत गिर गई थी। उनकी पोल खुल गई क्योंकि उन्होंने अन्दर लोहा और बाहर पीतल लगाया था। हमारे यहां सब हाथ का काम होता है। जिस प्रकार ताइवान में भी मशीनों से काम होता है,उसी प्रकार यहां पर भी कर दिया जाए तो बड़ी आसानी हो जाएगी। अमेरिका से मशीन इम्पोर्ट की जा सकती है क्योंकि ताइवान को भी वहीं से मिली है। इतना ही कहकर आपका शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद है मेरी बातों पर ध्यान देकर गरीबों के लिए कार्यवाही करेंगे।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वाणिज्य मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। टेक्सटाहल के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। टैक्सटाइल की हालत बहुत खस्ता है और दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। टैक्सटाइल कमीश्नर्स और रीजनल कमीश्नर्स टैक्सटाइल की व्यवस्था को ठीक प्रकार से नहीं देखते। क्या आपके पास ऐसी कोई मशीनरी है जिससे पता लग सके कि मैनेजमेंट, जो सरकार की तरफ से करोड़ों-अरबों रुपया कर्ज के रूप में लेते हैं, उसका उपयोग ठीक प्रकार से करते हैं या नहीं ? एक बार मैंने टैक्सटाइल कमीश्नर की ड्यूटी के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। वह इस तरीके से काम करता है जैसे कोई बिग-बिजनेस हाऊस का सेलिंग एजेन्ट है। उनकी कोई आवश्यकता हुई कर्ज लेने की तो उसको जरूर रिकमेंड करता है। लेकिन, उनके यहाँ पर जिस तरह की व्यवस्था चल रही है, उससे मैनेजमेंट खराब हो रहा है और जिसकी वजह से इन्डस्ट्रीज सिक हो रही हैं। उस सम्बन्ध में टैक्सटाइल कमीश्नर की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जाता। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस सम्बन्ध में कुछ न कुछ व्यवस्था अवश्य करें और जो लोग इन्डस्ट्रीज को सरकारी पैसा लेकर सिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करें। तब जाकर के आपकी मिल्स ठीक प्रकार से चल सकेंगी।

थोड़े दिन पहले लोकसभा में जानकारी दी कि देश में जितनी सिक यूनिट्स हैं उनमें सरकारी बैंकों और अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यून्शस का करीब 2,500 करोड़ रु० फंसा हुआ है। पता नहीं सरकार के डायरेक्टर्स वहाँ बैठकर क्या करते हैं ? कोई तवज्जह नहीं देते। इस तरह से बड़े-बड़े पूंजीपति सरकारी पैसे का दुरुपयोग करते हैं और दूसरी इंडस्ट्री खड़ी करके ज्यादा मुनाफा कमाते हैं, और पहली वाली इंडस्ट्री को सिक करके दो, तीन हजार मजदूरों को बेकार कर देते हैं। यह

व्यवस्था देश के लिये उचित नहीं है। पहले तो सरकार लोगों को रोजगार दे, फाइनेंशियल हैल्प दे और वह उद्योगपति उस यूनिट को सिक बना करके असेट्स दूसरी इंडस्ट्री में ट्रांसफर करके और हजारों मजदूरों को बेकार कर दे, यह व्यवस्था उचित नहीं है, इसको रोकना चाहिए।

हमारे भीलवाड़े में मेवाड़ टैक्सटाइल मिल है जो कि वाएविल यूनिट है। हमने कोमर्स मिनिस्ट्री से कहा इसकी फाइनेंशियल हालत खराब है, करोड़ों रु० फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स से कर्ज ले रखा है और मैनेजमेंट खराब होने से उसकी हालत नहीं सुधर रही है इसलिए इसको नेशनेलाइज कीजिये। आपने कई मिलों को नेशनलाइज किया और सरकार कहती है ऐसी मिल्स कोनेशनेलाइज करेंगे जो वाएविल हो। मगर इस यूनिट को कोई नहीं देखता। आपके टैक्सटाइल कमिश्नर या दूसरे अधिकारी देखते ही नहीं है कि यह इंडस्ट्री वाएविल है कि नहीं। इस इंडस्ट्री को पहले राजस्थान सरकार और भारत सरकार ने मिलकर टेक ओवर किया था और हर साल 34 लाख रु० का मुनाफा हुआ था लगातार 5,6 साल तक। उसके बाद पता नहीं किन कारणों से उसको फिर से मालिक को ट्रांसफर कर दिया। पिछली दफा लोकसभा में कहा था और जानकारी अन्य कोटियों में की कि इस यूनिट को किस तरह से उस पूंजीपति को फिर वापस कर दिया गया ? लेकिन वह फाइल ही गायब हो गई। पता नहीं किन्होंने गायब की ? और इस वाएविल इंडस्ट्री को सरकार के हाथों से फिर वापस उस पूंजीपति को दे दिया गया। वह भयंकर शोष कर रहा है। 30 लाख रु० प्रोवीडेंट फंड का मजदूरों का काट करके वह पूंजीपति खा गया। आज तक प्रोवीडेन्ट फण्ड का पैसा उसने जमा नहीं किया। इसी तरह वे ई०एस०आई० का 10, 12 लाख रु० खा गया और उसने अपना कन्ट्रीब्यूशन नहीं दिया। इस तरह से वह पूंजीपति काम कर रहा है और उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसलिये ऐसी अव्यवस्था वाली जो भी टैक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिये। यदि आप जांच करायेंगे तो पायेंगे कि मेवाड़ टैक्सटाइल मिल एक वाएविल यूनिट है और हर साल आपको 50 लाख रु० कमा कर दे सकती है। अतः इसको नेशनेलाइज करना जरूरी है। पिछले 4, 5 साल से 20, 30 लाख रु० साल का घाटा यह मिल कुव्यवस्था की वजह से दे रही है। वह पूंजीपति रुई खरीदता है, कपड़ा बेचता है और उसमें नम्बर दो का पैसा कमाता है, जबकि मिल को घाटा दे रहा है। इसलिए ऐसी वाएविल यूनिट की जांच कराइए, अन्यथा यह मिल बन्द हो जाएगी और 3,000 के करीब मजदूर बेकार हो जायेंगे जो बाद में हमारे लिये सर दर्द हो जाएगा। और बाद में आप कहेंगे कि यह वाएविल यूनिट नहीं है। इसलिए इसको नेशनेलाइज नहीं कर सकते।

यह वायेबल यूनिट है या नहीं, यह आपको कमा कर दे सकता है या नहीं, इसके सम्बंध में जाँच करेंगे तो आप पायेंगे कि यह वायेबल यूनिट है। इससे साढ़े 3 हजार मजदूरों को काम मिलेगा और सरकार को भी 50 लाख रुपये सालाना मुनाफा मिलेगा। आपकी मिनिस्ट्री के अधीन टैक्सटाइल डिपार्टमेंट ने इस सम्बन्ध में कोई ध्यान नहीं दिया है। पता नहीं किन कारणों से यह सारी व्यवस्था ठप्प पड़ी है ?

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

मैं बराबर 4 साल से इस सम्बन्ध में कह रहा हूं, लेकिन आज तक इस पर कोई तवज्जह नहीं दी गई है। पता नहीं कौन अधिकारी आपके यहां ऐसे हैं जो इस पूंजीपति से मिले हुए हैं और इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं होने देते ? वह फाइल भी वहां से गायब कर दी गई है जिसके अन्तर्गत सरकार ने इसे अपने हाथ में ले लिया था और किस तरह से उसको वापिस किया गया, वह फाइल भी गायब है और आज तक ट्रेन-आउट नहीं हो सकी और उस अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही भी नहीं हो सकी जिसने इस टैक्सटाइल मिल को उस पूंजीपति को सुपुर्द किया है। आप कमीशन बैठाकर इसके सम्बन्ध में पूरी जांच करवायें और सम्बन्धित अधिकारी को दण्डित करें जिनकी कृपा से यह मिल सिक हो रहा है।

50 करोड़ रुपया जो फाइनेन्शियल इंस्टीट्यूशन्स से इस मिल को मिला था वह खत्म हो गया है, उसका वापिस आना भी मुश्किल है। इसलिए आपको इस सम्बन्ध में कोई उचित व्यवस्था करनी चाहिये।

इसी तरह से राजस्थान स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल है जो कभी सोने का अण्डा देने वाली मुर्गी समझा जाता है। उसने करोड़ों रुपया कमाया। उसके मालिकों ने इसमें गड़बड़ की और इसके रुपये से गुलाबपुरे में एक मिल लगाई और कई जगह, दिल्ली में भी इंडस्ट्रीज लगाई। आज उन लोगों ने उस मिल का नाम बदल दिया जिसमें सरकारी और जनता के बहुत से पैसे लगे थे। इसका नाम उन्होंने भीलवाड़ा स्पिनर्स कर दिया। सारे शेयरहोल्डर्स को धोखा देने और उनका पैसा हज्म करने के लिये उन्होंने इसका नाम बदल दिया। इस प्रकार का गोरखधन्धा उन्होने किया है और आज उस मिल को ऐसी हालत में पहुंचा दिया है कि कभी भी वह ठप्प हो सकता है। इस प्रकार के पूंजीपति और पैसे वाले लोग गलत कार्यवाही करके सरकार को और आम जनता को धोखा देते हैं, उनके खिलाफ आप क्यों नहीं सख्त कार्यवाही करते हैं ? उनको जेल की सजा मिले, ऐसी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। उन्होंने फाइनेन्शियल इंस्टीट्यूशन्स के साथ फ्राड किया है और सरकार को भी धोखा दिया है। उन्होंने सब तरफ से पैसा लूट खसोटकर अपनी तिजोरियां भरने के अलावा और कोई काम नहीं किया है। उन्होंने मजदूरों को मार-मारकर ऐसी हालत कर दी है कि उनके भूखों मरने की नौबत आ गई है। आपको इस प्रकार की संस्थाओं की जांच करनी चाहिये और इस प्रकार के कदम उठाने चाहिए जिससे लोग काम से महरूम न हो सकें। जिन लोगों की बकाया रकमें हैं, चाहे प्रावीडेंड फंड की हो या ई० एस० आई० की हो उस सब राशि की व्यवस्था ठीक प्रकार से चले, यह नितान्त आवश्यक है।

गुलाब को-आपरेटिव मिल हिन्दुस्तान में सबसे अच्छा मिल चलता था जिससे करोड़, डेढ़ करोड़ रुपये का मुनाफा हर साल होता था। उस मिल की क्या स्थिति पिछले 3, 4 साल में हो गई है, वह मैं आपको बताना चाहता हूं। पिछले 2 साल में मिस-मैनेजमेंट की वजह से 1 करोड़ का घाटा मिल में स्थापित हो चुका है और आने वाले समय में इस गलत मैनेजमेंट के कारण उसका बराबर शोषण होता रहेगा। यह मैनेजमेंट नाजाइज तरीके से पैसा कमाकर मिल

को बराबर घाटा देने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार की को-आपरेटिव यूनिट, जिसमें लोगों के शेयर्स हैं, राजस्थान सरकार व भारत सरकार का पैसा लगा हुआ है उसमें मिस-मैनेजमेंट की वजह से आज करोड़ों रुपये का घाटा पहुंच रहा है।

इसकी जिम्मेदारी किस पर है ? क्या मंत्री महोदय इस मिसमैनेजमेंट को ठीक करने के लिए कोई व्यवस्था करेंगे ? अगर इन प्रतिष्ठानों और उद्योगों को, चाहे वे को-आपरेटिव क्षेत्र में हो, प्राइवेट क्षेत्र में हों या नेशनेलाइज्ड क्षेत्र में हों, ठीक तरह से न चलाया गया, तो देश को बहुत बड़ा घाटा होता रहेगा। उद्योगों के सिक होने से मजदूर भी बेरोजगार होंगे और उनमें इतना भयंकर असंतोष होगा कि उसको रोका नहीं जा सकेगा। रोजी-रोटी की समस्या सब से बड़ी है। इसलिए ऐसी व्यवस्था करना नितान्त आवश्यक है कि पूंजीपति शोषण के द्वारा अपनी तिजोरियां न भरते रहें और इंडस्ट्रीज को सिक करके हजारों मजदूरों को बेकार न कर सकें।

आज पूंजीपति क्या कर रहे हैं ? कुछ मिलों ने लूम्ज और टैक्सटाइल के दूसरे काम बन्द करके रूमाल स्केल सेक्टर के लिए निर्धारित काम को करना शुरू कर दिया है। भीलवाड़ा की मिल ने कपड़ा बनाने और सूत कातने का काम बन्द कर दिया है और रंगाई छपाई का काम शुरू कर दिया है। क्या टैक्सटाइल कमिश्नर को यह अधिकार है कि वह मिलों की रंगाई छपाई का काम करने की इजाजत दे दें, जो कि स्माल-स्केल इंडस्ट्री के क्षेत्र में आता है ? पूंजीपतियों को यह इजाजत देकर गरीब स्माल-स्केल सेक्टर वालों की रोजी को छीनने की कोशिश की जा रही है।

भिवानी में बिड़ला मिल में, जहां दो तीन हजार मजदूर काम करते हैं, अब केवल रंगाई छपाई का काम होता है। किसने उसको यह परमिशन दी है कि वह लूम्ज और दूसरे कामों को बन्द कर दे और उन कामों को करना शुरू कर दे, जो स्माल-स्केल सेक्टर में आते हैं ? मंत्री महोदय इस बारे में जानकारी प्राप्त करें, ताकि उनको मालूम हो कि उनके विभाग में ऐसे कौन से अधिकारी हैं, जो बड़े-बड़े पूंजीपतियों से मिलकर उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।

एन. टी. सी. की मिलों में भी काफी घाटा हो रहा है। उनके सुधार और माडर्नाइजेशन की बहुत गुंजाइश है। अगर मैनेजमेंट अच्छा हो, तो इंडस्ट्री को फायदा होता है, लेकिन अगर मैनेजमेंट खराब होता है, तो अच्छी इंडस्ट्री को भी नुकसान हो जाता है। जिन सरकारी अधिकारियों को एन. टी. सी. मिलों में मैनेजिंग डायरेक्टर या अन्य बड़े-बड़े पदों पर नियुक्त किया जाता है, क्या वे सरकार की नीति के अनुसार काम करते हैं या नहीं ? लेकिन सवाल यह है कि क्या इतना घाटा उठा कर भी सरकार इस देश के गरीब लोगों को उनकी आवश्यकता का मोटा कपड़ा मुहैया कर पा रही है ? एन. टी. सी. मिलों का कपड़ा आज भी गरीब लोगों को उपलब्ध नहीं हो रहा है। कोयला तथा चीनी आदि के वितरण के लिए सरकार द्वारा डीपो खोले जाते हैं, किन्तु

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

मोटे कपड़े के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन का कपड़ा ब्लैक में बिक रहा है। क्या मंत्री महोदय कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि सस्ते कपड़े के डीपो डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर में खोले जाएँ, और वहाँ से अलग-अलग क्षेत्रों में एजेन्ट्स या दुकानों के जरिये से लोगों को ठीक प्रकार से कपड़ा उपलब्ध हो सके ?

2.00 म०प०

क्या इस प्रकार की व्यवस्था सरकार नहीं कर सकती जबकि दूसरे क्षेत्रों में वह कर रही है, चीनी पहुंच रही है, कोयला पहुंच रहा है, वेजीटेबल पहुंच रहा है, पाम आयल भी पहुंचता है, कई प्रकार की चीजें पहुंच रही हैं मगर कपड़ा नहीं पहुंच रहा है। उसका कारण यह है कि नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन जो कपड़ा बनाता है कन्ट्रोल के लिए उसमें और बाजार के भाव में बहुत फर्क रहता है। इसलिए उसको ब्लैक करने के लिए लोग उसे खुले बाजार में ले जाते हैं।

यह नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन पहले गरीब लोगों के लिए काफी कपड़े बनाता था। उनकी औरतों के लिए, उनके बच्चों के लिए सब तरह के कपड़े वह बनाता था। अब वह धोती या लट्ठा इस तरह की दो तीन चीजें बनाता है। इससे ज्यादा नहीं बनाता है। मेरा कहना है कि जब आप इतना घाटा उठाते हैं तो इतना घाटा उठाने के बाद मोटा कपड़ा कन्ट्रोल रेट पर गरीब लोगों के लिए उपलब्ध होना चाहिए जो पहले होता था। बीच में वह बन्द कर दिया गया। तो क्या मंत्री महोदय कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे जिसके जरिए से ठीक भाव पर गरीब लोगों को कपड़ा मिल सके और सब प्रकार का कपड़ा उन्हें मिले, कमीज का कपड़ा, धोती का कपड़ा, पेंट का कपड़ा, साफे वगैरह का कपड़ा. सब तरह का कपड़ा उनको उपलब्ध होना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में आप कुछ न कुछ ध्यान कीजिए।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : जब सरकार को बचाना होता है तब तो आप कोरम की बात मान लेते हैं और इस समय कोरम नहीं है तो आप क्या कर रहे हैं ?

श्री ए० के० राय : सदन में कोरम नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : कोरम की घंटी बजाई जाए।

2.03 म०प०

[श्री चिन्तामणि पणिग्रही पीठासीन हुए]

सभापति महोदय (श्री चिन्तामणि पाणिग्राही) : अब कोरम पूरा हो गया है। श्रीमन् व्यास आप अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजबाद) : यहां अभी कोरम पूरा नहीं हुआ है।

सभापति महोदय : ठीक है, कोरम की घंटी दुबारा बजने दी जाए.....

सभापति महोदय : अब यहां कोरम है। श्रीमान व्यास कृपया अपना भाषण जारी रखिए।

श्री गिरधारी लाल व्यास : माननीय सभापति महोदय, मैं नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन के बारे में निवेदन कर रहा था कि वहां गरीब लोगों के लिए भी कन्ट्रोल का कपड़ा बनाया जाना चाहिए, ताकि गरीबों को सस्ते से सस्ता कपड़ा उपलब्ध हो सके। एक तरफ तो हम नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन में करोड़ों रुपयों का घाटा उठा रहे हैं और दूसरी तरफ हम गरीब लोगों के लिए उनकी आवश्यकता के अनुसार कपड़ा भी उपलब्ध न करा सकें तो यह उचित मालूम नहीं होता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बीस सूत्री कार्यक्रम में भी इसका जिक्र किया है कि हम गरीबों को सस्ते से सस्ता कपड़ा उपलब्ध करायेंगे। इसलिए हमारा फर्ज बन जाता है कि सारे देश के अन्दर गरीब लोगों के लिए कपड़ा सस्ता उपलब्ध करायें।

श्री मनीराम बागड़ी : सभापति जी, अभी कोरम पूरा नहीं है। मैं प्रधान मंत्री जी की बहैसियत महिला के और लीडर आफ दि हाउस हैं, इसलिए भी, बहुत आदर करता हूं, लेकिन कम से कम हाउस की प्रतिष्ठा तो इनको रखनी होगी।

सभापति महोदय : कोरम की घंटी बजाई जाए अब कोरम बन गया है। श्री गिरधारी लाल व्यास अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास : सभापति जी, मैं निवेदन कर रहा था कि सस्ते भाव का कपड़ा लोगों को उपलब्ध कराया जाए।

एक प्वाइन्ट मैं यह निवेदन करना चाहता हूं—अभ्रक का हमारे यहां बहुत बड़ा भंडार है खास तौर से मेरी कांस्टीचूएन्सी में अभ्रख काफी निकलता है और 'मिटको" के द्वारा खरीदा जाता है। वही इसको एक्सपोर्ट करता है। मिटको जिस प्रकार से अलग-अलग किसानों से अभ्रक खरीदता है—मैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको देना चाहता हूं। जिस प्रकार का अभ्रक बिहार में निकलता है उससे कुछ घटिया क्वालिटी का अभ्रक मेरे यहां निकलता है जिसकी वजह से मिटको उसको नहीं खरीदता है, जिसके कारण मेरे यहां की खानें धीरे-धीरे बन्द होती जा रही हैं और पांच हजार मजदूर बेकार हो रहे हैं।

सभापति महोदय : कृपया अब आप भाषण समाप्त करें। मंत्री जी वक्तव्य देने जा रहे हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मैं दो तीन प्वाइन्ट्स और कहना चाहता हूं। मैं अभ्रख के सम्बन्ध में निवेदन कर रहा था—मिटको के जो अधिकारी भीलवाड़ा में बैठे हुए हैं वे मेरे यहां के छोटे-छोटे खान चलाने वालों से अभ्रख नहीं खरीदते हैं तथा दूसरा कोई खरीदार नहीं है जिसके कारण मेरे यहां की खदाने बन्द होती जा रही है और जो मजदूर पिछले पचास या सौ सालों से वहां काम कर रहे थे वे बेकार होते जा रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि मिटको के अधिकारियों को निर्देश दिया जाना चाहिये कि वहां की जो माइका है उसको भी खरीदा जाय और ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे वहां का काम चलता रहे, वहां के मजदूरों को मजदूरी मिल सके और जो खान चलाने वाले लोग हैं उन की लागत का काम मिल सके।

अभ्रख बेस्ड कागज का कारखाना लगाने की मांग हम बहुत दिनों से करते आ रहे हैं। बिहार में माइका-बेस्ड कारखाना आपने लगा दिया है, लेकिन भीलवाड़ा में जो माइका निकलती है उस पर बेस्ड कागज का कारखाना लगाने के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। मैं स्वयं पिछले चार सालों से यह मांग कर रहा हूं। मेरा अनुरोध है चाहे पब्लिक सैक्टर में या प्राइवेट सैक्टर में, माइका पर बेस्ड पेपर मिल वहां पर शीघ्र स्थापित होनी चाहिए ताकि वहां के हजारों लोगों को काम मिल सके। माइका का जो वेस्ट वहां पर निकलता है वह किसानों की खेती को खराब करता है, यदि उस का उपयोग पेपर बनाने में हो जाय तो इस व्यवस्था का भी समाधान हो सकता है।

काटन कारपोरेशन आफ इण्डिया के बारे में भी कुछ उचित व्यवस्था की जानी चाहिये। काटन कारपोरेशन बाजार में तब आता है, जब छोटे-छोटे किसान अपनी रुई बाजार में बेच चुके होते हैं, जिससे किसानों को अपनी उपज का ठीक पैसा नहीं मिल पाता है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : इसलिए समय से काटन कारपोरेशन आफ इंडिया बाजार के अन्दर आए और छोटे किसान जो काटन पैदा करते हैं, उन की काटन को खरीद कर उनको उचित मूल्य मिल सके, इस प्रकार की व्यवस्था करना नितान्त आवश्यक है। इसलिए मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकृषित करना चाहता हूं और मैंने जो प्वाइन्ट्स उठाए हैं, उनके ऊपर मंत्री जी जोरदार कार्यवाही करें।

इन शब्दों के साथ मैं कामर्स मिनिस्ट्री की डिमान्ड्स का पुरजोर समर्थन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

2.20½ म० प०

पशु चर्बी के अनुचित आयात के कारण कतिपय फर्मों को आस्थगित रखने के बारे में वक्तव्य

सभापति महोदय : अब मंत्री महोदय अपना वक्तव्य देंगे।

वाणिज्य तथा पूर्ति विभाग मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : सभापति महोदय, पशु

चर्बी का अनुचित आयात के कारण कतिपय फर्मों को आस्थगित कर दिया गया है।

श्री मनी राम बागड़ी : मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है।

सभापति महोदय : यह कार्यसूची में शामिल है।

श्री मनी राम बागड़ी : 376। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस बात की इत्तिला सदन को दी गई कि यह जो स्टेटमेंट कर रहे हैं यह पुरानी पालिसी पर कर रहे हैं या नई पालिसी एडोप्ट कर रहे हैं और उस पर स्टेटमेंट दे रहे हैं।

सभापति महोदय : यहां पर व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है मंत्री जी को वक्तव्य देने दिया जाए।

श्री मनीराम बागड़ी : एजैन्डा पर अगर कोई गलत बात आ जाए, तो क्या उसके बारे में नहीं कह सकते। पलिसी जो पहले की बनी हुई है, उस पर स्टेटमेंट दे रहे हैं या जो चार्ज लगा है कि इन कम्पनियों ने टेलो रिलीज किया, उसके बारे में स्टेटमेंट दे रहे हैं या फिर कोई नया पालिसी स्टेटमेंट दे रहे हैं।

डा० वसन्त कुमार पंडित (राजगढ़) : क्या यह मंत्री द्वारा स्वंय दिया गया वक्तव्य है अथवा यह नीति सम्बन्धी वक्तव्य है। **(व्यवधान)**

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं ..... (व्यवधान)। मैंने इस विशेष मुद्दे पर मंत्री जी के विरुद्ध विशेषाधिकार भंग करने की सूचना दी है। यदि वह मेरे द्वारा विशेषाधिकार भंग करने की सूचना पर कोई वक्तव्य देना चाहते हैं तो उन्हे वक्तव्य देने दिया जाए।

सभापति महोदय : यहां व्यवस्था ओई प्रश्न नहीं उठता। मंत्री जी को अपना वक्तव्य देने दिया जाए।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : वास्तविक स्थिति यह है कि कुछ व्यापार संस्थाओं द्वारा अप्राधिकृत रूप से पशुओं के टैलो के आयात के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्राप्त होने पर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के कार्यालय में बनाए गए निरीक्षण दल ने भारत के विभिन्न नगरों में 48 व्यापार संस्थाओं का निरीक्षण किया था। अपने निरीक्षणों के दौरान निरीक्षण दल द्वारा एकत्र की गई सूचना, सामग्री और दस्तावेजों के आधार पर यह पता चला था कि 5 जून, 1981 को या उसके बाद में, जबकि पशु टैलो की सभी किस्मों के ओ.जी.एल. पर आयात को बन्द कर दिया था, 193 व्यापार संस्थाएं पशु टैलो के अप्राधिकृत आयात में स्पष्ट रूप से शामिल थीं। यह

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह]

व्यापार संस्थाएँ विस्तृत रूप से तीन श्रेणियों में आती हैं—(1) वे संस्थाएँ जिनके आयात लाइसेंस का उपयोग पशु टैलो के ऐसे आयातों के लिए किया गया था, (2) वे जिन्होंने वास्तव में ऐसे अप्राधिकृत आयात किए थे, और (3) वे जिन्होंने ऐसे अप्राधिकृत आयातों में या ऐसे अप्राधिकृत रूप से आयातित टैलों के दुरुपयोग में सहायता की थी। तदनुसार आगे की जांच को विचाराधीन रखते हुए मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के कार्यालय ने आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 के अनुच्छेद 8-ख के अनुसार 193 व्यापार संस्थाओं को 6 महीनों की अवधि के लिए लोकहित में आस्थगित रखा।

सर्वश्री असवाल वूलन मिल्स लि०, जी.टी रोड, लुधियाना, सर्वश्री आसवाल एग्रो मिल्स, लि०, लुधियाना, सर्वश्री किशन चन्द एण्ड सन्स, लुधियाना, सर्वश्री मनसिंहका ब्रदर्स, कलकत्ता) गोदरेज शोप्स लि० बम्बई और एलोरा आयल मिल्स, बम्बई सहित इन 193 व्यापार संस्थाओं में से किसी को भी मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा अभी तक आस्थगन से नहीं हटाया गया है। चूंकि सर्वश्री जैन शुद्ध वनस्पति लि०, नई दिल्ली के विरुद्ध जांच-पड़ताल 6 महीनों के अंतर्गत पूर्ण न हो सकी, स्थगन आदेश 1.2.1984 को बढ़ा दिया गया था और जांच पड़ताल समाप्त होने पर पार्टी को आयात (नियंत्रण) आदेश की कंडिका 8 के अधीन मार्च, 1988 तक पांच लाइसेंसिंग अवधि के लिए विवर्जित कर दिया गया है और स्थगन परिपत्र दिनांक 1.2.1984 विवर्जन परिपत्र दिनांक 2.3.1984 द्वारा संशोधित किया गया है।

इस प्रकार, उपयुक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि वाणिज्य मंत्रालय और सप्लाई विभाग के राज्य मंत्री ने अतारांकित प्रश्न सं० 6940, दिनांक 6-4-1984 के उत्तर में तथ्यों की पुष्टि करते हुए स्थिति बताई है और सदन को बिल्कुल भी गुमराह नहीं किया है।

अब मैं उस सन्दर्भ पर स्पष्ट करना चाहूंगा जिसमें महानिदेशक, वनस्पति, वनस्पति तेल एवं चिकनाई के उप-निदेशक (व०) श्री ए० एन० भटनागर के पत्र दिनांक 2-1-1984 में जो कि आदरणीय सदस्यों द्वारा संदर्भित उनके नोटिस में जारी किया गया था। मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के कार्यालय द्वारा जारी किए गए स्थगन परिपत्र में दर्शाई गई 193 फर्मों को छोड़कर महानिदेशक, वनस्पति, वनस्पति तेल एवं चिकनाई ने स्वयं राज्य व्यापार निगम को स्थगन आदेश में सात अन्य पार्टियों का नाम लिखने के लिए आदेश जारी किए थे क्योंकि उनके नाम मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के स्थगन आदेश में दर्शाई गई उपयुक्त 193 पार्टियों से मिलते जुलते थे अथवा वे इन पार्टियों में से किसी की भी सहयोगी संस्थाएँ समझी गई थी। महानिदेशक वनस्पति, वनस्पति तेल एवं चिकनाई के मुख्य निदेशक श्री पी०एम० चीमा ने भी अपने सं० आई-वीपी (5) 33, दिनांक 12-1-1984 में मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात को इस प्रकार स्पष्ट किया है—

"हमने कुछ वनस्पति इकाइयों से प्रतिवेदन प्राप्त किए हैं जिनका आबंटन हमने इस

आधार पर बन्द कर दिया है कि उनकी सहयोगी पार्टियां मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा जारी किए गए स्थगन आदेशों में लिखी हुई हैं। चूंकि आपके द्वारा जारी की गई आस्थगित सूची में उल्लिखित पार्टियों के साथ विभिन्न वनस्पति यूनिटों के सम्बन्धों के विषय में हमारे पास कुछ औपचारिक रिपोर्ट थीं, इसलिए हमने राज्य व्यापार निगम को यह सलाह दी थी कि स्वयं को दोषमुक्त रखने के लिए उन पार्टियों को आबंटन न किए जाएँ। फिर भी हमारे पास आस्थगन आदेश में सूचीबद्ध विभिन्न फर्मों का वनस्पति एककों के साथ सम्बन्धों को साबित करने के लिए कोई सामग्री नहीं है, हमारी सूचना नीचे सूचीबद्ध कामों की समानता के साथ-साथ अनौपचारिक रिपोर्ट पर आधारित है—

उन पार्टियों का नाम जिनका आवंटन निलंबित कर दिया गया है ।	आस्थगन सूची में प्रदर्शित सहयोगी निकाय का नाम
1. वेजीटेबल आयल लि०, बम्बई	गोदरेज सोप-लि०, बम्बई
2. भारतीय वेजीटेबल प्रोडक्ट्स लि० बम्बई	अलाना आयल मिल्स, बम्बई
3. ओसवाल वनस्पति एण्ड एलायड इन्डस्ट्रीज, लुधियाना	ओसवाल वूलन लि०, लुधियाना
4. किशन चन्द एंड कं०लि०, इंडस्ट्रीज लि०, लुधियाना	किशन चन्द एंड सन्स, लुधियाना
5. मनसिंगका इंडस्ट्रीज, पाचौर	मनसिंगका ब्रादर्स, कलकत्ता
6. मनसिंगका आयल इंडस्ट्रीज, खण्डवा	—वही—
7. राजस्थान वनस्पति प्रोडक्ट्स लि०, भीलवाड़ा	—वही

पहले उल्लिलित को ध्यान में रखते हुए आपसे यह अनुरोध है कि आप कृपया हमें यह सलाह दें कि इस मामले में क्या कार्रवाई की जानी चाहिए ।

यह स्पष्ट है कि अपने बचाव की तरफदारी के लिए वनस्पति निदेशालय द्वारा स्वत: कार्रवाई की गई थी क्योंकि उनके पास मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात कार्यालय के सकुर्लरों के अनुसार आस्थगन के अधीन किसी भी 193 फर्मों के साथ इन फर्मों के साथ सम्बन्ध का कोई औपचारिक सबूत नहीं था ।

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह]

चूंकि मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा जारी किए गए आस्थगन सर्कुलरों का उपयोग उनमें बताई गयी 193 फर्मों तक सीमित था और न कि उसकी किसी सहयोगी संस्थाओं के लिए स्वत: उनको लागू करना था और महानिदेशालय वनस्पति के पास या मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात को ऐसी कोई सूचना नहीं थी कि महानिदेशालय, वनस्पति द्वारा आस्थगन में रखी गयी सात अन्य फर्मों ने आयात नियंत्रण विनियमों के अंतर्गत किसी भी उल्लंघन करने को वास्तव में माना है अर्थात् पशु चर्बी के अप्राधिकृत आयात के लिए अपने लाइसेंसों के उपयोग करने की अनुमति देना वास्तव में ऐसे आयातों को प्रभावित करना या आयातित माल के किसी ऐसे अप्राधिकृत आयात करना या आयातित माल का दुरुपयोग करना जिसके लिए मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात के कार्यालय द्वारा महानिदेशक, वनस्पति के मुख्य निदेशक को निम्नलिखित उत्तर दिया था—

"आस्थगित परिपत्र उन फर्मों को लागू होते हैं जिनके नामों का, उसमें विशेष रूप से उल्लेख किया गया है और स्वत: उनकी शाखा कम्पनियों पर कोई प्रभाव नहीं डालते।"

उपर्युक्त स्पष्टीकरण की प्राप्ति पर, उक्त वनस्पति निदेशक ने राज्य व्यापार निगम को दिए गए अपने पहले अनुदेश उनके पहले ही किए गए आवंटनों के स्थगन के कारण वापस ले लिए। माननीय सदस्यों द्वारा श्री एस०एन० भटनागर उप-निदेशक, वनस्पति वेजिटेबल्स आयल्स एंड फैट्स निदेशालय को लिखा गया पत्र निम्न प्रकार से है—

"मुझे उपर्युक्त विषय पर इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 3 और 7 जनवरी, 1984 का अवलोकन कर यह कहना है कि जनवरी, 1984 मास के लिए निम्नलिखित एककों के जिस आयातित तेल के आबंटन को स्थगित रखा गया था उसे तत्काल ही रिहा किया जाए—

1. वेजिटेबल आयल्स लि०, बम्बई,
2. इंडियन वेजिटेबल प्रोडक्स, बम्बई,
3. ओसवाल वनस्पति एंड एलाइड इन्डस्ट्रीज, लुधियाना,
4. किशन चन्द एंड कं०, आयल इंडस्ट्रीज, लुधियाना
5. मनसिंगका इंडस्ट्रीज, पचौरा,
6. मनसिंगका आयल इंडस्ट्रीज, खंडवा,
7. राजस्थान वनस्पति प्रोडक्ट्स, भीलवाड़ा।

उपर्युक्त स्थिति से यह निश्चित रूप से स्पष्ट हो जाता है कि श्री भटनागर के पत्र

दिनांक 20-1-84 में प्रयुक्त शब्द "आस्थगन" वनस्पति निदेशालय द्वारा जारी किए गए आस्थगन आदेशों का हवाला देता है, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के कार्यालय द्वारा जारी किए आस्थगन परिपत्रों का नहीं। मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के कार्यालय द्वारा आस्थगन 193 फर्मों में से किसी ने भी वापस नहीं लिया है।

इसलिए, राज्य मंत्री द्वारा दिया गया यह जवाब कि अब तक 193 फर्मों के सम्बन्ध में कोई भी आस्थगन आदेश वापिस नहीं लिया गया है, वास्तव में ठीक है और सदन को गुमराह नहीं किया है।

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के कार्यालय द्वारा आस्थगन की गई 193 फर्मों में से किसी भी फर्म के साथ पक्षपात नहीं किया गया है।

जहां तक श्री आर०एन० राकेश, संसमें सदस्य द्वारा मेरे विरुद्ध लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप का सम्बन्ध है, मैं इससे पूरी तरह से असहमत हूँ। हालांकि आरोप लगाने वाले माननीय सदस्य भी यह जानते हैं कि यह आरोप असत्य है। लोक सार्वजनिक जीवन में मैंने नैतिक आदर्शों और नैतिकता का पालन कार्यालय के जीवन से ऊपर उठकर किया है।

2.30 म० प०

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1984-85

वाणिज्य मन्त्रालय

डा० वसन्त कुमार पण्डित (राजगढ़) : महोदय मुझे कुछ जानकारी देनी है। मैं व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा रहा हूं।

सभापति महोदय : मंत्री के वक्तव्य में कोई भी व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा (**व्यवधान**) कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : अब श्री भाउ साहिब थोरट वाणिज्य मंत्रालय की अनुदान की मांगों पर बोलेंगे। वह उपस्थित नहीं हैं। अब श्री शनमुगम की बारी है।

***श्री पी० शनमुगम** (पांडिचेरी) : माननीय सभापति महोदय, मैं वाणिज्य मंत्रालय की वर्ष 1984 85 की अनुदानों की मांगों पर कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

जब तक हम निर्यात को बढ़ाकर और आयातों में कमी करके अपने व्यापार अन्तराल

---

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर

[श्री पी. शनमुगन]

को दूर नहीं करेंगे तब तक देश की औद्योगिक अर्थव्यवस्था स्वस्थ नहीं हो सकती। राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के लिए यह अच्छा है कि हमारे योग्य वाणिज्य मंत्री जी द्वारा प्रभार सम्मेलन के बाद निर्यात बढ़ा है और आयात में कमी आ रही है।

मैं अपनी बात मेरे निर्वाचन क्षेत्र पांडिचेरी संघ राज्य तक ही सीमित रखूंगा। मैं वाणिज्य मंत्री के व्यक्तिगत ध्यान में यह बात लाना चाहूंगा कि पांडिचेरी में एंग्लो-फ्रेंच टेक्सटाइल मिल, जिसे रोडियर मिल भी कहते हैं। पिछले दस महीनों से बन्द पड़ी है। 7,600 श्रमिक पिछले दस महीनों से बिना मजूरी लिये जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। मुखमरी के इस असहनीय विपदा के कारण 30 लोगों ने आत्महत्या कर ली है और उन पर आश्रित लोग निस्सहाय हो गए हैं। मैं नहीं जानता मिल के पुनः चालू होने से पहले पता नहीं कितनी आत्महत्यायें और हो जायेंगी। 40,000 व्यक्ति जो इन श्रमिकों पर आश्रित हैं, जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, भूख की कसक का हिम्मत से सामना कर रहे हैं। आप जानते हैं महोदय, अगर किसी की भूख शांत नहीं की जाती तो ऐसा व्यक्ति हिंसक हो जाता है। अगर पांडिचेरी में रोडियर मिल को पुनः चालू करने के लिए तुरंत कदम नहीं उठाए गए तो इस प्रकार की स्थिति वहां उत्पन्न होने की सम्भावना है। मुझे डर है कि यदि इस मिल को पुनः चालू करने के बारे में निर्णय न लिया गया तो पांडिचेरी में विधि और व्यवस्था खतरे में पड़ सकती है।

श्रिमकों की मजूरी एक महीने में 65 लाख रुपया होती है। पिछले दस महीनों से श्रमिकों को मजूरी नहीं दी गई है। यह स्वाभाविक है कि इससे पांडिचेरी के व्यापार एवं वाणिज्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। व्यापार में अभूतपूर्व मंदी आई है। कोई भी निजी पार्टी इस मिल के साथ काम करने का जोखिम उठाने को तैयार नहीं है। मुखमरी के कगार पर खड़े श्रमिकों के हित को देखते हुए राष्ट्रीय कपड़ा निगम के लिए इस मिल का अधिग्रहण करना आवश्यक हो जाता है। इस निर्णय को क्रियान्वित करने में और अधिक विलम्ब नहीं होना चाहिए। माननीय वाणिज्य मंत्री राष्ट्रीय कपड़ा निगम को इस मिल का अधिग्रहण करने का निदेश दें तथा 7600 श्रमिकों तथा उनके 40,000 आश्रितों की असंख्य दुख-तकलीफों को दूर कर। दक्षिणी राज्यों में सभी लाभप्रद राष्ट्रीय कपड़ा मिलों की भांति ही यह मिश्रित रोडियर मिल भी राष्ट्रीय कपड़ा निगम के खिए लाभदायक हो जाएगी। इससे पांडिचेरी की अर्थव्यवस्था में भी सुधार होगा। पांडिचेरी में हम लोगों का निर्वाचित प्रतिनिधि होने के कारण मैं उनके सुख-दुख को बता रहा हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे माननीय वाणिज्य मंत्री चर्चा के उत्तर में रोडियर मिल को राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा हाथ में लेने के निर्णय की घोषणा करेंगे।

रोडियर मिल के अतिरिक्त पांडिचेरी में दो और कपड़ा मिलें हैं। एक का नाम भारती

मिल है जिसमें 1700 श्रमिक है। यह पहले ही राष्ट्रीय कपड़ा निगम के एकक की भाँति कार्य कर रही है। दूसरी, जयपुरिया ग्रुप की स्वदेशी काटन मिल है। इस सस्थान के प्रबन्धक को 1978 में राष्ट्रीय कपड़ा मिल द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया था। श्री जार्ज फर्नांडिस, जनता सरकार के तहत उद्योग प्रभारी ने कुछ ऐसी व्यवस्था की कि प्रबंधक वर्ग का ही अधिग्रहण किया गया था और उस मिल के 2300 श्रमिकों के साथ अत्याचार होते रहे। स्थिति के अनुसार मिल के राष्ट्रीयकरण की जरूरत थी किंतु प्रबंधक का ही अधिग्रहण किया गया था। पिछले छः वर्षों में काफी मात्रा में निवेश किया गया था। यह देश में सबसे पुरानी 130 वर्षों से भी अधिक अवधि से चली आ रही कपड़ा मिल है। फ्रांस शासन के दौरान इसे 'सावना' मिल के नाम से जाना जाता था। सयंत्र एवं सभी मशीनें पुरानी एवं घिस पिट गई हैं। निःसन्देह उनमें से कुछ को बदला गया है। किंतु वित्तीय कठिनाइयों के कारण राष्ट्रीय कपड़ा निगम इसमें कोई भी नवीनीकरण एवं मरम्मत नहीं कर सकी है। मुझे यह कहने पर विवश होना पड़ रहा है कि राष्ट्रीय कपड़ा मिल के द्वारा इस मिल के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। श्रमिकों को मजूरी देने में अत्यधिक विलम्ब कर दिया गया है। चूंकि दो धारी तलवार इस मिल के ऊपर लटल रही है इसलिए राष्ट्रीय कपड़ा निगम और अधिक पैसा लगाने में अनिच्छुक एवं अनिश्चित है। श्रमिक नहीं जानते कि क्या मिल पिछले प्रबन्धकों को वापस सौंप दी जाएगी। सरकार को 30 अप्रैल, 1984 तक निर्णय लेना है। इस प्रकार के जीवित निलम्बन से बचने के लिए माननीय मंत्री जी को राष्ट्रीय कपड़ा निगम को तुरंत ही स्वदेशी कपड़ा मिल का अधिग्रहण करने का निदेश देना चाहिए ताकि उत्पादन की निरन्तरता को बनाया रखा जा सके। मरम्मत एवं नवीनीकरण के कार्यक्रम को जोरदार तरीके से किया जा सकता है। मैं नहीं चाहता कि स्वदेशी मिल पाँडिचेरी की एंग्लो-फ्रेंच टेक्सटाइल मिल की भाँति ही बन जाए। इस मिल को भी तुरंत ही राष्ट्रीय कपड़ा निगम की इकाई बन जाना चाहिए। महोदय, पाँडिचेरी में तीन मिश्रित (संयुक्त) मिलें हैं जिनमें 12,000 पुरुष एवं महिलायें कार्य कर रहे हैं। 12,000 श्रमिकों के हितों में ये तीनों मिलें राष्ट्रीय कपड़ा निगम की पूरी तरह घटक हो जानी चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय वाणिज्य मंत्री तुरंत ही इसका अधिग्रहण करने के लिए राष्ट्रीय कपड़ा निगम को निर्देश देंगे और इन श्रमिकों का उद्धार करेंगे।

पांडिचेरी निवासी वर्षों से यह मांग करते आ रहे हैं कि पांडिचेरी बन्दरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र होना चाहिए। पांडिचेरी चेम्बर्स आफ कामर्स ने भी इस संबंध में बार-बार अभ्यावेदन दिये हैं। फ्रांस शासन के दौरान पांडिचेरी एक मुक्त बन्दरगाह था। दक्षिण भारत में कोई भी मुक्त क्षेत्र नहीं है। भूतपूर्व वाणिज्यमंत्री श्री प्रणव मुखर्जी ने कहा था कि यह प्रस्ताव विचाराधीन था। मैं यह कहने की आवश्यकता नहीं समझता कि जब तक पांडिचेरी बन्दरगाह को मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित नहीं कर दिया जाता, इस पिछड़े इलाके में औद्योगिक विकास के अवसर बहुत ही कम होंगे। मैं माननीय वाणिज्य मंत्री से अपील करता हूँ कि वे पांडिचेरी को मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित करें, क्योंकि ऐसा करने से ही इस क्षेत्र की आर्थिक उन्नति सुनिश्चित होगी।

[श्री पी. शनमुगम]

भाषण समाप्त करने से पहले, मैं एक समाचार का उल्लेख करूंगा जो कि आज के 'हिंदुस्तान टाइम्स' में नकद क्षतिपूर्ति योजना के क्रियान्वयन में हुए सदाचार के बारे में प्रकाशित हुआ है। यह योजना निर्यात को बढ़ाने के लिए इन योजनाओं को लागू किया जा रहा है। मैं माननीय वाणिज्य मंत्री जी को अपील करूंगा कि वे इन आरोपों की जांच-पड़ताल करें और यह सुनिश्चित करें कि इस योजना के उद्देश्य इस प्रकार के अनुचित (गलत) कार्यों से दूषित न करें।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री ए० के० राय (धनबाद) : वाणिज्य मंत्रालय एक भ्रांतिपूर्ण मंत्रालय है। वास्तव में हमें इस मंत्रालय के दायरे की पूरी जानकारी नहीं है। यह विदेश व्यापार करता है, यह कपड़ा उद्योग, एम० एम० टी० सी०, माईका (अभ्रक), पटसन और पता नहीं किस-किस का व्यापार करता है।

जहां तक विदेश व्यापार का सम्बन्ध है। मन्त्री महोदय 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख उद्योग आदि की चर्चा करते हैं तो मुझे मस्तिष्क सिद्धांत पर दादा भाई नौरोजी का प्रसिद्ध लेखन याद आता है। बहुधा मुझे आश्चर्य होता है कि नहीं हम दादाभाई नौरोजी द्वारा उन दिनों बताये गये सिद्धांत की जानबूझ कर अवहेलना नहीं कर रहे हैं। उन्होंने हमें यह चेतावनी दी थी कि हमारे उद्योग निर्यातोन्मुख नहीं अपितु कृषि प्रधान होने चाहिये। हमें इस बात पर गर्व अनुभव नहीं करना चाहिए अथवा हमें इस बात का खेद भी नहीं होना चाहिए कि हम मध्य पूर्व में लौह-अयस्क का निर्यात नहीं करें या बहुमूल्य कच्चा माल देश के बाहर नहीं निर्यात कर सकें, हमें इनका उपयोग देश में ही करना चाहिए। यह 15 प्रतिशत से अधिक नहीं है। बाकी सामान का हम निर्यात कर रहे हैं। यदि हम मुक्त (स्वतन्त्र) मुद्रा क्षेत्र अर्थात् पश्चिमी देशों में निर्यात न कर सकें तो हमें इस पर खेद नहीं करना चाहिये।

मंत्री जी ने विभिन्न आंकड़े दिये हैं और इन आंकड़ों से पता चलता है कि हम पश्चिमी देशों, अमेरिका, यूरोप आदि से व्यापार संबंध में पिछड़े रहे हैं। उनके साथ हमारा व्यापार संतुलन अनुकूल नहीं है। हमारे व्यापार की पूर्ति हम पश्चिमी यूरोप से करते हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने निर्यात में वृद्धि तथा आयात में कमी लाने के लिए मंत्रालय की तारीफ की है। मैं कहना चाहता हूं कि इस समय व्यापार संतुलन ठीक नहीं है। व्यापार में अन्तर हमेशा 5,800 से 6,000 के बीच घटता-बढ़ता रहता है। इस बार वे कहेंगे कि इसे कम कर 5000 कर दिया जायेगा। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, क्या इसका श्रेय उनको जाता है। कच्चा तेल 20 लाख टन से बढ़कर 260 लाख टन होने की स्थिति में आप 2,000 करोड़ रुपये की बचत कर सकते थे जबकि आपने केवल 800 करोड रुपये की ही बचत की है। इससे मंत्रालय की कार्य-कुशलता सिद्ध होती है। इस मंत्रालय में कार्य-कुशलता नहीं है। यदि आप जिन उद्योगों पर नियन्त्रण करते हैं जैसे पटसन, सूती वस्त्र, चाय, कॉफी आदि उनका निर्यात बढ़ाकर अपनी कार्य-

कुशलता में वृद्धि कर सकते थे। अन्य मंत्रालयों के सराहनीय कार्य का श्रेय आप ले रहे हैं। मुख्य बात यह है कि आपकी विदेश व्यापार नीति अथवा अन्य विषय से इसका कोई सरोकार नहीं है।

मैं एक और विषय पर जोर देना चाहता हूं। विदेश व्यापार के बारे में आपकी नीति क्या है यह आयात में उदारता बरतना अथवा निर्यात में वृद्धि करना है, कुछ भी हो, इससे आत्म-निर्भरता को बढ़ावा नहीं मिल रहा है। इससे स्व-निर्मित अर्थव्यवस्था नहीं पनप रही है और विश्व आर्थिक नीति में न ही इसे सम्मानीय स्थान प्राप्त है।

आपने निर्यातोन्मुख उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रौद्योगिकी आयातों, विशिष्ट आयातों तथा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत तथा अन्य प्रकार से आयातों को उदार बनाने सम्बन्धी नीति को स्पष्ट किया है। आपने शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखता का आश्वासन दिया है।

इसका अर्थ है कि वे पटसन उद्योग का विस्तार करेंगे ताकि पटसन की वस्तुओं का निर्यात किया जा सके। यह कुछ दादाभाई नौरोजी के मस्तिष्क सिद्धांत के अलावा कुछ नहीं है।

आपका दो उद्योगों पर नियन्त्रण है। मैंने स्वयं उनका निरीक्षण किया है। उनमें से एक कानपुर कपड़ा उद्योग है और दूसरा मेरे क्षेत्र में अभ्रक उद्योग है। दस लाइसेंस प्राप्त फैक्टरियां हैं। इनमें से एक बन्द पड़ी है। एन निजी क्षेत्र है और आठ सरकारी प्रबन्धक के अन्तगंत हैं। आप आश्चर्यचकित होंगे कि जबसे आप मंत्री बने हैं तब से फैक्टरियां घाटे में चल रही हैं। फैक्टरियों में ठीक से कार्य नहीं हो रहा है और वहां न केवल आधुनिकीकरण अथवा नवीकरण के लिए कार्य-कारी पूंजी उपलब्ध नहीं है यहां तक कि कच्चे माल के लिए धन भी नहीं है।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि कपड़ा उद्योग में लागत का 43 प्रतिशत कच्चे माल पर, 25 प्रतिशत मजूरी पर और शेष अन्य बातों पर व्यय हो जाता है। मंत्री महोदय, ये कपड़ा उद्योग कच्चे माल की कमी से संकट में चल रहे हैं। यह बहुत आश्चर्यजनक बात है कि सरकारी प्रबन्ध वाली फैक्टरियां भी कच्चे माल की कमी का सामना कर रही हैं। मैं एक घटना बताता हूं जिसमें मंत्री महोदय ने मुझे उत्तर दिया था। कानपुर की कपड़ा मिलों में कपास के अधिकतम भंडार के बारे में 2.3.1984 को मैंने प्रश्न संख्या 10 4 पूछा था और उन्होंने बताया था कि ढाई महीने के उपयोग के बराबर अधिकतम भंडार उपलब्ध हैं। उनके अनुसार न्यू विक्टोरिया मिल में अधिकतम भंडार 3,968 गट्ठर था किन्तु 1.1.1984 को वास्तविक भंडार 1,099 गट्ठर था। मूर मिल में इष्टतम भंडार 4161 गट्ठर था और 1.1.84 को भंडार 1153 गट्ठर था। लक्ष्मीरतन काटन मिल में इष्टतम भंडार 2818 गट्ठर था और भंडार 780 गट्ठर था। अथरतन मिल में इष्टतम भंडार 1948 था और भंडार 539 गट्ठर था।

[**श्री ए० के० राय**]

स्वदेशी काटन मिल में इष्टतम भंडार 3608 और भंडार 1.2.83 को 999 गट्ठर था।

इसका अर्थ है कि सभी मिलों का सूत का इष्टतम भंडार 16507 गट्ठर होना चाहिए किन्तु 1.1.84 को भंडार 4570 गट्ठर था।

उन्होंने बताया कि कच्चे माल की कमी के कारण आधुनिकीकरण के लिए कोई पूंजी निवेशन और कार्यकारी पूंजी नहीं है। वे मिल हमेशा कुशलता के साथ चलने और उत्पादन देने में समर्थ नहीं हैं। श्रमिक भयभीत हैं कि यदि राष्ट्रीय कपड़ा निगम विफल हो जाता है तो क्या होगा।

इन मिलों के अधिग्रहण के लिए बिहार शरीफ से कुछ अनुरोध किए गए। हाल ही में आपने बम्बई की 13 मिलों का अधिग्रहण किया है। देश के पूर्वी भाग पर आपकी कृपादृष्टि क्यों नहीं पड़ती है ? मैं आपको एक सुझाव दे सकता हूं। मान लीजिए, आप कुछ मिलों को रुग्ण मानते हैं। आप सदैव पाते हैं कि उस मिल की देयताएं, श्रमिक और सरकार दोनों के लिए उसकी परिस्थितियों से अधिक होंगी। अतः आप उन मिलों का सरलता से अधिग्रहण कर सकते हैं और आप उनका रुग्ण मिलों में श्रमिक क्षेत्र पैदा कर सकते हैं। आप तत्काल श्रमिकों की देयताओं को उनके शेयरों और बिहार मंत्रालय के शेयरों में बदल सकते हैं। यह एक हिस्सा है। और जब मैं दूसरे हिस्से के बारे में बताऊंगा तो उसके माध्यम से बिहार सरकार के स्वरूप और नीति का भी स्पष्ट पता लग जायेगा। पिछली बार, पिछले शुक्रवार को सभा में एक प्रश्न पूछा गया था।

सभापति महोदय : किसी राज्य सरकार के स्वरूप के बारे में चर्चा मत कीजिए। केवल वही कहिये जो आप कहना चाहते हैं।

श्री ए० के० राय : उदाहरणार्थ प्रश्न संख्या 600 पिछले शुक्रवार को पूछा गया था। यह प्रश्न बिहार सरकार द्वारा बनाया गया था और उसकी एक प्रति मुझे भी भेजी गयी थी। वित्तीय संस्थाओं के सभी शेयर और आपके शेयर, आप दोनों मिलकर उन्हें चलाएं। अतः आप केवल कार्यशील पूंजी प्रदान कीजिए और मिल को चलाने का तथा सक्षम बनाए रखने का उत्तर-दायित्व श्रमिकों पर होगा। जैसा कि अभी तक केवल सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र हैं, आप सभी रुग्ण मिलों में विशेषकर कपड़ा उद्योग में श्रमिक क्षेत्र का भी आरम्भ कीजिए।

अभ्रक के बारे में, मैं माननीय मंत्री को एक बात बताना चाहता हूं। आपने कभी यह सुना है कि राज्य सरकार संसद-सदस्य के लिए प्रश्न बनाती है ? यह बहुत आश्चर्यजनक बात है। मैं नहीं जानता कि यह विशेषाधिकार-भंग है या शपथ-भंग बिहार सरकार अचानक सक्रिय हो गई।

उन्हें एक अद्भुत·····* मंत्री मिल गया है। वह अक्सर दिल्ली आता रहता है। यह अच्छा है, उसे दिल्ली आना चाहिए, हमसे बात करनी चाहिए और बिहार राज्य की समस्याएं बतानी चाहिए। किन्तु वह प्रश्न बनाता है और बनाकर संसद में प्रश्न पूछने के लिए संसद-सदस्यों को भेजे जा रहे हैं। कुछ सदस्य उन्हें पूछ भी रहे हैं। मैं उनके नाम लेना नहीं चाहता हूं। मैं नहीं जानता हूं कि यह उचित प्रक्रिया है या नहीं क्योंकि मुझे कुछ टंकित प्रश्न मिले हैं और वही प्रश्न मुझे प्रश्न सूची में किसी और सदस्य के नाम के साथ दिखायी दिए हैं। उसके बाद मैंने जांच-पड़ताल की और पाया कि सभी संसद-सदस्यों को इसी प्रकार टंकित तैयार प्रश्न दिए गए हैं। इस प्रश्न का उद्देश्य क्या है? अभ्रक की निजी मिलों के मालिकों के बहुत घृणित कार्य और व्यवहार रहे थे। वे अपने सारे निर्यात व्यापार में मूल्य से कम के बीज बना रहे हैं तथा पश्चिमी बाजार और व्यापारियों के साथ उनके अच्छे सम्बन्ध हैं। इसको समाप्त करने के लिए सही रूप देने के लिए सरकार ने सबसे पहले अभ्रक के उत्पादों का 30 प्रतिशत अभ्रक व्यापार निगम के माध्यम से निर्यात करने का निर्णय लिया और बाद में इसे 50 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया था। स्वामीनाथन समिति ने सुझाव दिया कि अभ्रक के सारे निर्यात व्यापार का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए और यह अभ्रक व्यापार निगम तथा खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा संसाधित किया जाना चाहिए। बिहार सरकार ने एक प्रश्न बनाया है जिसमें कहा गया है·····**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आपको अपनी बात संक्षेप में कहनी होगी। आप पहले ही नौ मिनट की बजाए 15 मिनट ले चुके हैं अतः कृपया एक दो मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री ए० के० राय : ** ·····प्रश्न इस प्रकार है—

(ग) "क्या हाल ही के वर्षों में सामान्य मुद्रा क्षेत्रों में भारत से किया जाने वाला अभ्रक का निर्यात कम हुआ है जबकि रुपया मुद्रा क्षेत्रों में किए जाने वाले निर्यात से प्रतिशत में वृद्धि हुई है; तथा

(घ) उपयुक्त बात को दृष्टि में रखते हुए क्या सरकार का अभ्रक के निर्यात को अभ्रक व्यापार निगम द्वारा आवश्यक सरणीबद्धता से मुक्त करने अथवा कम से कम सामान्य मुद्रा क्षेत्रों में निर्यात की जाने वाली कुछ श्रेणियों को मुक्त कराने का प्रस्ताव है।"

इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि आप राष्ट्रीयकरण करने, सरणीबद्ध करने और अभ्रक के इन प्रभावशाली समृद्ध व्यक्तियों—जो वास्तव में अभ्रक की खानों को नष्ट, तहस-नहस कर रहे हैं—पर नियंत्रण पाने की जो भी योजना बनाएं किन्तु आपकी राज्य सरकार, आपके अपने दल के लोग उनके साथ सहयोग कर रहे हैं और वे ऐसे प्रश्न बना रहे हैं। जिनका उद्देश्य अभ्रक के सारे विदेशी व्यापार पर आपकी पकड़ ढीली करना है। मैं आपसे कहूंगा कि वह सदस्य यदि

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

[**श्री ए० के० राय** [

ऐसे प्रश्न बनाता है तो कोई विशेष अर्थ नहीं होता किन्तु यदि सरकार कोई प्रश्न बनाती है और यदि वह किसी संसद सदस्य द्वारा सभा में पूछा जाता है और यदि उसका उद्देश्य संगठनों पर आपकी पकड़ ढ़ीली करना है तो यह बहुत गम्भीर बात है और इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यदि वहां की सरकार ही अभ्रक के प्रभावशाली और समृद्ध व्यक्तियों के साथ सहयोग करती है तो आप दिल्ली से उनकी गतिविधियों पर नियन्त्रण नहीं पा सकते हैं।

मेरा अन्तिम सुझाव राष्ट्रीयकरण के बारे में है। जब उन्होंने कोककारी कोयले का राष्ट्रीयकरण करना शुरू किया तो उन्होंने पाया कि अकोककारी कोयला छोड़ा नहीं जा सकता है। इसी प्रकार आपने अभ्रक को संसाधित करने का तो राष्ट्रीयकरण किया किन्तु आपने अभ्रक की खानों को छोड़ दिया।

अभ्रक एक बहुत मूल्यवान धातु है और हमारे देश में विद्युत-संधारित और आधुनिक उद्योगों को सभी प्रकार की वस्तु बनाने में इसका उपयोग होता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि सारी अभ्रक खानों का राष्ट्रीयकरण करने का प्रयास कीजिए और इस उद्योग को सही अवस्था में लाइए।

मेरी अन्तिम बात·····**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : अन्तिम का अर्थ है अन्तिम से पहले वाली।

श्री ए० के० राय : महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वास्तव में यह मेरी अन्तिम बात है। क्या आप जानते हैं कि अभ्रक व्यापार निगम के श्रमिकों को इस वर्ष बोनस नहीं दिया जा रहा है क्योंकि उस पर विवाद है। पिछले वर्ष अ० व्या० नि० को एक करोड़ रुपए का लाभ हुआ था और 20 प्रतिशत बोनस दिया गया था। इस बार अ० व्या० नि० को 80 लाख रुपए का लाभ हुआ है और उन्होंने बोनस घटाकर 9½ प्रतिशत कर दिया है। श्रमिकों ने उसे लेने से मना कर दिया है। उन्होंने क्या हिसाब लगाया है मैं नहीं जानता हूं। यह बात श्रम मंत्रालय में भी उठाई गई थी। श्रम मंत्रालय से उस बारे में पूछा गया था।

सभापति महोदय : आपकी अन्तिम बात बहुत अधिक लम्बी है। अतः कृपया संक्षेप में कहिए।

श्री ए० के० राय : यह अधिक लम्बी नहीं होगी श्रीमन्। मैं कह रहा था कि पिछली बार श्रमिकों ने अ० व्या० नि० से तत्कालीन प्रभारी मंत्री के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था और मैं आपसे इस मामले पर ध्यान देने का अनुरोध करता हूं क्योंकि यह मामला अभी भी लम्बित है। श्रमिक आपको इतना अधिक लाभ दिलवा रहे हैं और उस उद्योग को चला रहे हैं। यदि लाभ 1 करोड़ रु० से घटकर 80 लाख हो जाता है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आपको बोनस

20% से घटाकर 9½% कर देना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप श्रमिकों को कोई आश्वासन देने की कृपा करें।

सभापति महोदय : मैं अब श्री काली चरण शर्मा को बुलाऊंगा। आप 16 मिनट ले चुके हैं, मैं क्या कर सकता हूं ?

श्री ए० के० राय : श्रीमन्, बस मैं एक मिनट और लूंगा। जांच करने के लिए मैं मंत्री महोदय की एक बात और बताना चाहूँगा कि अ० व्या० नि० में दो वेतनमान विद्यमान हैं। उन कर्मचारियों को जिनका उत्पादन से सीधा सम्बन्ध है, अधिक वेतन दिया जा रहा है अर्थात् खनिज और धातु व्यापार निगम का वेतन और उत्पादन से सम्बन्धित श्रमिकों को राज्य द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजूरी दी जाती है। यह एक आश्चर्यजनक प्रवृत्ति है और इससे श्रमिकों में बहुत अधित असन्तोष पैदा हो रहा है। अतः मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस पर ध्यान देने की कृपा करें और इस संगठन के श्रमिकों के साथ उचित व्यवहार किया जाए। धन्यवाद।

3.00 म०पं०

श्री काली चरण शर्मा (भिन्ड) : सभापति महोदय, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत अनुदान की मांगों का मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारे वाणिज्य मंत्री जी ने इन सालों में और खास तौर से इस वर्ष में निर्यात को बढ़ावा देने का जो कार्य किया है, वह अवश्य ही स्वागत योग्य है।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूं। हमारे मध्य प्रदेश में मऊ और भिण्ड में कालीन का उद्योग चलता है। वहां पर मजदूरों को पूरी मजदूरी नहीं मिलती है। आपको और आपके विभाग को इस ओर ध्यान देना चाहिए। कायदे और हिसाब से उनको कच्चा माल मिलना चाहिए, ताकि वह काम कर सके। निर्यात की आमदनी भी कुछ निर्यातक उठा ले जाते हैं। मजदूर मेहनत करके काम करता है, उनको लाभ मिलने के बजाए निर्यातकों को पूर्ण लाभ मिलता है। मेरा सुझाव है कि सरकार की कोई ऐसी एजेन्सी होनी चाहिए जो बने हुए कालीनों को खरीदे, ताकि उनको पूरा लाभ मिल सके। इस ओर आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए।

इसी तरीके से हमारे मध्य प्रदेश में खनिज उद्योग हैं, बहुत से खनिज हैं, जिनका आप निर्यात भी कर सकते हैं। लोहा तो आप करते ही हैं। मेरा सुझाव है कि आप इस दिशा में एक कमेटी भेजिए, जो यह देखे कि किन-किन वस्तुओं का निर्यात हो सकता है। यदि आप कच्चे माल को बढ़ावा दें तो भी देश को काफी पैसा मिल सकता है। मैं चाहता हूँ कि आप खनिज मंत्रालय से भी इस दिशा में कदम उठाने की ओर सम्पर्क स्थापित करें।

[श्री काली चरण शर्मा]

एक बात मैं आपसे खादी ग्रामोद्योग के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में यह काम बहुत अच्छा चलता था, लेकिन अब वहां कम्बल उद्योग को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। हमारे भिन्ड और दतिया आदि क्षेत्रों में कम्बल का उद्योग बहुत अच्छा चलता है। इस उद्योग के लिए आपके विभाग को ध्यान देना चाहिये। इसमें बहुत खामियाँ हैं। यदि आप सही रूप से इस दिशा में ध्यान दें तो वहाँ लोगों को काफी रोजगार मिल सकता है, जिससे बेरोजगारी की समस्या भी दूर होगी। इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप कृषि से सम्बन्धित उद्योग को बढ़ावा दे सकते हैं। इस ओर भी हम काफी निर्यात कर सकते हैं और आपके विभाग को बढ़ावा देना चाहिए।

मैं मध्य प्रदेश के टेक्सटाइल उद्योग के बारे में विशेष रूप से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आपकी टैक्सटाइल विभाग की जो मशीनरी है, जो टैक्सटाइल कमिश्नर के अधिकारी हैं, वे वहां ठीक से ध्यान नहीं देते हैं जिससे यह उद्योग दिन-प्रतिदिन रुग्ण होता जा रहा है। हमारे यहां इन्दौर और दूसरी जगहों पर बहुत अच्छे-अच्छे कारखाने थे। लेकिन आज वे सब बीमार हालत में हैं। मेरा अनुरोध है कि उन से बात करके उन कारखानों की व्यवस्था को सुधारा जाए जिससे वे रुग्ण होने से बचाये जा सकें।

आप जानते हैं हमारे पन्ना डिस्ट्रिक्ट में हीरे की बहुत सी खानें हैं, जिन खदानों से मजदूर लोग हीरा निकालते हैं और डिपार्टमेंट के लोग उनसे खरीद कर निर्यात करते हैं। लेकिन मैं ऐसा महसूस करता हूं कि आपके डिपार्टमेंट का जितना ध्यान इस उद्योग की तरफ होना चाहिये, उतना नहीं है। इसमें सुधार की बहुत आवश्यकता है। यद्यपि इन दिनों आपने अपने मन्त्रालय में काफी सुधार किया है, निर्यात को बढ़ाया है, इस तरफ भी आपको पर्याप्त ध्यान देना चाहिये।

जूट उद्योग के सामने भी आज बहुत सी समस्याये हैं जो हल नहीं हो रही हैं। वहां हड़ताल चल रही है। मैं चाहता हूं कि इस उद्योग की तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिये और उनकी समस्याओं को हल करना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं वाणिज्य मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूँ।

श्री चतुर्भुज (झालावाड़) : सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। कृषि के क्षेत्र में जो मसालों का उत्पादन होता है, जैसे जीरा, धनियां, सौंफ—यदि आप इनके व्यापारिक क्षेत्र में जाकर देखें तो आपको मालूम होगा कि इनमें भावों का उतार-चढ़ाव इतना ज्यादा होता है कि एक हजार रुपये क्विंटल तक भाव ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर चले जाते हैं, जिससे व्यापारी 15 दिनों के अन्दर मालामाल हो जाता है। जब बाजार में ये चीजें आती हैं तो भाव 1000 रुपये क्विंटल से गिर कर 200 क्विंटल पर आ जाते हैं। सौंफ 1200 रुपये क्विंटल से गिर कर 300 रुपये क्विंटल पर आ जाती है, किसान को बाध्य होकर

अपना माल बेचना पड़ता है, लेकिन जब फसल बिक जाती है तो भाव एकदम बढ़ कर ऊपर चले जाते हैं। बेचारे किसान को उसका लागत मूल्य भी नहीं मिलता, लेकिन व्यापारी रातोंरात कमा लेते हैं।

आप गेहूं की हालत देखिए—जब गेहूं बाजार में आता है, उसका भाव गिरना शुरू हो जाता है। आपने 152 रुपये क्विंटल का भाव तय किया हुआ है, लेकिन आप हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान कही भी चले जाइए, मंडियों में 125 रुपये क्विंटल से भी खरीदार नहीं है। इस तरह से लाखों किसान बरबादी की ओर बढ़ रहे हैं। आप उनकी आमदनी का हिसाब लगाइये, उनके खर्चे का हिसाब लगाइए—शायद दुनिया में कोई भी इतना गरीब नहीं होगा, जितना हिन्दुस्तान का किसान है। मजदूर भी आज 10-15 रुपये कमा लेता है, लेकिन यदि आप लघु किसान, सीमांत किसान की आमदनी का एवरेज निकालें तो उसे इतना पैसा भी नहीं मिलता है जितना एक मजदूर कमा लेता है। वह ऐसी जिन्दगी जी रहा है, जिसमें न उसके तन पर कपड़ा है और न पेट भर खाना मिलता है, भूखा रहने की स्थिति में आ गया है। आज जो-जो चीज किसान पैदा करता है, चाहे गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, या तरह-तरह के मसाले हैं, हर चीज में उसका भाग्य भगवान पर निर्भर करता है, वर्षा पर निर्भर करता है। आप उसकी चीजों का निर्यात भी नहीं करते हैं। अगर उसके मसालों का ही निर्यात करने लगे तो उसको लाभ हो सकता है, लेकिन ऐसे मौके पर व्यापारी उसका लाभ उठा लेते हैं, किसान को उसका लाभ नहीं पहुंचता।

आप इस दृष्टि से भी विचार करें हैं—आज हर चीज के दाम बढ़ गए हैं, लेकिन किसान के उत्पादन के दाम नहीं बढ़े हैं। 15 साल पहले जो चीजों के दाम थे और आज क्या दाम हैं। आप एक मजदूर को भी मिनिमम बेज देने की बात करते हैं, हर तरफ मजदूरी के दाम बढ़ रहे हैं, खेती में काम आने वाली हर वस्तुओं के दाम बढ़े हैं, लेकिन किसान की उपज के दाम उस अनुपातमें नहीं बढ़े हैं जिस अनुपात में उसकी खेती में काम आने वाली वस्तुओं के दाम बढ़े हैं। आप देखिये—तीन साल पहले चावल के क्या दाम थे और आज क्या दाम हैं। आज चावल के दाम तीन साल पहले के दामों के मुकाबले नीचे जा रहे हैं। 100 रुपये क्विंटल नीचे आ चुका है। राजस्थान के अन्दर आज हालत इतनी खराब है कि चावल को कोई खरीदने वाला नहीं है और आने वाला समय ऐसा होगा कि कोई चावल को बोना पसन्द नहीं करेगा और उसको बोने के लिए तैयार नहीं होगा। इसी तरह से आप गेहूं को देखिये। गेहूं का भाव आपने 152 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है लेकिन आज गेहूँ 125 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है। आने वाले सालों में ऐसी स्थिति हो जाएगी कि कोई गेहूँ बोना पसन्द नहीं करेगा क्योंकि किसान भी सोचता है कि उसे अपने बाल बच्चों को पालना है, उनको पढ़ाना है और उनके तन को कपड़ों से ढकना है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो ऐसी जिन्सें हैं, उनकी ओर आप ध्यान दीजिए। आज मसालों की क्या हालत हो रही है। धनियां राजस्थान में कोटा, बूंदी झालावाड़ और मध्य प्रदेश में पैदा होता है। स्थिति यह है कि तीन महीने के बाद जुलाई के महीने में, अगस्त के महीने में धनिये का भाव 1200 रुपये प्रति क्विंटल हो जायेगा जबकि आज मार्केट के

[श्री चतुर्भुज]

अन्दर व्यापारी उसको 200 रुपए, 250 रुपए और 300 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीद रहा है। यह आपके मार्केट का हाल है। आप कहते हैं कि हम किसानों के हितैषी हैं। मेरा कहना यह है कि आप व्यापारियों के प्रोफिट को निश्चित कीजिए और किसानों की चीजों के लिए भंडार बनाइए। वहां पर वह अपना माल सप्लाई कर सके और उसके बदले में उसको सही पैसा मिल सके। लेकिन ऐसी व्यवस्था आप कायम करने में असमर्थ हैं। यहां पर हर साल किसानों के बारे में बोला जाता है, किसानों के हितों के बारे में बोला जाता है और हमारे कृषि मंत्री जी यहां बढ़-चढ़कर उनके बारे में बातें करते हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है। यह दुनिया जानती है कि आज बाहर से 223 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं मंगाते हैं। अमेरिका से आप इतना महंगा गेहूँ मंगाते हैं और वह भी सड़ा हुआ गेहूँ है, जिस के बारे में हमारे यहां के वैज्ञानिकों की रिपोर्ट आई है कि इसको खाने वाले को कैंसर हो जाएगा लेकिन हमारे यहां के किसान का गेहूँ कोई खरीदने को तैयार नहीं है। कितनी मेहनत से किसान गेहूँ को पैदा करता है और आज उसको उसके 130 रुपये भी नहीं मिल रहे हैं।

ज्वार के बारे में मेरा निवेदन है और मैंने बार-बार निवेदन किया है कि 16 साल पहले उसका भाव 108 रुपये प्रति क्विंटल था और आज भी 108 रुपए है, मक्का का भाव 11 साल पहले 114 रुपये प्रति क्विंटल था और आज भी लगभग उतना है और जौ का भाव जो 8 साल पहले था, वही अब भी है। तो यह सब क्या हो रहा है।

वाणिज्य तथा पूर्ति विभाग मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : इस समय तो विदेश व्यापार मंत्रालय की मांगों पर चर्चा चल रही है और आप कृषि के बारे में बोल रहे है।

श्री चतुर्भुज : मैं यही निवेदन कर रहा हूँ कि आप इनका निर्यात बढ़ाइए और गेहूँ का आयात करने की आपको जरूरत नहीं है। आप यहां किसान से ज्यादा भाव पर गेहूँ खरीदिए। इसी तरह से आप मसाले बाहर भेजिए और फोरेन करेंसी कमाइए। आज अफीम की क्या हालत है, इसको आप देखिए। बाहर इसका मूल्य कितना है और हमारे यहां हिन्दुस्तान में यह 125 रु० किलो बिक रही है। अफीम बाहर भेजकर काफी मुद्रा कमा सकते हैं। मैं ज्यादा विवाद में नहीं पड़ना चाहता लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि इन चीजों को कोई देखने वाला नहीं है। और किसानों के बारे में कोई चिन्तन करने वाला नहीं है। अगर आप उनके बारे में चिंतन करेंगे तो आपके हृदय में उनके प्रति दर्द पैदा होगा और आंखों में आंसू आ जाएंगे। मैं अन्त में मंत्री महोदय से यही निवेदन करूंगा कि आप पिछली रिपोर्टों को देखिए और किसानों के हित की बात कीजिए और उनके माल को बाहर भेजिए। इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय को बधाई देना चाहता हूं। वाणिज्य मंत्रालय ही है जिसे समूचे सदन का विश्वास प्राप्त है।

श्रीमन् जब भी कोई कठिन समस्या आती है और अपराधिक मामलों की बात होती है तो संसद सदस्य तुरंत केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की मांग करते हैं, और वाणिज्य के सम्बन्ध में जब भी कोई कठिन समस्या सामने आती है, तो हम राज्य व्यापार निगम को अधिग्रहण के लिए कहते हैं। जैसाकि आप जानते हैं, आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री का कांग्रेस संगठन तथा केन्द्र सरकार के साथ मतैक्य नहीं है। लेकिन आए दिन वह केन्द्र सरकार से आग्रह करते रहते हैं कि राज्य व्यापार निगम (एस०टी० सी०) को तम्बाकू की खरीद का काम अपने हाथ में ले लेना चाहिए इसका अर्थ यह हुआ कि उन्हें स्वयं अपने तथा अपने संगठन की अपेक्षा एस०टी०सी पर अधिक विश्वास है ।

यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि श्री राय ने भ्रामक वक्तव्य दिया है तथा कहा है कि यह मंत्रालय भ्रांति में डालने वाला है। मैं उनसे सहमत नहीं हूं क्योंकि इस मंत्रालय का काम-काज बहुत स्पष्ट है। इस मंत्रालय के सारे अधिकारी व कर्मचारी मंत्री के साथ एकजुट हैं तथा वे एकजुट होकर कार्य करते हैं। उन्होंने एस०टी०सी० में 64 करोड़ रुपये से अधिक का लाभ कमाया है तथा खनिज और धातु व्यापार निगम (एम० एम० टी० सी०) ने लगभग 6.5 करोड़ रुपये का लाभ कमाया है। यह राशियां कर की कटौती से पूर्व की हैं। जब इतना लाभ हो रहा है तब भी हम उनकी आलोचना किए जा रहे हैं। एस० टी० सी० को गत वर्ष तम्बाकू की खरीद पर तथा पशुओं की चर्बी, जिसे पहले आयात किया गया तथा बाद में वापस निर्यात करना पड़ा, पर कुछ हानि उठानी पड़ी। इन सभी बातों को समझा जाना चाहिए। जिन लोगों ने अच्छा काम किया है उन्हें संसद की ओर से शाबाश मिलनी चाहिए। मैं मंत्री महोदय की सराहना करता हूं जिन्होंने वास्तव में अच्छा काम किया है। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनका हमें निरन्तर निर्यात करना है, जैसे चीनी, शीरा, अफीम, पटसन का तैयार माल तथा ऐसी ही अन्य वस्तुएँ। इस वर्ष जब हम अरंडी के तेल का निर्यात करेंगे तो फिर फसल आ जाएगी और अगले वर्ष भी हम निर्यात कर सकेंगे क्योंकि यह नवीकरणीय है ।

खनिज तेल का हम बहुत कम निर्यात करते हैं। यह निर्वातनीय है। लेकिन यह आने वाले कई वर्षों तक चलेगा।

मैं अनुरोध करूंगा कि सब्जियां, फल, बकरे का मांस, अंडे तथा अन्य सभी वस्तुओं का हैदराबाद से तथा खाड़ी के देशों को अवश्य निर्यात किया जाना चाहिए। इस समय हैदराबाद से इनके निर्यात का प्रावधान नहीं है। निर्यात के लिए इसे हमें बम्बई भेजना पड़ता है। हमें बम्बई वालों को कुछ आढ़त देनी पड़ती है तथा रास्ते में काफी नुकसान होता है।

यह सीधे वाणिज्य मंत्रालय के अधीन है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूँगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि ये वस्तुएं कम से कम 10 दिनों में एक बार या महीने में दो बार हैदराबाद हवाई अड्डे से सीधे खाड़ी के देशों के लिए बुक की जाएं।

[श्री एम० राम गोपाल रेड्डी]

इस वर्ष चीनी से प्रति टन प्राप्ति गत वर्ष की तुलना में अधिक है। यह बहुत अच्छी बात है इस मंत्रालय ने विदेशों में खपत की मंडियां ढूंढने में काफी कार्य किया है। पिछले वर्ष निर्यात 200 करोड़ रुपए से ऊपर था। मैं चाहता हूं कि इस वर्ष निर्यात उससे अधिक हो। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे देश में उत्पादन न गिरे। उत्पादन दिनों-दिनों गिरता जा रहा है। चीनी का उत्पादन गिर रहा है। तम्बाकू का उत्पादन भी गिर रहा है। यदि मंत्री महोदय अन्य मंत्रालयों के सहयोग से अधिक तिलहनों का उत्पादन करने में सफल हो जाते हैं तो हमारा देश न केवल आत्म-निर्भर हो जायेगा बल्कि हम निर्यात करने की स्थिति में हो जाएंगे। व्यापार अधिशेष हो जाएगा। उस सीमा तक वह उत्तरदायी नहीं है। उन्हें अन्य मंत्रालयों पर निर्भर करना पड़ता है।

हमने सिंचाई की क्षमता काफी बढ़ाई है। प्रत्येक किसान के लिए यह अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए कि वह अधिक तिलहन उगाए। केवल तभी यह देश समृद्ध हो सकता है।

मंत्री को बहुत से बीमार बच्चों की चिकित्सा करनी पड़ती है। यदि परिवार में एक बच्चा बीमार हो तो सारा परिवार चिंतित होता है। मैं नहीं जानता कि उसके पास कितने बीमार बच्चे हैं तथा वह इनका कैसे उपचार कर रहे हैं। वह एक नौजवान व्यक्ति हैं उनके अपने ज्यादा बच्चे नहीं हैं, लेकिन इस हिसाब से इस मंत्रालय में उनके कई बीमार बच्चे हैं।

पशु-चर्बी का पुनः निर्यात किया जाता है। लोगों ने कुछ रुपया बनाया है। यह सीधे उनके अधीन नहीं है। लेकिन मुझे इस बारे में बहुत चिन्ता है। लोगों ने तेल तथा चर्बी का गैर-कानूनी ढंग से आयात किया है। उन्होंने इसमें 400 करोड़ रुपए बनाए हैं। यह काला धन है। इसका पता लगाया जाना चाहिए। उस पर कर लगाया जाना चाहिए और इस सम्बन्ध में कोई दया नहीं दिखायी जानी चाहिए। लाइसेंस के निलम्बन से यह समस्या हल नहीं होगी। यदि एक व्यक्ति का लाइसेंस निलंबित कर दिया जाता है तो वह किसी और के द्वारा भेजेगा। यह कारोबार का दाव-पेच है। जब तक उन्हें जुर्माने से दंडित नहीं किया जायेगा, इसका कोई अन्त नहीं होगा। उन्होंने जो काला धन कमाया है, उसे अवश्य वसूल किया जाना चाहिए तथा यह सरकारी खजाने में आना चाहिए। मैं शुरू से ही यह बात कहता आ रहा हूं। इस सम्बन्ध में मैंने वित्त मंत्री तथा वाणिज्य मंत्री को कई पत्र लिखे हैं। लेकिन कुछ भी नहीं किया गया है। यही कारण है कि मुझे इसे दोहराना पड़ता है। मैंने इस विषय पर एक पत्र लिखा है तथा उसकी एक प्रति प्रधानमंत्री को भेजी है। यह एक बहुत गंभीर मामला है। मुझे इसमें बहुत बुरा महसूस होता है, क्योंकि जिन लोगों ने पैसा कमाया है, उन्होंने सरकार को कोई कर नहीं दिया है।

प्रतिबन्ध लगाने से पूर्व उन्हें इस बात का पता अवश्य लगाना चाहिए कि उनकी परि-सम्पत्तियां कितनी हैं, उनके पास धन कितना है, बैंक में उनका कितना धन जमा है तथा उन्होंने

सुरक्षित स्थानों पर कितना धन रखा हुआ है। इन सभी बातों का पता लगाना चाहिए। उन पर और अधिक छापे पड़ने चाहिएं। इस मंत्रालय को चाहिए कि यह वित्त मंत्रालय को उचित कदम उठाने की सलाह दे ताकि और राजस्व प्राप्त हो तथा लोग इन अनुचित तरीकों से दूर रहें।

श्री मगनभाई बरोट (अहमदाबाद) : सभापति महोदय, अपने आपको वाणिज्य मंत्रालय की अनुदान मांगों तक सीमित रखते हुए, मैं मंत्री महोदय का ध्यान उन्हीं बातों की ओर दिलाना चाहता हूँ जो मैंने सामान्य बजट पर वाद-विवाद के समय कही थीं, विशेषकर वे जो कपड़ा उद्योग से सम्बन्धित थीं। वास्तव में बजट की घोषणा से पूर्व ही सरकार ने कपड़ा उद्योगपतियों को काफी रियायतें दे दी थीं, जिनमें कपास के निर्यात पर प्रतिबन्ध, 100 प्रतिशत निर्यात के लिए सीमा-शुल्क तथा उत्पादन-शुल्क में छूट शामिल हैं। जब रेल बजट पेश किया गया तो कपड़े की वस्तुओं पर भाड़े की दर से कमी के रूप में कुछ रियायतें दी गईं और अन्त में सामान्य बजट आया जिसमें कपड़ा उद्योग को एक साथ कई रियायतें दी गईं।

मैं माननीय वाणिज्य मंत्री से आदरपूर्वक पूछता हूँ कि जहां सरकार कपड़ा उद्योगपतियों को इतना कुछ देती है, वहां आप राष्ट्र तथा सदन को बताएँगे कि उद्योगपति तथा उद्योग जनता को इसके बदले में क्या देते हैं ? कपड़ा सस्ता नहीं हैं। सरकार द्वारा उद्योगपतियों को दी गईं सभी रियायतों का उपयोग उन्होंने अपने निजी लाभ के लिए किया है। आप यह सभी रियायतें ऐसे अवसर पर दे रहे हैं जब अहमदाबाद जैसे शहर में एक के बाद एक कपड़ा मिल को बन्द किया जा रहा है। हम बार-बार अनुरोध करते हैं। उद्योग को कई लाभ पहुँचाए गए हैं। लेकिन उसके बदले में कुछ देने की बजाए, कपड़ा सस्ता करने की बजाए, मिलों में काम चलाने, बन्द पड़ी मिलों को दोबारा खोलने तथा बादली के कामगारों की दूसरी तथा तीसरी पाली की सामान्य स्थितियां बहाल करने की बजाए, मुझे सदन में विवशतापूर्ण कहना पड़ रहा है कि कपड़ा उद्योग को सभी रियायतें देने के बाद भी अधिकाधिक मिलें बन्द होती जा रही हैं।

उस दिन राजधानी में वाणिज्य एवं उद्योग मंडलों के परिसंघ का समारोह हुआ। माननीय वित्त मंत्री ने इसकी अध्यक्षता की। इन उद्योगपतियों के समूह ने सरकार के सामने क्या मांग रखी थी ? उन्होंने मांग की थी कि तीन वर्षों के लिए हड़तालों पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए। यह उद्योगपतियों की मांग थी। यह शुभ कार्य उनकी ओर से शुरू होना चाहिए था। उन्हें बताया जाना चाहिये था कि, "आप जो हड़तालों पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग कर रहे हैं, स्वयं ताला-बंदियां रोकने के लिये तैयार नही हैं।" मैं यह इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं ऐसे शहर से सम्बन्ध रखता हूं जिसे सारे देश में 'भारत का मानचेस्टर' नाम से जाना जाता है, अर्थात अहमदाबाद, जिसका प्रतिनिधित्व करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त है। मैं माननीय वाणिज्य मंत्री से मिल चुका हूँ। मैंने उनका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया है कि उनका नाजायज लाभ उठाया जा रहा है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। सरकार की रियायतों का, सरकार की दान-

[**श्री मगन भाई बरोट**]

शीलता का तथा सरकार की सज्जनता का पूंजीपति वर्ग द्वारा नाजायज लाभ उठाया जा रहा है। समय आ गया है और मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस बारे में अपनी एक राय बनाये कि उनका कपड़ा उद्योग के प्रति क्या रवैया है। आप जितना चाहें दे सकते हैं। लेकिन **गीता** ठीक सिद्ध होगी। गीता का एक श्लोक है जिसका उद्धरण देने की मैं धृष्टता कर रहा हूँ :

न जातु लोभः लोभानां

उपभोगेन न शाम्यते

हविषा कृष्णवर्त्मेव

भूमएवार्यपि जायते।

लालच के आगे आप चाहे जो कुछ भी अर्पण करें, उसकी संतुष्टि नहीं होगी। आप उन्हें जितना अधिक देंगे, उनका लालच उतना ही अधिक बढ़ेगा, उनकी भूख और बढ़ेगी और वे आपसे और अधिक मांग करेंगे। आप अपने अधिकारों के भीतर सभी कुछ देते हैं। वे श्रमिक वर्ग, मिलों के बन्द होने तथा कपड़ा संकट आदि के नाम पर सभी कुछ मांगते हैं। और मैं यह स्वीकार करता हूं कि आपने जितना सरकार दे सकती है, वह अधिकतम दिया है। लेकिन बदले में आपको कुछ नहीं मिला।

मेरा शहर संकट के दौर से गुजर रहा है। यह मैं नहीं बोल रहा हूं। मैं एक पत्रिका से उद्धरण देना चाहूंगा। मैं 24 मार्च, 1984 के ब्लिट्ज से उद्धरण दे रहा हूं। यह अहमदाबाद का समाचार है। शीर्षक है : "एक लाख व्यक्ति बेरोजगार। गुजरात की कपड़ा मिलें मन्दी की शिकार।" मैं केवल दो पैरे पढ़ूंगा। इसमें कहा गया है :

> "गुजरात में 16 कपड़ा मिलें तथा उनकी सैकड़ों सहायक इकाईयों के बन्द हो जाने के कारण लगभग एक लाख स्थायी तथा नैमित्तक मजदूर बेरोजगार हो गये हैं, जिसके परिणामस्वरूप राज्य के कपड़ा उद्योग में अभूतपूर्व संकट पैदा हो गया है।"

इसके बाद मैं माननीय मंत्री की जानकारी के लिये अन्तिम पैरा पढ़ूंगा। इसमें कहा गया है :

> "इसी बीच समाचार मिला है कि जिन नैमित्तिक कामगारों का रोजगार छिन गया था, उनमें 20 से अधिक ने राज्य के विभिन्न भागों में आत्म हत्याएं कर ली हैं। उच्च कुशल कामगार जो कम से कम 22 रुपये प्रतिदिन कमाते थे। अब जीवित रहने के लिये कुली या संदेशवाहक के रूप में कार्य करते बताये गये हैं। अन्य बहुतों ने अपराधिक धंधे अपना लिये हैं तथा राहजनी जैसे अपराध कर रहे हैं।"

यह है गुजरात की कहानी। यह उस राज्य की कहानी है जिसका औद्योगिक शांति का अपना रिकार्ड है। आज आपके कारण गुजरात अपराधिक गतिविधियों तथा राहजनी की ओर जा रहा है और ये कार्य वे लोग कर रहे हैं जो सम्मान के साथ बड़ी मेहनत करके अपनी आजीविका कमाना चाहते थे। दोष सरकार का है।

बम्बई में कांग्रेस (ई) के अधिवेशन की पूर्व-संध्या पर आपने बम्बई की 13 कपड़ा मिलों का अधिग्रहण करने का निर्णय किया था और इसका जो औचित्य आपने बताया था, वह था सामाजिक न्याय।

यदि बम्बई के कामगार भूखे हैं तो क्या अहमदाबाद के कामगार मनुष्य नहीं हैं ? क्या वे इस सरकार से उसी समान व्यवहार के अधिकारी नहीं हैं जो कि बम्बई के कामगारों के साथ किया गया है ? यदि आपने बम्बई की 13 कपड़ा मिलों का प्रबन्ध अपने हाथ में लिया है तो, अहमदाबाद की मिलों के कामगारों ने क्या अपराध किए हैं ? यदि मैं मन्त्री महोदय को बताऊं तो बात यह कि कम से कम पिछले आम चुनाव में तो बम्बई मिल मजदूरों ने कांग्रेस (इ) को मत नहीं दिया था परन्तु मैं उनमें से एक हूं जो कांग्रेस (इ) के टिकट पर जीते थे क्योंकि लोगों ने आपके इस चुनाव घोषणा पत्र पर विश्वास किया था कि प्रत्येक परिवार में एक को नौकरी अवश्य दी जायेगी। उसके बजाय आपने उल्टे गुजरात के हजारों परिवारों की नौकरियां छीन ली हैं।

मैं मन्त्री महोदय से व्यक्तिगत अपील करता हूं कि गुजरात का श्रमिक वर्ग तो वापिस गांवों में जा सकता है, परन्तु उत्तर प्रदेश के 5 लाख मजदूर ऐसे भी हैं जिनके आप कल तक तो संरक्षक थे और अहमदाबाद में न ही तो उनका घर है न ही कोई मकान है। ये ही वो लोग हैं जो कि आपराधिक गतिविधियों और राहजनी में लिप्त हो रहे हैं। आप उनके बारे में क्या करने जा रहे हैं ?

अहमदाबाद नगर का एक रिकार्ड है कि केवल एक उस अपवाद को छोड़कर जबकि महात्मा गांधी ने अंग्रेजो के विरुद्ध भारत छोड़ो आन्दोलन का नारा दिया था कि अहमदाबाद की मिलें तीन मास तक बन्द रहीं, इसके इतिहास में कभी भी हड़ताल नहीं हुई थी। तथापि, यदि अहमदाबाद के इतिहास में मिलें बन्द भी हुई थीं तो यह आपके कारण है कि आपने गुजरात में औद्योगिक शान्ति के चरित्र को पूर्णतया बदल कर रख दिया है।

मानवता के नाम पर, श्रम के नाम पर, श्रमिक के नाम पर और उन लोगों के नाम पर जिन्होंने मुझे मत दिया है और जिनके लिए मैंने आपको छोड़ा, कम से कम बम्बई और अहमदाबाद के श्रमिकों के बीच भेदभाव तो न बरतो। एक ओर तो आपने बम्बई की 13 मिलों का अधिग्रहण कर लिया और दूसरी ओर जबकि अहमदाबाद की मिलें दिन प्रतिदिन बन्द होती जा रही हैं तो आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मन्त्री महोदय को यह बताते हुए मुझे दुःख है और वह यह जानते हैं। मैंने उन्हें 2 मार्च को पत्र लिखा था। मैं उनसे केवल इतना

[श्री मगन भाई बरोट]

निवेदन कर रहा हूं कि वह मुझे यह बताएं कि अहमदाबाद में, गुजरात में घट रही इन दुःखदायी घटनाओं को रोकने के लिए वह कौन से ठोस कदम उठा रहे हैं। कृपया उस राज्य की औद्योगिक शान्ति को भंग मत कीजिए जिसका कि औद्योगिक शान्ति के मामले में अपना स्वयं का एक रिकार्ड रहा है। यदि मैं मजदूर के हित में प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा होता तो मैं भेदभाव के आधार पर इस मामले को न्यायालय में ले जाता। परन्तु श्रमिक का हमदर्द होने के नाते, मैंने आपके द्वारा बम्बई की मिलों के अधिग्रहण को चुनौती नहीं दी थी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि किस औचित्य के अधीन आप यह कह रहे हैं कि बम्बई की 13 कपड़ा मिलों का तो अधिग्रहण किया जा सकता है जबकि अहमदाबाद की मिलें बेशक दिन प्रतिदिन बन्द होती रहें। आप ये छूट क्यों दे रहे हैं ? और किसको दे रहे हैं ? आप देख रहे हैं कि एक ओर तो कपास के निर्यात पर रोक लगी है और दूसरी ओर किसान लोग चिल्ला रहे हैं। लाभ तो मिलों को ही मिल रहा है, उपभोक्ता, श्रमिकों को तो नहीं। और इसलिए मैं अपने आरोप को दोहराता हूं कि आपका निकट का सम्बन्ध उद्योगपतियों से भी है, अकेले उद्योग से ही नहीं है।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : हे भगवान् !

श्री मगनभाई बरोट : आप अपनी पार्टी के लिए उद्योगपतियों से कुछ न कुछ बटोर रहे हैं और इसीलिए आप उद्योग पर उंगली नहीं रख रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि आप एक भी ऐसा लाभ गिना दें जो कि श्रमिकों या उपभोक्ताओं को मिला है। आप किसके लाभ हेतु यह सब कर रहे हैं ? यदि आपके पास कोई भी स्पष्टीकरण है तो मैं कहता हूं कि श्रमिकों के प्रति वफादार रहिए।

3.31 **म०प०**

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

(74वाँ प्रतिवेदन)

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :

"कि यह सभा 11 अप्रैल, 1984 को सभा में प्रस्तुत किये गये गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 74वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 11 अप्रैल, 1984 को सभा में प्रस्तुत किये गये गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 74वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

बेरोजगारी के बारे में संकल्प—जारी

सभापति महोदय : इससे पहले कि हम श्री टी० एस० नेगी द्वारा बेरोजगारी के बारे में लाए गए संकल्प पर और आगे चर्चा करें मैं यह बता देना चाहूंगा कि इस संकल्प पर चर्चा के लिए आरम्भ में निश्चित किए गये 2 घण्टे के समय के मुकाबले 6 घण्टे 8 मिनट पहले ही समाप्त हो चुके हैं। पिछली बार, 30 मार्च, 1984 को अध्यक्ष पीठ ने यह घोषणा की थी कि मन्त्री महोदय अपनी बैठक में चर्चा में भाग लें और तभी प्रस्तुतकर्त्ता उत्तर भी देंगे। मेरे विचार से इसके लिये आधा घण्टा पर्याप्त रहेगा। क्या सभा की राय है कि समय आधा घन्टे और बढ़ा दिया जाए ?

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

सभापति महोदय : अब मन्त्री महोदय बोल सकते हैं।

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री टी० एस० नेगी द्वारा प्रस्तुत किये गये संकल्प पर इस सभा में लम्बी चर्चा हो चुकी है। इस और उस ओर के बहुत से सदस्यों को चर्चाओं में भाग लेने का अवसर मिला।

इस संकल्प को प्रस्तुत करने के पीछे माननीय सदस्य का उद्देश्य देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी की ओर सरकार का ध्यान दिलाना था। देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी पर वाद-विवाद में भाग लेने वाले अनेक सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई चिन्ता से मैं सहमत हूं। परन्तु मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हू कि सरकार बेरोजगारी की समस्या से पूर्णतया अवगत है और छठी पंचवर्षीय योजना का एक मुख्य उद्देश्य बेरोजगारी तथा गरीबी में निरन्तर कमी का है। छठी पंच वर्षीय योजना के दस्तावेज के अध्याय III में 'श्रमशक्ति और रोजगार" पर विचार किया गया है। मैं इस अध्याय के केवल संगत भाग को पढ़कर सुनाऊंगा और इस सम्मानित सभा का अधिक समय लेना पसन्द नहीं करूंगा।

> "छठी पंच वर्षीय योजना का एक मुख्य लक्ष्य है देश में बेरोजगारी में निरन्तर कमी। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में उपयुक्त नीतियां और कार्यक्रम बनाने हेतु तथा इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु समस्या के पहलुओं के स्वरूप और आयाम की वास्तविक प्रतीति अनिवार्य है नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर, छठी पंचवर्षीय योजना के आधार और अन्तिम वर्षों के लिए श्रमिक बल प्रक्षेपक्ष प्राप्त करने हेतु और रोजगार तथा बेरोजगारी की समस्या के पहलुओं का विस्तार से परीक्षण करने के लिए, इस अध्याय में एक प्रयास किया गया है।" ··· "तत्पश्चात् उपयुक्त नीति उपाय प्रस्तावित किये जाते हैं। योजना के आवंटनों के परिणामस्वरूप रोजगार के प्राक्कलन सम्भवतया तैयार किए जाते हैं तथा नीतियाँ और कार्यक्रम भी प्रस्तुत किये जाते हैं। वर्तमान रोजगार बाजार के विश्लेषण और उपयुक्त नीतियों को तैयार करने दोनों ही

[श्री वीरेन्द्र पाटिल]

क्षेत्रों में महिलाओं और शिक्षित श्रमशक्ति के लिये विशेष ध्यान दिया गया है। स्व रोजगार के नवीन चलन का अनुभाग उन विभिन्न उपायों का उल्लेख करता है जो सरकार उन लोगों के सहायतार्थ उठाना चाहती है जो स्वयं रोजगार का जोखिम उठाने के इच्छुक हैं।"

योजना दस्तावेज के अनुसार यह प्रक्षिप्त किया गया है कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान, योजना अवधि में श्रम शक्ति में 2.43% से 2.55% की वार्षिक दर से वृद्धि होगी। इससे पूर्व यह अनुमान लगाया गया था कि योजना अवधि के दौरान बेरोजगारों की कुल संख्या 342.90 लाख बढ़ जायेगी।

3.36 म०प०

[डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी पीठासीन हुईं]

परन्तु मध्यावधि समीक्षा में संशोधित करके यह 324.40 लाख कर दी गई। दस्तावेज में कहा गया है—'यद्यपि मानक व्यक्ति वर्षों में रोजगार में लगभग 340 लाख की वृद्धि हुई है, परन्तु लाभान्वित होने वाले व्यक्वियों की संख्या और अधिक होने की आशा है, चूंकि हो सकता है श्रम शक्ति का प्रत्येक सदस्य को इस समस्त अवधि के दौरान पूर्ण रोजगार प्राप्त न हो।' केवल माननीय सदस्यों को यह जताने के लिये कि सरकार इस समस्या के प्रति गम्भीर है तथा दस्तावेज में भी योजना अवधि के दौरान बेरोजगारी की इस समस्या से प्रभावपूर्ण ढंग से निपटने के लिए तो मैं छठी पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज से उस भाग को पढ़कर सुनता हूं जो रोजगार एवं श्रम शक्ति संसाधनों से सम्बद्ध है।

अब मैं संक्षेप में इस सम्मानित सदन को यह बताना चाहूंगा कि छठी पंचवर्षीय योजना यह लक्ष्य प्राप्त करना चाहती है।

श्री रामलाल राही (मिसरिख) : बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है और मन्त्री महोदय कहते हैं कि कारगर कदम उठाये गये हैं। यह बात समझ में नहीं आती।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : माननीय सदस्य की समझ में यह बात उस समय आयेगी जब वह मेरा पूरा भाषण और विचार सुन लेगे मैंने तो अभी शुरूआत की है।

मैंने तो अभी शुरूआत ही की है। जब मैं सभी मुद्दों पर बोल लूं तो तभी माननीय सदस्य के लिए यह पता लगाना सम्भव हो सकेगा कि आया क्या मेरा स्पष्टीकरण या मेरा उत्तर संतोष-जनक है या नहीं।

मैं कह रहा था कि छठी योजना में अर्थव्यवस्था में 5.211 की दर से योजना अवधि में कुल वृद्धि द्वारा लक्ष्य प्राप्ति की जानी है। बेरोजगारी और गरीबी की समस्या से निपटने के लिए, इस योजना में अनेक कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं। दस्तावेज में भी सम्मिलित किए गए कार्यक्रमों के बारे में माननीय सदस्य भली-भाँति परिचित हैं। उदाहरण स्वरूप मैं कुछ ऐसे कार्यक्रमों को उद्धृत कर सकता हूं जो कि बेरोजगारी की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए चालू किए गए हैं और योजना दस्वावेज में सम्मिलित किए गए हैं।

एन. आर. ई. पी., आई. आर. डी. पी., बहुत बड़े सिंचाई के कार्यक्रम, खादी और ग्रामोद्योग, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, ट्राईसम, वन रोपण आदि। माननीय सदस्य जानते हैं कि पिछले वर्ष 15 अगस्त को माननीय प्रधान मंत्री जी ने दो नए कार्यक्रमों की घोषणा की थी। एक कार्यक्रम है—ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम और दूसरा कार्यक्रम है बेकार शिक्षित युवकों के लिए स्वत: रोजगार प्रदान करने की योजना।

जहां तक एन. आर. ई. पी. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का सम्बन्ध है, मैं इसका विस्तृत विवरण नहीं देना चाहता क्योंकि एन. आर. ई. पी., आई. आर. डी, पी., ट्राईसम तथा कई अन्य कार्यक्रम जो प्लान दस्तावेज में निहित हैं, के बारे में इस सभा में कई बार विचार विमर्श हो चुका है। अत: मैं उन कार्यक्रमों का विस्तृत विवरण नहीं देना चाहता। परन्तु मैं एन. आर. ई. पी. तथा अन्य कार्यक्रमों के अधीन प्राप्त उपलब्धियों के बारे में कुछ आंकड़े देना चाहूंगा।

जहां तक एन. आर. ई. पी. का संबन्ध है, बहुत कुछ कार्य जो इस कार्यक्रम के अधीन किया जा सकता है, उसमें सामाजिक वनविद्या, लघु सिंचाई के कार्य, भूमि संरक्षण, भूमि कृष्य-करण आदि शामिल हैं। मेरे पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इस कार्यक्रम ने वर्ष 1980-81 के दौरान रोजगार के 41·4 करोड़ जन-दिवस और वर्ष 1982-83 के दौरान 35 करोड़ जन-दिवस प्रदान किये।

जहां तक ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम का सम्बन्ध है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि भूमिहीन परिवार के कम से कम एक सदस्य को एक वर्ष में 150 दिन के लिए रोजगार सुनिश्चित किया जाए। यह कार्यक्रम निम्नलिखित प्रकार से है :—

1. ग्रामीण संपर्क मार्गों का निर्माण
2. खेतों की नालियों का निर्माण एवं नवीकरण।
3. भूमि विकास और व्यर्थ भूमि का कृष्यकरण।
4. सामाजिक वनविद्या।
5. भूमि और जल संरक्षण।

इस कार्यक्रम के लिए वर्ष 1983-84 के दौरान 100 करोड़ रुपये और वर्ष 1984-85 के दौरान 400 करोड़ नियत किए गए थे। यह कार्यक्रम वर्ष 1983-84 में 6 करोड़ और वर्ष 1984-85 के दौरान 30 करोड़ अतिरिक्त रोजगार के जन-दिवस प्रदान करेगा।

महोदया, इस प्रकार से यह देखा जा सकता है कि वनरोपण और भूमिसंरक्षण आदि से सम्बन्धित कई कार्यक्रम पहले ही से कार्यान्वित हो रहे हैं। माननीय सदस्य ने अपने प्रस्ताव में

[श्री वीरेन्द्र पाटिल]

यह सुझाव दिया है कि निम्नलिखित कार्यों को करने के लिए एक भूमि सेना तैयार की जाए :—

1. हिमालय क्षेत्र सहित सारे देश में वन रोपण कार्यक्रम;

2. व्यापक स्तर पर भूमि संरक्षण कार्यक्रम;

3. प्रमुख नदियों के तलों को गहरा करना;

4. देश की प्रमुख नदियों को आपस में जोड़ना ।

उपर्युक्त के अलावा उन्होंने अपने प्रस्ताव द्वारा यह भी सुझाव दिया है कि सभी बेरोजगार व्यक्तियों को 100 रुपये प्रति माह बेरोजगार भत्ते की अदायगी की जाए ।

जहां तक वन रोपण कार्यक्रम, व्यापक स्तर पर भूमि संरक्षण तथा अन्य कार्यक्रमों का सम्बन्ध है मैंने अभी-अभी यह पहले ही स्पष्ट किया है कि 20 सूत्री कार्यक्रम और विभिन्न कार्यक्रम, जिनका मैंने पहले ही उल्लेख किया है, जैसे कि एन. आर. ई. पी. और आई. आर. डी. पी. और इनके अतिरिक्त प्रधान मंत्री द्वारा हाल ही में घोषित कार्यक्रम किस तरह से आरम्भ किए गए हैं और इनके लिए पर्याप्त निधि उपलब्ध की गई है तथा इन्हें किस प्रकार से कार्यान्वित किया जा रहा है । मैं अब उनके दूसरे सुझाव को लूंगा । महोदया, माननीय सदस्य का दूसरा सुझाव है कि बेरोजगारी की समस्याओं से निपटने के लिए एक भूमि सेना बनाई जाए ।

श्री राम लाल राही : नदियों को गहरा करने का प्रोग्राम उसमें नहीं है । तो क्या मंत्री महोदय सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं ? उन्होंने कहा कि बीस सूत्री प्रोग्राम जो प्रधान मंत्री का है, ये सब प्रश्न जो उठाये हैं वह उसमें आ जाते हैं और उसमें नदियों को गहरा करने का भी है । मेरी समझ में तो यह उसमें नही है ।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : नदियों के बारे में, रिजर्वायर्स के बारे में बोल रहा हूँ । आप सुनिए तो मालूम पड़ेगा ।

श्री राम लाल राही : बीस सूत्री प्रोग्राम का आपने जिक्र किया, उसमें नहीं है ।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : महोदया, उन्होंने अपने प्रस्ताव में कहा है कि एक भूमि सेना तैयार की जाए । भूमि सेना के रोजगार के सम्बन्ध में मैं माननीय सभा को कुछ सूचना देना चाहूंगा ।

वर्ष 1979 में भारत सरकार ने योजना आयोग में राष्ट्रीय पुनःनिर्माण सेना के सम्बन्ध में एक कार्य-दल की स्थापना की थी । उस कार्य-दल ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1980 में प्रस्तुत की । उस कार्य दल ने यह महसूस किया कि राष्ट्रीय पुनःनिर्माण सेना एक उपयुक्त एजेन्सी सिद्ध नहीं होगी क्योंकि मानसून जैसे कारणों की वजह से निर्माण कार्यों में व्यवधान पड़ता रहता

है। इसलिए यह उचित नहीं होगा कि तैनात सेना ऐसे कार्य करे। कार्य दल को यह शंका थी कि पूर्णत: बेरोजगार और कम-रोजगार वाले व्यक्ति काफी मात्रा में ऐसी सेना की ओर आकृष्ट होंगे भी कि नहीं और लोगों द्वारा अपना ग्रामीण क्षेत्र छोड़ना, अपने गांव से बाहर काम करने की स्थिति में अधिक मजूरी की मांग करना, अनुशासन बनाये रखने जैसी समस्याएं भी पैदा हो जाएंगी। अत: कार्य दल ने सुझाव दिया कि केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित तथा संचालित विशाल राष्ट्रीय पुन:निर्माण सेना की बजाए यह अच्छा होगा कि विभिन्न प्रकार के कार्य उपयुक्त एजेन्सियों द्वारा किए जाएं।

अत: महोदया माननीय सदस्य द्वारा दिए गए सुझाव पर कार्यदल द्वारा वर्ष 1979 में विचार किया गया था और वह दल इस नतीजे पर पहुँचा था कि एक राष्ट्रीय पुन:निर्माण सेना अथवा भूमि सेना का बनाया जाना व्यावहारिक प्रस्ताव नहीं है और मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूँगा कि जहाँ तक उन कार्यक्रमों का सम्बन्ध है, जिनका उन्होंने अपने प्रस्ताव में उल्लेख किया है, उन कार्यक्रमों को करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की भूमि सेना का बनाना आवश्यक नहीं है। चाहे वह एन. आर. ई. पी., आई. आर. डी. पी., ग्रामीण भूमिहीन गारन्टी योजना आदि क्यों न हो, ऐसी सभी योजनाओं को राज्य सरकारों द्वारा ही निष्पादित किया जाएगा। केन्द्र सरकार, योजना की अन्तिम रूप रेखा, मार्गदर्शन तथा संसाधन तो उपलब्ध करा सकती है परन्तु इन योजनाओं का निष्पादन करने के लिए उपयुक्त एजेन्सी राज्य सरकार ही है। जब इन योजनाओं के निष्पादन के लिए राज्य सरकार ही उपयुक्त प्राधिकरण है तो मैं नहीं सोचता कि राष्ट्रीय स्तर पर कोई भूमि सेना होनी चाहिए। यदि कोई राज्य सरकार प्रदेश स्तर पर भूमि सेना बनाना चाहती है—जैसा कि मध्य प्रदेश, कर्नाटक आदि ने बनाई हैं—तो हम बाधा नहीं डालेंगे। बल्कि इसे हम प्रोत्साहन देंगे।

इसलिए महोदय यदि भूमि सेना की स्थापना करनी है तो यह राज्य सरकार को देखना होगा कि गोया भूमि सेना की स्थापना एक व्यवहारिक प्रस्ताव है अथवा नहीं। और यदि वे इन कार्यक्रमों के निष्पादन के लिए इसकी आवश्यकता समझते हैं तो उन्हें इसकी स्थापना करने के लिए स्वतन्त्रता है किन्तु राष्ट्रीय स्तर पर एक भूमि सेना का होना कोई व्यवहारिक प्रस्ताव नहीं है और सरकार द्वारा स्थापित कार्य दल भी इसी नतीजे पर पहुँचा था।

माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि मुख्य नदियों को आपस में जोड़ दिया जाए, जलाशयों के विकास का कार्य शुरू किया जाए। मैं उन्हें कुछ मोटे आंकड़े दे सकता हूँ। मुख्य नदियों के पास जलाशयों के निर्माण तथा नदियों को आपस में जोड़ने के लिए वर्ष 1980-81 की कीमतों के आधार पर लगभग 50,000 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। प्रायद्वीप नदी विकास के लिए सर्वेक्षण एवं जांच करने हेतु जुलाई 1980 में राष्ट्रीय जल विकास ऐजेन्सी के नाम से एक अलग संस्था का गठन किया गया है। माननीय सदस्य का सुझाव है कि इन सभी प्रमुख नदियों के पानी को काम में लाया जाए। प्रमुख नदियों के पानी को काम में लाने से पहले हमें जलाशयों को बनाने के बारे में विचार करना होगा और यदि कोई जलाशय बनाने के बारे

[श्री एरेन्द्र पाटिल]

से विचार करता है—चाहे वह राज्य सरकार हो अथवा केन्द्र सरकार—सबसे पहले इन सभी नदियों का सर्वेक्षण करना होगा, भूमि अनुमान तथा रूप रेखा तैयार करनी होगी और तभी निष्पादन कार्य किया जा सकता है।

यही कारण है कि जुलाई, 1982 में राष्ट्रीय नदी जल विकास एजेन्सी का गठन किया गया था। सर्वेक्षण के बाद अनुमान के अनुसार, यह देखा गया कि इस पर 107 करोड़ रुपये खर्च होंगे और यह सम्भवतः 10 वर्ष में पूर्ण होगा। यह आशा है कि अनुमान तैयार करने के लिए इन सभी प्रमुख नदियों का सर्वेक्षण पूर्ण करने के लिए और यह पता लगाने के लिए कि क्या कोई ऐसी व्यवहारिक परियोजनाएं हैं जिन्हें रूप रेखा तैयार करने के लिए आरम्भ किया जा सकता है, लगभग 10 से 15 वर्ष के समय की आवश्यकता है और जांच कार्य के लिए हमने अनुमान लगाया है कि 107 करोड़ रुपये की आवश्यकता पड़ेगी। हिमालय के नदी वाले भाग के अध्ययन एवं जांच कार्य बाद में किए जाएंगे। यदि जांच और अध्ययन पूरा किया जाता है और सुकुरता रिपार्ट उपलब्ध हो जाती हैं तो उन पर विभिन्न राज्य सरकारों को विचार करना होगा क्योंकि विभिन्न राज्य सरकारों से विचार विमर्श करना जरूरी है। हमें यह भी देखना होगा कि राज्य सरकार अपने आप कार्य कर सकती है अथवा नहीं और परियोजना को शुरू करने के लिए किसी राज्य सरकार को केन्द्र सरकार की सहायता की आवश्यकता है कि नहीं। तो यह सब केन्द्र को राज्य सरकारों की सलाह से ही करना होगा। अन्त में उन पर विचार प्रधान मंत्री की अध्यक्षता के अधीन राष्ट्रीय स्रोत परिषद द्वारा किया जाता है। वास्तविक निष्पादन का प्रश्न केवल 10 से 15 वर्ष के बाद अर्थात् 2000 ई० के आस-पास होगा।

माननीय सदस्य महोदय ने कुछ सुझाव रखे हैं। उन सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए अनेक कार्यविधियों की मैंने रूपरेखा बनाई है। जैसा कि मैंने कहा है इसमें अभी 10 से 15 वर्ष तक और लगेंगे। माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि बेरोजगारी की समस्या को तत्काल हल करने के लिए नदियों को मिलाने और जल स्रोतों के विकास का कार्य शुरू किया जा सकता है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि यह शीघ्र ही शुरू नहीं किया जा सकता। इस कार्यविधि में काफी समय लगता है। भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्तिम निर्णय लिए जाने से पूर्व, ये सभी औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं।

माननीय सदस्य ने दूसरा सुझाव दिया है वह नदियों के गहरा करने के बारे में है।

बाढ़ लाने वाली प्रमुख नदियाँ गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा बड़ी सहायक नदियां और उड़ीसा की कुछ नदियाँ हैं। ये नदियां भारी मात्रा से गाद लाती हैं और ये गाद नदियों तल में जमा हो जाती हैं।

मैं माननीय सदस्य तथा सभा की जानकारी के लिए बता सकता हूं कि गंगा, फरक्का के एक स्थान पर, प्रति वर्ष लगभग 45 करोड़ घन मीटर गाद लाती है। हमें यह 45 करोड़

घन फुट गाद निकालनी है। हमें इसे निकालना है और ढेर लगाना है। इसका ढेर आप कहां लगा सकते हैं ? आप इसका ढेर नदी के दोनों ओर किनारों पर लगा सकते हैं। आप इसे दूर ले जाकर किसी और स्थान पर उसका ढेर नहीं लगा सकते। यह बहुत महंगा कार्य है। ढेर लगाने और निकाली गई गाद का निपटान करने के लिए नदी के दोनों किनारों पर 15000 हैक्टेयर क्षेत्र की आवश्यकता है।

माननीय सदस्य मेरी बात से सहमत होंगे कि गंगा नदी के दोनों ओर के किनारों की भूमि उपजाऊ है। मैं गंगा नदी की समस्या के बारे में बात कर रहा हूं। नदी के दोनों किनारों पर उपजाऊ भूमि है; वहां निजी जमीनें हैं। कोई भी व्यक्ति और कोई भी किसान आपको इसके लिए अनुमति देने वाला नहीं है कि आप नदी से गाद निकाल कर उसके खेत में डाल दें। यदि यह काम आप जल्दबाजी में करेंगे तो वह कानूनी कार्रवाई करेगा और स्थगनादेश अथवा इस तरह का कोई आदेश प्राप्त कर लेगा। अत: मैं आपसे समस्या की व्यापकता के बारे में कह रहा हूं। नदी के तल से गाद निकालकर उसका ढेर लगाने के लिए हमें नदी के दोनों किनारों पर 15000 हैक्टेयर भूमि की आवश्यकता है। वहाँ कीमती जमीने हैं, निजी स्वामित्व की जमीनें हैं, वहां से कीमतें फसलें प्राप्त होती हैं। केवल गंगा के लिए, मोटे तौर पर लगाए गए अनुमान के अनुसार, गाद निकालने की लागत 5,000 करोड़ रुपए आयेगी। नदी के तल की सफाई के लिए केवल गंगा के लिए 5000 करोड़ रुपये की आवश्यकता पड़ेगी। निकाले गए पदार्थ (गाद) के निपटान करने से लगभग 4·5 लाख हैक्टेयर क्षेत्रफल की जनसंख्या प्रभावित होगी। माननीय सदस्य का प्रस्ताव है कि सभी बाढ़ोन्मुख क्षेत्रों और नदी-तलों को गाद रहित किया जाए। अब, बाढ़ोन्मुख नदियों और बड़ी सहायक नदियों को गाद रहित करने, उन्हें गहरा करने के कार्य में 20,000 करोड़ रुपये बल्कि इससे भी अधिक रुपये का परिव्यय सम्मिलित है और इसके अनुरक्षण और गहरा करने के कार्य पर 1000 करोड़ रुपए के व्यय की आवश्यकता है। समस्या तो इतनी विशाल है।

श्री टी० एस० नेगी (टिहरी गढ़वाल) : सभापति महोदया, इसका समय बढ़ाया जाना चाहिए। अभी जो मिनिस्टर साहब का जवाब ही पूरा नहीं हुआ है, उनके बाद मुझे भी बोलना है इसलिए इसका आधा घण्टा समय बढ़ाया जाय।

सभापति महोदया : माननीय मंत्री जी आप कितना समय लेंगे ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैं सिर्फ 5 या 10 मिनट लूंगा।

महोदया, मैं अब अन्तिम सुझाव पर आता हूं जो कि माननीय सदस्य ने अपने प्रस्ताव में दिया था। उनके प्रस्ताव में सिफारिश की गई है कि सरकार द्वारा बेरोजगारों को कम से कम 100 रु० प्रति माह बेरोजगारी भत्ता प्रदान करना चाहिए। मैं सरकार द्वारा बनाए गए रोजगार कार्यालयों के अद्यतन रजिस्टर के अनुसार बेरोजगार व्यक्तियों के

]**श्री वीरेन्द्र पाटिल**]

आंकड़े प्रस्तुत कर करता हूं। 31-12-1983 को बेरोजगारों की संख्या 2,19,53,275 है। मान लीजिए यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है और प्रस्ताव के अनुसरण में, यदि सरकार घोषणा करती है कि वह सभी बेरोजगारों को 100 रुपए प्रति माह देने जा रही है मैं नहीं समझता कि यह दो करोड़ या कुछ अधिक के आकड़े वही रहेंगे अथवा इतनी ही संख्या में और लोग भी अपना नाम रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत कराने जा रहे होंगे ताकि सरकार द्वारा जो सहायता घोषित की गई है वह उन्हें भी मिल सके। इसके बाद भी यदि मैं इस समय उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार बेरोजगारों के लिए 100 रुपए प्रति माह की दर से हिसाब लगाता हूं तो यह 2,400 करोड़ रुपये प्रति वर्ष बैठता है। फिर, बेरोजगार युवकों को 100 रुपए का भुगतान करने के प्रस्ताव का कार्यान्वियन करने, और इस योजना को लागू करने के लिए प्रशासनिक और अन्य व्यय होना स्वभाविक है जिसके लिए 500 अथवा 600 करोड़ रुपए की अलग से आवश्यकता होगी। इसका मतलब यह है कि यदि सरकार प्रत्येक बेरोजगार श्रमिक, बेरोजगार युवक को 100 रुपए प्रति माह की दर से भुगतान करने के लिए सहमत हो जाती है तो इसके लिए कम से कम 3000 करोड़ रुपए चाहिए।

अब प्रश्न यह है कि राशि कहां से आएगी ? मैंने इस प्रस्ताव पर दोनों पक्षों के माननीय सदस्यगणों की बात सुन ली है। बहुत से माननीय सदस्यों ने इस विचार की सराहना की थी। उन्होंने कहा कि यह बहुत अच्छा सुझाव है और इसे कार्यान्वित किया जाना चाहिए और सरकार को इसका उत्तर देना चाहिए किन्तु छठी योजना अथवा सातवीं योजना में या कोई भी योजना हो उसमें देश में उपलब्ध सभी संसाधनों का हिसाब लगाया जाता है और योजना-अवधि के दौरान सभी संसाधनों और व्यय का भी हिसाब लगाया जाता है कि इस राशि को किस प्रकार खर्च करें किस कार्य पर खर्च करें। योजना प्रलेख में ये सारी बातें स्पष्ट की गई हैं।

सभापति महोदया : मेरे विचार से हम 15 मिनट के भीतर इसे समाप्त कर लेंगे।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : अब प्रश्न यह है कि छठी योजना के लिए संसाधनों का हिसाब लगा लिया गया है। अब, माननीय सदस्य के सुझाव की सराहना तो सभी ने की है किन्तु यह किसी ने भी नहीं सुझाया कि यह 3000 करोड़ रुपए की धनराशि कहां से आएगी उन्होंने यह सुझाव नहीं दिया कि क्या कुछ मदों को जिन पर जो छठी योजना में ली जानी हैं उन्हें छोड़ दिया जाए अथवा कुछ मदों पर खर्च की राशि कम कर दी जाए इत्यादि। ताकि इनकी बची हुई धन राशि को इस प्रयोजन के लिए काम में लाया जा सके और यदि अन्य सुझाव और नोट छापकर उन्हें बेरोजगार युवकों में भत्ते के रूप में बांटने के बारे में है तो इससे मुद्रा स्फीति बढ़ जाएगी। इससे अनुत्पादक कार्यकलापों में वृद्धि होगी। अतः भारत सरकार महसूस करती है कि इस प्रकार की बेरोजगारी भत्ता योजना के बारे में विचार करना व्यावहारिक प्रस्ताव नहीं है।

16·00 म०प०

लेकिन कुछ राज्यों ने उसे कार्यान्वित किया है, मुझे पता है, किन्तु पूरी तरह नहीं। वे ऐसे कुछ

बेरोजगार लोगों को 50/- रु० प्रति माह से 200/- रुपए प्रति माह तक के हिसाब से दे रहे हैं जो लोग 5 या 6 वर्षों से बेरोजगार हैं। मुझे नहीं मालूम कि उन राज्यों का अनुभव क्या है; किन्तु मैं महसूस करता हूं कि यह अनुत्पादक है। जो कुछ भी आज वे व्यय कर रहे हैं वह वे अपने निजी स्रोतों से गैर आयोजना व्यय के अधीन कर रहे हैं। किन्तु चूँकि हमारे देश में संसाधनों की कमी है मैं नहीं समझता कि सरकार के लिए ऐसे प्रस्ताव पर विचार करना संभव होगा। अतः मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं हूँ।

मैं नहीं चाहता कि सभा और अधिक समय ले क्योंकि मैं महसूस करता हूँ कि मैंने जिन-जिन मुद्दों पर बात की है उन्हें चर्चा के दौरान पहले ही उठाया जा चुका है। अंत में मैं केवल यही कहूंगा कि अब वह समय आ गया है कि वास्तविकता का ईमानदारी से सामना किया जाए कि बेरोजगारी की समस्या का समाधान, जनसंख्या वृद्धि की दर को बहुत ही कम करके, लम्बे समय में और कारगर आधार पर किया जा सकता है यथा समय, इससे नियोजित विकास द्वारा उत्पन्न किए गए रोजगार के अवसरों और उत्पादकता और आय के बढ़ते हुए उच्चतर स्तरों पर लगी हुई अतिरिक्त श्रम शक्ति के बीच सन्तुलन कायम होगा। सभा के सभी भागों के हार्दिक समर्थन के बिना और सम्पूर्ण देश की स्थिति को देखते हुए इस लक्ष्य को साकार नहीं किया जा सकता। अतः समय की मांग है कि इस लक्ष्य को साकार करने के लिए हम संगठित हों, समर्पित हों और निरन्तर प्रयत्नशील हों।

इन शब्दों के साथ, मैं माननीय सदस्य महोदय से गम्भीरता पूर्वक प्रार्थना करता हूँ कि इस प्रस्ताव पर दबाव न डालें। इसके विपरीत यदि वे इसे वापस लेने के लिए सहमत हो जाते हैं तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता होगी।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : निष्कर्ष स्वरूप, आप कह रहे हैं कि जब तक हम जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं करते तब तक हम समस्या का समाधान नहीं कर सकते। जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए किन्तु आपको कैसे मालूम कि जनसंख्या एक आदर्श-स्तर से आगे बढ़ गई है—क्योंकि ब्रिटेन केवल दो महीने के आहार का उत्पादन करता है किन्तु वह औद्योगीकरण का आश्रय लेता है। अतः किन मामलों के रचनात्मक प्रयोजनों के लिए आप अपने बेकार पड़े संसाधनों का किस प्रकार उपयोग करते हैं, यह जनसंख्या पर नहीं बल्कि आपके औद्योगिक विकास के स्तर पर निर्भर है। आप केवल जनसंख्या पर जोर दे रहे हैं, लेकिन प्रश्न यह है कि देश के समस्त बेकार पड़े संसाधनों का उपयोग करने के लिए आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं जिससे कि अतिरिक्त उत्पादन किया जा सके और रोजगार के अवसर उत्पन्न किए जा सकें। यह अधिक महत्त्वपूर्ण है किन्तु आपने इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : आधे घण्टे के थोड़े से समय में इन तमाम पहलुओं पर विचार करना सम्भव नहीं है। माननीय सदस्य जानते हैं कि योजनाओं में हमने विकास की वार्षिक दर 5.2 प्रतिशत प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है और हमारी जनसंख्या वृद्धि की दर 2% है।

[श्री वीरेन्द पाटिल]

मैं उनकी बात से सहमत हूं कि हमें माननीय संसाधनों का अधिकतम सीमा तक उपयोग करना चाहिए। लेकिन अधिक उत्पादन के द्वारा अधिक धन उत्पन्न करने के लिए चाहे वे औद्योगिक क्षेत्र हों अथवा कृषि क्षेत्र, हमें संसाधनों की जरूरत होती है अर्थात् इसके लिए मानवोचित संसाधनों का उपयोग करना होता है। वित्तीय संसाधनों को एकत्र किए बिना यह सब करना सम्भव नहीं है। यही कठिनाई है क्योंकि मैंने कहा था कि आज हम संसाधनों की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं। जो भी संसाधन उपलब्ध हैं उनका उचित रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए और उनका प्रयोग रचनात्मक कार्यों के लिएकिया जाना चाहिए।

श्री टी० एस० नेगी (टिहरी गढ़वाल) : सभापति महोदया, मैं सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं, जिन्होंने इस डिबेट में भाग लिया और मुझे इस बात की खुशी है कि सभी माननीय सदस्यों ने इस बात को माना है कि अनएम्पलायमेंट को दूर करने के लिए कोई कारगर कदम उठाने चाहिए।

अब जब मैंने मंत्री जी का भाषण सुना, तो मुझे जरूरत से ज्यादा निराशा हुई। मंत्री जी ने हमारे सामने यह सारा नक्शा रखा कि सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती और लैण्ड आर्मी अगर बनानी है, तो स्टेट्स बनाएं। केन्द्र में सारे प्रोग्राम बनते हैं और सारी प्लान दिल्ली में बन रही है और जब कोई काम करने की बात आती है, तो कहा जाता है कि स्टेट्स करें। मैं नहीं समझता हूं कि हमारी सरकार के सोचने का तरीका क्या है। अगर किसी स्टेट में कोई घपला हो जाता है, तो उसमें फोरेन हैंड की बात कही जाती है। केन्द्रीय सरकार अपनी योजनाओं में बेरोजगारी को दूर करने में असफल रही है। आई. आर. डी. पी., एन. आर. ई. पी., पता नहीं कितनी तरह के प्रोग्राम चल रहे हैं लेकिन बेरोजगारी दूर नहीं हो रही है। सरकार इसमें फेल रही है। जो आंकड़े दिए गए हैं उनसे तो यही पता लगता है कि बेरोजगारी दूर होने वाली नहीं है।

जहां-जहां हम भ्रष्टाचार और बेईमानी को रोकना चाहते हैं, वहीं सरकार भ्रष्टाचारियों की मदद करने के लिए सामने आ जाती है। डेरी के मामले में यह तय हुआ था कि चार शहरों को दूध के मामले में सैल्फ सफीशिएंट कर दिया जायेगा। लेकिन उसमें हम सफल नहीं हुए। जब वहां के अधिकारियों से सवाल पूछते हैं कि क्यों नहीं हुए तो जवाब मिलता है कि सरकार भी तो कई चीजों में सफल नहीं हुई है। पल्सेस के बारे में क्या सरकार सफल हुई है, क्या और योजनाओं में सरकार सफल हुई है। यह आर्गूमेंट दिया जाता है। अगर हम कहते हैं कि लूट हो रही है, बेईमानी हो रही हैं तो कहते हैं कि इसमें वैस्टर्न इंटरेस्ट है। 23 तारीख को अपर हाउस में मार्ग्रेट अल्वा ने यह बात रखी तो मकवाना साहब ने यही बात कही कि नैस्टर्न इंटरेस्ट है। हमारा क्या वैस्टर्न इंटरेस्ट हो सकता है। वहां कमीशन बना तो पेपर्स जलाए गए। अगर पूछते हैं कि कौन व्यक्ति हैं जो नुकसान कर रहे हैं तो कहते हैं कि अगर नाम लेंगे तो सड़कों पर कत्ल किए जाएंगे। यह धमकियां दी जा रही हैं। अगर

हम एक्सपोज करते हैं कि लूट हो रही है, बेईमानी हो रही है, तो सरकार उनकी मदद करती है ।

यह आप का प्लान है । आपका प्लान करेंसी बेस्ड है । श्रम शक्ति और खनिज शक्ति को, 80 करोड़ दिमाग और डेढ़ अरब हाथों को आपने नजर अन्दाज कर दिया है । डेढ़ अरब जो हमारे हाथ है सरकार ने उनको लुंजपुंज कर दिया है । उन लोगों का इस्तेसाल किया जा रहा है जो बेईमानी और बदमाशी में लगे हुए हैं और इस देश को रसातल की ओर ले जाने में लगे हुए हैं । यह सरकार कर रही है । चीन की सरकार गंगा नहर के बराबर की नहर 80 दिन में बना तैयार करवा सकती है और यहां 18 वर्ष हो गए हैं, अभी नहर पूरी नहीं हुई है । इस तरह अगर सरकार का रवैया रहा तो मुझे यकीन है कि जो बेरोजगारी को समाप्त करने की बात सरकार कहती है, बेरोजगारी समाप्त होने के बजाए और बढ़ेगी । यह कभी समाप्त नहीं होगी ।

प्रो० एन० जी० रंगा : यह ठीक नहीं है ।

श्री टी० एस० नेगी : वे कहते हैं कि यह काम नहीं हो सकता । लैण्ड आर्मी नहीं बन सकती । बंगाल की सरकार ने 50 रु० माहवार देना तय कर दिया है तो भारत सरकार क्यों नहीं कर सकती । सारे रिसोर्सेस भारत सरकार के पास हैं । सरकार कहती है कि हम डीसेंट्रलाइज कर रहे हैं । हम तो चाहते हैं कि आप डिस्ट्रिक्ट तक पावर दीजिए, विलेज तक पावर दीजिए, सारे पैसे का बंटवारा कर दीजिए ताकि विलेज के लोगों को नौकरियां मिल सकें । लोगों के रिसोर्सेस बढ़ सकें ।

माननीय मंत्री जी ने सही कहा है कि जो स्कीम्स बनती हैं, वे बीस-पच्चीस साल तक इम्पलीमेंट नहीं होती । हमारे यहां टिहरी डैम बन रहा है । वह दस साल में पूरा हो जाना चाहिए था । लेकिन, बीस साल में भी पूरा नहीं हो पायेगा क्योंकि जब तक वह बनेगा तब तक दस-बीस गुना महंगाई और बढ़ जायेगी । उसको सरकार कहां से लायेगी ? मेरी पार्टी और पार्टी के लीडर तथा और सदस्यों ने इस बात को सदन के सामने रख दिया है कि किस ढंग से सस्ता अनाज मिलेगा और किसान को उसकी मेहनत का पैसा किस प्रकार मिल सकता है ? यह भी बता दिया है कि बेरोजगारी किस प्रकार से खत्म हो सकती है ? हम अपने विचार रख रहे हैं, फिर भी सरकार उन पर ध्यान नहीं देती ।····· **(व्यवधान)** हमने यह भी कहा है कि ऑयरन-ओर का पक्का माल बनाकर बाहर भेजिए । गल्ले के मामले में यह नीति बनायी जाए कि बाहर से न मंगाया जाए । उसका आयात बन्द कर दीजिए ताकि किसान ज्यादा से ज्यादा पैदा कर सकें । अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि गेहूं और दूसरी चीजों की कीमतें घट रही हैं क्योंकि इम्पोर्ट हो रहा है । किसानों की जो लागत लगी है; वह भी उनको नहीं मिल पा रही है क्योंकि वे सस्ते में बेच रहे हैं । सस्ती से काम करें तभी यह हो पायेगा अन्यथा नहीं । सातवीं योजना भी फेल हो जायेगी, जैसे कि छठी योजना हो गई है । विरोधी दलों का भी योजना बनाते समय सहयोग लिया जाना चाहिए । माननीय मंत्री जी आंकड़े देते हैं कि इस-इस स्कीम पर इतने-इतने रुपये

[श्री टी० एस० नेगी]

खर्च होंगे । लेकिन जब तक प्लान नहीं बनेगा तब तक समस्या हल नहीं होगी और न देश तरक्की कर सकेगा । प्राईवेट सैक्टर में भी काफी लोगों को रोजगार मिला हुआ है । प्राईवेट कम्पनियां अरबों रुपये का प्राफिट कमा रही है, लेकिन सरकार का नियंत्रण उन पर नहीं है । सरकार के पास ऐसा कोई कानून नहीं है जिससे कि वह लोगों को वहां पर रोजी दिलवा सके । वे लोग तो करोड़ों और अरबों रुपया बना रहे हैं लेकिन इस देश के लोग भूखे और नंगे हैं । यदि सरकार राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी की समस्या हल करने को कोशिश नहीं करती तो स्टेट उसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वे बैंकरप्ट होते हैं । वे तो अपना ही काम-काज पूरा नहीं देख सकते । स्टेट में जितनी भी स्कीमें हैं, वे सब ज्यों की त्यों हैं । जितना भी पैसा गवर्नमेंट आफ इण्डिया की तरफ से दिया जाता है, उसमें से 70-80 परसेंट के करीब चोरी हो जाता है और केवल बीस-तीस परसेंट ही असली काम में इस्तेमाल होता है । जो अपने ग्रेजुएट्स और अनएम्प्लायड यूथस के लिए लोन देने की व्यवस्था की है 25,000 रु० की तो उसमें से उनको 20,000 रु० मिलता है । आप बताये कि इतने में कौन सी इंडस्ट्री लग सकती है ? सरकार को इंडस्ट्री बतानी चाहिए थी कि इस काम को करो जिसमें इतना रुपया लगेगा, तब तो ठीक है । लेकिन यह तो मात्र पोलिटिकल प्रोपोगेन्डा है और रुपया लुटाया जा रहा है । 20 सूत्री प्रोग्राम हो चाहे लोनिंग हो उसका कोई मतलब नहीं निकलने वाला है । लोग रुपया नहीं लेना चाहते । लेकिन जब प्रोपोगेन्डा हुआ कि यह रुपया वापस नहीं करना है तो लोगों ने धड़ाधड़ लेना शुरू कर दिया । हमारे देहरादून में 20, 25 हजार रु० लेकर अपने मकान में लगा कर उसको आवासगृह बना दिया । हर व्यक्ति जानता है कोई कार्यक्रम सफल नहीं हो रहा है । सही माने में इन सब समस्याओं का हल निकले, और हम सरकार के साथ कोआपरेट करने के लिए तैयार हैं । किताबों में देखिए तो लगता है कि देश में पूरे पेड़ लगे हुए हैं और अनएम्प्लायमेंट भी नहीं है । लेकिन वास्तविकता में कुछ नहीं है । दिन प्रतिदिन बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है, और क्रिमिनल्स तैयार हो रहे हैं । बैंक लुट रहे हैं, डकैती और हत्यायें हो रही हैं ।

मैं चाहता हूं कि इस प्रस्ताव को पास किया जाय, और इस रिजोल्यूशन को विदड्रा करने का सवाल ही नहीं होता है क्योंकि दोनों तरफ के सदस्यों ने इसका समर्थन किया है। लेकिन सरकार चाहती है कि यह प्रस्ताव पास न हो तो यह बड़ी विडम्बना है, और देश में यह चर्चा है कि कांग्रेस की कथनी और करनी में अन्तर है। आज इस रिजोल्यूशन पर वोट लेकर साबित हो जायेगा कि जो बोलते हैं वह करते नहीं हैं । यह बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं । इसलिए मैं चाहता हूं इस पर वोटिंग हो ।

सभापति महोदया : आप विदड्रा नहीं कर रहे हैं ?

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : यह आपका कहना गलत है । आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आप तो पार्टी छोड़कर गए हैं·····**(व्यवधान)**

श्री टी० एस० नेगी : न मैंने कोई ऐप्लाई किया था, न 500 रु० जमा किये थे। एक समझौता हुआ था जिसको तुम्हारे नेता ने तोड़ा और इसलिए हम यहाँ पर हैं।

सभापति महोदया : यह रिजोल्यूशन के बाहर है। आप विदड्रा कर रहे हैं कि नहीं ?

श्री टी० एस० नेगी : जी नहीं।

सभापति महोदया : अब मैं प्रस्ताव सभा के मतदान में मतदान हेतु रखती हूं।

कुछ माननीय सदस्य : हम विभाजन चाहते हैं।

सभापति महोदया : तब लाबी खाली हो जाने दीजिए।

सभापति महोदया : दीर्घायें खाली कर दी गई हैं; प्रश्न यह है :

"यह सभा देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी पर चिन्ता व्यक्त करती है और सरकार से आग्रह करती है कि वह निम्नलिखित कार्यों को करने के लिए बेरोजगारों की भूमि-सेना का निर्माण करने हेतु तुरन्त कार्यवाही करें :

(क) बड़ी नदियों के तल गहरा करने का कार्य;

(ख) हिमालय क्षेत्र सहित समूचे देश में वन-रोपण कार्यक्रम को इस प्रकार चलाना कि भूमि का कम से कम एक तिहाई भाग वन प्रदेश हो जाए;

(ग) व्यापक भूमि संरक्षण कार्यक्रम;

(घ) देश की बड़ी नदियों को दूसरी नदियों के साथ मिलाना; तथा सिफारिश करती है कि सरकार को सभी बेरोजगार व्यक्तियों को कम से कम 100 रुपये प्रतिमास बेरोजगारी भत्ते के रूप में देने चाहिए।"

जो इसके पक्ष में हैं वे हाँ कहें।

कुछ माननीय सदस्य : हां।

सभापति महोदया : जो इसके पक्ष में नहीं हैं वे नहीं कहें।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं।

सभापति महोदया : मैं समझती हूं कि जो इसके विपक्ष में है उनकी जीत हुई है।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अब हम अगले विषय पर आते हैं—श्री मैफुद्दीन चौधरी द्वारा प्रस्तुत संकल्प।

4.15 म० प०

14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को संविधान में मूल अधिकार के रूप में सम्मिलित किए जाने के बारे में संकल्प

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"यह सभा स्वतन्त्रता प्राप्ति के छत्तीस वर्षों के बाद भी देश भर में विद्यमान निरक्षरता की अत्यधिक प्रतिशतता पर गहरी चिन्ता व्यक्त करती है और संकल्प करती है कि 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को हमारे संविधान में मूल अधिकार के रूप में सम्मिलित किया जाये।"

महोदया, कल हमने शिक्षा सम्बन्धी बजट पर चर्चा की थी, और आज भी यह संकल्प हमारे समक्ष है, इसलिए मैं उन महत्त्वपूर्ण तथ्यों पर प्रकाश डालूंगा जो कल अनछुए ही रह गए थे। मैं समझता हूं कि यदि इस विषय पर इस सदन को चर्चा का अवसर दिया जाये तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि यह एक महत्त्वपूर्ण विषय है।

आज मैं स्फूर्तिदायक परिवर्तन देख रहा हूं। आज कई मंत्रीगण इस समय इस सभा में उपस्थित हैं। कल शिक्षा पर हुई चर्चा से आज मंत्रियों में भी गणपूर्ति है। यह सुखद स्थिति है।

एक माननीय सदस्य : आपको इसका स्वागत करना चाहिए।

श्री सुफैद्दीन चौधरी : मैं इसका स्वागत कर रहा हूं। मैं एक निवेदन कर रहा हूं।। मैं इस संकल्प का परिणाम जानता हूं। अन्त में माननीय मंत्री जी मुझसे इसे वापस लेने का आग्रह करेंगे। और उस समय जो मंत्रिगण उपस्थित हों उनसे मेरा अनुरोध है कि वह इस संकल्प को मंत्रिमण्डल तक पहुँचाएं। तो मैं इस संकल्प को वापस लेने को तैयार हूँ यदि आप इसे मंत्रिमण्डल के बल पर सरकारी संकल्प का रूप देने को तैयार हैं।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : बल या दुर्बलता ?

श्री सैफुद्दीन चौधरी : चाहे कुछ भी हो। इस संकल्प के बारे में मेरा तर्क यह है कि शिक्षा को संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया जाना चाहिए। "मौलिक अधिकार" से तात्पर्य क्या है ? संसद में आने के बाद और इसके बाहर भी हम मूल शिक्षा को

एक मूल अधिकार का रूप क्यों देना चाहते हैं? हम ऐसी कई संस्थाओं, व्यक्तियों एवं विख्यात विद्वानों को जानते हैं जो शिक्षा को संविधान के अंतर्गत दिए गए मूल अधिकारों में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। हमें निराशा हुई कि सरकार ऐसे महत्त्वपूर्ण मूल अधिकार से लोगों को वंचित रख रही है। वह इस बात को मानने को तैयार नहीं हैं और बचाव में संविधान के अनुच्छेद 45 को पेश करती हैं और उनका कहना है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों द्वारा वह भलाई कर सकते हैं। ऐसा वह कहते हैं। परन्तु उन नीति निर्देशों का परिणाम क्या हुआ है? यह महत्त्वपूर्ण बात है। निरक्षरता दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है और हमारी सरकार शांत बैठी है। उनके पास इसका कोई समाधान नहीं है और उन्हें इसके लिए कोई चिन्ता नहीं है।

चर्चा का उत्तर देते हुए माननीय मंत्री जी ने कहा था कि सार्वभौमिक शिक्षा के उद्देश्य को पूरा करने के लिए वह ध्यान दे रहे हैं। यदि सरकार अपनी वर्तमान नीति जारी रखती है तो मैं कह सकता हूँ कि वह इसमें कभी सफल न हो पाएगी। मैं यह नहीं जान पा रहा हूं कि यदि शिक्षा को मूल अधिकारों में सम्मिलित करेंगे तो इसको क्या हानि हो सकती है। लोगों को सरकार या किसी संस्था द्वारा शिक्षा की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। उन्हें इसके लिए किसी सरकार पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। यह उनका स्वाभाविक अधिकार होना चाहिए। उनका जन्म सिद्ध अधिकार होना चाहिए। यह कोई परोपकार अथवा दया नहीं है। इसका अर्थ यह है कि जिस देश में शिक्षा का मूल अधिकार नहीं है वहां समाज संकट ग्रस्त है। इसका और कोई तात्पर्य नहीं है। इस परिस्थिति का लाभ कोई विशेष गुट निहित स्वार्थ के लिए कर रहा है। जब हम समतावादी समाज, समानता और समाजवाद की बात करते हैं तब हमें इसका अर्थ भी समझ में आना चाहिए।

अपने संकल्प में मैं इन सब विषयों पर अपने विचार रखने का प्रयास करूंगा। हमारे समाज के अभिबोध के लिए यह बहुत आवश्यक है।

हमने वह समय भी देखा है जब कई लोगों को इस मूल अधिकार से बुरी तरह से वंचित रहना पड़ता था। उन दिनों अधिकार की संकल्पना न थी। प्राचीन काल में हमारे देश में क्या परिस्थिति थी यह हम जानते हैं। मैं इस पर विस्तार से कुछ न कहूंगा। वर्ण आश्रम धर्म के दिनों में आप जानते हैं कि किस प्रकार शूद्रों को शिक्षा से वंचित रहना पड़ता था। मैं उस घटना का उल्लेख नहीं करना चाहता हूं। आप जानते ही हैं किस प्रकार एकलव्य को सैनिक प्रशिक्षण से वंचित रहना पड़ा था। हम जानते हैं कि किस प्रकार शास्त्रों का ज्ञान दलित वर्गों के लिए वर्जित था। इस युग में भी हमने इस प्रथा को एक और रूप में देखा है। वह साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का युग था। उन दिनों शिक्षा के अधिकार की संकल्पना को राष्ट्रीय स्वतन्त्रता संग्राम से भी बल और सहयोग मिला। अंग्रेजी शासकों ने हमारे देश की आम जनता को शिक्षा की पहुँच से बाहर रखा। आप वह सब कुछ जानते हैं। वह केवल वाक्पटुता प्रतीत होगी। शायद

[श्री सैफुद्दीन चौधरी]

इस सम्बन्ध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कुछ प्रस्ताव भी उद्धृत करें। और यह मेरे लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। उस समय हमने देखा कि किस प्रकार अंग्रेज शासक यह प्रयास करते रहे कि शिक्षा को एक विशेष वर्ग के लोगों तक सीमित रखे। वह एक ऐसा भारत बनाना चाहते थे। जहां लोग वेश-भूषा और दिखने में तो भारतीय हों किन्तु उनके विचार, आचरण और रूचियां अंग्रेजी रहन-सहन से मिलते-जुलते हों, ब्रिटिश साम्राज्यवाद की हमारे देश में यह उद्घोषित नीति थी। उन्होंने शिक्षा को केवल अंग्रेजी भाषा तक ही सीमित रखा। उन्होंने मातृभाषा में शिक्षा देने की अनुमति नहीं दी।

इस संदर्भ में मैं स्वतन्त्रता संग्राम के दिनों की याद दिलाना चाहता हूं कि किसने राष्ट्रीय शिक्षा के विचार को प्रस्तुत किया और आज का यह संकल्प उसी बात से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय सरकार के लिए उस संघर्ष में शिक्षा की संकल्पना को मूल अधिकार का स्थान दिया गया था। यह उसमें अन्तर्निहित था किन्तु दुर्भाग्य की बात है कि स्वतन्त्रता के 37 वर्ष के पश्चात् भी हमने इसे अधिकार के रूप में प्रयोग नहीं किया गया है। मैं नहीं जानता कि किस प्रकार इस स्थिति को बयान करूं। हम चाहे कितना भी दावा कर लें परन्तु हम इस क्षेत्र में बुरी तरह से मात खा गये हैं।

अब मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के उस संकल्प से उद्धृत करूंगा और आशा है कि इससे मेरे विपक्ष के सदस्य अति प्रसन्न होंगे :

1906 के संकल्प में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कहा :

"सारे देश के सामने लड़के और लड़कियों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा की व्यवस्था करने और राष्ट्रीय विचारधारा के अनुरूप तथा राष्ट्रीय नियंत्रण में और राष्ट्र के भाग्य निर्माण के लिए शिक्षा, साक्षरता, वैज्ञानिक एवं तकनीकी पद्धति बनानी है।

यह इस संकल्प में था। आजादी के लिए लड़ने वाले आजादी प्रिय लोगों ने भी शिक्षा की संकल्पना को मूल अधिकार मानने की बात कही थी। ब्रिटिश काल में इस अधिकार से वंचित रखा गया। राष्ट्रीय आन्दोलन का वायदा था कि शिक्षा हमें राष्ट्रीय अधिकार के रूप में मिलेगी। अब मैं जान गया हूं कि दादा भाई नौरोजी जैसे महान व्यक्ति ने भारतीय शिक्षा आयोग (1882) के सामने सभी बच्चों को शिक्षा देने की मांग क्यों की थी। यह अधिकार की संकल्पना है परोपकार की नहीं। वह नीति निर्देशक सिद्धान्तों से प्रसन्न होंगे। अब क्या दिशा है ? जिस दिशा में जा रहे हैं उससे सारे देश भर में अंधकार छा गया है। यह शिक्षा एक वर्ग विशेष को दी जा रही है। जैसा कि मैंने आपको कल कहा था, यह बड़ी निराशाजनक स्थिति है।

श्री गोखले द्वारा प्रस्तुत एक प्रस्ताव मुझे याद आता है। श्री गोखले ने केन्द्रीय एसेम्बली (1910-12) में इसके लिए एक विधेयक भी प्रस्तुत किया था। वह बहुचर्चित है और जो स्वतन्त्रता संग्राम से जुड़े हुए हैं उन्हें अच्छी तरह से याद होगा कि यह आंदोलन किस प्रकार विफल हो गया क्योंकि जमींदारों और उपनिवेशी तत्वों ने खुलकर इसका विरोध किया। मैं समझता हूं कि अब हम उस परिस्थिति में नहीं हैं। मंत्री महोदय, मैं फिर कहना चाहूंगा कि मैं इस संकल्प को वापिस ले लूंगा यदि आप व्यापक विधेयक प्रस्तुत करेंगी।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : आप अन्त में यही निवेदन करेंगे।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : अधिकार की संकल्पना पर महात्मा गांधी जी ने जो कहा था मैं उसकी याद दिलाना चाहता हूं। जो कुछ उन्होंने लिखा है यदि आप उसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा। बुनियादी शिक्षा पर उन्होंने जो कुछ लिखा है सदन में बोलने से पहले मैंने उसे ग्रंथालय में पढ़ा है। वैसे भी हम गांधीजी को पढ़ते हैं क्योंकि हम संकीर्ण दृष्टिकोण नहीं रखते हैं। महात्मा गांधी चाहते थे कि सात वर्ष की आयु तक प्रत्येक बच्चा निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करे जिसमें मैट्रिक तक के विषय हों। यह राष्ट्रीय शिक्षा का सही रूप था जो महात्मा गांधी ने दिया था। इसमें कहा गया कि अंग्रेजी को न रखा जाये लेकिन दस्तकारी की शिक्षा दी जानी चाहिये। इसका तात्पर्य क्या था ? इसका अर्थ था कि मातृ भाषा में शिक्षा दो। 'दस्तकारी की शिक्षा' यानि कि उन छात्रों को समाज की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करो। उन्हें आर्थिक और सामाजिक कार्यों में भाग लेने के लिए और समाज की उन्नति में योगदान देने के लिए तैयार करो। यही सही परिकल्पना है। महात्मा गांधी ने 1926 में निःशुल्क एवं सार्वभौमिक शिक्षा पर जोर दिया। अपने लेखों में उन्होंने यहां की आवश्यकताओं के बारे में कहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा की पांचवी आवश्यकता है कि वह निःशुल्क हो।

शिक्षा को धन पर निर्भर नहीं किया जाना चाहिए महात्मा गांधी का यही कहना था। उन्होंने इसकी और व्याख्या करते हुए कहा था कि शिक्षा को धन पर आश्रित न बनाया जाए जिस प्रकार सूर्य सभी को रोशनी समान रूप से देता है उसी प्रकार शिक्षा भी सभी को बिना भेदभाव के समान रूप से दी जानी चाहिए। उनका कहना था कि जिस प्रकार सूर्य सभी लोगों को समान रूप से प्रकाश देता है और वर्षा सभी के लिए बरसती है इसी प्रकार शिक्षा भी सर्व-सुलभ होनी चाहिए। यह निदेशक सिद्धान्तों का प्रश्न नहीं है। आप सूर्य को रोशनी देने के लिए हिदायत नहीं दे सकते। वह स्वाभाविक रूप से रोशनी देता है। वास्तव में गरीब लोग छत न होने के कारण और खुले में रहने के कारण अधिक धूप का सेवन करते हैं। यह सरकार शिक्षा का अधिकार नहीं देना चाहती उसका यही कारण हो सकता है। सूर्य की रोशनी तो एक प्राकृतिक चीज है। क्या शिक्षा के लिए हमारे देश में वही स्थिति है ? नहीं, ऐसी स्थिति नहीं है। यहां

[श्री सैफुद्दीन चौधरी]

तो अन्धेरा प्राकृतिक चीज है। अन्धेरे में कौन हैं ? ये वे लोग हैं जो आर्थिक तौर से सुरक्षित नहीं हैं और जो सामाजिक रूप से पिछड़े लोग हैं। 40 प्रतिशत लोग निरक्षर हैं और 70% प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं। गरीबी में जी रहे लोग ही अशिक्षित हैं। यह स्वाभाविक बात है। हम अपना निष्कर्ष निकाल सकते हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा की संकल्पना में यह अधिकार अन्तर्निहित है। कल कुछ माननीय सदस्य कह रहे थे और जो बिल्कुल सही है कि शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्रों के हमारे नेता लोग क्या सोचते हैं। हालांकि अंग्रेजी शिक्षा पद्धति ने कुछ बातों से मुक्ति दिलाई है, वे हमारे देश में स्वतन्त्रता सम्बन्धी बुर्जुआ विचार लाए। वास्तव में यह विकास के लिए बेड़ी साबित हुई। इस पद्धति को बनाया ही ऐसा गया था।

नई शिक्षा प्राप्त करने के सम्बन्ध में रवीन्द्रनाथ टैगोर क्या कहा करते थे ? स्वतन्त्रता संग्राम के दिनों एक स्कूल का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा था—

"मैं आशा करता हूं कि आज हम शिक्षा की बेड़ियां तोड़ सकेंगे।"

उन्होंने कहा—"शिक्षा की बेड़ियाँ।"

"हम निःशुल्क शिक्षा और स्वतन्त्र रूप से शिक्षा प्राप्त करने के नये युग में प्रवेश करेंगे"— वह धन पर आश्रित नहीं होगी। वह सूर्य के प्रकाश की तरह आएगी, प्राकृतिक होगी और सभी बेड़ियों से मुक्त होगी।

यह अधिकार है न कि निदेशक सिद्धान्त। क्या रोशनी निदेशक सिद्धान्त हो सकती है ? हमारे जीने का अधिकार क्या निदेशक सिद्धान्त हो सकता है ? आपात स्थिति के दिनों की याद आते ही शरीर में सिहरन सी उठती है जब समाज के और कल्याण के लिए जीने के अधिकार को कुचल दिया गया था।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : उन दिनों मरने का अधिकार दिया गया था।

श्री० सैफुद्दीन चौधरी : वह तो अब भी है। हम जीने के अधिकार के लिए हिदायत नहीं दे सकते। वह जिन्दगी जो शिक्षा और जीने के अधिकार से वंचित हो, क्या जीवन है। कुछ भी नहीं।

अब मैं राष्ट्रीय शिक्षा की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए और जन जागृति पैदा करने के विचार से मैं महात्मा गांधी का जिक्र करूंगा। उन्होंने कहा था, "सरकार ने हमारा

आत्म सम्मान छीन लिया है, यदि कोई डाकू हमारा घर लूट कर हमारा धन ले जाने के पश्चात् हमें कहता है—मैंने आपसे जो धन लिया था उससे मैंने एक स्कूल स्थापित कर दिया है आप उस स्कूल में आकर शिक्षा ग्रहण करें, तो हमें क्या उत्तर देना चाहिए ? निश्चित रूप से हमारा उत्तर होगा कि हम उसकी शिक्षा प्राप्त करना नहीं चाहते ।

जो मैं कह रहा हूं उसका सीधा सा मतलब है कि दया करके दी गई किसी चीज को हम स्वीकार नहीं कर सकते । हम उस सरकार की कोई मदद स्वीकार नहीं कर सकते जिसने हमारा घोर अपमान किया है ।

और मैं इस सरकार की तुलना ब्रिटिश सरकार से नहीं कर रहा हूं । हालांकि आप इसे अपने लोगों पर थोप रहे हैं । लेकिन आप राष्ट्रीय सरकार हैं, आप इस देश की सरकार हैं । इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि आप गांवों में हमारी जनता और किसानों को लूटने के लिए लुटेरों और एकाधिकारियों को इजाजत दे रहे हैं, फिर भी प्रश्न यह है कि हम शिक्षा को भीख के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते जो आपके रहम की तलबगार हो ।

यह नौकरशाहों की योजना पर निर्भर नहीं रह सकती । हममें कमी है तो चेतना की ।

श्री मूलचन्द डागा : क्या आप शिक्षा की परिभाषा देंगे ?

सुनील मंत्रा (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : शिक्षा आपको कुछ देने के लिए है ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : माननीय सदस्य के हित में मैं वास्तव में इस बात पर आऊंगा । सममुच यह बड़ी हैरानी की बात है कि हमें शिक्षा की परिभाषा की जानकारी नहीं है । इसके लिए मुझे खेद है । जिन दिनों राष्ट्रीय आंदोलन में तेजी आ रही थी ब्रिटिश सरकार ने इसे दबाने के लिए कुछ प्रस्ताव रखे । और युद्ध से पहले (1944-84) भारत में शैक्षिक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या था ? इसका मुख्य उद्देश्य था कि शिक्षा की जो स्थिति इंग्लैंड में 1953 में थी उसी तरह भारत में 1984 में शिक्षा की स्थिति बनाई जाए । इसमें कल्पना की गई थी कि 25 वर्ष में निरक्षरता समाप्त कर दी जाएगी और 6-14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रारम्भिक शिक्षा नि:शुल्क एवं अनिवार्य कर दी जाएगी । हमने उसे स्वीकार नहीं किया । क्योंकि वह एकमात्र छलावा और बहाना था इसलिए हमने उसे अस्वीकार कर दिया ।

आजादी के बाद हमने अपनी शिक्षा पद्धति अपनाने की कोशिश की और उसी पर चलते रहे । ब्रिटिश फार्मूला निराधार था । उसे कभी भी अमल में नहीं लाया जा सकता था । उसे अस्वीकार कर दिया गया तो हमारे सामने एक चमकदार तस्वीर प्रकट हुई । हमें वे दिन भी याद करने चाहिए । हममें से बहुत उस समय पैदा भी नहीं हुए होंगे । लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो मन

[श्री सैफुद्दीन चौधरी]

में वैसी आशा उत्पन्न होती है जैसी उस समय पैदा होती थी। हम उन परिस्थितियों के बारे में पढ़ते हैं जिन्हें हमने नहीं देखा है। लेकिन हम महसूस करते हैं कि वह कैसी उम्मीदें जगाती थीं। क्या वह अब तक मौजूद है ? क्या हमने उसके प्रति न्याय किया है ? क्या हम अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर सके ? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सके।

कल हमने कुछ आंकड़े पेश किए। अब आंकड़ें देने का यह दूसरा तरीका हो गया है। कोठारी आयोग ने यह सुझाव दिया था कि प्रति एक किलोमीटर की दूरी पर एक प्राथमिक स्कूल होना चाहिए। प्रत्येक तीन किलोमीटर की दूरी पर एक मिडिल स्कूल हो और हर पांच किलोमीटर के अन्दर एक माध्यमिक स्कूल होना चाहिए। मेरे पास ये वर्ष 1978 के आंकड़े हैं। 7.8% प्राथमिक स्कूल निवास स्थान से एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर हैं।

4.50 म०प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

22.17 प्रतिशत मिडिल स्कूल 3 किलोमीटर, 26.2 प्रतिशत माध्यमिक स्कूल और 68.8 प्रतिशत उच्चतर माध्यमिक स्कूल 5 से 8 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित हैं। यह राष्ट्रीय संस्कृति, शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् की रिपोर्ट है।

प्रारम्भिक शिक्षा की ताजा स्थिति क्या है ? सदन में कल ही हमने मांग की थी कि 14 वर्ष तक सबके लिए मुफ्त और अनिवार्य सर्वत्र शिक्षा सुविधा हो, शिक्षा का मुख्य स्तम्भ प्रारम्भिक शिक्षा है। एक रिपोर्ट के अनुसार प्रारम्भिक शिक्षा की हालत चिन्ताजनक है। 11 जून को मध्य प्रदेश से प्रकाशित 'क्रोनिकल' की एक अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार 16 लाख कमरे बिना छत आदि के हैं। उनका कहना है कि इनमें कम से कम जरूरतें पूरी करने के लिए 1920 करोड़ रुपए लगेंगे। अब यह पूछा जाए कि सरकार कहां से धन प्राप्त करेगी। मुझे दूसरा प्रश्न पूछना है कि क्या वे जितना दे सकते हैं उतनी राशि दे रहे हैं ? वह नहीं किया जा रहा है। अभी एक और प्रश्न पूछा जाना चाहिए। माननीय मंत्री कहेंगे कि लोग क्या कर रहे है ? स्वयं सेवी संस्थाएं क्यों नहीं आगे आती। यह एक विवादास्पद प्रश्न है। दूसरा महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह है कि गांवों में हमारे लोग यह क्यों नहीं महसूस करते कि उन्हें शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए ? वे शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने को साक्षर बनाने के लिए कदम क्यों नहीं उठाते।

हमने अपनी जनता को समाज के सामान्य विकास से अलग कर दिया है। क्या उन्होंने महसूस किया है कि यह एक गरीब देश है, हमारे मंत्री गरीब हैं, यहां सभी टाटा बिरला नही हैं, यहां थोड़े से लोगों के हाथों में पैसा सिमट कर नहीं रह गया है, हम सभी काम करते हैं, मेहनत करते हैं। जो भी हम पैदा करते हैं। हम उसे आपस में बांटने के लिए तैयार हैं। तभी वे सभी

त्याग कर सकेंगे। स्थिति यह नहीं है। सम्बद्धता की भावना तभी लोगों में इस प्रकार से नही हैं, इस भावना को दबाया जा रहा है। ऐसी अपेक्षा की जाती है कि शिक्षा से उन्हें यह बात समझ में आ जाएगी कि यह देश उनका अपना है। इसकी बहुत जरूरत है। मौलिक बात है कि यह देश उनका है, यह समाज उनका है, उन्हें इस समाज का निर्माण करना है, उन्हें समाज को आगे बढ़ाना है।

अब मैं जवाहरलाल नेहरू का उल्लेख करूंगा जो उन्होंने कहा, मैं उद्घृत कर रहा हूं—

"मेरा दृढ़ विश्वास है कि हमारी पहली योजना सभी के लिए शिक्षा सुविधाएं प्रदान करने के लिए होनी चाहिए। अन्य सभी चीजों के अलावा चाहे वह उद्योग हों, कृषि हो या कोई अन्य। हमारे लिए महत्त्वपूर्ण बात यह है कि आम जनता में जब शिक्षा विशेषरूप से उच्चतर स्तर पर विशिष्ट शिक्षा की पृष्ठभूमि तैयार हो जाएगी तो इन सभी की प्रगति होगी।

नई दिल्ली में नवम्बर 10,1968 को शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में उनका यह भाषण था। उनका कहना था कि अन्य बातें गौण हैं। जन-शिक्षा महत्वपूर्ण है।

अब जो विचारधारा जोर पकड़ रही है वह यह है कि हमें इन्जीनियरों और विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों की जरूरत है। लेकिन हम प्रारम्भिक शिक्षा की बुनियादी बात को भूल जाते हैं। इसके बिना उच्च शिक्षा का प्रसार नहीं होगा। वह उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। इस समय प्रारम्भिक शिक्षा पर कम जोर दिया गया है। लेकिन हमारे देश के मौजूदा हालात में प्रारम्भिक शिक्षा का विशेष महत्त्व है। प्रारम्भिक शिक्षा का अपना विशेष औचित्य है। आप बहुत सी बातें कह सकते हैं। लेकिन मैं एक सीधा सा प्रश्न पूछता हूँ—क्या हमने यह जानने की चिन्ता की कि हमारे निरक्षर किसान, कामगर लोग पढ़ने-लिखने की योग्यता प्राप्त करते हैं और ज्ञान की मूलभूत बातें सीखते हैं ? हम अपनी पार्टी में पूरी क्षमता से साक्षरता अभियान चलाते हैं। मैं श्री गनी खान चौधरी से पूछना चाहूंगा कि क्या आपकी पार्टी में कोई ऐसी प्रक्रिया है जो लोगों को देश के विकास में सम्बद्ध होने के लिए प्रेरित करती हो और लोगों में यह भावना जगाती हो कि यह उनका अपना देश है ।क्या आपकी पार्टी के सदस्य लोगों के पास जाएंगे ? क्या आपने अपनी पार्टी के सदस्यों को लोगों के पास तक जाने को कहा ? नहीं, किन्तु आप 100 रुपये मासिक वेतन पर प्रौढ़ शिक्षा के लिए अध्यापक नियुक्त करने की योजना बना सकते हैं।

केवल अध्यापक की नियुक्ति करके आप निरक्षता की समस्या हल नहीं कर सकते। अध्यापक क्या कर सकते हैं क्या पार्टी के नेता गांवों में और ग्रामीण लोगों तक जाते हैं ? वे कभी भी गांवों में नहीं जाते। सत्ताधारी पार्टी के सदस्य गांवों में जाकर साक्षरता अभियान नहीं चलाते।

[**श्री सफुद्दीन चौधरी**]

जब सत्ताधारी पार्टी के सदस्य नहीं जाते हैं और अवांछित गतिविधियों में लगी रहते हैं तो मैं नहीं जानता कि इस मामले में क्या किया जा सकता है। आप जानते हैं महाराष्ट्र में क्या हुआ ? आप कैसी कैसी मिसाले कायम करेंगे, मैं नहीं जानता। महाराष्ट्र का उप मुख्य मंत्री है या क्या हैं, मैं नहीं जानता वह कौन है।

माननीय सदस्य : कुछ भी हो।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यह संस्कृति है हम बिना किसी विशेष राष्ट्रीय चरित्र के हैं, हम इसका विकास नहीं कर रहे हैं। हम इस सम्बन्ध में कुछ भी नही कर रहे हैं। यह अलगाववाद को मिटाने का एक प्रश्न है। मैं उद्धरित कर सकता हूँ कि एक के बाद दूसरी योजना में हमने प्रारम्भिक शिक्षा के महत्व को कम कर दिया है। मैं समाजवादी देशों के अनुभव को भी बता सकता हूं। अब हमारा देश समाजवादी है ऐसा संविधान में लिखा गया है। संविधान के अनुसार हम समाजवादी हैं, राजनैतिक आधार पर नहीं। राजनैतिक आधार बिलकुल मिले जुले हैं।

मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि श्री राकेश शर्मा सैल्यूत से अन्तरिक्ष में गए और सुरिक्षत लौट आए। हम सभी इस बात से खुश है। लेकिन सोवियत संघ में कौन सी पद्धति है ? वे शिक्षा को कितना महत्व देते है ? क्या बुरा है ? संयुक्त प्रयास में हम अन्तरिक्ष उड़ान अन्तरिक्ष में भेज सकते हैं। आप भी हमारे देश में ऐसी शिक्षा प्रणाली लाने का प्रयास क्यों नहीं करते ? सोवियत संघ का संविधान क्या है ? मैं सोवियत संघ के अनुच्छेद 45 उद्धृत करना चाहूंगा। दूसरे देश के संविधान का उद्धरण देने के लिए आप मुझे क्षमा करें लेकिन जब आप कहते है आप समाजवादी है तो मैं भी कहता हूँ कि समाजवाद क्या है, हमारे सविधान में भी अनुच्छेद 45 है। यह मूल अधिकार नहीं है।

सोवियत संघ के संविधान के अनुच्छेद 45 में लिखा है :

"सोवियत संघ के नागरिकों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। यह अधिकार सार्ववजनिक अनिवार्य माध्यमिक शिक्षा के संस्थान द्वारा सभी प्रकार की शिक्षा की निःशुल्क व्यवस्था किए जाने के रूप में सुरक्षित है।"

क्या सरकार कोई ऐसा उदाहरण दे सकती है कि किसी भी समाजवादी देश में शिक्षा एक मौलिक अधिकार नहीं है ? ऐसा कोई भी समाजवादी देश नहीं है जहां शिक्षा एक मौलिक अधिकार के रूप में न हो। भारत एक अपवाद के रूप में है। केवल यही एक अपवाद है। भारत एक समाजवादी देश है जहां कुछ भी मौलिक नहीं है। यदि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार हैं भी, तो वे केवल सिद्धांततः हैं। वास्तव में वे मौलिक नहीं हैं।

सरकार का बहुत ही खास उत्तर है, वह है, "जनसंख्या" समस्या। जनसंख्या में तेजी से

वृद्धि के कारण सरकार समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रही है। चीन को लीजिए। क्या चीन की जनसंख्या भारत की जनसंख्या से कम है? नहीं। तो चीन अपने संविधान में मौलिक अधिकरों की किस प्रकार व्यवस्था कर सकता है?

5.00 म० प०

इस तरह, अच्छी बातों में हम अन्य देशों का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। केवल गलत बातों को अपनाते हैं। इस बात को मैं रहने देता हूं। वियतनाम को लीजिए। क्यूबा को लीजिए। पूरा राष्ट्र स्कूलों में जा रहा है। यह कैसे हो रहा है? वियतनाम जब उस शक्तिशाली साम्राज्यवादी ताकत, अमरीकी साम्राज्यवाद से जूझ रहा था, तो इसके साथ-साथ, उतने ही उत्तरदायित्व और उतने ही उत्साह से वह निरक्षरता के विरुद्ध लड़ाई कैसे शुरू कर सका? उन्होंने जो अनुभव किया वह यह कि 'यदि हम निरक्षरता दूर करने में विफल रहते हैं, तो हम अमरीकी साम्राज्यवादियों के विरुद्ध विजय प्राप्त नहीं कर सकते।" उनके नेताओं ने अपने देश में इसी बात पर बल दिया और उन्होंने साम्राज्यवाद को हरा दिया। मैं उसे उद्धृत करने नहीं जा रहा हूं। वह सब कुछ समाजवादी है।हम मिले-जुले हैं। हममें क्या मिला हुआ है? पूंजीवाद। एक और देश के बारे में देखें। एफ० आर० जी०, संघीय जर्मन गणराज्य। या तो आपको एक पुरुष होना चाहिए अथवा स्त्री। इसके बीच में आप कुछ नहीं हो सकते। यदि कुछ हो सकते हैं, तो वह खतरनाक है। आप पूंजीवादी व्यवस्था अपनाएँ अथवा समाजवादी। संघीय जर्मन गणराज्य के संविधान में क्या लिखा है? उनके मौलिक अधिकार—अनुच्छेद 7 के आरम्भ में 'मौलिक अधिकार' शीर्षक के अन्तर्गत लिखा है: समस्त शिक्षा प्रणाली राज्य के पर्यवेक्षण में होगी।' यह है संघीय जर्मन गणराज्य।

इसके बाद अफ्रीकी देशों पर आइए। भूमध्यवर्ती गुइनिया को देखिए—"सभी नागरिकों को शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है।

इसके पश्चात् वह देश, जिसके सत्ताधारी वर्ग ने फिलिस्तीनी लोगों के आन्दोलन को धोखा दिया उस देश का नाम लेने में मुझे वास्तव में दुःख हो रहा है। उनको भी मौलिक अधिकार प्राप्त हैं उसका नाम है मिस्र।

इस समय जनसंख्या के होने अथवा न होने का प्रश्न नहीं है। यदि वास्तव में हमारा राजनैतिक इरादा है और यदि समाज को सामान्य शिक्षा की आवश्यकता है तथा उसके लिए यदि हम अपना उद्देश्य बनाएं और उसे प्राप्त करें, तो उस स्थिति में यह जनसंख्या दुर्लभ्य दिखाई देने वाले इस विशाल कार्य को आरंभ करने में हमारे लिए लाभकारी सिद्ध होगी। सभी गांवों में हमारी जनसंख्या उसी प्रकार साक्षरता प्रचार में भाग लेगी जैसे कि क्यूबा में और सोवियत संघ में। परन्तु हमारे देश में ऐसा कोई नहीं है जो किसी दूसरे को प्रोत्साहित करे। सभी बैठे हुए हैं

[**श्री संफुद्दीन चौधरी**]

और सभी कर रहें हैं और यही सब कुछ.....

रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री बसन्त साठे) : हम आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं।

श्री संफुद्दीन चौधरी : मैं विभिन्न देशों द्वारा शिक्षा पर दिए जाने वाले तथा उनके बजटीय आबंटन और उनके जी. एन. पी. सकल राष्ट्रीय उत्पाद का भी उल्लेख करना चाहता हूँ। अब मंत्री महोदय ऐसा कर सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि आप भी यह कहना चाहेंगे कि प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना राज्यों का मुख्य कार्य है ऐसा आप कह सकते हैं। कल आपने ऐसा ही कहा था। मैं सहमत हूं। इसके पश्चात् मैं इस सरकार से अनुरोध करुंगा कि वह राज्य सरकरों को निदेश दे और कहे कि इसे एक मौलिक अधिकार बनाया जा रहा है। आप यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक बालक को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हो सके। आप उन्हें संसाधन उपलब्ध कराइये। वे काफी स्कूल खोल देंगे। ऐसी कोई समस्या नहीं है। परन्तु आप उनसे सभी वित्त साधन छीनते जा रहे हैं और उन्हें दे कुछ भी नहीं रहे हैं। तो आप दूसरों से यह आशा क्यों रखते हैं कि वे इसे करेगें। आपको मिलकर काम करना होगा।

अब प्रश्न यह है—और इस सम्मान्य सभा में यह कहते हुए मुझे बहुत दुःख हो रहा है कि शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में हमारे संविधान में शामिल किया जाय। मुझे वास्तव में दुःख हुआ है और अब यह सभी द्वारा पूरी तरह स्वीकार किया गया है कि ऐसा होना ही चाहिए। दूसरी तरह से यह नहीं हो सकता। इस बारे में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार घोषणापत्र का क्या कहना है ? वे अनुच्छेद 26 में कहते हैं, और हम संयुक्त राष्ट्र संघ के एक सदस्य हैं, उस विश्व समुदाय की सभी पुण्य घोषणाएं हमारे लिए मान्य हैं और इस संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार घोषणापत्र के अनुच्छेद में क्या लिखा है ? 'सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है और सभी से कम प्राथमिक और आधारभूत अवस्थाओं में शिक्षा निःशुल्क होगी। प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए।'

इसके बाद इसमें और आगे कहा गया है, माता-पिता को यह अधिकार है कि अपने बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा की किस्म का चुनाव कर सकें।" इस तरह नहीं कि आप अपनी मर्जी से कहें कि बच्चों को यह या वह पढ़ाया जाना चाहिए। यह किस प्रकार की हो—इसका चुनाव भी वे कर सकते हैं। इस संदर्भ में, मैं पुस्तकालय में संयुक्त राष्ट्र समुदाय की मानव अधिकार घोषणा पत्र संबंधी एक पुस्तिका पढ़ रहा था। श्रीमान, उपाध्यक्ष महोदय उस पुस्तिका में उन्होंने कहा है :

> "इस अधिकार को अब लगभग विश्वव्यापी रूप से मान्यता प्राप्त है।" हमारा देश विश्व का एक बड़ा हिस्सा है। मुझे नहीं मालूम कि उन्हें यह ज्ञात है या नहीं कि हमने शिक्षा को

मौलिक अधिकार नहीं बनाया है जबकि विश्वभर में उसे यह दर्जा प्राप्त है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को किस दृष्टिकोण से देखा जाएगा वह मैं नहीं जानता।''

और तत्पश्चात्, 10 दिसम्बर, 1948 को यह घोषणा स्वीकार कर ली गई। अपने सदस्य राज्यों को 4 फरवरी, 1949 को लिखे एक पत्र में यूनेस्को के—यह हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार सं० रा० अमरीका इसे समाप्त करने का प्रयास कर रहा था—महानिदेशक ने इसका उल्लेख किया। उन्होंने, मनुष्य की प्रतिष्ठा तथा स्वतन्त्राता के सिद्धान्तों के प्रति सम्मान प्रकट करने लिए प्रत्येक वर्ष, 10 दिसम्बर का दिन, सभी स्कूलों में कार्यक्रम के एक भाग के रूप में अलग से निश्चित किया। यह दिन हम मानव अधिकार शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। छात्रों पर छुट्टियों में कम भार लादा जाता है। वह इस दिन को नहीं मनाते हैं। वह इसलिए कि इस विशेष क्षेत्र में हमारा कोई मानव अधिकार नहीं है। आप क्या मनाऐंगे जब हमने इसे एक मौलिक अधिकार ही नहीं बनाया है ? इसे एक मौलिक अधिकार बनाए बिना, शिक्षा को अपने जीवन का एक स्वाभाविक अंग बनाए बिना, हम यह नहीं कह सकते कि हमारा समाज समानतावादी है। इस प्रकार कोई प्रगति नहीं होगी, कोई आत्म-प्रतिष्ठा नहीं होगी, कुछ भी प्राप्त नही किया जा सकता। प्रजातन्त्र के बारे में स्थिति क्या है ? अब हम समाजवाद के बारे में पढ़ते हैं। मुझे देखकर बहुत दुख हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों में हमने लोगों को इस बात पर विश्वास करते देखा है कि हमारे देश में समाजवाद है। लोगों को बताना यह बहुत कठिन है कि यह जो हमारे देश में है, वह समाजवाद नहीं है। इसके बाद भी वे समझते हैं कि हमरे देश में समाजवाद है। मैं नहीं जानता कि ऐसा किसने कहा। एक कहावत है कि 'प्रजातन्त्र शिक्षा के बिना जीवित नहीं रह सकता।'

'शिक्षा के बिना प्रजातन्त्र ऐसे ही है जैसे कि बिना नियंत्रण के मिथ्याचार'

यही कुछ चल रहा है (**व्यवधान**) मैंने ऐसा नहीं कहा। किसी और ने यह कहा था। मैं नाम भूल गया हूं। मैंने उसका नाम नहीं लिया है। मैं नहीं जानता कि इस प्रस्ताव के पारित होने की उम्मीद भी है या नहीं। मैं चाहता हूं कि इस प्रस्ताव की भी वह गति न हो, जो इससे पहले प्रस्ताव की हुई। मैं उस महान व्यक्ति का नाम लेना नहीं चाहता। मुझे और विनभ्र होना चाहिए। यदि आप इसे स्वीकार कर लेते हैं तो मुझे कहना चाहिए कि—मैं वास्तव में लज्जित होने से बच जाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरा नाम उस महान व्यक्ति गोखले के साथ जोड़ा जाय, जिसके इसी तरह के प्रस्ताव को अंग्रेजों के राज्यकाल में मुंह की खानी पड़ी थी। इस स्वतन्त्र देश में, मैं आप से निवेदन करूंगा कि मेरे प्रस्ताव को विफल ना करें।

अपने उत्तर में, मैं अन्य कई बाते कहूंगा। मुझे मालूम है कि इस प्रस्ताव का क्या होगा। फिर भी, मैंने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप पहले से ही ऐसा क्यों सोचते हैं ? आप सभा को युक्ति द्वारा समझा सकते हैं और इस प्रस्ताव को स्वीकृत करा सकते हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : हमारे देश में शिक्षा का यही भाग्य है। मुझे नहीं मालूम कि उन्हें कोई आशा भी है या नहीं। मुझे करोड़ों लोगों। काम करने वालों, किसानों और मेहनतकशों के प्रति आशा है। जब हम इस पर विचार-विमर्श करते हैं तो वे लोग, जो इस क्षेत्र में हैं, आगे आ सकते हैं। और तेजी से प्रचार करसकते हैं वे अनुभव करेंगे कि शिक्षा उनके लिए परम-आवश्यक है। वे अपने बच्चों को स्कूल मुझे अब एक लैटिन अमरीकी देश की एक कहानी याद आ रही है। मैं नहीं जानता किवह किसने लिखी है। यह बहुत ही सुन्दर है। मैं उम कहानी को सुनाना चाहता हूं।

इसके साथ हीं मैं अपना भाषण समाप्त कर दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : कहानी छोटी होनी चाहिए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : एक स्थान पर निरंकुश राज्य था। कसाइयों का एक दल, दिन भर के काम के बाद, पशुओं का वध करने वाले हथियार लिए, रेलगाड़ी से यात्रा करके घर लौट रहा था। वे अन्य लोगों के साथ लौट रहे थे, एक नेत्रहीन व्यक्ति भी उस रेलगाड़ी में था। परन्तु, वहां कोई रोशनी नहीं थी। उत्सुकतावश, वह नेत्रहीन व्यक्ति जानना चाहता था कि अखबार में क्या खबर छपी है। तब एक सहयात्री ने ध्यान दिलाया कि इस डिब्बे में कोई रोशनी नहीं है। नेत्रहीन व्यक्ति अत्यन्त उग्र हो उठा और बोला, "कोई रोशनी नहीं है। कोई रशनी नहीं है। आप कैसे सह सकते हैं? रोशनी हमारा अधिकार है" वह नेत्रहीन व्यक्ति रोशनी के लिए विद्रोह का कारण बना और जब वह विद्रोह पूरा हुआ तो बाद में उन्हें न्यायालय ले जाया गया और न्यायाधीश ने पूछा, "विद्रोह का नेतृत्व किसने किया?" उन्होंने कहा, "इस नेत्रहीन व्यक्ति ने हमारा नेतृत्व किया।" न्यायाधीश ऐसे कोरी झूठ पर विश्वास नहीं कर सका, वह क्रोधित हो उठा और उसने उन्हें झूठ बोलने के अपराध में जेल भेज दिया।

श्रीमान, उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का अभिप्राय यही है कि हमारे लोग आज अनपढ़ और अज्ञानी हो सकते हैं, परन्तु वे उन्नति की ओर अग्रसर हैं। उन्हें अपने अधिकार का आभास होगा और रोशनी के लिए लड़ेंगे। वे बाहरी लड़ाई लड़ रहे हैं। यहां, हम केवल उनकी लड़ाई के भाग के रूप में और उसकी निरन्तरता के रूप में यह प्रस्ताव रख सकते हैं और मैं चाहता हूं कि जनचेतना की इस फैलती हुई रोशनी से सरकार को भी ज्ञान प्राप्त हो।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : महोदय में प्रस्ताव करता हूं :

कि संकल्प में,—

"अधिकार को" और "हमारे" के बीच

"सभी राज्यों की सहमति होने पर,"

अन्तःस्थापित किया जाये। (1)

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि संकल्प में,—

अन्त में यह जोड़ा **जोड़ा जाये**—

"ताकि सब के लिए प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य पूरा किया जा सके,

जैसा कि जम्मू और काश्मीर सरकार ने निर्णय किया है।" (2)

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़सेर) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री सैफुद्दीन चौधरी ने जो प्रस्ताव रखा है, यों तो सभी सदस्य उसकी भावना से सहमत हैं, पर हमारे राष्ट्र-निर्माता, जिन्होंने संविधान बनाया था, उन्होंने भी प्राथमिक शिक्षा को बहुत ही महत्व दिया था। आर्टिकल 45 में उन्होंने विशेषतौर से वर्णन किया है :—

"राज्य इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की कालावधि के भीतर सब बालकों को चौदह वर्ष की अवस्था तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिये उपबंध करने का प्रयास करेगा।"

हमारे संविधान के निर्माताओं ने उस समय देश की परिस्थिति और आर्थिक स्थिति को देखकर, यह जान कर कि हमने कितने वर्षों की गुलामी के बाद आजादी प्राप्त की है, यह निर्णय लिया था। उन्होंने यह तय किया था कि 10 वर्षों में 6 से 14 वर्ष के लड़के-लड़कियों को कम्पलसारी एजूकेशन प्राप्त करा दी जायेगी।

उन्होंने कांस्टीट्यूशन में यह भी निर्णय लिया था कि अनुसूचित जाति और जन-जाति के लोगों के लिये रिजर्वेशन का प्राबीजन 10 वर्ष के लिये किया जाये। उन्होंने यह सोचा था कि हम 10 वर्ष में इतनी उन्नति कर लेंगे कि प्राथमिक शिक्षा में हम कम्पलसरी एजूकेशन तक पहुँच जायेंगे। यह उनका एक उद्देश्य था। परन्तु उस उद्देश्य की हम पूर्ति नहीं कर पाये और आर्थिक प्रगति भी नहीं कर पाये क्योंकि उस समय राज्यों में राजाओं का सामन्तशाही राज्य था।

हमारे यहाँ इस प्रकार की स्थिति थी कि पढ़ने के लिये बिल्कुल मनाही थी। जब मैं खुद पढ़ता था, उस समय बाड़मेर जिले में सिर्फ एक मिडिल स्कूल था, और किसी गांव, तहसील या मुख्यालय में कोई प्राइमरी और मिडिल स्कूल नहीं था।

5.15 म० प०

श्री चिन्तामणि पणिग्रही पीठासीन हुए

उस समय जो बच्चे पढ़ते थे, वे प्राईवेट स्कूलों में पढ़ते थे। उन्हें कुछ गणित सिखा

[श्री वृद्धि चन्द्र जैन]

दिया जाता था और मारवाड़ी या राजस्थानी का अभ्यास करा दिया जाता था। सामंत और राजा दबाव डालते थे कि तुम्हें पढ़ने का अधिकार नहीं है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों पर तो विशेष रूप से बहुत दवाव था कि वे किसी सूरत में नहीं पढ़ सकते। उस स्थिति से हम निकल आए।

श्री चौधरी ने वर्णन किया है जब दादाभाई नौरोजी, महात्मा गांधी, तिलक और जवाहर लाल नेहरू जैसे बड़े-बड़े नेता आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो साथ ही वे यह प्रचार भी कर रहे थे कि हमें जो शिक्षा दी जा रही है, वह गुलामी की प्रवृत्ति पैदा करती है, उसके स्थान पर हमारी शिक्षा राष्ट्रीय भावनाओं से ओत-प्रोत होनी चाहिए। इस दृष्टि से देश में विद्यापीठ स्थापित किए गए थे। आचार्य कृपालानी एक विद्यापीठ के प्रिंसिपल थे।

हमारे संविधान में यह व्यवस्था की गई थी कि दस वर्ष के भीतर देश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबन्ध किया जाएगा। यह प्रावधान हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्ज आफ स्टेट पालिसी में से एक है। इतने अरसे के बाद जब हमें इसे कार्यान्वित करना चाहिए। मैं भी चौधरी की इस बात से सहमत हूं कि हर एक व्यक्ति को पढ़ने का फंडामैंटल राइट होना चाहिए। देश के काफी क्षेत्रों में छः वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ाने की स्थिति हो गई है, और रेगिस्तानी और पहाड़ी क्षेत्रों में वह स्थिति पैदा हो गई है।

मेरे मित्र ने कहा है कि कौठारी कमीशन की रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी विद्यार्थी को पढ़ने के लिए एक मील से ज्यादा दूर न जाना पड़े। आज की परिस्थतियों में यह व्यवस्था करनी चाहिए कि विद्यार्थी को एक किलोमीटर से ज्यादा दूर न जाना पड़े किन्तु रेगिस्तानी क्षेत्र की परिस्थिति यह है कि हमारे गांव 25 वर्ग किलोमीटर से ले कर 400 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए हैं, लोग डाणियों के समूहों में रहते हैं, किसी गांव की आजादी 2000 है, किसी की 4000 है और किसी की 5000 है। राजस्थान सरकार ने यह फैसला किया था कि 300 की जनसंख्या वाले गांव में प्राइमरी स्कूल खोल दिया जाएगा और शिक्षा को अनिवार्य कर दिया जाएगा। हमने कहा कि हमारे यहां जो परिस्थिति है, उसमें यदि 300 की पापुलेशन वाले रेवेन्यु विलेज को आधार बनाया जाएगा, तो हमारी जनता इस व्यवस्था से लाभ नहीं उठा सकेगी। हमारी दलील का प्रभाव हुआ और मुख्य मंत्री ने स्वीकार किया कि रेगिस्तानी और पहाड़ी क्षेत्रों में 300 की जनसंख्या के आधार में रिलेक्सेशन दिया जाना चाहिए और दिया गया।

मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि रेगिस्तानी क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र, विशेषकर मेरा वाड़मेर जिला शिक्षा और साक्षारता की दृष्टि से सब से पिछड़ा हुआ है। 11

प्रतिशत ही वहां साक्षरता है। लड़कियां दो प्रतिशत भी शिक्षित या साक्षर नहीं हैं। उनके लिए आपने अनौपचारिक शिक्षा की घोषणा की है। उसके लिए दस हजार स्कूल्स खोलने का फैसला और उस की घोषणा कल ही की है। अनौपचारिक शिक्षा की बात तब आती है जब कोई भी स्कूल न हो और उस के लिए अध्यापक भी न हों, उस समय हमारे लिए और कोई रास्ता नहीं रहता है सिवाय इस अनौपचारिक शिक्षा का इन्तजाम करने के। उसके अन्दर आठवीं कक्षा जो पास हैं उन को नौकरी दी जाती है और उन को 105 रुपया पार्ट वर्क के हिसाब से दिया जाता है।

मैं उन अनौपचारिक शिक्षा के स्कूलों में गया हूं। वहां पर पहली बात जो उन्होंने कही वह यह कि 105 रुपया जो है यह बहुत कम एमाउंट है, इसे कम से कम 210 रुपया प्रति माह होना चाहिए। इसके बारे में भी मंत्री महोदय गौर करें क्यों कि यह सेंटर की जो एजूकेशन की पालिसी है, राज्य भी उसी से गाइड होते हैं। तो पहली बात वहाँ पर हमारे सामने जो आई वह इस प्रकार की आई।

दूसरी स्थिति प्राइमरी स्कूलों में यह है कि राजस्थान के अन्दर 7 हजार अध्यापकों की कमी है। हमारे जिले बाड़मेर और जैसलमेर के अन्दर 1 हजार अध्यापकों की कमी है। बहुत से इस प्रकार के प्राइमरी स्कूल हैं जहां पर कोई भी अध्यापक नहीं है। मैं यह चाहताहूं कि कम्पलसरी एजूकेशन करने से पहले इस कमी की पूर्ति करें जिससे कि जो समस्याएं हैं उनका हल और निदान हो सके। इन रेगिस्तानी और पहाड़ी क्षेत्रों में प्राइमरी शिक्षा के लिए जो 49 विद्यार्थियों के ऊपर एक अध्यापक रखने की बात की गई है, इसमें रिलेक्सेशन करके 30 विद्यार्थियों पर एक अध्यापक रखने का नामं बनाएं। पहले अभी यह स्थिति तो पैदा कर दें कि उन प्राइमरी स्कूलों में जितने अध्यापकों की आवश्यकता है उनकी पूर्ति हो जाय। पहले तो 49 के हिसाब से ही उनकी पूर्ति करें और फिर रेगिस्तानी और पहाड़ी क्षेत्रों में उसे रिलैक्स कर के 30 विद्यार्थी के हिसाब से पूर्ति करें।

इसी प्रकार से मिडिल स्कूलों की भी हालत है। मिडिल स्कूल भी जब नये खुलते हैं तो एक या दो अध्यापक ही वहां रहते हैं जबकि आवश्यकता सात या आठ की होती है। इसलिए प्राइमरी और अपर प्राइमरी या मिडिल एजूकेशन जो है इस का स्तर जो हम चाहते हैं वह स्तर नहीं बन पाता है। बल्कि उन का स्तर और गिर रहा है और अनौपचारिक शिक्षा से तो और वह स्तर गिरता है। कौन सी महान विभूतियों ने या शिक्षाविदों ने इस प्रकार की अनौपचारिक शिक्षा की योजना बनायी, मैं नहीं जानता। लेकिन उन क्षेत्रों में हां सचमुच शिक्षा का कोई प्रसार नहीं है, वहां जब अध्यापक ही नहीं है तो इतना तो इस से जरूर है कि अध्यापक तो आठवीं कक्षा पास मिल जाते हैं, किन्तु उन का स्तर ऊंचा नहीं हो सकता। इस कारण रेगिस्तानी, पहाड़ी या पिछड़े हुए क्षेत्रों के ये विद्यार्थी किसी काम्पीटीशन में स्टैंड नहीं कर सकते। कोशिश यह होनी चाहिए कि सारे देश में उन का स्तर एक समान हो और सारे देश में एक समान सिलेबस हो

[श्री वृद्धि चन्द्र जैन]

जिससे सब बराबर की शिक्षा प्राप्त करके काम्पीटीशन में स्टैंड कर सकें। और वह भी आगे बढ़ सकें, आई. ए. एस., आई. पी. एस. में वे भी आ सकें। आज कल की स्थिति तो यह है कि बाडमेर और जैसलमेर के इलाके से बहुत ही कम लोग आई. ए. एस. और आई. पी. एस. में चुनकर आ सके हैं। उनकी एजूकेशन इस प्रकार की है कि वे उनमें नहीं आ पाते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप एजूकेशन का विस्तार करें परन्तु विस्तार के साथ-साथ क्वालिटी का भी ध्यान रखें। यदि शिक्षा की क्वालिटी नहीं बढ़ेगी तो वह देश भी आगे नहीं बढ़ सकेगा। इस देश के जो पिछड़े इलाके हैं वे पिछड़े ही रहेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ, चौधरी साहब ने यहां पर जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं और साथ ही यह आग्रह पुनः करना चाहता हूं कि आप कम्पलसरी एजूकेशन की ओर बढ़ें। आप इस बात का निश्चय कर लें कि चाहे कितनी भी धनराशि क्यों न व्यय करनी पड़े, सातवीं पंचवर्षीय योजना में छः से चौदह वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जायेगी। इसी भावना के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री राकेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, श्री सैफुद्दीन चौधरी साहब ने अपनी बात यहां पर बहुत अच्छे ढंग से रखी है। उन्होंने अपने रेजोल्यूशन के माध्यम से यह मांग रखी है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को कम्पलसरी और फ्री एजूकेशन मिलनी चाहिए। हमारे संविधान में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपुल्स आफ स्टेट पालिसी हैं उनमें भी इस बात का उल्लेख है। उन्होंने आर्टिकल 15 का भी यहां उल्लेख किया है। जब हमारा संविधान बना तो उसमें यह निर्देश दिया गया था कि देश के लोगों को जागरूक किया जाए ताकि वे समझें कि हमारे फंडामेन्टल राइट्स क्या हैं। आर्टिकल (45) में साफ कहा गया था :

> "राज्य इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की कालावधि के भीतर सब बालकों को चौदह वर्ष की अवस्था समाप्ति तक निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिये उपबन्ध करने का प्रयास करेगा।"

दस साल के बाद उसको अनिवार्य कर देना चाहिए था। मैं जानता हूं कि सरकार इस प्रस्ताव को पारित नहीं होने देगी लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि संविधान के निर्माताओं की यह मंशा थी कि इस देश के लोगों को तालीम मिले क्योंकि लोकशाही तभी इस देश में कायम रह सकती है जबकि लोग शिक्षित होंगे और वे इस बात को समझेंगे कि उसके क्या अधिकार हैं और क्या कर्त्तव्य हैं। शिक्षा के अभाव में उनको इन बातों की जानकारी नहीं हो पायेगी। लेकिन दुर्भाग्य से आज भी इस देश में 70 परसेन्ट से अधिक इल्लिटरेसी है हालांकि सरकार की ओर से जो आंकड़े दिए जाते हैं वह 30, 32 और 33 परसेन्ट के होते हैं। आज 36 साल की आजादी के बाद भी देश में शिक्षा की जो स्थिति है वह बड़ी दयनीय है। कम से कम जो प्राइमरी एजूकेशन है उसको तो अनिवार्य रूप में लागू ही करना चाहिए। आज मन्त्री जी मेरे साथ गांवों में चलें तो

मैं उनको बहुत सारे गांव ऐसे गिना दूंगा जहां कोई स्कूल ही नहीं हैं। वहाँ की आबादी दो या तीन हजार होगी लेकिन स्कूल कोई नहीं है।

आप उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखती हैं, इसलिए सभापति महोदय मैं आपके माध्यम से अर्ज करना चाहूँगा कि काफी स्कूलों की तादाद ऐसी हैं, जहां पर पढ़ाने वाला अध्यापक एक है और कहीं-कहीं पर तो एक भी नहीं है। कोठारी साहब की एक बात याद आ गई, ऐसा लगता है कि स्कूल तो बना दिए हैं, लेकिन दीवारें हैं, ब्लैक बोर्ड नहीं और चौक नहीं है। उन्होंने कहा है—"विद्यार्थी संस्थानों के लिए नहीं बने हैं, संस्थान विद्यार्थियों के लिए बने है।" लेकिन मुझे इसका उल्टा लगता है। आपने छात्रों की फौज तो तैयार कर ली है, लेकिन इन्स्टीचूशन की बात सही नहीं है। यही हालत रही तो शिक्षा का क्या होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है। संविधान के निर्माताओं ने यह नहीं कहा है, जैसा कि मानीय सदस्य श्री जैन साहब कह रहे थे। उन्होंने कहा—"राज्य कमजोर वर्गों के लोगों के आर्थिक तथा शैक्षणिक हित संवर्धन पर विशेष ध्यान देगा और विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के, और उन्हें सामाजिक अन्याय एवं सभी तरह के शोषण से संरक्षण प्रदान करेगा।" आप कभी जाकर हरिजन बस्तियों को देखें, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपने सुविधाएं नहीं दी हैं, नौकरियों में मार्क्स की सुविधा दी है, लेकिन हजारों बच्चे ऐसे हैं जो गुल्ली-डंडा खेल रहे हैं। अनिवार्य नाम की कोई शिक्षा नहीं है। हिन्दुस्तान की इतनी आबादी जब पढ़ी लिखी नहीं होगी, तो उसकी हालत क्या होगी। कहते हैं कि क्राइम बढ़ रहे हैं, लोग गलत कामों की तरफ जा रहे हैं, जब देश की आबादी पढ़ी लिखी नहीं होगी, रोजगार नहीं मिलेगा, तब उनका और क्या हाल हो सकता है। आई. ए. एस., आई. पी. एस. की बात छोड़ दीजिए, मैं तो क्लर्क बनाने की बात करता हूं, अब क्लर्क बनाने की बात भी नहीं रही। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको इस समाज को अनिवार्य रूप से शिक्षा देनी होगी। आप अनिवार्य रूप से समाज के लोगों को शिक्षा नहीं देंगे तो समाज का बहुत बड़ा हिस्सा बेकार हो जायेगा।

जहां तक लड़कियों का सवाल है, इनकी गांवों में बहुत बुरी हालत है। हो सकता है कि हिन्दुस्तान की प्रधान मंत्री महिला है, शिक्षा मन्त्री भी महिला है और गृह राज्य मन्त्री जी भी महिला है, उनको सुविधा हो सकती है, लेकिन हमारी बहनें जो दूर गांवों में रहती हैं उनकी स्थिति बहुत ही नाजुक है। कहीं स्कूल नहीं हैं। बड़ी दूर-दूर तक लड़कियां पढ़ने के लिए जाती हैं, लेकिन जब लड़की सयानी हो जाती है, तो भेजने की भी बड़ी दिक्कत सामने आती है क्योंकि समाज में हालात ही इस प्रकार के पैदा हो गये हैं। देश का अच्छा नागरिक बनाने के लिये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लड़कियों को भी अनिवार्य रूप से शिक्षा देनी चाहिए। मैं समाजवादी देशों की बात नहीं कह रहा हूं, नहीं तो तुलना करने में बड़ी परेशानी होगी। संविधान के आर्टिकल-41 में कहा गया है—

"राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा

[श्री राकेश कुमार सिंह]

पाने के तथा बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और अंगहानि तथा अन्य अनर्ह अभावों की दशाओं में सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का कार्यसाधक उपबन्ध करेगा।"

आप कहेंगे कि आर्थिक स्थिति नहीं है। मैं राडट-टू-वर्क की बात न करके राइट-टू-ऐजूकेशन की बात कहना चाहता हूं। कुछ खर्चा दूसरी जगहों पर से कर्टेल करके शिक्षा देने की ओर लगाइये, जिससे आने वाली पीढ़ियों का उज्ज्वल भविष्य बनेगा और वे भी देश की कुछ सेवा कर सकेंगी।

एक बात मैं स्कूल और इन्स्टीचूशन के बारे में कहना चाहता हूं। दिल्ली में मुझे किसी ने कहा कि क्या आपकी किसी मिशनरी स्कूल में जान पहचान है या किसी पब्लिक स्कूल में है। मैंने कहा मैं पब्लिक स्कूल में नहीं पढ़ा हूं। इन स्कूल में भी दाखिले के लिए संसद सदस्यों की सिफारिश चाहिए या फिर पैसे की बात बीच में आ जाती है।

एक तरफ तो एसे लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और दूसरी तरफ वे हैं जिनके पास कोई सुविधा नहीं है। आपने शिक्षा को दो वर्गों में बांट दिया है। इस शिक्षा पद्धति को बदलना चाहिए। इस शिक्षा पद्धति का परिणाम यह होता है कि बड़े लोगों के बच्चे तो शुरू से ही फलूएंट इंग्लिश बोलते हैं और गरीब बच्चा जिस शिक्षा संस्था में पढ़ कर आता है उनका मुकाबला नहीं कर पाता। मैं आपको अपना अनुभव बतलाता हूं--मैं कलकत्ता में बी० ए० का विद्यार्थी था। मुझे मालूम है जब उन लड़कों के साथ कम्पीटीशन की बात आती थी, जो बड़े घरों के लड़के थे, जिनको इंग्लिश अच्छी आती थी तो हमें दिक्कत होती थी क्योंकि हम हिन्दी और इंग्लिश मीडियम से शिक्षा प्राप्त करते थे। हमारे सामने एक तरह की झिझक होती है। इसलिए मैं उस माहौल की बात कह रहा हूं, जिसमें बच्चा बनता है, उस माहौल का आज हमारे स्कूल में सर्वथा अभाव है।

आप इक्वेलिटी की बात कहते हैं, लेकिन इन हालात में तो आप इक्वेलिटी नहीं ला सकते। मैं आप से यह कहना चाहता हूं कि उस दिशा में चलने का प्रयास तो कीजिए। मैं शिक्षा के नैशनलाजेशन की बात नहीं कह रहा हूं, क्योंकि नेशनलाइजेशन की आज जिस संदर्भ में बात की जाती है, उसमें तो चन्द लोगों को ही शिक्षा का लाभ हो सकेगा, इसलिए मैं इसके समाजीकरण की बात कहता हूं, शिक्षा का समाजीकरण होना चाहिए। समाज के सब हिस्सों को बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए जिसके द्वारा सब वर्गों के बच्चे बन सकें, किसी एक वर्ग के बच्चे ही सारा लाभ न उठा लें। इसमें राजनीतिक दलों की उपलब्धि का कोई प्रश्न है, बल्कि यह मूल रूप से सामाजिक प्रश्न है।

मेरे दोस्त श्री चौधरी ने जो प्रस्ताव रखा है, सरकार को तहेदिल से उनका शुक्रगुजार

होना चाहिए और खासतौर से मंत्री महोदया को, जिनके दिल में जरूर कुछ वात्सल्य होगा, वह जरूर चाहती होंगी कि हमारे बच्चे, बहन, भाई, अच्छे इन्सान बने, काबिल बने। सभापति जी, मैं फीरोजाबाद से आता हूं, जो चूड़ियां बनाने का बहुत बड़ा केन्द्र है; इस नाते वहां हजारों मजदूर रहते हैं। वहां छोटे-छोटे बच्चे दो-दो रुपये रोज पर कारखानों में काम करते हैं। केवल वहां पर ही नहीं, हिन्दुस्तान में एक करोड़ 10 लाख बच्चे मजदूरी करते हैं। आप कैसी लोकशाही की बात करते हैं, यह कहां की लोकशाही है ? यदि उनको मजदूर ही बनाना है तो कम से कम ऐसी शिक्षा दीजिए जिससे वे शिक्षित मजदूर बन सकें।

अब मैं इसके आर्थिक पहलू के बारे में एक सुझाव देना चाहता हूं। बहुत जगहों पर लोग एजूकेशन इंस्टीवूशन्ज खोलते हैं, पैसा कमाने के लिए ऐसा करते हैं, मैं ऐसे लोगों की बात आपसे नहीं कह रहा हूं। बल्कि मैं यह कहना चाहता हूं—आज भी गांवों में लोग ग्राम पंचायत के अंतर्गत सामूहिक रूप से कुछ लोग मिलकर स्कूल की बिल्डिंग बना देते हैं और कहते हैं कि अब इस में अध्यापक रख दो, इसको स्कूल के रूप में चला दो। सरकार को तुरन्त ऐसे स्कूलों को अपने हाथ में लेना चाहिए और उनको स्कूल के रूप में चलाना चाहिए तथा उनमें अध्यापक की नियुक्ति करनी चाहिए। उस स्कूल की देख-रेख के लिए ग्राम पंचायत को या कम से कम वहां के सरपंच को उसमें इन्वाल्व करना चाहिए जिससे कि वे भी उसकी देख-रेख में हिस्सेदार हो सकें। वरना क्या होता है, स्कूल खुल गया, अध्यापक आते हैं, चले जाते हैं, बिल्डिंग ढ़हती रहती है, कोई मेन्टेनेन्स नहीं होती, बच्चों से दूसरे काम लिए जाते हैं। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ और आशा करता हूं मंत्री महोदया इस पर गम्भीरता से विचार करेंगी।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : सभापति जी, चौधरी साहब का भाषण सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। आप बड़ी गहराई से अध्ययन करते हैं। हमने कबीर दास जी को डिग्री लेते हुए नही देखा। वे कहते थे—

पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय,
ढ़ाई अख्खर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय।

जब हिन्दुस्तान आजाद हुआ, तो लोग कम पढ़े-लिखे थे, लेकिन उन लोगों ने आजादी की क्रांति में आगे बढ़कर भाग लिया। मैं चौधरी साहब की पार्टी की बात नहीं कहता, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि यह जो मुल्क है—यह ऋषियों और मुनियों का देश है। इस मुल्क में शिक्षा का क्या मतलब है ?

यह एलीमेंटरी और यूनिवर्सल एजूकेशन का सवाल नहीं है और यह केवल अक्षर ज्ञान

[श्री राकेश कुमार सिंह]

नहीं है। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने कोई डिग्री शान्तिनिकेतन से नहीं ली थी लेकिन उनकी जो शिक्षा थी वह कैसी थी। उन्होंने गीतांजलि लिखी, तो भारत का सर ऊंचा कर दिया और आप लोगों का सर ऊंचा कर दिया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप फडामेंटल राइट की बात कहना चाहते हैं और साथ-साथ कान्करेन्ट लिस्ट की बात भी कहते हैं। अगर वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट यह लिखकर देती है कि यह तो केन्द्रीय सरकार का विषय हो जाना चाहिए और हम अपने अधिकार को देना चाहते हैं, तो हम आप की बात समझ सकते हैं। सरकार आज 10 करोड़ बच्चों को पढ़ाती है और सरकार ने निर्णय लिया है और श्रीमती इन्दिरा गांधी ने एक बात कही थी और श्रीगती शीला कौल, जो कि भारत की शिक्षा मंत्री हैं, ने भी अपने ब्रोडकास्ट में एक बात कही थी, और मैं आप का ध्यान उन बातों की ओर दिलाना चाहता हूं। फंडामैन्टल राइट्स किसको कहते हैं। आर्टिकल 19 में आपको अधिकार है कि आप चाहे जितनी शिक्षा प्राप्त करना चाहें करें। आप यह कहते हैं कि रोजगार एक फन्डामेंटल राइट होना चाहिए, आदमी को कमाने का हक मिलना चाहिए, तो बात समझ में आ सकती थी लेकिन आप चाहते हैं कि फन्डामेंटल राइट डिग्री लेने का हो, तो यह कहां तक उचित है। आज पढ़ाई का परपज क्या होता है, यह बात सोचने की है :

> "लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखे बिना निर्धन लोगों पर दबाव डालना कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजें इसका कोई फायदा नहीं है। सिर्फ खैरात से काम नहीं चलेगा। प्रयोजन क्या है? आपकी शिक्षा जो विद्यमान है, क्या अच्छे जीवन का मार्ग दर्शन करती है?"

इलीमेंटरी एजूकेशन की आप बात कह रहे थे। मैं एक बात को मानता हूं हमने संविधान में डाइरेक्टिव प्रिंसपिल्स में यह कहा था कि 1960 में हम इसे कर देंगे। 1960 के बाद सरकार 1970 पर आ गई और 1970 के बाद 1976 पर आ गई और 1976 के बाद सरकार 1988 पर आ गई और फिर 1990 की बात कही :

> "सबके लिए शिक्षा का उद्देश्य अभी भी बहुत दूर की बात है। यद्यपि संविधान में इस उद्देश्य को प्राप्त करने की व्यवस्था 1960 थी। फिर इसे 1970 कर दिया गया, इसके पश्चात 1976 और फिर दोबारा 1988 और 1990 कर दिया गया।"

क्यों? जनसंख्या वृद्धि के कारण।

हिन्दुस्तान की सरकार के सामने एक सवाल आता यह है कि हर साल आप एक आस्ट्रेलिया पैदा करना चाहते हैं इस देश में लेकिन जनसंख्या की बात आपने उड़ा दी और अब आप कहने लगे "**इट मस्ट बी ए राइट**" हम तो कहते हैं कि आप इस राइट को बनाइए लेकिन क्या यह

एजूकेशन है जो कि आप देना चाहते हैं। गांव में अगर श्री सैफुद्दीन चौधरी जैसे शिक्षक हो जाएं, तो मैं गांव में अपने बच्चों को भेजने को तैयार हूं लेकिन जिस लड़के को किसी जगह नौकरी नहीं मिलती है, वह टीचर बन जाता है और गांव में पढ़ाने के लिए जाता है। गांव में पढ़ा लड़का चपरासी बनता है और पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाला लड़का कलक्टर बनता है। तो इस तरह की शिक्षा यहां पर हिन्दुस्तान में दी जाती है। अब कितनी शिक्षा दी गई है, इसके बारे में भी सुन लीजिए :

> "प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ देने वाले बच्चे ही 63.1 प्रतिशत हैं और माध्यमिक स्कूलों में यह 77.1 प्रतिशत है। सर्वेक्षण से पता चला है कि 6-11 वर्ष की उम्र के 82.5 प्रतिशत प्राथमिक स्कूलों में पंजीकृत बच्चों में से, 63.1 प्रतिशत प्राथमिक शिक्षा स्तर में ही स्कूल छोड़ देते हैं 11-14 वर्ष की उम्र के 36.3 प्रतिशत में से 77 प्रतिशत बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं।"

श्रीमती गांधी ने रेडियो पर शिक्षा के बारे में कहा है। चौधरी साहब के भाषण से ऐसा लग रहा था कि जैसे डेमोक्रेसी सिर्फ पढ़े-लिखे लोगों के लिए ही है। ये यूनिवर्सिटीज, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और दूसरी यूनिवर्सिटियां ये सब चरस और गांजा पीने और मौज करने के लिए नहीं बनी हैं। आज आप शिक्षा का मतलब क्या लेना चाहते हैं। शिक्षा का मतलब है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास। शरीर से, मस्तिष्क से उसका सर्वांगीण विकास होना चाहिए। एलीमेंट्री एजूकेशन में हमने कैसे नहीं माना है। -प्राइम मिनिस्टर ने कहा है—

प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण पर राष्ट्रीय अभियान के सम्बन्ध में, जो कि आज, शिक्षक दिवस से आरम्भ होने जा रहा है, निम्नलिखित संदेश जारी किया है:—

> "अध्ययन और अध्यापन की भारत में लम्बी परम्परा है। हमारी प्राचीन शिक्षा संस्थाओं ने पूर्ण व्यक्तित्व के निर्माण का प्रयत्न किया जिसमें व्यक्ति का निर्माण और उसका ज्ञानवर्धन शामिल है।"

यह उनका भाषण था। उन्होंने कहा में एंटायर एजूकेशन के पक्ष में हूं। इस बात को श्रीमती शीला कौल ने भी कहा है ब्राडकास्टिंग के समय—शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री श्रीमती शीला कौल का प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण पर राष्ट्रीय अभिमान के प्रारम्भ करने के अवसर का प्रसारण :

> "विकासशील राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने के लिए राष्ट्रीय आन्दोलन का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण करना है। इस में हमारे संबिधान में भी इसका समावेश किया गया है।"

[श्री राकेश कुमार सिंह]

उन्होंने विस्तार से यह बताया है कि ये तरीके हैं और ये 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत रखे गए हैं। अतः उन्होंने ये मार्गदर्शी सिद्धान्त राज्यों को दे दिये हैं।

"सम्पूर्ण 'प्राथमिक शिक्षा' को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एम०एन०पी०) के अन्तर्गत शामिल किया गया है और 'प्राथमिक शिक्षा' को योजना के तहत शिक्षा में उच्च वरीयता प्रदान की गई है।

सब ग्रामवासियों की जरूरत पूरी करने के लिए थोड़े फासले पर प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल खोले जायें।

वर्तमान में विद्यमान स्कूली सुविधाओं के उपयोग को और अधिक बढ़ाना।

एक-अध्यापक वाले स्कूलों को दो-अध्यापक वाले स्कूलों में बदलना।"

इस सम्बन्ध में पूरे मार्ग दर्शी सिद्धांत दे दिये गए हैं। और कितने राज्य उसका अनुसरण कर रहे हैं? इस बारे में उन्होंने आंकड़े दिए है। जब कभी आप हिन्दुस्तान की गरीबी और विशालता तथा पापूलेशन के बढ़ने की बात कहते हैं, इसके कारण आपको कभी-कभी ऐसी बातें कहते समय सोचना चाहिये। हमने तो पूरा अधिकार दे रखा है।

"इस सन्दर्भ में यह तर्क दिया गया है कि विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा को नियंत्रित करने के लिए भिन्न-भिन्न नियम हैं और विभिन्न प्रबन्धकों के अधीन कई एक निजी स्कूल खुले हुए हैं।

विभिन्न राज्यों से प्राप्त प्रतिवेदनों के अनुसार चौदह राज्यों तथा संघ-शासित प्रदेशों में दसवीं कक्षा तक सबके लिए निःशुल्क शिक्षा है : ये हैं : आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, नगालैंड, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश तथा कुछ अन्य यहां पर अनिवार्य शिक्षा हो सकती है परन्तु मध्य प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम तथा उत्तर प्रदेश में यह सुविधा सिर्फ लड़कियों के लिए ही उपलब्ध है।"

मैं चौधरी साहब से पूछना चाहता था कि वे किस तरह की एजुकेशन चाहते हैं ? हमने तो शिक्षक को भगवान का रूप माना था। हमने तो कहा है कि पापुकेशन पर कंट्रोल होना चाहिए। हमने वैस्ट बंगाल को कब मना किया कि कम्पलसरी एजुकेशन मत कीजिए ? कंकरेट लिस्ट में होने के कारण स्टेट को भी विश्वास में लाना होगा। एजुकेशन का मतलब सिर्फ अक्षर ज्ञान ही नहीं बल्कि व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए। इसी पालिसी को लेकर सरकार अगे बढ़ रही है। आप इतिहास को बदलते की कोशिश मत कीजिए।

श्री चन्द्र पाल शैलानी (हाथरस : हमारे विपक्ष के साथी जो अपनी भावनाएं व्यक्ति की है, उनसे मैं पूर्णतया सहमत हूं। इस संम्मानित सदन में समय-समय पर शिक्षा और काम के अधिकार को मूल अधिकारों में शामिल करने की अनेक बार चर्चाएं हो चुकी है। हकीकत यह है कि जब हम आजाद हुए थे और गुलामी की जंजीरों को तोड़कर फेंक दिया था, उस वक्त देश में ऐसी प्लानिंग की आवश्यकता थी जिसमें शिक्षा का अत्यन्त ही महत्वपूर्ण स्थान था। पता नहीं, किस कारण हमारी प्लानिंग ठीक तरह से नहीं बन पायी। उसका नतीजा यह निकला है कि आज हमारी शिक्षा अस्त-व्यस्त हालत में है। हमारे गरीब और पिछड़े हुए देश में अनेक भाषाओं के बोलने वाले और अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। इसलिए ऐसी शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए जो सभी धर्म जाति और वर्ग के लोगों को चाहे अमीर या गरीब हो एक समान शिक्षा मिल सके। हमारे संविधान में समता, स्वतंत्रता, शोषण, धर्म, स्वतंत्रता, संस्कृति, शिक्षा और सम्पत्ति तथा संवैधानिक उपचारों के अधिकार दिए गए हैं। इन्सान को इन्सान बनाने के लिए शिक्षा का अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान होता है। सदन में समय-समय पर कहा गया है कि शिक्षा और काम के अधिकारों को मौलिक अधिकारों में शामिल किया जाना चाहिए था। आजादी के बाद हमारे संविधान में इस तरह का प्रोविजन किया गया है कि जो भी शिक्षा प्राप्त करना चाहे, उसको पूरा मौका दिया जायेगा। आजादी से पहले शिक्षा के क्षेत्र में असमानताएं व्याप्त थी। और गरीबों तथा शिछड़ी जातियों के लिए तो शिक्षा के दरवाजे ही बंद थे।

अगर आप आंकड़े देखें तो आप को ताज्जुब होगा कि स्वतंत्रता से पहले किसी भी सरकारी नौकरी में शैड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के लोगों का प्रतिनिधित्व न के बराबर था। हम दाद देते हैं अपने देश के कर्णधारों को कि आजादी के बाद हर जाति और वर्ग के लिये शिक्षा और नौकरी के लिये दरवाजे खोल दिये। कहने को हमारे साथी कुछ भी आलोचना करें, लेकिन यह बात सही है कि आजादी के बाद शैड्यूल्ड कास्ट् और ट्राइब तथा अन्य कथजोर वर्ग के लोगों के घरों में शिक्षा पहुंची है, शिक्षा का प्रसार हुआ है और सरकारी नौकरी में उनको रिप्रजेन्टेशन निश्चित रूप से मिला है।

लेकिन अभी भी यह कमी महसूस की जाती है कि पैसे वालों के बच्चों को पब्लिक स्कूलों में अच्छी शिक्षा दी जाती है, देहरादून, मसूरी या पिलानी के पब्लिक स्कूल हों, उनमें वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाते हैं, जब कि दूसरी तरफ गांवों में शिक्षा का स्तर अत्यन्त ही दयनीय है। बहुत से स्कूलों में अध्यापक नहीं हैं आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उत्तर प्रदेश में इस समय 70,000 प्राइमरी स्कूल हैं और उनमें से 20,000 स्कूलों में प्रधान अध्यापक नहीं हैं। कहीं हेडमास्टर है तो अध्यापक नहीं, कहीं अध्यांपक हैं तो इमारत नहीं, टाट नहीं, और पढ़ाने की आवश्यक चीजों की कमी पायी जाती है।

मेरे साथी का विचार अपनी जगह पर सही है। मैं शिक्षा मंत्री जी से कहूंगा कि यह आपके

[श्री चन्द्रपाल शैलानी]

विचार की चीज है कि शिक्षा को फंडामेंटल राइट कब और कैसे बनायें। लेकिन इस समय जो ज्वलंत समस्यायें हैं वह बताना चाहता हूं। स्कूल चाहे जिला परिषद्, म्युनिसिपैलिटी के हों प्राइमरी, जूनियर हाई स्कूल या हाई स्कूल, उनकी दयनीय स्थिति को आप पहले सुधारें। 15-2-83 को एक प्रश्न के उत्तर में शिक्षा मंत्री ने यह बताया, सावाल पूछा गया था कि 1951 से 1981 के बीच में देश में शिक्षा का प्रतिशत क्या था ? तो मंत्री ने जवाब दिया कि 1951 में हमारे देश में। 5.83 प्रतिशत शिक्षित लोग थे और 1981 में 36.23 प्रतिशत हो गये।

राज्यवार आंकड़े जो दिये वह इस प्रकार हैं :

1951 में आन्ध्र प्रदेश में 13.11 प्रतिशत शिक्षा का स्तर था जो 1981 में 29.94 प्रतिशत हो गया। असम में 1951 में 17.48 था, 1981 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। बिहार में 1951 में 11.47% था जो 1981 में 26.92 प्रतिशत हो गया गुजरात में 1951 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, 1981 में 40.70 प्रतिशत हो गया। हरियाणा में 1951 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, 1981 में 36.14 प्रतिशत हो गया। हिमाचल प्रदेश में 1951 में 4.86 प्रतिशत था जो बढ़कर 1981 में 42. 46 प्रतिशत हो गया।

जम्मू-काश्मीर के 1951 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं और 1981 में 26.67 प्रतिशत लोग शिक्षित थे। कर्नाटक में 1951 में 19.34 प्रतिशत थे और 1981 में 38. 46 प्रतिशत हुए। केरल में 1951 में 40.38 प्रतिशत थे और 1981 में 70.42 प्रतिशत हुए।

सभापति महोदय (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : श्री शैलानी आप अगली बार अपना भाषण जारी रखेंगे।

सभा सोमवार 16.4.84 के 11 बजे म० पू० को पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

6.00 म० प०

तत्पश्चात लोक सभा सोमवार, 16 अप्रैल, 1984/चैत्र 27, 1906 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक— आकाश दीप प्रिंटर्स, 20 दरियागंज, नई दिल्ली-2

पी० एल० एस० 48/47/35/83 (एन०)
210

© 1983 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (छठा संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और प्रबंधक
आकाशदीप प्रिंटर्स 20, द :यागंज नई दिल्ली, द्वारा मुद्रित ।